अंक 5

राजभाषा भारती

1991

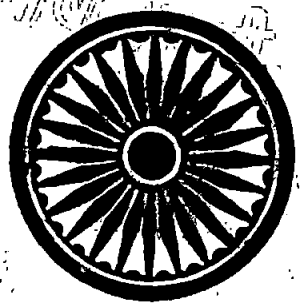

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

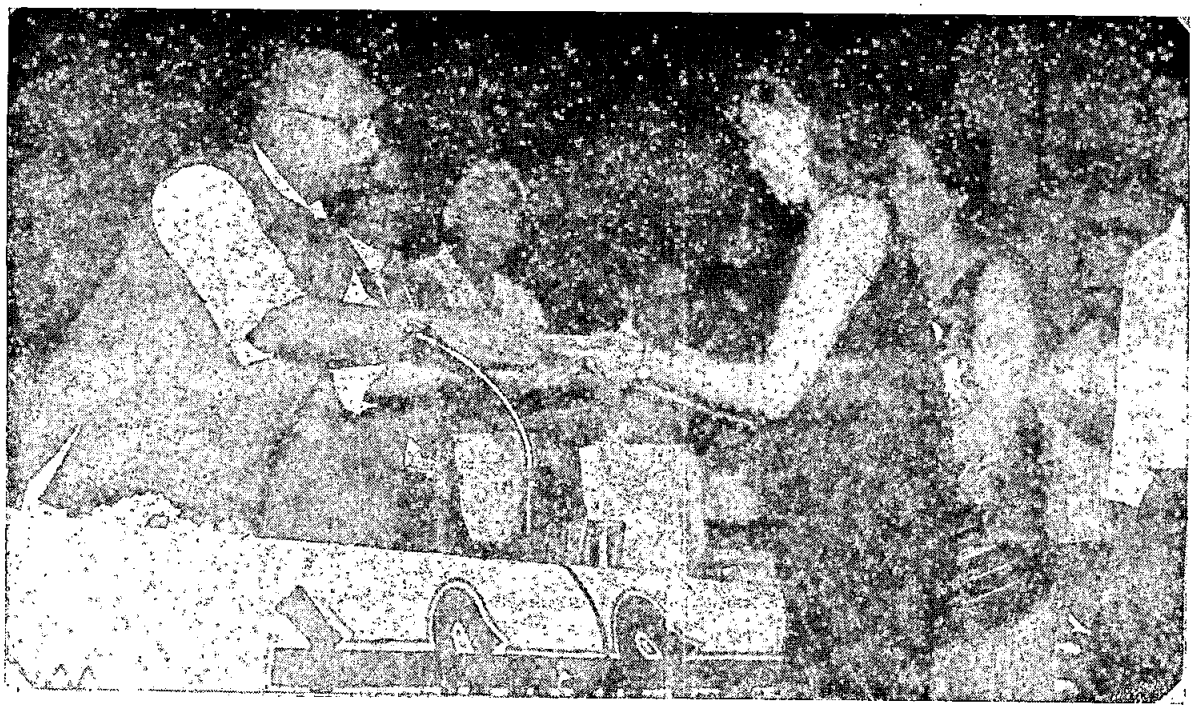

विदेशी छात्रों को परिषद का साहित्य भेंट करते हुए पूर्व खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह (94)

केनरा बैंक, दिल्ली अंचल कार्यालय में राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए
भारत सरकार के उप सचिव (का.) श्री भगवान दास पटैरया तथा अन्य अधिकारीगण (87)

पापादयफलं विद्वान्यो नारभति वर्धते ।

—विदुर नीति

[जो विद्वान् पुरुष पाप के हेतुभूत कर्म को आरम्भ नहीं करता, वह उन्नति करता है]

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 13
अंक : 54

आषाढ़—आश्विन 1913 शक
जुलाई—सितम्बर 1991

संपादक

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त डी. लिट.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

उप-संपादक

डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
लोकनायक भवन (11 वां तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

संपादकीय

पाठकों के पत्र

अनुक्रम

☐ चिंतन

1. स्वभाषा के लिए संकल्प लें!	डॉ. कृष्णलाल	1
2. राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा हिंदी	सुभाष शर्मा 'नीरव'	2
3. हिंदी की शब्द-संपदा	डॉ. रमेशचंद्र शुक्ल	3
4. वैज्ञानिक शिक्षा और हिंदी : माध्यम : समस्याएँ और समाधान	विश्वंभर प्रसाद 'गुप्तबंधु'	5
5. गुणवत्ता आश्वासन	वे. शेषन	12
6. जन-जन हेतु मकान के लिए भवन सामग्री उद्योगों का विकास	नटवर दुबे	16

☐ साहित्यकी

7. मातृभाषा पंजाबी का मानक हिंदी सीखने में व्याघात	डॉ. नरेंद्रकुमार शर्मा	23

☐ विश्व हिंदी दर्शन

○विदेशी पूछते हैं—आपकी राष्ट्रभाषा क्या है ?	28
○जापानवासियों का हिंदी प्रेम	28

☐ पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में

○हृदय परिवर्तन : कितना कठिन—कितना आसान (संस्मरण)	हरि बाबू कंसल	30

☐ समिति समाचार

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां 32

1. ग्रामीण विकास विभाग 2. गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय 3. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां 36

1. मद्रास 2. कानपुर (बैंक) 3. अहमदाबाद (बैंक) 4. जोधपुर 5. झांसी 6. ईटानगर 7. चण्डीगढ़ (बैंक) 8. हिसार 9. अजमेर 10. अलीगढ़ 11. भोपाल (बैंक) 12. भुवनेश्वर 13. आगरा 14. लुधियाना 15. बोकारो 16. इलाहाबाद

'विश्व हिन्दी दर्शन' स्तम्भ के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की सामग्री संकलित की गई है तो 'पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में' राजभाषा विभाग के उप सचिव पद से सेवा-निवृत्त श्री हरिबाबू कंसल के संस्मरण दिए गए हैं।

'समिति समाचार', 'हिन्दी के बढ़ते चरण', 'हिन्दी दिवस सप्ताह/समारोह', 'हिन्दी कार्यशालाएं' आदि स्तम्भों के अंतर्गत पूर्ववत् सामग्री दी गई है। 'विविधा' स्तम्भ के अंतर्गत राजभाषा, विभाग के तकनीकी कक्ष तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की गतिविधियों/कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 'प्रेरणा पुंज', 'प्रवेश/भर्ती परीक्षाएं और हिन्दी' में जानकारीपूर्ण भरपूर सामग्री दी गई है। 'पुस्तक समीक्षा' के अंतर्गत पांच विभिन्न विषयों की पुस्तकों की समीक्षा सम्मिलित है और 'आदेश-अनुदेश' स्तम्भ के अंतर्गत राजभाषा विभाग, इलेक्ट्रोनिकी विभाग और दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश शामिल किए गए हैं।

श्री शैलेश कुमार लाल के स्थानान्तरण के बाद श्री जे.एन. कौल ने भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग का पदभार संभाल लिया है। उनके संरक्षण में 'राजभाषा भारती' के प्रत्येक अंक में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए निरन्तर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ, पाठकों से अनुरोध है कि वे पत्रिका के बारे में अपने विचार अवश्य सूचित करें।

पाठकों के सुझावों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

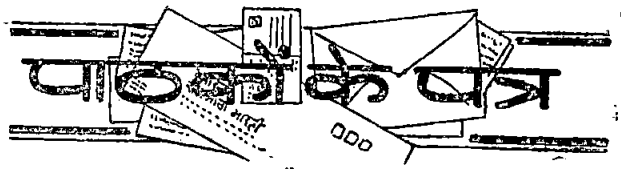

राजभाषा हिंदी के बहुमुखी विकास में सफल योगदान देने वाली राजभाषा विभाग की हिंदी त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती की अपनी यह विशेषता है कि इसके प्रत्येक नए अंक का बड़े ही बेसब्री से इन्तजार करना पड़ता है।

पत्रिका में समाहित किए जाने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों/उद्यमों/उपक्रमों/बैंकों इत्यादि के बारे में प्रस्तुत लेख विवरण, समाचार इनसे हमें सम्पूर्ण भारत में प्रचलित हिंदी का दर्शन होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पत्रिका अपने आप में एक उज्जवल दर्पण है जिसमें भारत सरकार के सभी कार्यालय अपना प्रतिबिंब निहार सकते हैं।

—नरसिंह राम, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरन (तमिलनाडु)

□

राजभाषा भारती पत्रिका में दी गई हिंदी के विकास तथा प्रचार और प्रसार से सम्बन्धित जानकारी वास्तव में सराहनीय है। पत्रिका में दिए गए राजभाषा सम्बन्धी लेख भी बहुत उपयोगी है। कृपया बधाई स्वीकारें।

—डॉ. विजय मोहन सिंह, सचिव, हिंदी अकादमी दिल्ली, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

□

देश-विदेश में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तथा इस क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों की सामूहिक जानकारी देने के लिए "राजभाषा-भारती" एक मार्गदर्शक के रूप में राजभाषा के विकास-प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित कर रही है। "राजभाषा भारती" के अंक-50 में सहयोगी लेखकों द्वारा प्रकाशनार्थ सामग्री तथा संपादकीय-कौशल प्रशंसा-योग्य है। पत्रिका का मुखपृष्ठ, कलेवर, भारतीय भाषायी एकता की अस्मिता की पहचान करवाता है।

राजभाषा के रूप में हिंदी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, हम हिंदी क्यों अपनाएं ? बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार में इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग आदि लेख अत्यन्त सारगर्भित बन पड़े हैं।

पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में, डॉ. मोटूरि सत्यनारायण का लेख "भारत के संविधान में सामासिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं", निःसंदेह नवीन संभावनाओं को अभिव्यक्त करता है और लेखकीय कर्मकौशल की परिपक्वता को चरितार्थ करता है।

—धर्मपाल, सहायक निदेशक, आयकर आयुक्त कार्यालय, बड़ोदरा

□

राजभाषा भारती अंक 51 (अक्तूबर-दिसम्बर, 1990 में निबन्ध मात्र पठनीय ही नहीं, मनन करने योग्य है तथा हिन्दी राजभाषा मात्र नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा सभी रूप में निरूपित दिए गए हैं। श्री विश्वम्भर प्रसाद गुप्त अगर तीन हुए होते तो सभी विभाग हिन्दीमय हो जाते और डा. रघुवीर अभी जीवित होते तो हिन्दी विश्व भाषा मान्यता प्राप्त कर ली होती। श्री जगन्नाथ जी का निबन्ध मात्र जानकारी ही दिए हैं। इसके साथ सटीक सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इसका सही रूप में कार्यान्वयन हो तो राष्ट्रभाषा मार्ग प्रशस्त होगा और कल्याण भी। यह अंक जानकारी का अदभुत भंडार है।

—जगदम्बी प्रसाद यादव, पूर्व सांसद, 19, पाकेट डी, मयूर विहार, फेज II, दिल्ली-110091

□

राजभाषा भारती अंक 51 पत्रिका राजभाषा कार्यों से जड़े हुए लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य कर रही है तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार में हो रहे नित-नूतन आविष्कारों, माध्यमों व भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित राजभाषा आदेशों से भी अवगत कराती है।

प्रस्तुत अंक में लेख "सभी भारतीय भाषाओं की संपर्क लिपि, देवनागरी; दक्षिण के लिए हिन्दी नई नहीं है" तथा 'नेहरू : शैक्षिक एवं भाषिक चिंतन" लेख बेहद ज्ञानवर्द्धक व रोचक थे।

—एस. लक्ष्मी कुमारी, हिन्दी अधिकारी प्रागा टूल्स लि०, सिकन्दराबाद-500380

□

राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा हिंदी

☐ सुभाष शर्मा "मीरव"*

राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रासंगिकता पर विचार करने से पूर्व यह निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा को इस संदर्भ में उसके समग्र अर्थों में ग्रहण किया जाये। राष्ट्रभाषा हिन्दी को केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों की विशिष्ट भाषा ही मानना उसके सार्वदेशिक स्वरूप की गरिमा के साथ अन्याय होगा। साथ ही राष्ट्रीय अखण्डता के इस मोती की आब का सही मूल्यांकन भी संभव नहीं हो पाएगा। वस्तुतः 'राष्ट्रभाषा' शब्द में पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति रखने वाली गौरवमयी परम्परा का अर्थ निहित है। किसी भी राष्ट्र के एकात्मक स्वर में जीवन प्रदायिनी शक्ति का संचार करने वाली उस देश की राष्ट्रभाषा ही तो हो सकती है। राष्ट्रभाषा के अर्थ एवं उसके राष्ट्रीय एकता के साथ अन्योन्य संबंध को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान एवं विदेशों में हिन्दी के प्रचार कार्य में संलग्न डॉ. आनन्द वशिष्ठ के उक्त उद्धरण का उल्लेख आवश्यक है। उनके अनुसार "किसी भी देश के बिखरे हुए तन्तुओं (प्रान्तों) को एक ही तार में करने वाली उस देश की राष्ट्रभाषा ही है वशर्ते कि उसे राजकीय प्रश्रय प्रदत्त भाषा ही न समझ लिया जाय। ऐसी स्थिति उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है।"

"राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भों में हिन्दी के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को एक ही झण्डे के तले लाने का स्वप्न बहुत पहले से हीं देश का बुद्धिजीवी वर्ग एवं नेतागण देख रहे थे। अपने स्वप्नों को साकार रूप देने के प्रयत्न बहुत पहले से ही आरम्भ हो चुके थे। हिन्दी को स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में ग्रहण करने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न भी किये जाने लगे थे। इसके पीछे हिन्दी के माध्यम से सम्पूर्ण भारत की विभिन्न जनधाराओं के मध्य एक सेतु स्थापित करने की छिपी हुई आंकाक्षा थी।

"ब्रह्म समाज के नेता बाबू केशवचन्द्र सेन ने सन् 1875 में तत्कालीन पत्र "सुलभ समाचार" के एक लेख में हिन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की ध्वजा के आरोहण की विषय वस्तु की पुष्टि करते हुए लिखा था :—

"यदि एक भाषा के न होने से भारत में एकता नहीं होती है तो और चारा भी क्या है? तब सारे भारतवर्ष में एक ही भाषा का व्यवहार करना एक मात्र उपाय है। अभी कितनी ही भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिन्दी सर्वाधिक प्रभावी एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसी हिन्दी को अगर भारतवर्ष की एक मात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाय तो सहज ही एकता संभव है। भाषा एक नहीं होने पर एकता संभव नहीं है।"

राष्ट्रीय गीत 'बन्दे मातरम्' के रचयिता एवं 'आनन्द मठ' जैसे उपन्यास के अमर शिल्पी बंकिम चन्द्र चटर्जी ने राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में हिन्दी को मान्यता को स्वीकारते हुए उद्गार व्यक्त किए :—

"हिन्दी भाषा की सहायता से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में ऐक्य बन्धन स्थापित हो सकेगा।"

यहां तक कि "थियोसोफिकल समाज" की सबसे बड़ी नेत्री अंग्रेज महिला एनी बेसेन्ट ने हिन्दी की महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकारा। हिन्दी के सार्वदेशिक स्वभाव की सराहना करते हुए राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में उसकी सम्भावनाओं के विषय में अपनी पुस्तक "द नेशन बिल्डिंग" में एक स्थान पर उन्होंने कहा है "हिन्दी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारत की यात्रा कर सकता है, उसे प्रत्येक स्थान पर हिन्दी बोलने वाले मिल जाएंगे। यह स्थिति भारत को भाषाई स्तर पर एक होने की सूचक है।"

महात्मा गांधी ने हिन्दी में न केवल स्वाधीनता हेतु जन सम्पर्क की भाषा खोजी, अपितु उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता के शंख का उद्घोष भी किया। राष्ट्र की अखण्डता के लिए हिंदी का नारा बुलन्द करते हुए उन्होंने एक लेख में अपने उद्गार व्यक्त किये :—

"मैं हिन्दी में केवल एक सशक्त भाषा ही नहीं देख रहा हूं बल्कि मैं इसके अन्दर राष्ट्रीय एकता के समर्थन तत्व के बीज के भी दर्शन कर रहा हूं। हमारा मतलब तो सिर्फ यही है कि विभिन्न प्रांतों के लोग पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हिन्दी जानें ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधे।"

... जारी पृष्ठ 108 पर

*राजभाषा अधिकारी इलाहाबाद बैंक,
17-आर.एन. मुखर्जी मार्ग, कलकत्ता-700001

हिंदी की शब्द-संपदा

□डॉ० रमेशचन्द्र शुक्ल*

शब्दों के निर्माण एवं ग्रहणशक्ति से ही भाषा की संपदा में वृद्धि होती है। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों के ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति है। वह अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहणकर आत्मसात करने में पूर्ण रूप से निपुण है। यही कारण है कि हिंदी आज अनेक बाधाओं को पार करके भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जीवित एवं विकासशील भाषाओं में शब्दों का आदान-प्रदान होता ही रहता है, भाषा में ग्रहणशीलता उसकी जीवनशक्ति का परिचायक होती है उसकी निर्धनता का नहीं। शब्दों के माध्यम से ही भाषा एवं संस्कृति में संबंध स्थापित होता है। शब्दावली जाति के सांस्कृतिक विकास की सूचक है अर्थात् शब्दों की बहुलता एवं संपन्नता सांस्कृतिक विविधता एवं संपन्नता की भी सूचक है।

हिंदी-भाषा के शब्दों का विवेचन, कार्य, रचना, अर्थ तथा इतिहास की दृष्टि से किया जा सकता है। चूंकि इतिहास के अतिरिक्त अन्य दृष्टि से विवेचन रूपविज्ञान (Morphology) के अन्तर्गत आता है अतः हिंदी की शब्द-संपदा या शब्दभंडार की चर्चा करते समय उसका विवेचन इतिहास अथवा स्रोत की दृष्टि से ही किया जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को चार शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है—

(1) तत्सम, (2) तद्भव, (3) देशज (4) विदेशी

(1) **तत्सम** :–'तत्सम' शब्द का अर्थ है—'उसी के समान' अर्थात् 'तत्सम' उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान हों। यथा—कृष्ण, दधि, हस्त, कर्म, धर्म आदि। ये वे शब्द हैं जो बिना किसी ध्वनि–परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तत्सम समझे जाने वाले सभी शब्द संस्कृत अथवा वैदिक भाषाओं के ही नहीं हैं। वास्तव में संस्कृत में जो शब्द अन्य भाषाओं से मिल गए थे, उन्हें भ्रमवश संस्कृत का मान लिया गया और आज वे तत्सम के ही अन्तर्गत स्वीकार किए जाते हैं। यथा—असुर-असीरियन भाषा का, कदली, ताम्बूल, गंगा, पिनाक, लिंग आदि आस्ट्रिक परिवार के, यवन, दंभ आदि यूनानी भाषा के तथा पुष्प, रात्रि, शव आदि द्रविड़ परिवार के शब्द हैं।

हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों को प्रायः चार स्रोतों से ग्रहण किया गया है—

(क) **संस्कृत से सीधे आधुनिक हिंदी में लिए गए शब्द** :

ये शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, यथा—कुशल, कृष्ण, कर्म, विद्या, मत्स्य मार्ग आदि।

(ख) **संस्कृत व्याकरण के आधार पर बने शब्द**

कदाचित कुछ शब्द आधुनिक काल में शब्दों की कमी के कारण बनाए गए हैं, यथा—जलवायु, संपादकीय, प्राध्यापक, प्रभाग, पत्राचार आदि। ये शब्द संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही निर्मित हैं। पारिभाषिक शब्दावली में इस आधार पर अनेक शब्द बनाए गए हैं।

(ग) **पाली, प्राकृत, तथा अपभ्रंश के माध्यम से आए शब्द :**

इसमें दो प्रकार के शब्द हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो संस्कृत से परंपरागत रूप में प्राकृतों को प्राप्त हुए और अपने रूप स्थिर रख सके। दूसरे शब्द वे हैं जो संस्कृत के प्राकृत पर प्रभाव स्वरूप प्राकृत में आए हैं—यथा कुसुम, दंड, जंघु, अंचल, काल आदि।

(घ) **अन्य भाषाओं के माध्यम से हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द**

इनमें कुछ शब्द बंगाली, मराठी तथा गुजराती के माध्यम से आए हैं। कुछ शब्द स्वयं इन भाषाओं में संस्कृत के आधार पर बने हैं, यथा—

बंगला—उपन्यास, अभिभावक, तत्वावधान, स्वप्निल आदि।

मराठी—प्रगति, वाङ्मय, चालू, लागू आदि।

गुजराती—गरबा, हड़ताल आदि।

(2) **तद्भव** : 'तद्भव' शब्द का अर्थ है—उससे उत्पन्न। यहां भी तत् शब्द संस्कृत अथवा वैदिक बोलियों को ओर इंगित करता है। हिंदी के लिए वे शब्द तद्भव हैं जोकि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पूर्वजा भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले सभी तत्सम शब्दों के तद्भव रूप प्राप्त होते हैं। हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम तद्भव हैं। संज्ञापदों की संख्या सबसे अधिक है, किंतु इनका व्यवहार देश, काल, पात्र आदि के अनुसार थोड़ा-बहुत घटता-बढ़ता रहता है? क्रियापद भी प्रायः सभी तद्भव हैं परन्तु साहित्यिक या उच्च हिंदी में इनका स्थान करना, होना क्रिया के साथ संस्कृत का कृदन्त रूप ले लेता है जैसे परिचित होना (जानना) विशेषणों के लिए हिंदी संस्कृत पर आधारित है: संस्कृत में विशेषण पदों का निर्माण भी सहज में हो जाता है। 'तद्भव' विशेषण हिंदी में कम हैं।

*जम्मू-कश्मीर दूरसंचार परिमंडल श्रीनगर (कश्मीर)-190001

अव्ययों में यहां, वहां, कहां, जहां, तन, जब, कब, चाहे, मानो, तक, ज्यों, क्यों, आगे-पीछे, नीचे, ऊपर, फिर, कैसे, जैसे, ऐसे, तो, ही, भी, और आदि शब्द कभी स्थानच्युत नहीं किए जा सकते। तथा, यथा, अतः, पुनः आदि कुछ संस्कृत अव्यय शैली के लिए व्यवहृत होते हैं। 'यदि' का तद्भव रूप 'जे' नहीं चल सका। हिंदी में प्रयुक्त कुछ तद्भव शब्द इस प्रकार हैं :—

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
कर्म	काम	कर्ण	कान
दंत	दांत	धर्म	धाम
काष्ठ	काठ	एकादश	ग्यारह
पद	पांव	हस्त	हाथ
अष्ट	आठ	इक्षु	ईख
कुंजिका	कुंजी	कंकण	कंगन
जिह्वा	जीभ	घटिका	घड़ी
सप्त	सात	श्यामलता	सांवला

तद्भव-शब्दों को भरत मुनि ने 'विभ्रष्ट' तथा चण्ड तथा हेमचन्द्र ने 'संस्कृत योनि' कहा है।

(3) देशज :—'देशज' का अर्थ है—(देश+ज) जो देश में जन्मे हों। दूसरे शब्दों में वह शब्द-समूह जो देशी भाषाओं में स्वतः विकसित हुआ हो। देशी भाषाओं से अभिप्राय यहां हिंदी की विभाषाओं और बोलियों से ही है। अतः वह समस्त शब्दावली जो हिंदी भाषाभाषी अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ते रहे हैं—'देशज' कहलाएंगी। आचार्य हेमचन्द्र सूरी ने उन शब्दों को 'देशज' कहा है—"जिनकी संस्कृत से व्युत्पत्ति नहीं दिखाई जा सकती"। आधुनिक भाषाविद् जिन्होंने देशज शब्दों पर विचार किया है। उनमें वीम्स, हार्न ले, ग्रियर्सन, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, डॉ. बाबूराम सक्सेना आदि प्रमुख हैं। डॉ. बाबूराम सक्सेना देशज शब्दों पर विचार करते हुए लिखते हैं—"उन शब्दों को हम 'देशज' कहते हैं जो आधुनिक सहज की बोलचाल में स्वतः ही विकसित हुए हैं, जैसे—पेड़, गड़बड़, ठंडाई आदि"। अतः 'देशज' उन शब्दों को कहा जा सकता है जो देश के प्रांत विशेष के जनसाधारण के द्वारा अपने आप प्रयोग में आने लगते हैं तथा जिनका उद्गम अज्ञात है यथा—ऊटपटांग, अकड़, ठर्श, थोथा आदि।

संस्कृत ने भी देशी भाषाओं से बहुत से शब्द ग्रहण किए हैं। इनकी बहुत लम्बी और उपयोगी सूची टी. बरो ने अपनी पुस्तक 'संस्कृत लैंग्वेज' (1945) के अध्याय आठ में दी है। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'देशज' कहे जाने वाले शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) अज्ञात व्युत्पत्तिक :—जिनकी उत्पत्ति का पता न हो। जैसे—टट्टू, तेंदुआ, कबड्डी, गड़बड़, घपला, चंपत, चूहा, झंझट, टीस, ठेठ, थोड़ा, पेड़ आदि।

(ख) अनुकरणात्मक : इस प्रकार के शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं। जैसे—खड़खड़, भड़भड़, खटपट, धमधम, चटपट, धड़धड़, भों-भों, कलकल, वलबल, झलमल, छपछप, तड़ातड़ आदि।

(4) विदेशी : विदेशी शब्द का मूल अर्थ है—अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द। इन्हें उधार शब्द (Loan words) कहना अधिक उपयुक्त है। 1000ई. के पश्चात् आने वाली शब्दावली हिंदी में विशेष स्थान रखती है। अरबी—फारसी से मुस्लिम आधिपत्य के युग में इतने शब्द हिंदी में भर गए कि खड़ी-बोली का आकार-प्रकार ही बदल गया और हिंदी के साथ-साथ कुल लोगों को दूसरे प्रकार के लिए 'उर्दू' नाम भी देना पड़ा। मुसलमान यहां आकर बस गए। फलस्वरूप शासकीय शब्दावली के साथ सांस्कृतिक शब्दावली भी आई। बहुत से शब्द तो हिंदी की रग-रग में इस प्रकार से बस गए हैं कि जिन्होंने हिंदी के अपने शब्दों का बहिष्कार कर दिया। 19वीं शताब्दी से योरोपीय भाषाओं—विशेषकर अंग्रेजी के हजारों शब्द हिंदी में आ मिले हैं जो अपने विशुद्ध और विकृत रूप में करोड़ों व्यक्तियों द्वारा नित्य की बोलचाल में प्रयुक्त किये जाते हैं। विदेशी भाषाओं से गृहीत शब्दावली की एक झांकी इस प्रकार है :—

(क) पश्तो : पठान, अटैरन, अल्लम-गुल्लम, रिंगश्ती, गण्डा, अचार, तड़ाक, खरोटा, तहस—नहस, जलिंगोटा, चखचख, पटाखा, गटरगूं, गडेरी, नगाड़ा, हमजोली आदि।

(ख) तुर्की : उर्दू, बहादुर, उजबक, तुर्क, चाकू, केंची, गलीचा, खच्चर, बेगम, बारूद, आका, तमगा, तमंचा, दरोगा, बावर्ची, बीबी, लाश आदि।

(ग) अरबी : अमीर, उम्र, ऐनक, औजार, औलाद, कलम, कत्ल, कदम, काजी, कानून, कब्जा, करामात, पाजामा, कमीज, जुराब, दस्ताना, सलवार, सरकार, सदर, आला, वकील, माल, दीवानी, मुंशी, हाकिम, अमीन, अदालत, मुहल्ला, तहसील, शहर, जिला, बजाज, दर्जी, मकान, बुनियाद, दालान, तहखाना, बदहज्मी, लकवा, जुकाम, मरीज आदि।

(घ) फारसी : उमेम्द, खून, चन्दा, चपरासी, चरखा, चरवी, जमींदार, जहाज, जादू, जान, तीर, तेज, दंगल, दरबार, दीवान, दुकान, दफ्तर, नगीना, निशानी, प्याला, बादाम, बीमार, मस्ती, आसमान, बदनाम, सख्त, परेशान, खुद, फलाँ, हरगिज बिल्कुल, खामखां, अगर, वर्ना, लेकिन आदि।

(ङ) अंग्रेजी : अपील, आपरेशन, आर्डर, इंजीनियर, स्कूल, स्टीमर, ओवरकोट, कलक्टर, कमिश्नर, कलेण्डर, ऐक्टर, कटपीस, कांग्रेस, हाईकोर्ट, हारमोनियम आदि।

... जारी पृष्ठ ? पर

हिंदी के सन्दर्भ में 'दक्खिनी' का महत्त्व

□डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया

*भारती नगर, मैरिस रोड, अलीगढ़-202001

हिंदी की कड़ी के रूप में उत्तर भारत के जिस बीज का दक्षिण भारत में प्रत्यारोपण किया गया वही कालांतर में 'दक्खिनी' के रूप में विकसित हुई। मुहम्मद तुगलक ने सन् 1327 में सामरिक दृष्टि से दौलताबाद को राजधानी बनाया, साथ ही दिल्ली के नागरिकों, पदाधिकारियों, सैनिकों और कलाविदों को दिल्ली छोड़कर जाने और वहां स्थायी रूप से रहने का आदेश दिया । तुगलक की यह नीति कितनी असफल रही यह सर्वविदित है; पर सेना, जनता और व्यापारी वर्ग के हजारों परिवारों को पशुओं सहित दौलताबाद जाना पड़ा और कुछ वर्ष बाद ही दौलताबाद से दिल्ली लौटने के आदेश हुए। आदेश के होते हुए भी कुछ परिवार वहीं रह गये। जो लोग वहां गये उनमें हिंदू-मुसलमान दोनों सम्मिलित थे और अधिकतर दिल्ली-हरियाणा के समीपवर्ती भाग के थे। ये लोग मिश्रित भाषा बोलते थे जिस पर समीपवर्ती पंजाबी, हरियाणवी और ब्रज का विशेष प्रभाव था। उनके साथ जो अधिकारीगण थे उनकी मातृभाषा अरबी-फारसी तथा तुर्की थी। जिन क्षेत्रों[1] में यह भाषा विकसित हुई वहां के लोग मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलते थे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी का, तेलुगु के क्षेत्र में तेलुगु का, कर्नाटक के क्षेत्र में कन्नड़ और केरल में मलयालम का प्रभाव होना स्वाभाविक है।

'दक्खिनी' मूलतः हिंदी का ही एक रूप है। खुलकर कहा गया कि दक्षिण के विशेष रूप में आंध्र प्रदेश के मुसलमान जो हिंदी बोलते हैं उसे 'दकनी' या 'दक्खिनी' नाम दिया गया। कुछ इसको ही सरल दक्खिनी उर्दू अथवा 'हिंदुस्तानी' भी कह देते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हिंदी तथा उर्दू दोनों ही भाषाओं के विद्वानों ने की है जिनमें से डॉ. बाबूराम सक्सेना तथा डॉ. मसूद हुसैन खां[3] के नाम उल्लेखनीय हैं। कालांतर में हैदराबाद के डॉ. श्रीराम शर्मा,[4], डॉ. राजकिशोर तथा औरंगाबाद के डॉ. भालचन्द्र राव तैलंग[5] ने शोध कार्य किये।

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'दक्खिनी हिंदी काव्यधारा' जैसा विशाल ग्रंथ प्रस्तुत किया जिसमें आदिकाल (आठ), मध्यकाल (चौदह), आधुनिक काल (चौदह) के छत्तीस कवियों को सम्मिलित किया गया है।

पुस्तक के प्रारंभ में राहुल जी ने स्पष्ट किया है :

> "दक्खिनी हिंदी साहित्य की एक ऐसी कड़ी है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। × × × खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि यह दक्खिनी कवि थे। एक ओर उन्होंने बोलचाल की कौरवी को साहित्यिक भाषा का रूप दिया तो दूसरी तरफ उनकी कृतियों ने उर्दू कविता का प्रारंभ किया। हमारी हिंदी उर्दू की विशेषतौर से गद्य की ऋणी है। दिल्ली के राज्यपालों, सेनापतियों और दूसरे शासकों के साथ कौरवी भारत के भिन्न-भिन्न भागों में पहुंची है, हां साधारण बोलचाल के लिए ही राजकीय कार्य या साहित्य के लिए नहीं *** दिल्ली के कारण उसका (कौरवी का) भाग्य लौटा और आज उसकी भाषा समस्त देश की सम्मिलित भाषा बन गई।"
>
> 'दो शब्द' से, पृष्ठ 5

---

1. प्रो. अब्दुल कादरी सरवरी के अनुसार दक्खिनी का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण के लगभग सभी राज्यों, मद्रास (अब तमिलनाडु) केरल, आंध्र और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। उत्तर में मध्यभारत के स्थान, जैसे—सागर, मालवा आदि भी इसके प्रभाव में थे।
2. दक्खिनी हिंदी—डॉ. बाबूराम सक्सेना, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद।
3. शेरो जबान तथा प्रितनामा—डा. मसूद हुसैन खां (मुकद्दमा तारिखे जबान उर्दू), 1954
4. दक्खिनी का उद्भव और विकास—डॉ. श्रीराम शर्मा, 1964
   दक्खिनी का पद्य और गद्य—डॉ. श्रीराम शर्मा, 1957
5. हिन्दुई बनाम दक्खिनी—ड . भालचन्द्र राव तैलंग, औरंगाबाद, सन् 1975

डॉ. मसूद हुसैन खां ने स्वीकार किया है कि दक्खिनी भाषा की शब्दावली, विशेषताएं तथा पद व्याख्या दिल्ली के आसपास की बोलियों, विशेषरूप से हरियाणी और खड़ी बोली से पूरी तरह मेल खाती है। (शेरो जबान)

बोलचाल की दक्खिनी के अनेक रूप मिलते हैं। आज से एक शताब्दी पूर्व किए गए डॉ. ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या छत्तीस लाख चौवन हजार थी। दक्खिनी का प्रथम कवि ख्वाजा बन्दे नवाज (1321-1452 ई.) ने तो इसको 'हिन्दुई' की संज्ञा दी है। इसमें 'हिन्दुई' शब्द को व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसके भिन्न-भिन्न रूप हैं :

हिन्दुई जबान तो जरूर मुल्क के मख्तलिफ हिस्सों में मुखतलिफ है। —डॉ. वहीद मिर्जा

स्वयं हजरत बन्दे नवाज इसे 'हिन्दवी' कहते हैं :—

"बाज लुत्फ बातें और मामलते के इशारे हैं जो 'हिन्दवी' के सिवाय किसी जबान में नहीं कहे जा सकते।

शेख शरफुद्दीन अशरफ साहेब ने भी अपनी किताब 'नौसिरहार' में 'हिन्दुई' कहा है :—

वाचा कीन्हा हिन्दुई में। किस्सा मकतल शाह हुसैन।
नजम लिखी सब मौजूं आन। यों में हिन्दुई कर आसान॥

कई शताब्दी बाद 'दक्खिनी' नाम प्रचलित हुआ है जिसका प्रामाणिकता के साथ उल्लेख वजही ने 'कुतुब मुश्तरी' में किया।

दखिन में जो मिठी बात का।
अछायें किया कोई इस घात का॥

इसके बाद में तो इब्न निशाती ने 'फूलबन' में तथा रुस्तमी ने 'खाबिरनामह' में इसी को 'दखिनी' से अभिहित किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के तीन पद 'रागकल्पद्रुम' में मिलते हैं जिससे इस भाषा के प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है :

होरी खेलत हौ हौ रे लला
बहियां न गहौ बहियां
न गहौ जावो चला
काहू की लपट और झपट काहू कै
पकरत हो जू चपला॥

ख्वाजा बन्देनिवाज़ की शिष्य परंपरा में बड़े साहब अकबरशाह ने जिनकी कृति 'शृंगार मंजरी' का संपादन डॉ. राघवन ने किया। भूषण के भाई कवि चिंतामणि ने इस कृति का ब्रजभाषा में रूपांतर किया और इस कृति को सत्रहवीं शताब्दी की बहुमूल्य रचना के रूप में घोषित किया :

जिनके सुमिरत होति सिद्धि संपति परिपूरन।
कहत बड़े साहिब समग्ग फलदायक तूरन।
जाको मनु उनके पदकमल भ्रमरु सुभूपर धन्य नरु।
बंदेनिवाज हजरति जगत सकल भूवनतल कल्पतरु।

इस भाषा के उद्गम और विकास में तत्सम, तद्भव और देशी शब्दों का योगदान रहा है जो परम्परागत अधिक हैं, निर्मित बनावटी कम। दक्खिनी के साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली को अखिल भारतीय आसानी से माना जा सकता है :

ज्ञान, पात, बांद, खींचाखींच, भक्तबंदा, जना, चौथा, दाना, जान्ना, खाना, फासा, बीना, तरीकत, पैदाइश, इशारत, मिठाई, दवाई, नूरानी, भोगन, बिसरन, जुल्मात, अंधार, रोगी, सूफी, नादान, नामर्द, नाकबूल, बेखुदी, बेहया, बेफायदा, हरतरफ, बिचार, हमदर्द, मुल्की, दरमियानी, जिंदगी, बंदगी, मर्दानगी, चंदना, बालपन, खबरदार, कमरबंद, उम्मीदवार और कुछ क्रियार्थक संज्ञाएं, जैसे, छिपना, जलना, भरना, अछना, (रहना/होना), करना, देखना, रखना, बोलना, लेना, बरतना, मिलना, हांडना (फिरना), भौंदना (चकित होना) आदि।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि बहमनी, आदिलशाही, कुतुबशाही आदि सल्तनतों ने हिन्दुओं से निकट संपर्क स्थापित किया और उन्हें उच्च पदों पर आसीन किया। मुस्लिम सन्त और फकीरों ने अपने धर्म का प्रचार इसी भाषा में किया और अपने संदेश को दूर-दूर तक फैलाया। फलतः उनके संदेश के विस्तार के साथ-साथ खड़ी बोली की भी व्यापकता में वृद्धि हुई। खुसरो से भी पहले शकरगंज ने अपनी काव्यरचना इसी भाषा में की।

दकनी में गद्य-पद्य सभी कुछ लिखा गया। डा. भालचन्द्र राव तेलंग ने बन्देनिवाज द्वारा प्रयुक्त 'हिन्दुई" भाषा का अभिधानकोश चौसठ पृष्ठों में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा का स्वरूप आज भी मान्य है :

पानी में नमक डाल लेसां देखना इसे।
जब धुल गया नमक तो नमक बोलना किसे।
यूं धोले खुदी अपनी खुदा साथ मुस्तफा।
जबल धुल गई खुदी तो खुदा बोलना किसे।

सामान्यतः 'दकनी' पर हरियाणवी का प्रभाव माना जाता है। वस्तुतः इतनी अधिक भाषाओं का प्रभाव इस पर है और वह भी इतना घुलमिल गया है कि उसको पहचानना मुश्किल है। बुरहानुदीन की भाषा पर गुजराती, निशाती की भाषा पर मराठी और इब्राहीम आदिलशाह की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव अत्यधिक है। "नवरस' जैसी कृति भी दक्खिनी में है जिसमें ब्रज और संस्कृत बहुल शब्दावली भरपूर है। दक्खिनी भाषा के सरल रूप के लिए वली की चलती भाषा का रूप द्रष्टव्य है :—

विरागी जो कहते हैं, उसे घरबार करना क्या।
हुई जोगिन जो कोई पी की, उसे संसार करना क्या॥
जो पीवे प्रीत का पानी, उसे क्या काम पानी सों॥
जो भोजन दुख का करते हैं उसे आहार करना क्या॥

दक्खिनी का रूप संवारने में वली का अभूतपूर्व योगदान है। इस संबंध में डा. चन्द्रकिशोर अभ्यष्ट ने एक दिलचस्प बात का उल्लेख अपने लेख 'दक्खिनी हिन्दी की अंतरंग पहचान' में किया है :

"जब वली और औरंगाबादी दिल्ली आए तो उनकी इस यात्रा का परिणाम दो प्रभावों के रूप में पड़ा। दिल्ली के साहित्यकारों ने तो फारसी को छोड़कर "हिन्दी" या 'रेख्ता' को अपनाना शुरु कर दिया और "दक्खिनी" के साहित्यकारों ने "दक्खिनी में विदेशी शब्दों के स्थान पर अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग कर इस भाषा के स्वरूप को मानक बनाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार दिल्ली से दक्षिण का सम्पर्क बढ़ता गया।"

× × × × × ×

वली से पूर्व का साहित्य सरल, शुद्ध खड़ीबोली का प्रारंभिक रूप है। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का बहुत कम प्रयोग हुआ है। इसी साहित्य का दूसरा रूप उस समय से प्रारंभ होता है जब वली दिल्ली की यात्रा कर वापस आए और अपनी मौलिकता, स्वतन्त्रता और उदारता खोकर अरबी-फारसी के रंग में सरोबार हो गए।'

दो वर्ष हुए त्रिवेन्द्रम में "दक्खिनी" पर अखिल भारतीय संगोष्ठी सम्पन्न हुई जिसमें उदघाटन भाषण में श्री के. चन्द्रशेखरन ने कहा कि "(दक्षिण के) इन राज्यों की भाषाओं से दक्खिनी हिन्दी को मिलाना ही नहीं, दोनों भाषाओं का परस्पर योगदान भी कराना है। भाषा के विकास के लिए शब्द पर्याप्त हैं। शब्दों की समृद्धि जितनी हो उतनी ही उत्तमता भाषा में आएगी। × × × दक्खिनी जैसी उपभाषाओं को अपने राज्यों की अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करना होगा। इन भाषाओं को दक्खिनी से शब्द लेना चाहिए। परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुए हमें भाषा के विकास का प्रयास करना चाहिए। यह संयोग ही है कि चौंदहवीं शताब्दी में अमीर खुसरो जैसे सहिष्णु संत जिस भाषा का प्रयोग उत्तर भारत में कर रहे थे। किन्हीं कारणों से उत्तर में अधिक विकसित न होकर सुदूर दक्षिण में विकसित हुई और फिर से उत्तर में लौटकर वर्तमान हिंदी के स्वरूप को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुई।"

यह माना जाता है कि दक्खिनी कर्नाटक तथा आन्ध्र में ही अधिक विकसित हुई पर तमिलनाडु के तंजाऊर नगर में तुराब ने 'मनसमझावन' हिन्दी संपादक विद्यासागर डा. सैयदा जाफर दक्खिनी में लिखा था। डा. परमानन्द पांचाल ने "दक्खिनी हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली" पर शोधकार्य सम्पन्न किया है। यह शोध-प्रबंध अब प्रकाशित रूप में उपलब्ध है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि "दक्खिनी हिन्दी" हिन्दी के खड़ीबोली रूप का वह पूर्व रूप है जिसका विकास चौदहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक बहमनी, कुतुबशाही और आदिलशाही आदि राज्यों में हुआ। इस भाषा के माध्यम से उत्तर भारत के अनेक शब्द दक्षिण की भाषाओं में और दक्षिणी भाषाओं के अनेक शब्द उत्तर की भाषाओं में आ गये हैं।

मुसलमानों के अतिरिक्त कई हिन्दू लेखकों।—लाला मोहनलाल "मेहताब', लाला लक्ष्मीनारायण 'शफीक' — ने भी पर्याप्त साहित्य रचना की। बहमनी सल्तनत में दफ्तरों में इसी भाषा का प्रयोग होता था। वहां सरकारी जबान के रूप में स्वीकृत थी। प्रसिद्ध यात्री अल्बेहनी ने लिखा है कि भारत में भाषा के दो रूप थे — साहित्यिक तथा जन-साधारण की भाषा। दक्खिनी हिन्दी का विकास जन साधारण में प्रचलित भाषा के आधार पर ही हुआ।

यह भाषा संस्कृत तथा फारसी से सरल मानी गई है :

जिसे फारसी का न कुछ ग्यान है
सो दक्खिनी जबां उसको आसान है
सो इसमें सहन्सकृत का है मुराद
किया इसमें आसानगी का सुवाद।

सनअती 1645 ई.

हिंदी तो जबां च है हमारी।
कहने न लग हमन कूं भारी। (सत्रहवीं शताब्दी)

उत्तर तथा दक्षिण भारत में दक्खिनी हिन्दी ने सेतु का कार्य सम्पादित किया है। आज इसके महत्व को पुनः प्रतिपादित करने की आवश्यकता ही नहीं है वरन् इस दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़कर 'दक्खिनी का शब्दकोश' प्रकाशित करना चाहिए। □

वैज्ञानिक शिक्षा और हिन्दी माध्यम
समस्याएं और समाधान

☐ . विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु'*

1. कठिनाई कुछ नहीं

आज या कल से नहीं, सदियों से हिन्दी राष्ट्र की भाषा है । उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम—सारे देश के दार्शनिकों, विद्वानों, सन्तों और साहित्य-मनीषियों ने इसे बनाया-संवारा और अपने प्रयोग में लाकर गौरवान्वित किया है । देश में सर्वत्र सब लोग इसे जानते-समझते हैं। ऐसी दशा में छात्रों को हिन्दी माध्यम से पढ़ने में कठिनाई हो ही क्या सकती है ? भारत के छात्रों को ही तो पढ़ना है। वे हिन्दी जानते-समझते ह; और किसी विदेशी भाषा की अपेक्षा अच्छी तरह जानते-समझते हैं । इसलिए कोई भी विषय हो, चाहे विज्ञान का हो या मानविकी का, छात्र हिन्दी में अधिक सुविधापूर्वक समझेंगें, इसमें शंका की गुंजाइश ही कहां है ? वैज्ञानिक विषयों में पहले पारिभाषिक शब्दों की कुछ कठिनाई अवश्य थी; किन्तु अब तो वह भी नहीं है । भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने लाखों पारिभाषिक शब्द बनाकर प्रकाशित किए हैं । वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के पूर्व-अध्यक्ष और बहुभाषाविद डा. एम. मलिक मोहम्मद ने सन् 1989 में तिरुवनन्तपुरम (केरल) में हुई एक गोष्ठी में पूरे विश्वास के साथ घोषणा की है कि "भारत की भाषाएं आज इतनी समृद्ध हो गई हैं कि नई पीढ़ी को वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जा सकती है " फिर हिन्दी तो सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहिन है और सभी तरह से समृद्ध है ।

2. हिन्दी में पढ़ाना भी कठिन नहीं है

शिक्षण की क्रिया से दो पक्ष जुड़े होते हैं : पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अर्थात् छात्र और शिक्षक । जो बात छात्र के लिए सही है, वही शिक्षक के लिए भी लागू होती है। यदि शिक्षक को अपने विषय का सचमुच ज्ञान है, तो वह उसे अपनी भाषा में, हिन्दी में, आसानी से व्यक्त कर सकेगा। यदि कोई कहे कि शिक्षक एक विदेशी भाषा में ही अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी भाषा या हिन्दी में नहीं, तो क्षमा करें, हमें यह कहने में बिलकुल संकोच न होगा कि वह शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता नहीं, बल्कि एक रट्टू तोता मात्र है । वह शिक्षक होने योग्य नहीं है। अपनी बात विदेशी भाषा में भी कह सकना गर्व का विषय हो सकता है, और विदेशी छात्रों के लिए यह आवश्यक भी होगा; किन्तु देश के छात्रों के लिए देश के शिक्षक यदि देश की भाषा में अपनी बात न व्यक्त कर सकें तो इससे अधिक लज्जाजनक और क्या होगा ?

3. गंगा के देश में टेम्स का पानी क्यों पिलाएं ?

बात आज की नहीं है। इस शताब्दी के पहले ही दशक में महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में अनेक प्रयोग किए थे । वहां के स्नातकों से उन्होंने वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक ग्रंथ हिन्दी में लिखवाए थे और रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र विद्युत शास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा हिन्दी माध्यम से दिलाकर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को चकित कर दिया था । तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सेडलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, "मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकुल को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है ।" यही सब देखकर महात्मा गांधी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता महामना मदन मोहन मालवीय से कहा था : "गंगा के किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो बनारस की गंगा के किनारे बैठकर आप इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिला रहे हैं ?"

4. विदेशी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती

हमारे सामने सवाल उच्चशिक्षा का हीं नहीं, प्रारंभिक शिक्षा का भी है । हम अंग्रेजी की चकाचौंध से अभिभूत होकर अपने छोटे-छोटे बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिल करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने पर विवश करते हैं, प्रायः यह सोचकर कि बिना अंग्रेजी पढ़े ये ज्ञान-विज्ञान में पीछे रह जाएंगे । यही भ्रान्त धारणा रखते हुए हम आक्रान्ताओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए भारत में रोपी हुई एक शोषण-मूलक भाषा अंग्रेजी, जो संसार की सर्वाधिक अवैज्ञानिक, अबुद्धिसंगत, अनाकर्षक, अनम्य, दुरूह और दुराग्रही है, उन मासूमों पर अत्यंत निर्दयतापूर्वक लाद देते हैं । इस प्रकार हम उनकी मौलिक चिंतन की शक्ति, उनकी प्रतिभा और उनकी बुद्धि का विकास सब रोक देते हैं ; उनकी अन्वेषी मेधा को पंगु

* बी—154, लोक विहार, दिल्ली-110034

कर देते थे और विकासशील मस्तिष्क को गुलामी तथा परावलंबन के गढ़े में ढकेलकर बौद्धिक दृष्टि से बौना बना देते हैं। विदेशी भाषा और मातृभाषा में वही अंतर है जो रबड़ के चूचुक और माता के स्तन में है। रबड़ या प्लास्टिक का अच्छा से अच्छा चूचुक (निपल) बच्चे को मोहने, दिलासा देने, हर्षविभोर करने और सुख-शान्ति से ओत-प्रोत करने में सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत माता का स्तन अतुलित मातृ-स्नेह और अगाध वात्सल्य का जीवंत स्रोत होता है। जिस प्रकार कृत्रिम चूचुक माता के स्तन का स्थान नहीं ले सकता उसी प्रकार कोई भी विदेशी भाषा उस सरल और सहज ग्राह्य मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती जिसमें बालक तुतलाया है, बोला है, रोया-गाया है, हंसा-खेला है; और जिसमें उसने प्यार पाया और दिया है। घोर दुर्भाग्य है उन बालकों का जिनको ऐसे ईश्वरीय वरदान के बदले विजयोन्मत्त क्रूर विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा लादी हुई भाषा के आगे सिर झुकाने को हम मजबूर कर देते हैं। महाअन्याय है उन मासूम बच्चों के प्रति जिन्हें अपनी भाषा बोलने पर बेंतों की सजा देने वाले स्कूलों में भर्ती कराकर हम सीना फुलाते हैं। सन् 1933 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार-विजेता इरविन स्क्रोडिंजर कहते थे कि, "भाषा संबंधी कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अपनी भाषा सर्वथा फिट बैठने वाली पोशाक की तरह है। यदि किसी को वह तुरंत उपलब्ध न हो, और उसके बजाए दूसरी पहननी पड़े तो पहननेवाला कभी आराम नहीं पा सकता।"

5. तो कारण क्या है हिन्दी माध्यम न अपनाने का

यह स्पष्ट ही है कि हिन्दी माध्यम से पढ़ने-पढ़ाने में कठिनाई कोई नहीं है। किंतु आज़ादी के चार दशक बाद भी अभी तक हमारे शिक्षा संस्थान हिन्दी माध्यम अपनाने से कतरा रहे हैं, तो कोई कारण अवश्य होगा। वह कारण खोजें तो पता चलता है कि हमारे कर्णधारों की नीयत में खोट है, उनमें इच्छा की कमी है। ज़रा बारीकी से हालात पर गौर कीजिए तो सब स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है (या होना चाहिए) कि मानव में मानवता आए, उसका चारित्रिक विकास हो, वह भद्र पुरुष बने, वह संसार में अपने लिए सही जीवन-पथ खोज-कर उस पर चलने में समर्थ हो। किंतु हमारी वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य इन सब अपेक्षाओं के कहीं पास भी नहीं फटकता। हमारी शिक्षा की दुरावस्था पर कटाक्ष करते हुए महान् शिक्षाशास्त्री डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने कहा था कि, "हमें पक्षी की भांति आकाश में उड़ना सिखाया जाता है, मछली की भांति जल में तैरना सिखाया जाता है, किंतु यह नहीं सिखाया जाता कि पृथ्वी पर मनुष्य की भांति कैसे रहा जाए।" उनका मत था कि मानवता के सारे तत्व भारतीय शिक्षा में भरे हैं। वेदों की शिक्षा है 'मनुर्भव' अर्थात् मनुष्य बनो।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही मैकाले की शिक्षा-प्रणाली पहिले बाबुओं की फौज तैयार करती थी, अब नौकरी के उम्मीदवारों की। इन नौकरी के उम्मीदवारों में भी गौरवपूर्ण पदों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य करके चयन का क्षेत्र सीमित रखने में ही जिनका अर्थ निहित है ऐसे चालाक लोग अंग्रेजी बनाए रखने के हिमायती हैं। ये तथाकथित शिक्षित लोग शासन से संबद्ध हैं, अपना एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मानते हैं, जनसामान्य पर रोब ग़ालिब करने के लिए जनता से दूर रहकर अपना दम्भ पालते हैं और जन-भाषा को पास भी नहीं फटकने देना चाहते। संविधान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको दिया गया है, किन्तु इन चतुरों ने चतुरतापूर्वक शिक्षा को जन-सामान्य की पहुंच से दूर रखने का षड्यंत्र रचा है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम पर अड़े रहना उसी का एक हिस्सा है। देश में अंग्रेजी का आतंक फैलाकर जनता को आसान और असमर्थता की हीनता-ग्रंथि से बांधकर ये चालाकलोग अपनी वरिष्ठता का आलम बनाए रखना चाहते हैं।

6. संसद का संकल्प मोघ क्यों

संसद के दोनों सदनों में सन् 1967 में सर्वसम्मति से पारित और जनवरी 1968 में राजपत्र में अधिसूचित संकल्प के अनुसार अखिल भारतीय उच्च स्तर की सरकारी सेवाओं में भरती की परीक्षाएं भारतीय भाषाओं के माध्यम से ली जानी चाहिएं। किन्तु बीस साल से अधिक हो गए, अब भी उस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए धरना देने और भूख-हड़ताल करने के बावजूद संबंधित स्वार्थी अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं। वे एक न एक थोथी दलीलें पेश कर रहे हैं अंग्रेजी के पक्ष में। वे नहीं चाहते कि देश का अधिसंख्य जन-समुदाय भद्र पुरुषों की भांति जीवन-यापन करते हुए पढ़ाई-लिखाई में और संशासन-प्रशासन में भाग लेने योग्य बनकर उनका प्रतिद्वन्दी हो सके और इस प्रकार उनकी विशिष्ट स्थिति छिन जाने का खतरा पैदा हो। हमारे जन-प्रतिनिधि भी संकल्प पारित करके कुंभकर्णी नींद सो गए। लगता है नौकरशाही का दबदबा देख उन्होंने वक्तव्य धारण कर लिया और उनसे कुछ पूछते हुए भी डर रहे हैं; या छिपे-छिपे उनकी पीठ थपथपा रहे हैं और खुले-खुले 'हिन्दी-हिन्दी' गाते हुए जन-प्रतिनिधित्व का स्वांग कर रहे हैं। यही, बस यही एक मात्र कारण है संसद का संकल्प कार्यान्वित न किए जाने का। फिर जब परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी ही बने रहना है, तब पढ़ाई का माध्यम हिन्दी कैसे हो, किसलिए हो? यह एक प्रकार की विशेष कठिनाई है।

7. थोथी दलीलों का प्रतिकार आवश्यक

ऐसी विशेष कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यकता है अंग्रेजी भक्तों की उन थोथी, दलीलों का ज़ोरदार प्रतिकार करने की, जिनका धुआंधार प्रचार किया जा रहा

है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करने पर ज़ोर दिया तो अंग्रेजी-भक्तों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अंग्रेजी अख़बार उन्हीं रटी-रटाई थोथी दलीलों और मिथ्या आरोपों से उफनाते हुए पन्ने पर पन्ने निकालने लगे, क्योंकि जैसा हिटलर के प्रचार-सचिव गोयबिल्स ने कहा था, कोई झूठ हज़ार बार दोहराओ तो वह सच मानी जाने लगती है। इसलिए दशाब्दियों से दोहराई जाती रहने वाली झूठों के पुलिन्दे अब एकमुश्त अख़बारों में उपलब्ध हैं। इन्हीं चीखने-पुकारने वाले चालाक स्वार्थियों को सीधे-सादे लोग विद्वान समझ बैठते हैं, क्योंकि इस युग में तुलसीदास जी के शब्दों में 'पण्डित सोई जो गाल बजावा'। दुर्भाग्य से शक्ति और सत्ता इन्हीं के हाथों में केन्द्रित हैं।

8. सम्पर्क भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी नहीं

अंग्रेजी-भक्तों के निस्सार तर्कों पर ध्यान दीजिए: पहले सिरे की नंबर एक झूठ सुनिए। वे कहते हैं कि अंग्रेजी देश की सम्पर्क भाषा है; संपर्क भाषा में कुछ विशेष गुण होने चाहिएं जो हिन्दी में अभी तक नहीं आ पाए। भला इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है? कौन नहीं जानता कि देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दी जानती-समझती है, जब कि विदेशी शासन की जबर्दस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी भारत की भूमि पर जड़ नहीं जमा सकी। मुश्किल से दो प्रतिशत भारतीय अंग्रेजी जानने का दिखावा करते हैं, किन्तु वास्तव में किसी हद तक तसल्लीबख्श अंग्रेजीदां तो उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। आंकड़ों पर ही आइए तो 60 प्रतिशत जनता तो भलीभांति हिन्दी जानती है; शेष का भी अधिकांश इसे अनायास समझ सकता है। हां, अनायास समझ सकता है क्योंकि देश की सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं या उससे प्रभावित हैं और हिन्दी संस्कृत की बड़ी बेटी है। परिशिष्ट 'क' में कुछ शब्दों की सूची दी हुई है जो सारे भारत में मामूली उच्चारणभेद के साथ लगभग एक जैसे बोले जाते हैं। यह सूची तो केवल नमूने की है। ऐसे हजारों शब्द संकलित किए जा सकते हैं; और चार-चार छह-छह भाषाओं में एक जैसे बोले जाने वाले शब्द तो लाखों होंगे। वास्तव में वैदिक काल से ही भारत एक राष्ट्र रहा है और इसकी विशालता के अनुरूप ही मां भारती का एक विशाल परिवार रहा है। सभी भारतीय भाषाएं उस एक ही परिवार की बहिनें हैं जो विस्तृत नदियों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम वनों को लांघती हुई चारों ओर की अपनी बहिनों से निकटतम संबंध स्थापित करती हैं। हिन्दी इन सब भाषाओं की बड़ी बहिन है। इसलिए यह सारे देश में बोली-समझी जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह सदियों से देश की एकमात्र योजक भाषा रही है और अब भी है। प्रमाण भी दूर नहीं है। देश में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुम्भ मेले लगा करते हैं जहां देश भर से करोड़ों यात्री पहुंचते हैं। वे सब परस्पर हिन्दी बोलकर ही अपना काम चलाते हैं। इसी प्रकार अजमेर शरीफ में और दिल्ली में हज़रत निजामुद्दीन में उर्स भरते हैं जिनमें देश के सभी भागों के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और हिन्दी ही बोलते हैं। उत्तर से गंगा-जल ले-जाकर लोग धुर दक्षिण सेतु बन्धु रामेश्वरम् में चढ़ाते हैं, तो वे भी हिन्दी के माध्यम से ही जगह-जगह के अपने देशवासियों से मिलते हैं।

9. उन्नति के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है

दूसरी भारी गलती है यह मानना कि अंग्रेजी छोड़ने से देश ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी दौड़ में पिछड़ जाएगा। क्या जो देश अगली पंक्ति में हैं वे सब अंग्रेजी के ही गुलाम हैं, या रहे हैं? रूस, फ्रांस, चीन, जापान आदि ने अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम से ही उन्नति की है। जापान तो दूसरे विश्व महायुद्ध में भस्म हो ही गया था, किन्तु तीन-चार दशकों में ही उसने अंग्रेजी का दामन पकड़े बिना ही बड़ी-बड़ी शक्तियों को पछाड़ दिया। आधी सदी पहिले जापान ने सस्ता से सस्ता माल देकर सारे संसार के बाजार हथिया लिए थे। अब फिर स्थिति यह है कि विश्व-बाजार में माल पर जापानी मुहर उत्कृष्टता की गारंटी और प्रतिष्ठा की प्रतीक समझी जाती है। सारा संसार चकित है जापान की प्रगति पर जो उसने अपनी भाषा के माध्यम से ही की है। यह भी समझना गलत है कि अंग्रेजी के बिना हम संसार से कट जायेंगे। वास्तव में हिन्दी एक जीवन्त और समृद्ध भाषा है जो भारत के बाहर संसार के बहुत से देशों में पढ़ाई जाती है। बहुत से विदेशी विद्वान हिन्दी के साहित्य का अनुवाद अपनी भाषा में करके गौरान्वित अनुभव करते हैं।

10. अंग्रेजी जन-समर्थित नहीं है

तीसरी जबर्दस्त झूठ यह है कि अंग्रेजी और अंग्रेजी स्कूल जनता द्वारा समर्थित है, अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लम्बी कतारें लगी रहती हैं और वैवाहिक विज्ञापनों में भी प्रायः कानवैन्टों में पढ़ी हुई लड़कियों की मांग रहती है। यह पहिले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अंग्रेजी ज्ञान ऊंची नौकरियों के लिए अनिवार्य करके लोगों को अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चे भरती कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फिर, लड़कियों के लिए कान्वैन्ट शिक्षा की सनक कितने लोगों में है? जब देश में अंग्रेजी बोलने-समझने वाले ही दाल में नमक बराबर हैं तो फिर अंग्रेजी और अंग्रेजी स्कूलों को जनता द्वारा समर्थित कहना सफेद झूठ नहीं तो और क्या है?

11. हिन्दी संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है

चौथा मिथ्या प्रचार है कि हिन्दी बहुत पिछड़ी हुई और अविकसित भाषा है। कुछ लोग हिन्दी को भी रोमन

लिपि में लिखने का सुझाव देते हैं ताकि यह सरल हो जाए। अंग्रेजी और रोमन लिपि के दलालों को शायद यह मालूम नहीं कि नागरी लिपि में लिखी हिन्दी ने अपनी सरलता और सुन्दरता, सुस्पष्टता और सुबोधता, सहजता और वैज्ञानिकता के कारण सारे संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ी है; यहां तक कि हिन्दी बोलने वाले अब संसार में अंग्रेजी बोलने वालों से भी अधिक हो रहे हैं। बेशक हिन्दी में विश्व-भाषा बनने के लिए अपेक्षित सभी गुण मौजूद हैं; तभी तो भारत के बाहर लगभग 33 देशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है और लगभग 130 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग मौजूद हैं। फादर कामिल बुल्के ने तो यहां तक कहा है कि "संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो सरलता और अभिव्यक्ति की क्षमता में हिन्दी की बराबरी कर सके। इसकी लिखाई और उच्चारण में आश्चर्यजनक अनुरूपता है, जिसके कारण इसका लिखना और पढ़ना सबसे आसान है।" वास्तव में हिन्दी की दरिद्रता का बखान वे ही करते हैं जो हिन्दी नहीं जानते। जो हिन्दी जानते हैं, वे जानते हैं कि अढाई लाख शब्दों का भण्डार रखने वाली हिन्दी संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, जबकि अंग्रेजी में मूल शब्दों की संख्या केवल दस हजार ही है। फिर हम क्यों अंग्रेजी का जुआ अपने कन्धों पर लादे रहें?

12. हिन्दी से ही देश की एकता है

पांचवीं थोथी दलील जो अंग्रेजी भक्तों ने गढ़ी है, यह है कि हिन्दी का प्रयोग करने से देश बिखर जाएगा और तमिलनाडु जैसे हिन्दी-विरोधी राज्य भारतीय संघ से अलग हो जायेंगे। किसी राज्य को, फिर तमिलनाडु को, हिन्दी-विरोधी कहना अज्ञान की पराकाष्ठा है। चमकते सूर्य के प्रकाश में भी अगर कोई तथ्यों की ओर से आंख मूंद ले तो उसे दिवान्ध ही कह सकते हैं। कौन नहीं जानता कि मद्रास में हिन्दी फिल्में ही अधिक बनाई जाती हैं, और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती रही हैं। हिन्दी पढ़ाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या भी बराबर बढ़ती जा रही है, और यह संख्या पड़ौसी राज्यों– केरल, कर्णाटक और आन्ध्र प्रदेश की अपेक्षा दुगुनी-तिगुनी से भी अधिक है। अभी कुछ ही साल पहले सन् 1986 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ-साथ ही हिन्दुस्तान नेशनल कांग्रेस ने परम देशभक्त श्री मन्नन की अध्यक्षता में एक हिन्दी समर्थक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें तमिलनाडु के बहुत से प्रमुख नेता, विधायक और तमिल-लेखक सम्मिलित हुए थे। कुछ बहके हुए किराये के बदमाशों की गुण्डागर्दी के बावजूद विद्वानों ने अपना देश-भक्ति-पूर्ण सम्मेलन शान्ति-पूर्वक जारी रखा था। और भी, मद्रास के स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों के एसोसिएशन ने हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग की सराहना और कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे हिंदी-विरोध की भर्त्सना की है। सच तो यह है कि हिन्दी ही सदियों से देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है, और भविष्य में भी बांधे रख सकती है न कि अंग्रेजी, जिसे राष्ट्र में पूर्णतया अस्वीकार कर रखा है।

13. सांविधानिक स्थिति

छठवां दम्भ जो अंग्रेजी-भक्त पालते हैं, यह है कि अंग्रेजी भारत की संविधान सम्मात भाषा है और पं. जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन का हव्वा दिखाते हुए वे कहते हैं कि हिन्दी अहिन्दी भाषियों पर थोपी न जाए और जब तक वे चाहें तब तक अंग्रेजी बनाए रखी जाए। जरा सोचिए तो सही : क्या पं. नेहरू संविधान से भी ऊपर थे कि उनके किसी समयोचित मत को त्रिकालाई मानकर अन्धानुसरण करते हुए राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यदि कोई प्रधानमंत्री या अन्य व्यक्ति ही निर्वाचन आयोग को यह सलाह दे बैठे कि आम चुनाव सदा के लिए या पांच-दस साल के लिए ही स्थगित कर दिए जाएं, तो क्या देश के जन-प्रतिनिधि उसे चुपचाप स्वीकार करके संविधान को ताक पर रख देंगे? यदि कोई स्वार्थी दल हमारे देश के किसी भी विदेश की पूंछ से बांध देने का प्रस्ताव रखे तो क्या हमारे देश की स्वतंत्रता के प्रहरी सदा के लिए मौन साधकर बैठे रहेंगे? किसी समस्या के तात्कालिक समाधान के रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सदस्यता से दी हुई सुविधा तात्कालिक हो या अधिक से अधिक संबंधित व्यक्तियों के जीवन-काल तक के लिए समझनी चाहिए, न कि युग-युगान्तर तक उसे जारी रखकर राष्ट्र-हित की चिता चिनने के लिए? नहीं, राष्ट्र को बंधक रखने के स्वार्थी लोगों के नापाक इरादों से कोई समझौता नहीं हो सकता।

महात्मा गांधी ने तो 27 दिसम्बर, 1917 को ही कलकत्ता में कह दिया था कि "यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गये होते तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गई है, हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ दिमागों का विकास रुक गया है, और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले हैं, उन्हें भी हम जनता तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। पिछले साठ वर्षों में हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है तथा पूर्ण ज्ञान पचाने के बजाय हमने शब्दों का उच्चारण ही सीखा है जो विरासत हमें अपने बाप-दादा से मिली है, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना ही सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रैजडी का विषय है।" अब जरा सोचिए कि जिस भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में नाम तक नहीं है उसे भारत की संविधान-सम्मत भाषा कह कर प्रचार करना कितना भयानक और चालाकी भरा धोखा है।

जारी पृष्ठ 29 पर

तकनीकी लेख

गुणवत्ता आश्वासन

☐ वे० शेषन*

आजकल गुणवत्ता आश्वासन विकसित एवं विकासशील देशों में गहन चर्चा का विषय है । कुछ दिनों पूर्व दिसंबर, 1989 में एशियाई देशों का एक सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ जिसमें लगभग 24 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस विषय पर चर्चा की। चर्चा के समय यह देखने में आया कि समस्त विश्व के कार्यकलापों में गुणवत्ता के विशेष महत्त्व पर सभी पूर्णतः एकमत हैं एवं आज के संदर्भ में इसकी हर क्षेत्र में बहुत आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ, उपरोक्त सम्मेलन में यह भी देखने में आया कि गुणवत्ता आश्वासन को पाने के बारे में लोगों में काफी मतान्तर है । गुणवत्ता आश्वासन को प्राप्त करने के तरीके में मतान्तर शायद विभिन्न लोगों की अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली की वजह से है । कहीं-कहीं तो लोग गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में प्रयोग आने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ छोड़ कर कुछ नया अर्थ अपना लेते हैं। इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस बिषय में प्रयोग में आने वाले शब्दों का पूर्ण विवेचन करना अधिक उचित रहेगा ।

गुणवत्ता आश्वासन विभाग का हर कार्य सभी कार्यों में चाहे वे किसी भी कार्य क्षेत्र में हों सुधार कराना है । इसको सीधे सर्वोच्च प्रबंधकों से जुड़ा होना चाहिए ।

गुणवत्ता परिभाषा

किसी भी उत्पाद अथवा सेवा के वे लक्षण एवं विशेषताएं जिनके द्वारा उस उत्पाद अथवा सेवा में निर्धारित एवं अपेक्षित आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता आ जाए उसे उत्पाद अथवा सेवा की गुणवत्ता कहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा में आधार "निर्धारित एवं अपेक्षित आवश्यकता" है। इस संदर्भ में निम्नलिखित दो उदाहरण प्रस्तुत हैं ।

एक किसान के दो पुत्र हैं। एक आई. ए. एस. अधिकारी व दूसरा उसकी तरह किसान है। दोनों के विवाह हेतु गुणवती कन्याओं की खोज शुरू की गई । किसान बेटे के लिये गुणवती कन्या वह निर्धारित हुई जो गाय-भैंस की सानी कर सके, खाना बना सके व खेतीहर मजदूरों को नियंत्रित कर सके एवं आई. ए. एस. पुत्र हेतु अंग्रेजी ज्ञान, अभिजात वर्ग, आचार एवं दक्षता आधार बने । अर्थात् गुणवत्ता का अर्थ श्रेष्ठता नहीं अपितु आवश्यकता पूर्ति है । उन दोनों की आवश्यकतानुसार लड़कियों की विशेषताएं गुणवती से जोड़ दी गई अर्थात् गुणवती का आधार आवश्यकतानुसार विशेषता हो गया और गुणवती की परिभाषा इसी के अनुसार बन गई ।

एक व्यक्ति बाजार में टेलीविजन खरीदने जाता है । वह एक साधारण काला-सफेद टेलीविजन खरीदता है । इस उत्पाद से वह रंगीन चित्र की अपेक्षा नहीं करेगा। किन्तु समस्त घुंडीयां (नाब्स) व स्विच सुविधाजनक प्रकार से नियंत्रित हो सकें, अवश्य अपेक्षा करेगा । इसी तरह ध्वनि एवं चित्र मानक स्तर के हों, अपेक्षा करेगा ।

तकनीकी कार्यों में अधिकतर अपेक्षित आवश्यकताओं को निर्धारित करके स्पेसिफिकेशन की शक्ल में बदल दिया जाता है ।

गुणवत्ता आश्वासन

प्रत्येक वस्तु व कार्यकलापों में गुणवत्ता के साथ-साथ यह बात तो हर व्यक्ति चाहेगा कि एक ऐसी प्रणाली हो जिसके प्रयोग से उसे यह आश्वासन मिल सके कि परिणीत (रिजलटेन्ट) उत्पाद अथवा सेवा में अधिकांशतः आवश्यक एवं अपेक्षित गुण होंगे ।

गुणवत्ता आश्वासन एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उत्पाद अथवा सेवा की गुणवत्ता के बारे में आवश्यक विश्वास एवं विश्वास का प्रमाण भी मिल जाता है। इन प्रमाणों के द्वारा ही यह पता लगता है कि गुणवत्ता प्राप्ति का कार्य ठीक प्रकार से किया जा रहा है

गुणवत्ता आश्वासन में प्रत्येक कार्य प्रमाणित कार्य के तरीके से किया जाता है जिसे हम कार्यविधि (प्रोसीजर) कहते हैं। गुणवत्ता आश्वासन एक प्रकार की कार्य कुशलता है जिसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है ।

गुणवत्ता आश्वासन में अपेक्षित नतीजे प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के सभी कार्यकलाप को जोड़कर रखने के तत्वज्ञान (कन्सेपचुअल स्किल) की आवश्यकता है ।

*उप महाप्रबंधक (कार्मिक) इंजीनियर्स इंडिया लि० भीकाए जी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66

इस गुणवत्ता आश्वासन में किसी एक विशेष कार्य क्षेत्र के सभी कार्य-कलापों को एक साथ गूंथना (इंटीग्रेशन) व नियंत्रण करना होता है। इसमें कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता या माना जाता।

गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिनमें उत्पाद अथवा सेवा एवं कार्य विधि की जांच एवं परीक्षण किया जाता है। इनके द्वारा यह पूर्व-स्थापित किया जाता है कि प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा उत्पाद अथवा सेवा में सभी आवश्यक व अपेक्षित गुण उपलब्ध हैं। इन कार्यों को गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य किसी भी कार्य विधि के विभिन्न चरणों में वे सब नियंत्रण रखना होता है जिनके द्वारा उत्पाद अथवा सेवा को दोषमुक्त एवं प्रमाणित तथा स्वीकार्य अंतर में रखा जा सके।

किसी भी उत्पादन अथवा सेवा में विभिन्न क्रियाएं होती है। इसलिए इसमें एक शब्द "गुणवत्ता चक्र" का भी प्रयोग होता है। इस गुणवत्ता चक्र में किसी भी उत्पाद अथवा सेवा को करने हेतु समस्त परस्पर प्रभावशाली क्रियाओं को दर्शाया जाता है।

गुणवत्ता चक्र

किसी भी उत्पाद अथवा सेवा के वैचारिक नमूने को जिसमें परस्पर क्रियाएं जिनका असर अलग-अलग अवस्थाओं में उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर पड़ता है गुणवत्ता चक्र कहते हैं। यह चक्र आवश्यकताओं की जानकारी से लेकर उसकी पूर्ति करने के तरीके, पूर्ति करने व पूर्ति के मूल्यांकन तक सभी कार्यों को श्रेणीबद्ध करते हैं।

गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के दो कार्य मुख्य होते है। पहला गुणवत्ता चक्र में आए हुए प्रत्येक घटक (फन्कशन) की भूमिका व कार्यभार को निश्चित करना, दूसरा एक निदेशक को नियुक्त करना जो सभी घटकों को नियंत्रित कर सके।

गुणवत्ता आश्वासन विभाग की मुख्य जिम्मेदारी किसी भी कार्य को करने की रूपरेखा तैयार करना व उसके अनुसरण हेतु विस्तृत योजना बनानी होती है।

किसी भी गुणवत्ता आवश्वासन कार्यक्रम का मुख्य आधार लिखित कार्यविधि (प्रोसीजर) होता है। इन कार्यविधियों द्वारा निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण कराया जाता है।

1. आवश्यकता एवं अपेक्षाएं क्या हैं ?
2. किस के ऊपर नियंत्रण करना है।
3. अपेक्षा की प्राप्ति हुई या नहीं।
4. नियंत्रण रखा गया या नहीं।
5. इन कार्यों को सुनिश्चित रखने की जिम्मेंदारी किस पर है।
6. किसे कब और कहां और क्यों नियंत्रण करना है।
7. गुणवत्ता व सुरक्षा की अपेक्षाएं किस प्रकार पूरी की जाएंगी।
8. अंतर-घटकीय (इंटर-फेज) समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा।

उपरोक्त बातों से पता चलता है कि गुणवत्ता आश्वासन व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) दो अलग-अलग कार्य हैं। निरीक्षण किसी भी काम को उसके लिए लागू स्पेसिफिकेशन के अनुसार मापने-जांचने, परीक्षण या तुलना करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जबकि गुणवत्ता आश्वासन किसी भी संगठन के सामान्य कार्य करने व गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके का नाम है।

लेकिन अधिकतर लोग निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन को एक ही समझते हैं जो कि सत्यता से बहुत दूर है।

गुणवत्ता प्रणाली

किसी भी संस्था या संगठन की गुणवत्ता प्रणाली उसकी संरचना, जिम्मेदारी, कार्य करने के तरीके, प्रक्रियाएं एवं संशोधन जो कि गुणवत्ता प्रबंध के लिए आवश्यक हैं सब मिलकर एक संस्था की गुणवत्ता प्रणाली बनाते हैं।

गुणवत्ता आश्वासन का उद्देश्य

किसी भी संगठन का यह प्रश्न कि उनको गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली क्यों अपनानी चाहिए, बहुत उचित है क्योंकि प्रबंधकों की जिम्मेदारी केवल गुणवत्ता ही नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति एवं लाभांश देखने की भी है। इसीलिए इस संदर्भ में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का उद्देश्य जानना बहुत आवश्यक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्य के फलस्वरूप, निश्चित की गई "आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद अथवा सेवा में गुणवत्ता लाना होता है। इस प्रणाली के प्रचलन के बाद "सुधारों व व्यर्थ जाने वाले कार्यों" में कमी आती है। गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के कार्यान्वियन हेतु आरंभ में थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। किन्तु धीरे-धीरे इस प्रणाली के प्रभाव से उत्पादन बढ़ता जाता है। साथ ही संस्था के उत्पाद या सेवाओं की ख्याति बढ़ती है। फलस्वरूप न केवल गुणवत्ता आश्वासन पर किया गया खर्च, बल्कि (संस्था की मौजूदा स्थिति के अनुसार) 20% से 70% तक लाभांश बढ़ता है।

वास्तव में आज के दौर में अगर कोई संस्था सीधे या परोक्ष रूप में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली लागू न करे तो या तो वह तत्काल या कुछ समय बाद आर्थिक विषमताओं का शिकार हो जाएगी। निम्नलिखित संकेत किसी भी संस्था के आर्थिक विषमताओं/पतन (प्रोबलम्स/डीक्लाइनेशन) की पूर्व सूचना देते हैं।

1. संस्था के उत्पाद अथवा सेवाओं में काफी समस्याएं एवं परिणामस्वरूप काफी लिखित सुझाव।

2. संस्था के उत्पाद अथवा सेवाएं महंगी होना ।

3. संस्था के लिये नये आर्डर्स का अभाव ।

4. संस्था के कर्मचारी असंतुष्ट ।

5. संस्था में अराजकता व बहुत कम उत्पादन ।

6. संस्था में पलायनवाद (ऐसकेपिज्म)

किसी भी छोटे संगठन में जहां एक व्यक्ति ही सब प्रकार का निर्णय लेता है उसके कार्य की नीति सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों व ग्राहक को ठीक प्रकार पता होती है। लेकिन जब संगठन आकार में बढ़ता जाता है और उसमें प्रबंधकों की संख्या भी बढ़ती जाती हैं, सभी प्रबंधक महत्त्व-पूर्ण निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों का असर संगठन के बाहर व अन्दर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर यहां तक कि स्वयं प्रबंधकों को भी प्रभावित करता है । यदि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में एकरूपता नहीं होगी तो संगठन विभिन्न प्रकार के द्वंद्व एवं अराजकता का शिकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले संगठन की एक लिखित इम्पर्सनल नीति बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे कि सभी निर्णय लेने वालों को समान आधार मिल सके। अतः गुणवत्ता आश्वासन की सबसे पहली आवश्यकता संगठन की नीति निर्धारण करना होता है जोकि उसके सभी प्रबंधकों एवं कार्यकर्ताओं को पता हो तथा जिसको संस्था के महा-प्रबंधक की स्वीकृति प्राप्त हो। इस प्रकार महाप्रबंधक भी गुणवत्ता आश्वासन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हो जाते हैं । इसके अलावा सामान्य तौर पर गुणवत्ता आश्वासन के लिए निम्नलिखित निर्धारक तत्व माने गए हैं :

1. प्रत्येक कार्यकर्त्ता को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि उसका कार्य क्या है और प्रबंधक उससे क्या अपेक्षा करता है ? इसके अलावा कार्य करने वाले के पास वे सभी साधन और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं जिससे वह स्वयं को नियंत्रण की स्थिति में रखकर कुशलतापूर्वक कार्य कर सके ।

2. वांछित (डिजायर्ड) आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को हर कार्य में बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा होना चाहिए ताकि कार्य करने वाले व जांच करने वाले दोनों को ही अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान हो ।

3. गुणवत्ता आश्वासन का आधार हर कार्य के लिए लिखित कार्यविधि होती है। इसलिए यह लिखित कार्यविधि हर कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है । इनके उपयोग के बाद भी यदि गुणवत्ता में कमी आती है तो उसके कारणों की जांच एवं कार्यविधि में समुचित सुधार आसान हो जाता है ।

4. सभी कार्यविधियों का मानकीकरण होना बहुत आवश्यक है । इससे कार्यविधियां उचित नियंत्रण में आ जाती हैं तथा विभिन्न विभागों में होने वाला एक-सा कार्य एक ही कार्यविधि द्वारा किया जा सकेगा । इसीलिए गुणवत्ता आश्वासन में मानकी-करण का बहुत अधिक महत्त्व है ।

5. गुणवत्ता नियंत्रण में कंपनी में सभी का प्रशिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । इस प्रशि-क्षण के दौरान कंपनी की गुणवत्ता नीति के बारे में सबको अवगत कराया जाना चाहिये ।

6. "गुणवत्ता आश्वासन विभाग" नीति निर्धारक को सीधे रिपोर्ट करें । इसका प्रमुख कारण यह है कि इस विभाग का मुख्य कार्य विभिन्न विभागीय कार्य-कलाप में व्यापक दोषों को ढूंढ़ना व दूर करना है। अतः किसी भी तरह का दबाव इसके सुचारु कार्य में बाधक होगा । इस विभाग की जिम्मेदारी, किसी भी कार्य को करने की रूपरेखा व अनुसरणीय योजना बनानी होती है जबकि योजना को कार्या-न्वित करना प्रबंधकों की जिम्मदारी होती है ।

7. समय-समय पर गुणवत्ता आश्वासन विभाग, समस्त कार्यविधियों एवं प्रणालियों की समीक्षा करके प्रबंधकों को संगठन की गुणवत्ता से अवगत कराता है ।

गुणवत्ता नियंत्रण के वैज्ञानिक सिद्धांत

(क) किसी भी उत्पाद अथवा सेवा की गुणवत्ता उसकी कार्यविधि एवं पूर्ण प्रणाली के ऊपर आधारित होती है। लेकिन निम्नलिखित तीन बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं :

— कोई भी कार्य प्रणाली या औद्योगिक प्रक्रिया बहुत अधिक समय तक बिना पर्याप्त समायोजन के नहीं चलती ।

— किसी भी कार्य प्रणाली या प्रक्रिया में कहां और कब बदलाव आता है ।

— यह जानकारी बहुत महत्त्वपूर्ण है और गुणवत्ता आश्वासन करने वाले सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ।

(ख) स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण ही गुणवत्ता आश्वासन का मुख्य नियम है । उपरोक्त सिद्धांत से पता चलता है कि हर कार्य करने वाला अपने कार्य की गुणवत्ता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है । इस कथन से निम्नलिखित परिकल्पना भी बनती है :

"प्रमाणित एवं प्रचारित कार्यविधि का लगातार अनुसरण करना व कार्यविधि को किसी भी सुधार के लिए विवेचनात्मक दृष्टि से देखना और जहां भी आवश्यक हो सुधार के लिए प्रमाणित विधि अनुसार बदलना ही गुणवत्ता आश्वासन पद्धति का सार है ।"

गुणवत्ता स्तर में परिवर्तन

यह एक सामान्य अनुभव है कि किसी भी उत्पाद या सेवा को तैयार करने में चाहे कितनी भी अच्छी मशीन या प्रणाली का प्रयोग किया जाए कुछ न कुछ फर्क अवश्य आता है । कोई भी दो वस्तुएं किसी भी विधि से बिल्कुल एक सी नही बनाई जा सकतीं । वैसे भी सामान्य औद्योगिक जीवन में अति नियंत्रण मुश्किल होता है । गुणवत्ता में यह बदलाव अधिकतर निम्नलिखित दो कारणों से होता है–

निर्धाय कारण: निश्चित किया जा सकने वाला कारण जिसको जानने के बाद हटाया जा सकता है ।

संयोग कारण : संयोग कारण प्रत्येक कार्यविधि में होते ही हैं । यह बात अलग-अलग कारणों से होती है जिनको ठीक करना या हटाना दोनों मुश्किल भी है और लाभकर भी नहीं, वैसे भी संयोग कारण सांख्यिकी नियम का पालन करते हैं ।

निर्धाय कारण कुछ गिने-चुने होते हैं जिनसे गुणवत्ता में फर्क आता है । इनको अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उन कारणों को मालूम करना और हटाना दोनों ही आसान होता है ।

अतएव किसी भी कार्यविधि में गुणवत्ता नियंत्रण के निम्नलिखित उद्देश्य होते है : प्रत्येक कार्यविधि को उत्पादन (कार्य) हेतु स्वीकृति से पहले उससे होने वाले गुणवत्ता परिवर्तन के संयोग कारणों को जानना और उस जानकारी के बाद ही यदि परिवर्तन मान्य हो तो कार्यवधि उत्पादन हेतु स्वीकार करना ।

स्वीकृति कार्यविधि में जितने भी निर्धाय कारण हैं उनको यथासंभव कम या समाप्त करना ।

गुणवत्ता परिवर्तन के कारणों को निश्चित ढंग से दर्शाया जाना चाहिए जिससे कि कार्यविधि में गुणवत्ता परिवर्तन का प्रभाव ठीक से समझ में आ सके और जो भी कारण गुणवत्ता में कमी के लिए जिम्मेदार है, जहां तक हो सके उसको मिटाया जा सके ।

गुणवत्ता आश्वासन के प्रभाव

गुणवत्ता आवश्वासन के दो प्रकार के प्रभाव पड़ता हैं।

(1) दृश्य (2) अदृश्य

इनमें से कुछ प्रभाव तो तुरंत और कुछ काफी समय के पश्चात् दिखाई देते हैं । इन प्रभावों में से कुछ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :—

1. हर विभाग के हर कार्य करने हेतु आवश्यक कार्य-विधि लिखित रूप में उपलब्ध होगी । गुणवत्ता उन्नति के साथ कंपनी के पास उसके कर्मचारियों का अनुभव भी लिखित रूप में होगा । विशेषकर हमारी कंपनी में जहां कार्य प्रकार व कार्यकर्त्ता काफी तेजी से बदलते रहते हैं । यह एक वरदान सिद्ध होगा ।

2. लिखित विधि का पालन करने से अनावश्यक कार्य दूर होते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि होती है । इससे लाभांश में आशातीत वृद्धि होती है ।

3. कर्मचारी स्वयं नियंत्रित होते जाते हैं । आपस में सौहार्द बढ़ता है तथा अविश्वास कम होता है । सीनियर प्रबंधकों पर अ-उत्पादीय समस्याओं का बोझ कम होता है। जिससे वह उत्पादकीय कार्यो पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं । कर्मचारी का संस्था से लगाव बढ़ता है ।

4. संस्था से लिखित आधारों के कारण अनियमितता समाप्त होती है । इससे समस्त संबन्धित व्यक्तियों एवं संस्थाओं में संस्था का मान बढ़ता है जिससे निष्ठावान कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है ।

5. संस्था अथवा उद्योग में एक मूल्य आधारित संस्कृति की स्थापना होती है । इससे औद्योगिक क्षेत्रों में संगठन की छवि में सुधार होता है । फलस्वरूप अधिक से अधिक कार्य मिलता है । ऐसे स्थिति में संस्था अपनी सेवा के लाभदायक मूल्य ले सकती है । संस्था की आर्थिक प्रगति होती है ।

गुणवत्ता आश्वासन विभाग की समस्या

आजकल गुणवत्ता आश्वासन विभाग बहुत से संगठनों में खोलना एक फैशन सा हो गया है । शुरु में तो इस गुण-वत्ता विभाग की स्थापना बहुत उच्च उद्देश्यों को लेकर की जाती है । लेकिन थोड़े ही समय में स्थिति में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि गुणवत्ता आश्वासन विभाग का हर कार्य सभी कार्यो में चाहे वे किसी भी कार्यकलाप में हो सुधार कराना है । इसको सीधे सर्वोच्च प्रबंधकों से जुड़ा होना चाहिए ।

यह विभाग नीति निर्धारण कर सकता है किन्तु सीधी नियंत्रण शक्ति के अभाव में कार्यान्वयन हेतु कार्य प्रबंधकों पर निर्भर रहना पड़ता है ।

इस विभाग के कार्यों का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि यह विभाग सीधे उत्पादन नहीं करता एवं अधिकांश सुधारों में होने वाले लाभों को गिन पाना कठिन होता है। वास्तव में उत्पादन विभागों की बढ़ती उत्पादन क्षमता एवं कार्यकुशलता ही इस विभाग का उचित मूल्यांकन है ।

...जारी पृष्ठ 63 पर

जन-जन के मकान के लिए भवन सामग्री उद्योगों का विकास

☐ नटवर दवे*

रहने के लिये मकान मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है । भवनों के निर्माण के लिए भवन सामग्रियों की आवश्यकता होती है । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के निर्माण कार्यों के लिये भी इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ।

पिछली कई पंच-वर्षीय योजनाओं के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि पूरी योजना का एक बहुत बड़ा भाग निर्माण कार्य में खर्चा गया है । तालिका-1 में सातवीं पंच-वर्षीय योजना के व्यय का विवरण दिया गया है ।

तालिका-1

सातवीं पंच-वर्षीय योजना का व्यय

क्र.	विषय	धनराशि (करोड़)
1.	कुल व्यय	3,50,000-00
2.	निर्माण पर व्यय	1,58,000-00
3.	निर्माण सामग्रियों पर व्यय	1,05,000-00

देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य में होने वाले व्यय का लगभग दो तिहाई भाग निर्माण सामग्रियों को उपलब्ध करने में हो जाता है । मुद्रास्फीति के कारण सभी वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है । भवन सामग्रियां मांग की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनके मूल्यों में वृद्धि की संभावना तो है ही । कुछ सामग्रियों के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चित्र-1 में यह वृद्धि दर्शायी गयी है ।

भवन सामग्रियों में से कुछ तो बड़े उद्योगों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं । किन्तु अधिकांश लघु उद्योगों में छोटे आधार पर बनाई जाती हैं । उनके उत्पादन आंकड़ों का अनुमान ही किया जा सकता है । यह तालिका-2 में दिये गये हैं ।

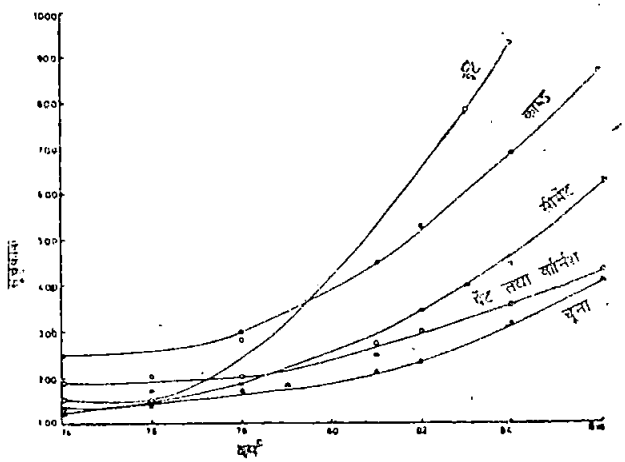

सामग्रियों के लिए भारतीय सूचकांक

तालिका-2

पारम्परिक निर्माण सामग्रियों के उत्पादन एवं कमी

क्र.	सामग्री	उत्पादन/प्रतिवर्ष	कमी/प्रतिवर्ष
1.	मिटटी से बनी ईंट	5,500 करोड़	1,500 करोड़
2.	सीमेंट	3.94 करोड़ टन	0.35 करोड़ टन
3.	मिलावा बालू व रोड़ी.	9.5 करोड मीटर^3	2.0 करोड़^{3} मीटर
4.	चूना	0.4 करोड़ टन	0.3 करोड़ टन^2
5.	प्लाईवुड	6.0 करोड़ मी^{2}	6.0 करोड़ मी^{2}

इससे यह स्पष्ट होता है कि आवास तथा अन्य भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक भवन सामग्रियों का उत्पादन जरूरत से काफी कम मात्रा में हो रहा है । आवास की समस्या के संदर्भ में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात निर्माण सामग्री की उपलब्धि की है । यदि आवास निर्माण के लिए भूमि व धन उपलब्ध भी करा दिया जाए, तो भी आवास इकाइयों की पूर्ति करना सम्भव नहीं क्योंकि उसके लिये आवश्यक भवन सामग्रियां उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं ।

*केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

मानव जाति के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भारतवर्ष में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तो भवन सामग्रियों के विकास का कार्य कर ही रहा है, किन्तु उसके अतिरिक्त लगभग एक दर्जन प्रयोगशालाएं और भी हैं, जिनमें भवन सामग्रियों पर अनुसंधान किया जाता है । इन सभी प्रयोगशालाओं में अनेक प्रकार की भवन सामग्रियों के निर्माण की तकनीकों का अध्ययन किया गया है तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन करके उनको उपयोगी बनाया गया है । इसके अतिरिक्त नई सामग्रियों के निर्माण की विधियों का भी विकास किया गया है । निर्माण की विधियों में सुधार तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के शोध कार्य किये गये हैं। लक्ष्य निम्न रखे गये हैं ।

1. स्थानीय संसाधनों से सस्ती भवन सामग्रियों का विकास
2. उच्छिष्ट पदार्थों से भवन सामग्रियों का उत्पादन ।
3 सामग्रियों के गुण तथा कार्यशीलता में सुधार ।
4. ऊर्जा का संरक्षण ।

प्रयोगशालाओं में जो अनुसंधान कार्य किया जाता है, उसको उत्पादन की अवस्था तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न किये जाते हैं :–

(क) कुछ विधियां लेखों के रुप में तकनीकी पत्रिकाओं में प्रकाशित कर दी जाती हैं । इनमें इन पदार्थों के निर्माण के लिये सारी आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं । कोई भी व्यक्ति इन सूचनाओं के आधार पर इन सामग्रियों का निर्माण कर सकता है । यदि आवश्यकता हो तो वह सम्बंधित वैज्ञानिक से पत्र-व्यवहार अथवा विचार-विमर्श करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

(ख) कुछ विधियों को भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को प्रसार करने के लिये सौंप दिया जाता है । कोई भी निर्माता जो इन लायसेंस युक्त पद्धतियों का उपयोग करना चाहते हों, निगम से सम्पर्क करके प्रारम्भिक सूचनाएं प्राप्त कर सकता हैं। रुचि होने पर सम्बद्ध प्रयोगशाला जाकर वैज्ञानिकों से अन्य आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है । यदि वह इन सामग्रियों के निर्माण के लिए इच्छुक हो तो उसे निगम के साथ करार करना पड़ता है, जिसके अनुसार वे निश्चित रॉयल्टी के आधार पर इस लायसेंस को प्राप्त कर सकते हैं ।

(ग) निर्माता यदि अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर किसी पदार्थ से किसी सामग्री का निर्माण करना चाहे तो वह प्रयोगशाला से सम्पर्क करके इस कार्य को कराने के लिये आवश्यक परियोजना का सम्प्रेषण कर सकते हैं । संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके इच्छित विधि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है अथवा अन्य विधि ही विकसित की जा सकती है । यह विधि सम्प्रेषक को बता दी जाती है तथा वे सामग्री का निर्माण कर सकते हैं । इस परियोजना के अन्तर्गत जो कार्य किया जाता है उसके लिये सम्प्रेषक को आवश्यक शुल्क देना पड़ता है । इसकी राशि किये जाने वाले कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है ।

किसी भी निर्माण कार्य के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है । यह सामग्रियों अकार्बनिक अथवा कार्बनिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कुछ सामग्रियों की आवश्यकता काफी बड़ी मात्रा में होती है, कुछ की काफी कम । इन सामग्रियों के गुण तथा उपयोग भी भिन्न होते हैं । फिर भी इन सभी सामग्रियों को एककों, बंधक पदार्थों तथा पेंट तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में रखा जा सकता है ।

ईंट

ईंट उद्योग देश के घरेलू उद्योगों में प्रमुख है। वैदिक काल से ही ईंटों का उपयोग होता रहा है। देश में अनेक स्थानों पर की गयी खुदाई के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत वर्ष में अब से 5 हजार वर्ष पहले भी सुन्दर एवं पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था । आज भी ईट भवनों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एककों के रुप में काम में लायी जाती हैं। किन्तु किन्हीं कारणों से अभी तक ऐसी विधियों का उपयोग होता चला आ रहा है, उनके कारण ईंटों की सामर्थ्य तथा गुणवत्ता में कमी हुई है । इसके परिणामस्वरुप इनके मूल्य में भी तेजी से वृद्धि हुई है । अतएव यह आवश्यक माना जाना चाहिये कि विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लिए हल्की एवं अधिक सामर्थ्यवान ईंटों का निर्माण किया जाए ।

भारतवर्ष एक विशाल देश है। अतएव यह स्वाभाविक ही है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां उपलब्ध हों । इनके रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न होते हैं । इनमें से कई मिट्टियां अच्छी ईटें बनाने के लिए उपयोगी पाई गई हैं, किन्तु अन्य स्थानों पर उपलब्ध मिट्टियां अनुपयुक्त हैं ।

भारतवर्ष में उपलब्ध होने वाली मिट्टियां मुख्यतः तीन प्रकार की हैं :–

(क) जलौढ़ मिट्टियां
(ख) काली मिट्टियां
(ग) लाल मिट्टियां

जलौढ़ मिट्टियां नदियों तथा वायु की सहायता से लाए हुए तलछट से उत्पन्न होती हैं। यह मिट्टियां गंगा, सिन्धु के मैदान की नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ईंट बनाने के लिए साधारणतः यह उपयुक्त होती हैं। इन मिट्टियों से बनी ईंटों को 1000 + 20 से.ग्रे. पर पकाने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अधिकांश स्थानों से प्राप्त मिट्टियां अच्छी होती हैं। किन्तु कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मिट्टियों में महीनता गुण वाले पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं और इनके उपयोग से अच्छी ईंटें नहीं बन पाती।

कुछ स्थानों पर प्राप्त जलौढ़ मिट्टियां लवणयुक्त होती हैं, इन मिट्टियों का रेह या कल्लड नाम से पुकारा जाता है।

काली चिकनी मिट्टियां अधिकतर मध्यवर्ती, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अनेक स्थानों में पायी जाती हैं। इन मिट्टियों में अक्सर चूने के कंकड़ भी मिले हुए होते हैं। अधिक चिकनी होने के कारण इन मिट्टियों से बनी ईंटों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। जब यह ईंटें पकाई जाती हैं तथा इनमें होने वाले कंकड़ का निस्तापन होता है तो कंकड़ चूने में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इन ईंटों को पानी में डुबाया जाता है तो यह चूना कैल्शियम हाईड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परिणामस्वरूप आयतन में बहुत वृद्धि होती है और यह चूना प्रस्फुटित हो जाता है।

इस प्रकार की मिट्टी से अच्छी ईंटें बनाने के लिए यह आवश्यक है कि चूने के कंकड़ घोल विधि द्वारा पृथक कर लिये जायें तथा इन मिट्टियों में उड़नराख, बेसाल्ट पाऊडर तथा थोड़ी मात्रा में साधारण नमक मिला दिया जाए। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में विकसित इन विधियों का उपयोग व्यापक स्तर पर ईंट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर हुआ है।

मध्य भारत तथा दक्षिण के पठारी प्रदेशों में लाल अथवा कुछ पीलापन ली हुई मिट्टियां पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में लौह आक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यह मिट्टियां स्थूल तथा रेतीली भी होती हैं। इन मिट्टियों से बनी ईंटों को पकाने के लिए 900 सें. ग्रे. तक ही ताप दिया जा सकता है। अधिक ताप पर पकाने से इनकी दाब सामर्थ्य में क्षति होती है।

इन मिट्टियों से अच्छी ईंटें बनाने के लिए इनमें उड़नराख, चावल की भूसी, रेल का सिडर आदि पदार्थ मिलाकर अनेक प्रयोग किये गये हैं तथा उपयोगी ईंटों का निर्माण किया गया है। सही विधियों का उपयोग करने से इन मिट्टियों से बनी ईंटों के 70-150 किलो ग्राम प्रति सें. मी. सामर्थ्य की अच्छी ईंटें बनाना सम्भव होता है।

तालिका-3

अनुपयुक्त मिट्टियों से निर्मित ईंटों के गुण

क्र.	मिट्टी का प्रकार	दाब-सामर्थ्य (कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेंमी.)		जल-अवशोषण (प्रतिशत)	
		परम्परागत	उन्नत	परम्परागत	उन्नत
1.	काली	20-25	60-80	25-27	15-20
2.	लाल	25-28	75-150	20-22	12-16
3.	लवणयुक्त/ क्षारीय	75-100	100-150	18-20	10-15

ताप विद्युत घरों में उड़नराख बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। रासायनिक दृष्टि से उड़नराख एवं मिट्टी में विशेष अन्तर नहीं होता। उड़नराखों में बिना जला हुआ कार्बन भी विद्यमान होता है। बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाली उड़नराख का मिट्टी में मिलाने के लिए उपयोग किया गया है। इन मिट्टियों से बनाई गई ईंटों में 30-50 प्रतिशत तक उड़नराख हो सकती है। उड़नराख तथा मिट्टी को भलीभांति मिलाना बहुत आवश्यक है। इन ईंटों की निर्माण विधि अपरिवर्तित रहती है। उड़न राख में बगैर जला कार्बन होने के कारण इन ईंटों के पकाने में ईंधन की भी बचत होती है।

अधिकांश उद्योगों के लिए जिस कोयले को काम में लाया जाता है इसमें बड़ी मात्रा में राख प्राप्त होती है। इस राख को भी ईंटें बनाने के लिए लाई गई मिट्टी में मिलाया जा सकता है तथा इससे मिट्टी के गुणों में सुधार होता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की जलौढ़ मिट्टियों में 3-5 प्रतिशत तक राख को मिलाना उपयोगी पाया गया है।

उड़नराख का उपयोग इसमें चूना मिलाकर इससे उड़नराख चूना ईंटें बनाने में किया जाता है। इस मिश्रण को भलीभांति मिलाकर इससे सांचों में ईंटें ढाल दी जाती हैं और उनको थोड़ा सुखाने के उपरान्त ऑटोक्लेव में उच्च तापक्रम तथा दाब पर गर्म किया जाता है। इससे अधिक सामर्थ्य वाली ईंटें प्राप्त होती हैं।

उड़नराख की भांति ही बहुत सी खानों में प्राप्त होने वाली महीन धूल का उपयोग भी चूना मिलाकर ईंटें बनाने में किया गया है। इस कार्य के लिए जिंक, तांबा, सोना तथा लोहे की खानों में प्राप्त होने वाले उच्छिष्ट पदार्थों से अच्छी ईंटें बनाई गई। इन ईंटों की दाब सामर्थ्य 250 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सें.मी. तक मिल सकती है।

ईंटों का भट्ठा

भारतवर्ष में ईंटें पकाने के लिए अधिकतर पजावे, निम्न-वात प्रवाह भट्ठे तथा बुल्स भट्ठों का प्रयोग किया जाता है। पजावे तथा निम्न वात प्रवाह भट्ठों में ईंधन का

अत्यधिक अपव्यय होता है । इनकी ताप दक्षता केवल 5-6 प्रतिशत तक ही होती है । बुल्स भट्टे अपेक्षाकृत अधिक ताप-दक्ष होते हैं । इन भट्टों में 10-12 मीटर तक ऊंची चिमनी का प्रयोग किया जाता है । अधिकांश भट्टों में ईंटों को पकाने के लिए साथ-साथ चिमनी का स्थान भी परिवर्तित होता रहता है । स्थिर चिमनी वाले बुल्स भट्टों का प्रयोग भी किया गया है ।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में एक नवीन प्रकार के उच्च-वात प्रवाह भट्टे का विकास किया गया है । इस भट्टे में गर्म गैसों का प्रवाह सीधा न होकर टेढ़ा-मेढ़ा होता है तथा वात के प्रवाह को बिजली के पंखों तथा डेम्पर द्वारा नियंत्रित किया जाता है । इन भट्टों में ऊर्जा का व्यय अपेक्षाकृत काफी कम होता है तथा प्रथम श्रेणी की ईंटें भी अधिक संख्या में प्राप्त होती हैं । इन भट्टों के उपयोग के कुछ आंकड़े तालिका-4 में दिये गये हैं ।

चित्र-2

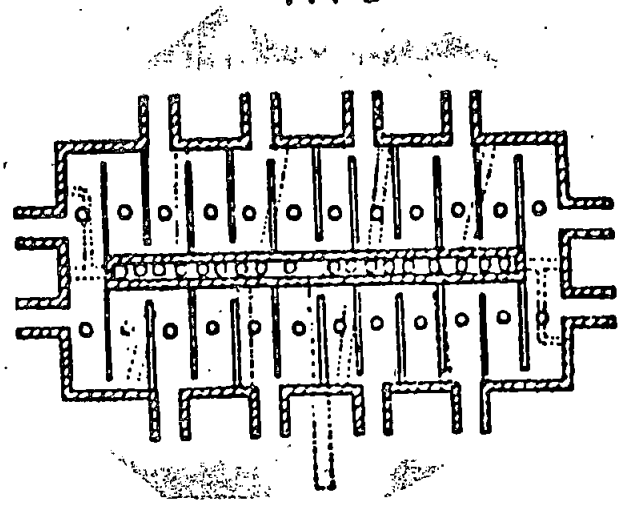

तालिका–4

उच्च वात प्रवाह भट्टा

रुपये (लाखों में)

संयंत्र का आकार	—	रु. 30,000-00 प्रतिदिन
पूंजी लागत–संयंत्र	—	25.1
पूंजी लागत–भूमि, भवन स्थान	—	4.60
स्थान	—	4 एकड़
उत्पादन की लागत	—	रु. 450-00 प्रति हजार
विद्युत	—	150 किलोवाट
लायसेंसों की संख्या	—	88
रोज़गार	—	30,000 श्रम दिवस प्रतिवर्ष

भारतवर्ष में ईंट बनाने का काम अधिकतर हाथों से ही किया जाता है । अच्छे माल का उत्पादन करने के लिये ईंट बनाई जाने वाली मिट्टी को अच्छी प्रकार से रौंधना तथा गूंदना पड़ता है । यह कार्य भी हाथ से ही किया जाता है। देखा गया है कि इसकी दक्षता बहुत अधिक नहीं होती । मिट्टी के गुणों में सुधार करने की दृष्टि से एक ढ़ालने वाली मेज का विकास किया गया है । यह पैर द्वारा चलाई जाती है तथा एक दिन में लगभग 1000 तक ईंट बनाने में सक्षम होती है । इन ईंटों को धूप में सुखाया जा सकता है ।

ईंटों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए ईंट बनाने के लिये एक मशीन भी विकसित की गई है । इस मशीन से लगभग 2500 ईंटें प्रति घण्टा बनाई जा सकती हैं । खोखली छिद्रयुक्त एवं अन्य प्रकार के सेनेमिक इकाईयां भी इस मशीन द्वारा बनाई जा सकती हैं । मशीन द्वारा बनाई हुई ईंटों की दाब-सामर्थ्य लगभग 40-50 प्रतिशत अधिक तक पाई गई है । इनका जलचूषण भी कम होता है किन्तु यह ईंटें धूप में सुखाने पर टूट जाती हैं और इनमें दरार पड़ जाती हैं । अतएव इनको सुखाने के लिए ताप एवं वाष्प नियंत्रित भवनों का उपयोग आवश्यक होता है ।

बन्धक पदार्थ

भवन निर्माण के लिये एककों के अतिरिक्त बन्धक पदार्थ की भी आवश्यकता होती है । पिछले 40-50 वर्षों में भारत के अधिकांश भागों में सीमेंट का ही बन्धक पदार्थ के रूप में उपयोग होता रहा है । शीघ्र जमने, अधिक सामर्थ्य तथा प्रबलित किये जा सकने के कारण सीमेंट एक अत्यन्त उपयोगी पदार्थ पाया गया । देश के लगभग सभी भागों में इसकी मांग बढ़ती चली गई । उत्पादन इसके साथ-साथ इतना नहीं बढ़ पाया । इससे मूल्य वृद्धि हुई । इस स्थिति से निबटने के लिये अनेक प्रकार के बन्धक पदार्थों का विकास किया गया।

स्लैग सीमेंट

स्लैग अथवा धातुमल अयस्क से लोहा बनाने की विधि में एक व्यर्थ सह-पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है । यह भट्टी से पिघली हुई अवस्था में बाहर आता है । यदि इसको समुचित रूप से जल के सम्पर्क में लाया जाये तो यह स्वीकृत हो जाता है । इस अवस्था में इसे सीमेंट के क्लिंकर के साथ मिलाकर पीसा जा सकता है । 25-65 प्रतिशत तक स्लैग मिलाकर पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट बनाना संभव होता है । यह सीमेंट पोर्टलैण्ड सीमेंट जितनी ही सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है । केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में भारतीय स्लैगों का गहन अध्ययन किया गया तथा इनके उपयोग की विधियां विकसित की गई । इन प्रयोगों के आधार पर अनेक निर्माता बड़ी मात्रा में स्लैग सीमेंट का निर्माण कर रहे हैं ।

पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट

पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट वे पदार्थ हैं जो साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट में उपयुक्त पोत्स्वासक्ति पदार्थ मिलाकर बनाये जाते हैं । साधारणतः 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक पोत्स्वासक्ति पदार्थ मिश्रित किये जा सकते हैं ।

ताप बिजली घरों की उड़न राखों में पोत्स्वासक्ति गुण पाये जाते हैं । केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में देश में प्राप्त होने वाली अनेक उड़न राखों का अध्ययन किया गया । इसके आधार पर पोर्टलैण्ड पोत्स्वासक्ति सीमेंट बनाये गये तथा उनके गुणों का अध्ययन किया गया । इन प्रयोगों का लाभ उठाकर अनेक निर्माताओं ने देश में बड़े आधार पर ऐसे सीमेंट बनाये है ।

उड़नराखों का उपयोग करके तेल के कुओं के लिए भी ऑयल वैल सीमेंट बनाये गये हैं ।

इमारती चूना

भारत तथा विश्व के अन्य अनेक देशों में इमारती चूना बन्धक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है । यद्यपि सीमेंट के उपलब्ध हो जाने के उपरान्त इमारती चूने का परिचलन काफी घट गया है, किन्तु फिर भी भारतवर्ष में कुल बन्धक पदार्थ का 10 प्रतिशत अर्थात् लगभग 40 लाख टन चूना प्रतिवर्ष भवन निर्माण के काम में लाया जा रहा है ।

चूने का भट्टा

भारत वर्ष में चूना निर्माण के लिये लम्बरूप भट्टों का उपयोग किया जाता है । यदि इन भट्टों की रचना ठीक हो तथा इनका संचालन सही प्रकार से किया जाए तो यह भट्टे उष्मा की बचत भी करते हैं तथा अच्छी प्रकार का माल भी बनाते हैं । इसी दृष्टि से केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में चूने के भट्टों की रचना का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर उन्नत प्रकार के भट्टों की संरचना की गई (चित्र-4) । इन भट्टों की उत्पादन सामर्थ्य 5 टन प्रतिदिन से 50 टन प्रतिदिन तक है । चूने के पत्थर तथा ईंधन के गुणों के ज्ञान के आधार पर रचित होने के कारण यह भट्टे अच्छे माल का उत्पादन तो करते ही हैं, इनकी उष्मीय दक्षता भी अधिक होती है ।

भारत वर्ष के विभिन्न भागों में इस प्रकार के अनेक भट्टे कार्य में लगे हैं तथा अच्छे प्रकार के माल का उत्पादन कर रहे हैं :–

चित्र-4

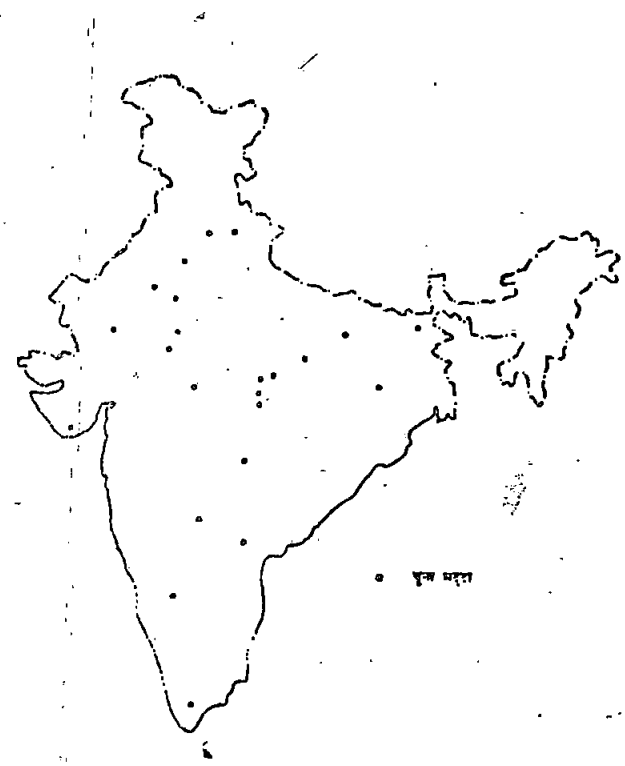

तालिका -5

चूने के भट्टों से उत्पादन

संयंत्र की क्षमता	20 टन प्रतिदिन
पूंजी की लागत-संयंत्र, भूमि तथा भवन	17.5 लाख
जन-शक्ति	8000 श्रम दिवस प्रतिवर्ष
स्थान	1 एकड़
उत्पादन की लागत	715 रु. प्रति टन
लायसेंसों की संख्या	44

जलीयित चूना

चूने के भट्टे से उत्पन्न पदार्थ को सीधे काम में नहीं लाया जा सकता । अधिकांश उपयोग ऐसे हैं जिसमें चूने को बुझाना आवश्यक होता है । साधारणतः बिना बुझा चूना ही कार्य-स्थल पर भेज दिया जाता है तथा वह वहां वायु की नमी तथा कार्बनडाईऑक्साइड प्राप्त करना रहता है । इन रासायनिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप जो वायु द्वारा बुझा हुआ चूना मिलता है वह निम्न कोटि का होता है तथा चूने से अधिक उपयोगी गुणों का प्रदर्शन नहीं करता । अतएव यह समीचीन समझा गया कि चूने को पहले कारखाने में ही बुझा दिया जाए तथा बुझा हुआ चूना अशुद्धियां निकालने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर भेजा जाए । ऐसा चूना यदि पॉलिथीन युक्त बोरों में पैक किया गया हो, तो लम्बी अवधि

तक अपने प्रारम्भिक गुणों के समकक्ष ही बना रहता है। अतः इनका उपयोग सही मात्रा में तथा सही प्रकार से किया जा सकता है।

चूने का जलीयन करने के लिए एक यंत्र की रचना केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में की गई। इस जलीयक के सम्बंध में सूचना तालिका-6 में दी गई है

तालिका —6

चूना-जलीयक का विवरण

	रुपये (लाखों में)
संयंत्र उत्पादन	24 टन प्रतिदिन
पूंजी लागत संयंत्र, भूमि तथा भवन	27.0 लाख
जन-शक्ति	10,000 श्रम दिवस प्रतिदिन
स्थान	400 वर्ग मीटर
उत्पादन का मूल्य	रु. 750 प्रति टन
लायसेंसों की संख्या	38

देश के अनेक भागों में इस संयंत्र का उपयोग करके जलीयित चूना बनाया जा रहा है।

चूना पोत्स्वासक्ति मिश्रण

देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के पोत्स्वासक्ति पदार्थ पाये जाते हैं (पोत्स्वासक्ति पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल की उपस्थिति में चूने से प्रक्रिया करके सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं) इन पदार्थों में जली हुई मिट्टी तथा ताप विद्युत घरों की उड़नराख प्रमुख हैं। कई स्थानों पर अच्छी सामर्थ्य देने वाले पोत्स्वासक्ति पदार्थ पाये जाते हैं किन्तु अन्य स्थानों पर इनकी सक्रियता कम होती है। अतएव केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशालाओं में एक ऐसी विधि विकसित की गई जिससे रासायनिक प्रक्रिया की गति बढ़ जाए। इसके परिणामस्वरुप सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले तत्व शीघ्र बनते हैं तथा उनसे सामर्थ्य का विकास भी शीघ्र होता है। यह जमने की प्रक्रिया जहां परम्परागत विधियों का उपयोग करने पर कई दिन तक चलती रहती है, इस विधि के अनुसार थोड़े ही समय में हो जाती है। इसके अतिरिक्त जहां परम्परागत विधियों के अनुसार उपयोग करने पर बालू को मसालों में नहीं मिलाया जा सकता। इस विधि के द्वारा 2-3 भाग तक मिलाना सम्भव पाया गया।

जिप्सम उच्छिष्ट

विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योगों जैसे फास्फोरिक एसिड तथा हाइड्रोफलोरिक एसिड के निर्माण से उच्छिष्ट पदार्थों के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। इस कैल्शियम सल्फेट को अशुद्धियां निकालने के उपरान्त गर्म करने से पेरिस का प्लास्टर प्राप्त हो जाता है। इस प्लास्टर का दीवार पर प्लास्टर करने के लिए उपयोग तो संभव ही है, इससे बोर्ड तथा अन्य प्रकार के प्रबलित एकक भी बनाए जा सकते हैं।

तालिका—8

पेरिस के प्लास्टर का उत्पादन

संयंत्र की क्षमता	—10 टन प्रतिदिन
पूंजी लागत-संयंत्र, भूमि तथा भवन	—3.59
जन-शक्ति	—6000 श्रम दिवस
स्थान	—आधा एकड़
उत्पादन की लागत	—रु. 425 प्रति टन

कैल्शियम सल्फेट को पेरिस के प्लास्टर में परिवर्तित करने के लिए एक यांत्रिक कढाई का विकास भी किया गया है। इससे नियंत्रित तापक्रम पर अच्छे प्रकार का प्लास्टर बनाया जा सकता है।

इमारती काष्ठ

काष्ठ एक प्राकृतिक सम्पदा है तथा भवन निर्माण में इसका उपयोग अनादिकाल से हो रहा है। ताजे कटे काष्ठ में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यदि उसके सूखने पर नियन्त्रण न रखा जाये तो इसमें संकुचन, ऐंठन तथा फटन आदि अवगुण आ जाते हैं। काष्ठ किसी उपयोगी कार्य हेतु प्रयोग में नहीं आ सकता। इस हेतु काष्ठ को पकाई बहुत आवश्यक है।

संस्थान में एक सौर ऊर्जा द्वारा चालित काष्ठ पकाई भट्टे का विकास किया गया है, जो वायु के ऊष्मीय संचार पर आधारित है। भट्टे के तीन मुख्य भाग हैं :—

1. सौर ऊर्जा संग्राहक
2. पकाई कक्ष
3. चिमनी

इस भट्टे की दक्षता का अध्ययन करने के लिये विभिन्न किस्मों की पकाई करके परिणाम ज्ञात किये गये हैं। भट्टे में पकाई में लगे समय की तुलना सायबान में पकाई से की गई है। परिणामों का विवेचन तालिका 9 में किया गया है।

तालिका—9

काष्ठ संशोषण में सौर ऊर्जा का उपयोग

काष्ठ की किस्म	वर्गों एवं तख्तों की माप	अध्ययन का समय	प्रारम्भिक नमीं की प्रतिशत	10 जलांश तक लगा समय	
				सौर भट्टे में (दिन)	सायबान में (दिन)
1. आम	300 × 15 × 3.75 सेंमी.	अगस्त–सितम्बर 1980	57	17	35
2. जामुन	300 × 15 × 3.75 सेंमी.	अगस्त–सितम्बर 1980	67	27	62
3. हल्दु	300 × 15 × 3.75 सेंमी.	अगस्त–सितम्बर 1980	73	18	40
4. साल	300 × 7.5 × 15 सेंमी.	नवम्बर–1979 से जनवरी 1980	32	67	4 माह
5. सागौन	300 × 5 × 15	फरवरी–मार्च 1980	18	20	42
6. देवदार	300 × 5 × 15 सेंमी.	फरवरी–मार्च 1980	15	14	25
7. शीशम	300 × 5 × 15 सेंमी.	फरवरी–मार्च 1980	25	28	60

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सौर भट्टे में पकाई में लगा समय, सायबान में लगे समय का लगभग आधा है।

भट्टे की क्षमता तथा मूल्य

यह भट्टे 3 घन मीटर तथा 15 घन मीटर काष्ठ की पकाई की क्षमता हेतु अभिकल्पित किये गये हैं। छोटे भट्टे के निर्माण का मूल्य लगभग रु. 45,000 तथा बड़े भट्टे का मल्य रु. 1,25,000 है।

प्लास्टिक पदार्थ

हाल ही के वर्षों में भवन सामग्री के रूप में प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग बढ़ा है। नये-नये पदार्थों की खोज के कारण यह संभव हुआ है। अनेक प्रकार के उपयोगों के लिए आवश्यक गुणों से सम्पन्न प्लास्टिक पदार्थ बनाये जा सकते हैं। दरवाजे तथा खिड़कियां, नालियां, बिजली के कंडूट, फर्शी टाइल, जल के वाहक अवयव, प्लास्टिक से बनाये जा सकते हैं। पानी की टंकियों के रूप में भी इनका उपयोग हो रहा है।

भवनों में प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग बढ़ाने में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काजू के खोल से प्राप्त तेल से रेजिन विकसित करके कई उत्पाद जैसे जोड़ प्रसारक पूरक और नारियल के मन्जें से जलसह आदि बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की निर्माण सामग्रियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है, जिससे सही प्रकार का माल बाजार में आये तथा उसका उचित उपयोग हो। प्लास्टिक पदार्थों का प्लाईवुड आदि के साथ संकुलित करके इन पदार्थों के उपयोग का नया मार्ग भी खोला गया है।

उपसंहार

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तथा अन्य प्रयोगशालाओं ने अनेक प्रकार की तकनीकें विकसित की हैं, जिनके आधार पर भवन सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। यह सामग्रियां स्थानीय रूप से स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। इनमें से अनेक विधियों के आधार पर इन सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा है। 300 से अधिक लाइसेंस दिये गये हैं। इनका उपयोग करने से देश में भवन सामग्रियों की कमी को दूर तो किया ही जा सकता है; निर्माण कार्य में बचत भी की जा सकती है। □

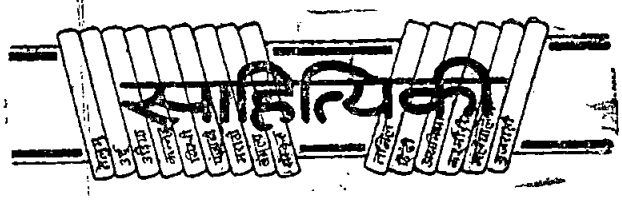

मातृभाषा पंजाबी का मानक हिन्दी सीखने में व्याघात

☐ डा. नरेन्द्र कुमार शर्मा*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अपने आप को अधिक से अधिक साधनों से जोड़ना चाहता है। इस प्रक्रिया से साधनों में विस्तार होता है। यह विस्तार संचार (विचार-विनिमय) के साधनों में भी होता है। आवागमन और संचार साधनों का अधिक विस्तार होने पर उस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक सा है। यह अन्य भाषा उस की मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भारतीय या अभारतीय भाषा हो सकती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति द्विभाषिक हो जाता है। द्विभाषिकता की यह स्थिति भाषा-शिक्षण में कभी तो साधक बनकर आती है तो कभी बाधक बनकर आती है।

व्याघात की संकल्पना का आधार

व्याघात की संकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी दो भाषाएं पूर्णतया समान नहीं होती। उनमें संरचना स्तर पर कुछ न कुछ वैषम्य अवश्य बना रहता है। व्यक्ति जिस भाषा को मातृभाषा के रूप में अर्जित करता है उसके विभिन्न पक्ष नियम एवं प्रयोग स्वभावतः इसके आचरण में जम जाते हैं। द्वितीय भाषा का अधिगम करते समय व्यक्ति आदतन मातृभाषा के इन नियमों को प्रक्षेपित करता है। वह अधिगम की जाने वाली भाषा के सही नियमों को अगर बौद्धिक स्तर पर जान भी ले तब भी अपने भाषा-प्रयोग एवं व्यवहार में पहले से बैठी मातृभाषा के नियमों को नई भाषा के नियमों पर लागू करने की ओर प्रवृत्त हो उठता है। इसी को विद्वानों ने प्रक्षेप, व्याघात, इंटरफियरंस, बाधक की संज्ञा दी है।

व्याघात की संकल्पना को प्रस्तुत करने का श्रेय मनोविज्ञानवादी आचार्य सिगमंड फ्रायड को है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'ए जनरल इंट्रोडक्शन टु साइको एनैलिसिस' में 'गलतियों का मनोविज्ञान' नामक चार लेखों में इस समस्या को भूल, चूक, त्रुटि, व्याघात के क्रम से रखा है। उनके अनुसार—'गलतियां दो भिन्न आदर्शों के आपसी संघर्ष या बाधन (इंटरफियरंस) से होती है। जिसमें से एक को बाधित आशय और दूसरे को बाधक प्रवृत्ति कहा जा सकता है'। (पृष्ठ 53-54) व्याघात का स्थान भाषा प्रयोक्ता का वह मानसिक जगत है जहां दो भाषाएं अपनी विशिष्ट संरचनाओं के साथ संपर्क की स्थिति में आती हैं। दो भाषाओं में इस प्रकार संपर्क की स्थिति में आने के परिणामस्वरूप इन भाषाओं की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को भाषा-व्याघात कहा जाता है।

इस प्रकार द्वितीय भाषा अधिगम में मातृभाषा के नियमों-उपनियमों का आ जाना ही व्याघात है। यह मातृभाषा में भी हो सकता है। द्वितीय भाषा में भी और अन्य भाषा में भी। प्रस्तुत लघु लेख में आर्यभाषा परिवार की भाषा मानक हिन्दी अधिगम में मातृभाषा पंजाबी के व्याघात की समस्या को ध्वनि, रूप, शब्द-रचना, शब्द-प्रयोग, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति, सहप्रयोग एवं अर्थ स्तर पर लिया गया है।

मातृभाषा शब्द अंग्रेजी के मदर टंग का हिन्दी पर्याय है जिस से तात्पर्य है मां की भाषा अर्थात् वह भाषा जो बच्चे की मां की भाषा है। बच्चा इसे अपनी मां से सहज रूप में अर्जित करता है। व्यापक रूप से शिक्षा के संदर्भ में इसे इस प्रकार रखा जा सकता है 'किसी क्षेत्र विशेष की व भाषा मातृभाषा है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार-विनिमय करते हैं'। हिन्दी प्रदेशों की बात छोड़ दें तो हिन्दीतर प्रदेश के लोगों के लिए हिन्दी (मानक हिन्दी) द्वितीय भाषा के रूप में आती है। मातृभाषा के रूप में मराठी, बंगला, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं का अर्जन करते हैं।

मानक हिन्दी से तात्पर्य है—हिन्दी का वह स्वरूप जो अपने संपूर्ण प्रदेश में मानक माना जाता है तथा जिसे प्रदेश का शिक्षित या अशिक्षित वर्ग एक आदर्श भाषा मानते हुए यथासंभव उसी

*हिन्दी प्राध्यापक,
हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास

का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त संविधान में जिस हिन्दी का उल्लेख किया गया है तथा सरकारी कार्यों में जिस हिन्दी का स्वरूप निश्चित किया गया है । इसमें विकल्प की कोई छूट नहीं होती । यह मानकीकरण ऐतिहासिकता, जीवंतता, बोधगम्यता, प्रयोगधर्मिता, सतत लचीलापन एवं बौद्धिकीकरण के गुणों से तो युक्त होती ही है साथ ही अन्य भाषा-रूपों पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर चुकी होती है ।

ध्वनि-स्तर पर —पंजाबी भाषी जब मानक हिन्दी अधिगम करता है तो उसे उसकी मातृभाषा व्याघात करती है और वह मानक हिन्दी की ध्वनियों का उच्चारण अपनी भाषा की ध्वनियों के अनुसार करता है । यह स्वर-व्यंजनों दोनों स्तरों पर मिलता है । इस प्रकार की व्याघात जनित अशुद्धियों का मूल कारण यह है कि मानक हिन्दी में प्रचलित कुछ ध्वनियां या तो पंजाबी में मिलती ही नहीं और कई ध्वनियां जो पंजाबी में भिन्न रूप से प्रचलित हैं ।

स्वर-स्तर पर व्याघात—'स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु मार्ग में अवरोध उपस्थित नहीं होता' । पंजाबी भाषी मानक हिन्दी अधिगम में 'ह्रस्व 'इ' का उच्चारण दीर्घ 'ई' वत् करने की अशुद्धि मातृभाषा के व्याघात के कारण ही करता है जैसे :

'इकाई'	मानक हिन्दी	पंजाबी
	रति	रती
	रवि	रवी
	पति	पती
'उ' का 'ऊ'		
	जन्तु	जन्तू
	गुरु	गुरू
	परन्तु	प्रन्तू
दीर्घ का ह्रस्व उच्चारण		
'ई का 'इ'		
	तीन	तिन
	ईश्वर	इश्वर
'ऊ' का 'उ'		
	चूल्हा	चुल्हा
	ऊपर	उप्पर
मध्य 'इ' का 'अ'		
	कविता	कवता/कव्ता
	पंडित	पंडत
मध्य '' का 'अ'		
	दातुन	दातण
	लहसुन	लसण

खड़ी बोल क्षेत्र में भी लगभग ऐसा ही उच्चारण होता है ।

मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित्व का उच्चारण

सात	सॅत्ट	(संस्कृत के सप्त जैसा)
भात	पॅत्त	(ँ चिह्न का प्रयोग बल के लिए किया गया है)
आठ	अॅट्ठ	(संस्कृत के अष्ट के निकट है)

'ढ' के स्थान पर 'ट' (विशिष्ट प्रकार का) वत् उच्चारण

ढोल	टोल
ढक्कन	टॅक्कन

'ध' के स्थान पर 'ते' वत् उच्चारण का व्याघात

धोना	तोंना
धमकना	तॅमकना

'न' का 'ण' वत् उच्चारण

कनक	कणक	
चरना	चरणा	(चर्णा)
आना	आणा	

'ण' के स्थान पर 'न' का उच्चारण

प्रणाम	परनाम
प्राण	प्रान
कण	कन
अणु (छोटा कण)	अनु (उपसर्ग)

आदि 'य' के स्थान पर 'ज' का उच्चारण

यम	जम	यमक	जमक
यत्न	जत्न	योग	जोग

मध्य 'य' का 'ज' एवं 'ऐ' वत् उच्चारण

संयम	संजम
सयोंग	सजोंग

अत्य 'य' का 'ऐ' वत् उच्चारण

साहित्य	सॅहितै
निर्भय	निर्भै
कर्तव्य	कर्तबै

'व' का 'ब' वत् उच्चारण

व्याघात	ब्याघात
वेद	बेद
वर्ग	बर्ग

'ढ़' का 'ड़' वत् उच्चारण

पढ़ना	पड़ना

ऋ कर 'र' वत् उच्चारण

मातृ	मातर
पितृ	पितर

संयुक्त व्यंजन में स्वरागम

नरेद्र	नरिंदर
प्रयत्न	परयतन
कर्म	करम
गर्म	गरम

मानक हिन्दी में प्रायः उपांत्य अक्षर पर बलाघात होता है, किन्तु पंजाबी में अंत्य पर यह बलाघात होता है। इस से दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। इस व्याघात जनित अशुद्धि को दीर्घ 'आ' का ह्रस्व 'अ' वर्ग में भी रखा जा सकता है।

सामाजिक	समाजिक
सामान	समान
बाज़ार	बज़ार
आलोचना	अलोचना

चूंकि पंजाबी में 'ष' ध्वनि नहीं मिलती लेकिन मानक हिन्दी में उसका अस्तित्व विद्यमान है और इसका उच्चारण अघोष, अल्पप्राण, मूर्धन्य, संघर्षी ध्वनि के रूप में होता है। पंजाबी भाषी मानक हिन्दी उच्चारण में 'ष' के स्थान पर श: स: का उच्चारण करता है।

स्पष्ट	स्पश्ट/स्पस्ट
षष्ठ	सस्ट/शष्ट
कोष	कोश
(खजाना)	(शब्दकोश)
वर्ष	बरश/बरस

अरबी-फारसी से आगत ध्वनियां क, ख, ग, ज़, फ पंजाबी में नहीं मिलती। इसी कारण पंजाबी भाषी मानक हिन्दी सीखते समय इस का उच्चारण क, ख, ग, ज, फ वत् करता है।

क़त्ल	कतल
खुदा	खुदा
ग़रीब	गरीव
बाग़	बाग
फ़ायदा	फायदा

इसी प्रकार अनुनासिकता के स्थान पर निरनुनासिकता के उच्चारण का व्याघात भी पंजाबी भाषी के मानक हिन्दी प्रयोग में मिलता है।

आँख	अँक्ख	(संस्कृत के अक्ष के निकट है)
साँप	सँप्प	(संस्कृत के सर्प के निकट है)
मूंछ	मुच्छ	

शब्द-विपर्यय संबंधी व्याघात

जी हाँ	हान्जी

इसी प्रकार सका सघोष

डंक	डंग

सघोष का अघोष

भूख	पुक्ख

महाप्राण से अल्पप्राण

सूखा	सुक्का

शब्द-रचना स्तर पर व्याघात

चूंकि पंजाबी एवं हिन्दी एक ही परिवार (आर्यभाषा) की भाषाएं हैं और इनमें शब्दों, प्रत्ययों, उपसर्गों की एक सीमा तक समानता है, फिर भी पंजाबी भाषी मानक हिन्दी सीखने में अपनी भाषा के आधार पर शब्द-रचना करता है। इस प्रकार की व्याघात जनित अशुद्धि उच्चारण एवं लेखन दोनों में मिलती है। मानक हिन्दी में 'इक' प्रत्यय लगाने पर शब्द का पूर्व व्यंजन दीर्घ हो जाता है लेकिन पंजाबी में ऐसा नहीं होता। इसी कारण अपनी भाषायी प्रकृति के अनुसार वह इस प्रकार की व्याघातपरक अशुद्ध रचना करता है।

	मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
समाज + इक	सामाजिक	समाजिक
प्रयोग + इक	प्रायोगिक	प्रयोगिक

इसी प्रकार संधि—रचना में 'इ + इ—'ई' (ह्रस्व इ + इ-दीर्घ, ई) होता है लेकिन पंजाबी भाषी अज्ञानतावश मानक हिन्दी में भी 'इ + इ—इ ही लिखता है।

रवि + इन्द्र — रवीन्द्र (मानक हिन्दी)
रविन्द्र (पंजाबी हिन्दी)

इसी प्रकार मानक हिन्दी में 'अ + इ—ए' होता है लेकिन पंजाबी भाषी व्याघात के कारण मानक हिन्दी प्रयोग में भी 'अ + इ—इद्ध वत् संधि ही करता है।

	मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
नर् + इन्द्र	नेरन्द्र	नरिंदर

मानक हिन्दी में 'इया' प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है जबकि पंजाबी में 'इ' प्रत्यय लगा कर इसी कारण मानक हिन्दी में यह 'इया' के स्थान पर 'इ' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने की व्याघातपरक अशुद्धि करता है।

	मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
कुत्ता + इया	कुतिया	कुत्ती

इसी प्रकार 'इन' के स्थान पर 'ण' प्रत्यय लगाकर शब्द रचना का व्याघात :

	मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
धोबी + इन	धोबिन	धोवण
माली + इन	मालिन	मालण

इसी प्रकार 'इन' के स्थान पर 'आरी' प्रत्यय लगाकर शब्द रचना संबंधी व्याघातजनित अशुद्धि भी मिलती है।

	मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
चमार + इन	चमारिन	चमआरी (चमैरी)
सुनार + इन	सुनारिन	सनआरी
कुम्हार + इन	कुम्हारिन	कुम्हारी (कुमैरी)

'इन' के स्थान पर 'नी' प्रत्यय लगाकर शब्द-रचना का व्याघात भी मिलता है:

जमादार + इन	जमादारिन	जमैदारनी

लिंग--स्तर पर--पंजाबी भाषी को मानक हिन्दी में व्याघात कम ही मिलता है। इसका मूलकारण यही हो सकता है कि मानक हिन्दी का लिंग-विधान पश्चिमी हिन्दी पर ही आधारित है। उदाहरणतया 'दही' शब्द मानक हिन्दी एवं पंजाबी हिन्दी दोनों में पुल्लिंग वत् प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत 'अखबार' शब्द का प्रयोग मानक हिन्दी में पुल्लिंग वत् होता है तो पंजाबी भाषी अपनी भाषा के व्याघात के कारण इसे स्त्रीलिंग वत प्रयुक्त करता है। अखबार आया के स्थान पर अखबार आयी। कुछ शब्दों का प्रयोग पंजाबी भाषी मानक हिन्दी में दोनों रूपों (पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग) में करता है। साइकिल चलाई, साइकिल चलाया।

वचन-स्तर पर--मानक हिन्दी में 'ए' एवं 'ओं' प्रत्यय लगाकर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं जबकि पंजाबी में इसके स्थान पर 'आँ' प्रत्यय का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है। इसी कारण जब पंजाबी भाषी मानक हिन्दी प्रयोग करता है तो अपनी भाषागत प्रकृति के अनुसार इस प्रकार की व्याघात रचना करता है।

मोटर + एं = मोटरें के स्थान पर वह मानक हिन्दी में मोटरां (मोटर + आं) का प्रयोग करता है। इसी प्रकार 'मकान' का तिर्यक रूप बहुवचन मानक हिन्दी में 'मकानों' बनता है लेकिन पंजाबी भाषी मातृभाषा के व्याघात के कारण 'मकानों' का प्रयोग करता है।

परसर्ग--स्तर पर--मानक हिन्दी में कर्म संप्रदान एवं कर्ता-कारक 'ए' 'एं', 'ने' का प्रयोग होता है जबकि पंजाबी में 'नूं' कर्म संप्रदान में प्रयुक्त किया जाता है। इसी आधार पर पंजाबी भाषी मानक हिन्दी प्रयोग में इसी प्रकार का व्याघात जनित अशुद्धि करता है।

	पंजाबी हिन्दी	मूल
मुझे जाना है।	मैंने जाना है।	मैंनूं जाणा है।
उन्हें जाना है।	उनने जाना है।	उना नूं जाणा है।
उसे जाना है।	उसने जाना है।	उन्नूं जाणा है।
तुम्हें जाना है।	तुमने जाना है।	तैनूं जाणा है।

इसी प्रकार बल देने के लिए 'को' के स्थान पर 'ने' का प्रयोग भी पंजाबी भाषी (नूं) के सादृश्य पर करता है

	पंजाबी हिन्दी	मूल
आपको कल जाना है।	आपने कल जाना है।	तुसां नूं कल जाणा है।
उसको नहाना/	उसने नहाना/	उसनूं नहाणा/

इसी प्रकार छींकना, नाचना आदि के साथ भी पंजाबी भाषी 'ने' का प्रयोग कर जाता है।

वाक्य--रचना स्तर पर--मूलतः व्याघात आज्ञापरक वाक्यों में मिलता है। इसमें आदरसूचक अभिव्यक्तियां आती हैं।

मानक हिन्दी	पंजाबी हिन्दी
तू आ।	तू आ (तूं आ)
तुम आओ।	तुम आओ (तुसी आओ)
आप आइए।	आप आओ (तुसीं आओ)
आप आइएगा।	आप आओ (तुसीं आओ)

इसी प्रकार 'करिए', चलिए' के स्थान पर 'करो', 'चलो' के प्रयोग में भी इसी प्रकार का व्याघात है। इसका मूलकारण यह है कि मानक हिन्दी में जो आदरसूचक अभिव्यक्तियों के स्तर मिलते हैं वह पंजाबी में नहीं मिलते। वास्तविकता तो यह है कि पंजाबी भाषी की मूल समस्या ही यह है, जब वह हिन्दी प्रदेश में बस रहे शिक्षित व्यक्तियों से बातचीत करता है तो अपनी भाषागत प्रकृति के अनुसार इस प्रकार के शैली परक प्रयोग नहीं कर पाता है। यह सामान्य-सा व्याघात उसके लिए समस्या का रूप धारण कर लेता है।

आप बैठिए के स्थान पर--आप बैठो

आप बैठिएगा आप बैठो

कारण स्पष्ट है 'बैठो' में वह सम्मानजनक भाव नहीं है वरन् हेय का भाव है जबकि 'बैठिए' में आदर का भाव निहित है। वास्तव में यह रचना तुम (तुसीं) के सादृश्य पर मिलती है।

सहप्रयोग-स्तर-पर--सहप्रयोग से तात्पर्य है साथ-साथ प्रयोग। इस स्तर पर भी पंजाबी भाषी की मानक हिन्दी में व्याघात मिलता है। उदाहरणतया मानक हिन्दी में 'मच्छर काटते हैं' जबकि पंजाबी हिन्दी में 'मच्छर लड़ते हैं'। कारण स्पष्ट है पंजाबी में 'मच्छर लड़ रहे हैं' का प्रयोग होता है। मानक

हिन्दी में 'लड़ना' क्रिया का प्रयोग 'लड़ाई' के अर्थ में होता है जबकि पंजाबी में 'काटने' के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। मानक हिन्दी में 'जलना' का अर्थ है 'आग से जल जाना' और सड़ना का अर्थ है 'गल कर सड़ जाना' न कि आग से जलना। लेकिन पंजाबी भाषी अपनी भाषा के व्याघात के कारण जलना के स्थान पर सड़ना का प्रयोग करता है। इसी कारण पंजाबी में आग पर रखी रोटी, दाल सब्जी सड़ती है जबकि मानक हिन्दी में यह जलती है। इसी प्रकार 'बुरा मानना' के स्थान पर पंजाबी-भाषी 'बुरा मनाना' का प्रयोग कर जाता है।

मुहावरे स्तर पर व्याघात—मुहावरा लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वह वाक्य है या प्रयोग है जो एक बोली या किसी बोली में बोली जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ अभिधेयार्थ से भिन्न हो। इस प्रकार एक भाषा में दिखाई पड़ने वाली असाधारण शब्द योजना अथवा प्रयोग को मुहावरे के नाम से अभिहित किया जा सकता है।

मानक हिन्दी अधिगम में व्याघात की यह अशुद्धि पंजाबी भाषी के मुहावरे प्रयोग में भी मिलती है। जैसे मानक हिन्दी के मुहावरे आंख का कांटा के स्थान पर पंजाबी भाषी आंख का तिनका (अक्खां दा तीला), नजरें चुराना के स्थान पर आंखें टेढ़ी करना (अक्खां टेडियां करना), शर्म न होना के स्थान पर आंखें माथे पर होना (अक्खां मत्थे ते होना), दिल को लाना के स्थान पर अंतड़ियां जलाना (आंदरा साड़ना), फूल कर कुप्पा हो जाना के स्थान पर आफर जाना (अफरा जाना), अपने दोष देखना के स्थान पर अपनी चारपाई के नीचे डंडा घुमाना (अपनी मंज्जी हेठां सोटा फेरना), धोखेबाज होना के स्थान पर भीतर से काला होना (अंदरों काला होना), चतुराई से बातें करना के स्थान पर आसमान में जोड़ लगाना (आसमान बिच टाँकियां लगाना) का प्रयोग मातृभाषा के व्याघात के कारण ही करता है।

इस प्रकार की व्याघात जनित अशुद्धियों का मूल कारण प्रत्येक भाषा की संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, समाज, रीतिरिवाजों का भिन्न होना है। प्रत्येक भाषा का साहित्य इन तत्त्वों से सम्यक रूप से जुड़ा होता है। इसी कारण किसी अन्य भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियों एवं अर्थों के ग्रहण करने में भाषा-भाषी को व्याघात उपस्थित होता है। इसलिए भाषा-भाषी को भाषा अधिगम कराते समय इन बातों की जानकारी देना भी आवश्यक है।

लोकोक्ति-स्तर पर व्याघात :—लोकोक्ति मानवीय ज्ञान से युक्त वे सूत्र हैं जिसमें सारगर्भिता एवं तुक साम्यता का गुण तो होता है लेकिन जो व्याकरण के नियमों से बंधी नहीं होती। मानक हिन्दी अधिगम में यह व्याघात लोकोक्ति-स्तर पर भी मिलता है।

मानक हिन्दी अधिगम में पंजाबी भाषी अंगूर खट्टे हैं के स्थान पर हाथ न आई तो कड़वी है (हत्थ न आई थू कौड़ी) का प्रयोग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद के स्थान पर जाट क्या जाने लोगों का भाव जट्ट की जाणें लोंगां दा पां, मान न मान मैं तेरा मेहमान के स्थान पर आई न चलाई मैं लड़के की ताई (आई न चलाई मैं मुंडे दी ताई का प्रयोग) जिस थाली में खाना उसी में छेद करना के स्थान पर जिस पत्तल में खाना उसी को फाड़ना (जिस पत्तल विच खाना उसी बिच मोर करना नूं फाड़ना) का प्रयोग मातृभाषा के के व्याघात के कारण ही करता है।

अर्थ-स्तर पर व्याघात :—किसी भाषिक इकाई को पढ़कर या सुनकर जो मानसिक प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ-स्तर पर व्याघात के कई कारण हो सकते हैं—यदि मातृभाषा के शब्द लक्ष्य भाषा में प्रचलित न हों। यदि मातृभाषा के शब्द लक्ष्य भाषा में भिन्न रूप से प्रचलित हों।

मानक हिन्दी में **पिंड** शब्द का प्रयोग **किसी के मर जाने पर किसी तीर्थ स्थल पर जाकर करना तर्पण** के संदर्भ में होता है। इसी कारण पिंड छुड़ाना मुहावरे का प्रयोग भी प्रचलित है। जबकि पंजाबी में इस शब्द का प्रयोग गांव के संदर्भ में भी किया जाता है। इसी कारण **पिंड दान करना** का प्रयोग पंजाबी भाषी **गांव दान करना** के संदर्भ में भी करता है। इसी प्रकार **बाढ़** शब्द का प्रयोग **जलमग्न स्थिति (पानी की बाढ़ आना)** के संदर्भ में होता है लेकिन पंजाबी में इस शब्द का प्रयोग **खेत के चारों ओर कांटे की या छोटे-छोटे पेड़-पौधों की चहारदीवारी** के संदर्भ में होता है। **बाढ़ (जलमग्न स्थिति)** के लिए पंजाबी में हड़ शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी कारण मानक हिन्दी अधिगम में उक्त प्रचलित अर्थ का प्रयोग व्याघात के कारण करता है।

सहायक पुस्तक सूची :—

1. हिन्दी भाषा शिक्षण—डॉ. भोला नाथ तिवारी। डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया। लिपि प्रकाशन दिल्ली।
2. भाषा शिक्षण—डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव।
3. ए. जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको-एनैलिसिस, 'सिगमंडफ्रायड—गलतियों का मनोविज्ञान शीर्षक पृ. 53-54

[अनूदित संस्करण—1971 राजपाल एंड सन्स, दिल्ली
4. सरल भाषा विज्ञान और पंजाबी बोली—डॉ काला सिंह बेदी। पंजाबी बुक सेंटर—पहाड़गंज नई दिल्ली।

विश्व हिंदी दर्शन

विदेशी पूछते हैं--आपकी राष्ट्रभाषा क्या है ?

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी का कहना है कि उनसे विदेशों में पूछा जाता है कि आपके देश की राष्ट्रभाषा क्या है ? उन्हें इसका दुःख है कि वे इसका उत्तर नहीं दे पाते।

हिन्दी दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसदीय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में कन्नड़ भाषी न्यायमूर्ति शेटी ने हिन्दी में बोलते हुए कहा कि निश्चय ही हिन्दी ही इस क्षेत्र की राष्ट्रभाषा हो सकती है। साथ ही दक्षिण के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भारत को एक राष्ट्रभाषा चाहिए और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और वह भाषा हिन्दी है।

न्यायमूर्ति शेट्टी का कहना था कि विभिन्न प्रदेशों के के बीच हिन्दी ही संपर्क भाषा बन सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय लोग कैसी भी हिन्दी बोले उत्तर भारत के लोग उन्हें आदर तथा प्रेम से देखते हैं।

उनका कहना था कि हिन्दी का उपयोग देश में ही नहीं, विदेशों में भी किया जाना चाहिए। दूसरे देश के लोग भी यहां आकर अपनी भाषा बोलते हैं फिर हम क्यों न बोलें। इस सम्बन्ध ने उन्होंने पोलैण्ड के एक न्यायाधीश का उदारहण दिया, जिन्होंने अंग्रेजी जानते हुए भी उनसे पोलिश में बातचीत की। यही बात उन्हें पेरिस के हवाई अड्डे पर देखने को मिली जहां महिला कर्मचारी ने उनके अंग्रेजी में पूछे गये प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि वह केवल फ्रेंच जानती है।

न्यायमूर्ति शेट्टी ने कहा की भारत की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि सभी नागरिकों को हिन्दी का ज्ञान हो अतः गैर-हिन्दी शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिए।

भूतपूर्व सांसद तथा संसदीय हिन्दी परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी महिषी ने कहा कि हर भारतीय का यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी सीखे। लेकिन उन्होंने कहा कि सारी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार का उचित अवसर मिलने पर ही हिन्दी का विकास भी सम्भव है।

[सौजन्य : केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली।

जापानवासियों का हिंदी प्रेम

टोकियो, 19 अगस्त (प्रेट्र) इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी जापान में सर्वाधिक लोकप्रिय विदेशी भाषा नहीं किन्तु गत शनिवार को यह साबित हो गया कि कुछेक ही सही ने हिन्दी के हरेक अंदाज को अपनाया है।

जापान स्थित भारतीय दूतावास में गत शनिवार को जापान में पहली बार हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने-कोने से आए सात प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति विषय पर सभी प्रतियोगियों ने पांच-पांच मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान उच्चारण, व्याकरण तथा भाषागत अलंकारों के अपने गहरे ज्ञान का परिचय दिया।

प्रतियोगियों ने मुहावरेदार तथा हास्य का पुट लिए भाषा में धाराप्रवाह बोलते हुए न्यायमूर्तियों को प्रभावित करने की कोशिश की। एक प्रत्याशी ने तो बंबईया हिन्दी फिल्मी अदाकारों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा अभिव्यक्ति के लहजे का भी प्रदर्शन किया, जो हिन्दी पर उनकी गहरी पकड़ का ही प्रतीक माना जाएगा।

यूं तो प्रत्याशी पूरे जापान से आए थे, किन्तु उनमें अधिकांश ओसाका, कोबे, क्योटो क्षेत्र से थे। तीन न्यायमूर्तियों प्रो. अकीरा इनाहरा, सुश्री मिवाको कोइजुका तथा सुश्री सरस्वती पढ़ेला की समिति में सुश्री युमी मत्युसामा, तोयू तकओची तथा सुश्री मिकी निशिओका को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेता घोषित किया।

सौजन्य : दैनिक जागरण

पृष्ठ एक का शेषांश

घिसे पिटे 'सरल' मार्ग पर चलने की मानसिकता के कारण हम देखा देखी दैनन्दिन व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं और यह नहीं सोचते कि राष्ट्रीय भावना को हम कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। यह बात कभी समझ नहीं आ सकती कि अपनी भाषा विदेशी भाषा से कठिन हो। यह तो कुछ ऐसा हुआ कि हम मां को गंवार समझ कर उससे दूर रहना चाहते हैं। सब सरकारी उपक्रमों के पत्रक द्विभाषी हैं, नहीं भी हैं तो अलग से हिन्दी में उपलब्ध अवश्य हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं होती।

इस विषय में हमारे व्यापारी वर्ग और उद्योगों का अंग्रेजी-मोह और अधिक दुःखदायी है। मैं पूछता हूं कि आप नामपट्ट और रसीदें किस के लिए बनवाते हैं। स्वाभाविक उत्तर है कि ग्राहकों के लिए। फिर प्रश्न है कि क्या सब ग्राहक अंग्रेजी ही समझते हैं। ऐसा तो एक भी ग्राहक नहीं। फिर झूठी शान का यह निरर्थक प्रपंच किसके लिए ? केवल मानसिकता से हम दास हैं, हमने राष्ट्र-भाषा को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ा ही नहीं। क्या बिक्री-कर कार्यालय या दुकान निरीक्षक उन्हें हिन्दी से अधिकाधिक प्रयोग की प्रेरणा नहीं दे सकते।

हमारी हीन भावना कितनी प्रबल है – यह इस बात से पता चलता है कि हलवाई या मिष्ठान विक्रेता अंग्रेजी में 'स्वीट हाउस' होते जा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के नाम अंग्रेजी में च्यवन-प्राश, लिव 52, गैसेक्स आदि हो गए हैं। दर्जी टेलर अथवा बेसमेकर हो गए हैं और केश-संवारने वाले हेयर ड्रेसर हो गए हैं। एक और बीमारी फैल रही है। सुन्दर हिन्दी शब्द लेकर उन्हें रोमन में लिखने में गर्व अनुभव किया जाता है। उदाहरणार्थ 'जय माता दी', 'परिधान', 'माजा' (मज़ा), 'अल्पाहार', सलवार, कमीज़, साड़ी आदि।

क्या इसका कोई अन्त है ? हम झूठी जगमगाहट वाले सरल और मोहक मार्ग पर उसी प्रकार चल पड़े हैं जैसे स्वत्व-हीन बेचारी भेड़ें। हम भूल गए कि हम सोने की चिड़िया के रक्षक सिंह हैं। हम वन के कठिन मार्गों पर चलना न भूलें। अन्ततोगत्वा वही मार्ग श्रेयस्कर है। अपनी भाषा, अपनी मां को छोड़ने वाले राष्ट्र के रूप में कभी गौरवान्वित नहीं हो सकते। स्वतन्त्र संसार उन्हें उच्छिष्टभोजी ही कहेगा। इस्त्राल, आयरलैंड, इंगलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स आदि देश अपनी भाषा के लिए संघर्षरत रहे और आज वे गौरवान्वित हैं। हिन्दी संविधान में स्वीकृत है, उसके मूल में संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा है। यदि आरम्भ में कुछ कठिनाई हो तो भी हमें संकल्पपूर्वक उसे अपनाना है, स्वतन्त्रता के लिए, लोकतन्त्र के लिए, राष्ट्र-गौरव के लिए, और कुछ नहीं, संकल्प आवश्यक है। □

पृष्ठ 11 का शेषांश

14. अंग्रेजी माध्यम बुरी से बुरी बुराई

सातवीं दलील दी जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक है। ऐसी बात है तो केवल अंग्रेजी पर ही क्यों ज़ोर हो; फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी, जर्मन, चीनी या जापानी ही क्यों छोड़ी जाएं ? सच तो यह है कि आवश्यकतानुसार कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। जिसको जिस भाषा की जब आवश्यकता पड़े, वह साल-छह महीने परिश्रम करके वह भाषा सीख सकता है। किन्तु ऐसी आवश्यकता कितने लोगों को पड़ेगी, या पड़ती है ? इसके लिए सारे राष्ट्र के बच्चों के मूल्यवान आठ-दस-वर्ष अंग्रेजी घोटने में खपा देना कहां की बुद्धिमानी है ? इस प्रकार मानव शक्ति का दुरुपयोग क्यों किया जाए ? बच्चों के कोमल मानस को गुलामी के शिकंजे में क्यों कसा जाए ? उनको हीन-भावना-ग्रस्त करके अनात्म-विश्वासी और अनुत्साही क्यों बनाया जाए ? ज़रा सोचिए कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय प्रतिभा और राष्ट्रीय समय का कितना भारी अपव्यय हो रहा है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने में ! राष्ट्र की इस भीषण हानि से कितने व्यथित हुए होंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब उन्होंने कहा था, "यदि मेरे पास किसी निरंकुश शासक की शक्ति होती तो मैं विदेशी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई आज ही बन्द करा देता, ... और सभी शिक्षकों एवं प्रोफेसरों को बरखास्तगी का भय दिखाकर तत्काल माध्यम---परिवर्तन के लिए कहता। ..... यह एक ऐसी बुराई है जिसका तत्काल उपचार होना ही चाहिए।"

15. संविधान की उपेक्षा राष्ट्रद्रोह मानी जाए

और भी बहुत सी ओछी दलीलें पेश की जाती हैं जो व्यापक राष्ट्र-हित पर कुठाराघात करती हैं और हम सुन-सुनकर अनसुनी करते रहते हैं। किन्तु अब समय आ गया है कि उन पर ध्यान दिया जाए। अब तो सीधा-सादा समाधान यह है कि संविधान की अपेक्षाओं के प्रतिकूल कोई भी आचरण गंभीर राष्ट्र-द्रोह समझा जाए। आजादी मिले तीन पीढ़ियां बीत गई किन्तु उसके लाभों से जन-सामान्य को वंचित किया जाता रहा है। इसलिए अब भी कुछ लोग यदि राष्ट्र-भाषा से अनभिज्ञ बने रहकर देश की मुख्य धारा से कटे ही रहना चाहते हैं, तो देश को तोड़ने की छूट उन्हें न मिलनी चाहिए और यदि अपने राष्ट्र-विरोधी आचरण के कारण उन्हें कुछ हानि होती है तो किसी को उसकी चिन्ता न होनी चाहिए। 'धीमे चलो, धीमे चलो' की नरमी बरतने से देश की बहुत हानि हो चुकी है। यह आत्मघाती नीति राष्ट्र की प्रगति में अब और अधिक बाधा न डाले, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे सख्त कदम उठाए हैं, वैसे ही अन्य राज्यों को भी उठाने चाहिएं। इस दिशा में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि ने भी कुछ किया है। हमें इन सबका पूरा समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना और देश की मनीषा के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय है जब हमें एकजुट होकर धुआंधार प्रचार करते हुए राष्ट्र को सही स्थिति बता देनी चाहिए। इस काम में अब और विलम्ब होगा तो अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा रोपा हुआ यह विष-वृक्ष राष्ट्र की छाती में अपनी जड़ें और पक्की करता जाएगा। □

समिति समाचार

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1 ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 4-4-91 को हुई। श्री आर.के. सिंह, निदेशक (प्रशासन/हिन्दी) ने बैठक का संचालन किया।

(क) बैठक में सूचित किया गया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के दिनांक 11-2-91 को विभाग के सभी संयुक्त सचिवों को एक अ.श. पत्र भेजा था। अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पत्र का हवाला देते हुए सभी अनुभागों से इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी जाये। इसी सन्दर्भ में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि विभाग के डैस्कों में ऐसे आशुलिपिक तैनात किए जाएं, जो दोनों भाषाओं में काम कर सकें। अध्यक्ष ने कहा कि सहायक निदेशक/उपनिदेशक (रा.भा.) प्रत्येक विभाग में जाकर देखें कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) 1-9-90 से 31-12-90 तक भेजे गए तारों की संख्या के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि विभाग द्वारा तिमाही के दौरान सभी 1574 तार अंग्रेजी में भेजे गए। डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि कम से कम 30 प्रतिशत तार हिन्दी में अवश्य जारी किए जाने चाहिए। श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने कहा कि छोटे छोटे तार हिन्दी में भेजे जा सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि फिर भी सभी अनुभागों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके यह देखा जाए कि कितने तारों को हिन्दी में भेजा जा सकता है।

(ग) हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण के लिए नामित व्यक्तियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए उत्साहित किया जाए।

(घ) राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यह व्यवस्था है कि हिन्दी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए। इस तिमाही के दौरान हिन्दी में 1850 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1037 का उत्तर हिन्दी में दिया गया और 815 पत्र ऐसे थे जिन पर कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं था। इस अवधि के दौरान किसी भी हिन्दी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।

(ङ) बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. महेशचन्द्र गुप्त ने सुझाव दिया कि अगली बैठक में वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु हिन्दी में भेजे गए पत्रों का अनुभागवार ब्यौरा रखा जाए।

(च) विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति को उनके दिनांक 26-11-90 के निरीक्षण के दौरान दिये गये आश्वासनों के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) आश्वासन सं. 1 के संबंध में सभी संयुक्त सचिवों को एक अ.शा. पत्र लिखा गया है और सभी संयुक्त सचिव इस संबंध में अपने-अपने प्रभागों में सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं।

(2) आश्वासन सं. 2 के संबंध में सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने बतलाया कि अंग्रेजी के बेकार टाइपराइटरों के की बोर्ड बदलवाने में इतना अधिक खर्च आता है कि उसके स्थान पर नए टाइपटाइरर खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस विभाग में हिन्दी के टाइपराइटर केवल 15 % हैं जबकि यह प्रतिशत 35 होना चाहिए। सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के अनुसार 21 अतिरिक्त टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए। अध्यक्ष ने अवर सचिव (सामान्य) को कहा कि हिन्दी टाइप-राइटरों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए।

(3) आश्वासन सं. 3 के संबंध में सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि वर्तमान 12 कम्प्यूटरों की स्थिति इस प्रकार है :—

इनको द्विभाषिक रूप करने में काफ़ी खर्च आता है। अध्यक्ष ने कहा कि जहां हिन्दी में समुचित कार्य हो रहा है वहां द्विभाषिक कम्प्यूटरों की व्यवस्था के लिए प्रयत्न

पृष्ठ एक का शेषांश

घिसे पिटे 'सरल' मार्ग पर चलने की मानसिकता के कारण हम देखा देखी दैनन्दिन व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं और यह नहीं सोचते कि राष्ट्रीय भावना को हम कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। यह बात कभी समझ नहीं आ सकती कि अपनी भाषा विदेशी भाषा से कठिन हो। यह तो कुछ ऐसा हुआ कि हम मां को गंवार समझ कर उससे दूर रहना चाहते हैं। सब सरकारी उपक्रमों के पत्रक द्विभाषी हैं, नहीं भी हैं तो अलग से हिन्दी में उपलब्ध अवश्य हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं होती।

इस विषय में हमारे व्यापारी वर्ग और उद्योगों का अंग्रेजी-मोह और अधिक दुःखदायी है। मैं पूछता हूं कि आप नामपट्ट और रसीदें किस के लिए बनवाते हैं। स्वाभाविक उत्तर है कि ग्राहकों के लिए। फिर प्रश्न है कि क्या सब ग्राहक अंग्रेजी ही समझते हैं। ऐसा तो एक भी ग्राहक नहीं। फिर झूठी शान का यह निरर्थक प्रपंच किसके लिए ? केवल मानसिकता से हम दास हैं, हमने राष्ट्र-भाषा को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ा ही नहीं। क्या बिक्री-कर कार्यालय या दुकान निरीक्षक उन्हें हिन्दी से अधिकाधिक प्रयोग की प्रेरणा नहीं दे सकते।

हमारी हीन भावना कितनी प्रबल है – यह इस बात से पता चलता है कि हलवाई या मिष्ठान विक्रेता अंग्रेजी में 'स्वीट हाउस' होते जा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के नाम अंग्रेजी में च्यवन-प्राश, लिव 52, गैसेक्स आदि हो गए हैं। दर्जी टेलर अथवा ड्रेसमेकर हो गए हैं और केश-संवारने वाले हेयर ड्रेसर हो गए हैं। एक और बीमारी फैल रही है। सुन्दर हिन्दी शब्द लेकर उन्हें रोमन में लिखने में गर्व अनुभव किया जाता है। उदाहरणार्थ 'जय माता दी', 'परिधान', 'माज़ा' (मज़ा), 'अल्पाहार', सलवार, कमीज़, साड़ी आदि।

क्या इसका कोई अन्त है ? हम झूठी जगमगाहट वाले सरल और मोहक मार्ग पर उसी प्रकार चल पड़े हैं जैसे स्वत्व-हीन बेचारी भेड़ें। हम भूल गए कि हम सोने की चिड़िया के रक्षक सिंह हैं। हम वन के कठिन मार्गों पर चलना न भूलें। अन्ततोगत्वा वही मार्ग श्रेयस्कर है। अपनी भाषा, अपनी मां को छोड़ने वाले राष्ट्र के रूप में कभी गौरवान्वित नहीं हो सकते। स्वतन्त्र संसार उन्हें उच्छिष्टभोजी ही कहेगा। इस्राल, आयरलैंड, इंगलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स आदि देश अपनी भाषा के लिए संघर्षरत रहे और आज वे गौरवान्वित हैं। हिन्दी संविधान में स्वीकृत है, उसके मूल में संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा है। यदि आरम्भ में कुछ कठिनाई हो तो भी हमें संकल्पपूर्वक उसे अपनाना है, स्वतन्त्रता के लिए, लोकतन्त्र के लिए, राष्ट्र-गौरव के लिए, और कुछ नहीं, संकल्प आवश्यक है। □

पृष्ठ 11 का शेषांश

14. अंग्रेजी माध्यम बुरी से बुरी बुराई

सातवीं दलील दी जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंग्रेजी जानना आवश्यक है। ऐसी बात है तो केवल अंग्रेजी पर ही क्यों ज़ोर हो; फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी, जर्मन, चीनी या जापानी ही क्यों छोड़ी जाएं ? सच तो यह है कि आवश्यकतानुसार कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। जिसको जिस भाषा की जब आवश्यकता पड़े, वह साल-छह महीने परिश्रम करके वह भाषा सीख सकता है। किन्तु ऐसी आवश्यकता कितने लोगों को पड़ेगी, या पड़ती है ? इसके लिए सारे राष्ट्र के बच्चों के मूल्यवान आठ-दस-वर्ष अंग्रेजी घोटने में खपा देना कहां की बुद्धिमानी है ? इस प्रकार मानव शक्ति का दुरुपयोग क्यों किया जाए ? बच्चों के कोमल मानस को गुलामी के शिकंजे में क्यों कसा जाए ? उनको हीन-भावना-ग्रस्त करके अनात्म-विश्वासी और अनुत्साही क्यों बनाया जाए ? ज़रा सोचिए कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय प्रतिभा और राष्ट्रीय समय का कितना भारी अपव्यय हो रहा है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने में ! राष्ट्र की इस भीषण हानि से कितने व्यथित हुए होंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब उन्होंने कहा था, "यदि मेरे पास किसी निरंकुश शासक की शक्ति होती तो मैं विदेशी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई आज ही बन्द करा देता, ... और सभी शिक्षकों एवं प्रोफेसरों को बरखास्तगी का भय दिखाकर तत्काल माध्यम—परिवर्तन के लिए कहता। ..... यह एक ऐसी बुराई है जिसका तत्काल उपचार होना ही चाहिए।"

15. संविधान की उपेक्षा राष्ट्रद्रोह मानी जाए

और भी बहुत सी ओछी दलीलें पेश की जाती हैं जो व्यापक राष्ट्र-हित पर कुठाराघात करती हैं और हम सुन-सुनकर अनसुनी करते रहते हैं। किन्तु अब समय आ गया है कि उन पर ध्यान दिया जाए। अब तो सीधा-सादा समाधान यह है कि संविधान की अपेक्षाओं के प्रतिकूल कोई भी आचरण गंभीर राष्ट्र-द्रोह समझा जाए। आजादी मिले तीन पीढ़ियां बीत गई किन्तु उसके लाभों से जन-सामान्य को वंचित किया जाता रहा है। इसलिए अब भी कुछ लोग यदि राष्ट्र-भाषा से अनभिज्ञ बने रहकर देश की मुख्य धारा से कटे ही रहना चाहते हैं तो देश को तोड़ने की छूट उन्हें न मिलनी चाहिए और यदि अपने राष्ट्र-विरोधी आचरण के कारण उन्हें कुछ हानि होती है तो किसी को उसकी चिन्ता न होनी चाहिए। 'धीमे चलो, धीमे चलो' की नरमी बरतने से देश की बहुत हानि हो चुकी है। यह आत्मघाती नीति राष्ट्र की प्रगति में अब और अधिक बाधा न डाले, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे सख्त कदम उठाए हैं, वैसे ही अन्य राज्यों को भी उठाने चाहिएं। इस दिशा में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि ने भी कुछ किया है। हमें इन सबका पूरा समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना और देश की मनीषा के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय है जब हमें एकजुट होकर धुआंधार प्रचार करते हुए राष्ट्र को सही स्थिति बता देनी चाहिए। इस काम में अब और विलम्ब होगा तो अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा रोपा हुआ यह विष-वृक्ष राष्ट्र की छाती में अपनी जड़ें और पक्की करता जाएगा। □

हृदय परिवर्तन : कितना कठिन कितना आसान,

☐ हरिबाबू कंसल*

विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करते समय और हिन्दी सम्बंधी आदेशों के कार्यान्वयन की गति तेज करने के प्रयत्नों के दौरान मेरा ऐसे अनेक अधिकारियों से मिलना होता रहा जो अपने कार्यालय के कर्मचारियों को हिन्दी में काम नहीं करने देते थे। उनके हिन्दी विरोधी रुख की जानकारी अनेक लोगों को रहती थी। किन्तु यह विचारणीय है कि इसके लिए कितना दोष उन जैसे अधिकारियों को दिया जाये और कितना उन "हिन्दी प्रेमियों" को जिन्होंने हिन्दी विरोधी कहे जाने वाले अधिकारियों के हृदयों में झांक कर यह देखने और समझने की कोशिश नहीं की कि उनके "हिन्दी विरोध" का कारण क्या है। "हिन्दी विरोधियों" के मनोभावों को ठीक रूप से समझने और सद्भावपूर्ण रूप में उनकी भ्रांत धारणाओं का निराकरण करने का प्रयत्न नहीं किया गया। जहां इस प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, वहां उसके अच्छे परिणाम हुए हैं तथा हृदय परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप में होता दिखाई पड़ा है।

राजभाषा विभाग के उपसचिव के रूप में इलाहाबाद के दौरे के समय मैंने संगम के समीप किले में स्थित आर्मी बेस वर्कशाप में जाने का निश्चय किया। वहां के कमांडिंग आफिसर से मिलने का समय निश्चित करके मैं जब उनके स्वागत कार्यालय में पहुंचा और वहां अपने आने का उद्देश्य तथा जिस अधिकारी से मिलना था उनका नाम बताया तो स्वागत अधिकारी ने आश्चर्य भरी मुद्रा में पूछा : "आप कमांडिंग आफिसर से मिलना चाहते हैं, और हिन्दी के विषय में, वह तो किसी कर्मचारी को हिन्दी में काम नहीं करने देते"। मैंने इसकी पुष्टि की कि कमांडिंग आफिसर से ही मिलना चाहता हूं। उसने फिर पूछा, "क्या आप उनसे उनके हिन्दी विरोधी रुख के बारे में बात करेंगे।" मैंने कहा "नहीं, लेकिन यह बात मेरे ध्यान में रहेगी, उसकी सीधी चर्चा नहीं करूंगा।" स्वागत अधिकारी समझ नहीं पा रहा था कि फिर मेरा कमांडिंग आफिसर से मिलने का क्या लाभ होगा और क्या मेरा वहां आना अर्थहीन नहीं है। उसका कार्यसमय समाप्त होने वाला था, उसने मुझसे पूछा, "मेरी ड्यूटी आधे घंटे में समाप्त होने वाली है, क्या आपके लौटने तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकता हूं जिससे कि भेंट का परिणाम जान सकूं।" मुझे एक घंटे के भीतर वापस लौटना था, मेरी प्रतीक्षा में वह जब तक स्वागत कार्यालय में बैठा रहा।

कमांडिंग आफिसर के कमरे में पहुंचकर जैसे ही बातचीत आरम्भ हुई, चाय मंगाते ही उस अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए उत्साहित नहीं करता। मैंने उसके कथन पर न कोई नाराजगी प्रकट की और न खिन्नता और न उसके बर्ताव को उत्तरदायित्व की भावना से रहित बताया, मुझे लगा कि वह अधिकारी कितना ईमानदार है जो मुझे मुख से वही बता रहा है जो उसके हृदय में है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। अपनी ओर से मैंने अविलम्ब कहा, "आप ठीक ही करते हैं, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम नहीं करने देता क्योंकि मुझे यह देखना होगा कि हिन्दी के कारण मेरे कार्यालय का काम न रुके"। आगे और कहा "यदि मुझे अपने ऊपर के कार्यालय को रिपोर्ट भेजनी है कि इस महीने कितनी गाड़ियों की रिपेयर हुई, कितनी गाड़ियां ओवरहाल हुईं तथा कितनों पर काम इसलिए नहीं हुआ कि उनके लिए आवश्यक स्पेअर पार्ट्स स्टॉक में नहीं थे, और मैं वह रिपोर्ट इस कारण नहीं भेज सका कि "रिपेयर," "ओवरहाल" तथा "स्पेयर पार्ट", के हिन्दी पर्याय मुझे नहीं आते, तब हिन्दी में पत्राचार करना मेरे लिए सचमुच कठिन होगा। लेकिन सरकार की नीति है कि इन पर्यायों को ढूंढते रहने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रचलित हैं उनका प्रयोग भी हिन्दी पत्राचार में निस्संकोच किया जा सकता है।" मेरे इस कथन पर अधिकारी का रुख बदला लेकिन उन्होंने फिर कहा "यह देखिए हमारी एक गाड़ी का चालान हुआ है बताइए "चालान" को हिन्दी में क्या कहते हैं।" मेरा उत्तर था "पुलिस का सिपाही हो या ड्राइवर सभी तो इसको चालान कहते हैं।" यह शब्द सभी जगह प्रचलित है और भली भांति समझा जाता है। इसलिए इसका पर्याय ढूंढने की क्या आवश्यकता है"। इस पर उस अधिकारी ने कहा, "यदि ऐसी बात है तो मेरा स्टाफ इस बात को क्यों नहीं समझता?" मैंने समझाया, "मैं जो बात कह रहा हूं वह मौखिक रूप से समझाने की ही बात नहीं है, इस आशय के सरकारी आदेश लिखित रूप में हैं, हो सकता है कि उन आदेशों की प्रति

*ई-9/23, वसंत विहार, नई दिल्ली —110057

आपके कार्यालय में न पहुंची हो या कर्मचारियों में परिचालित न हुई हो। यदि आप अपने कार्यालय के उन कर्मचारियों को जो लिखा-पढ़ी का काम करते हैं बुला लें तो कुछ मिनटों में ही यह बात उन्हें ज़बानी समझाई जा सकती हैं"। कमांडिंग आफिसर ने तत्काल कर्मचारियों को अपने कमरे में बुला लिया। उनकी संख्या काफ़ी थी, सबके बैठने के लिए न स्थान था न कुर्सियां। उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। वे सब खड़े रहे, उनके साथ हमने भी खड़े होकर बातचीत की। दो-तीन मिनट में ही उनके समक्ष वह बात रख दी गई जो इससे पूर्व उनके अधिकारी के साथ हुई थी। कमांडिंग आफिसर इससे अत्यन्त प्रभावित हुए और अपने कर्मचारियों से बोले, "आप ऐसी हिन्दी का प्रयोग क्यों नहीं करते और जब सरकार के आदेश हैं कि हिन्दी में काम किया जाये तो क्यों नहीं हिन्दी में काम करते। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि सभी कागजों पर हिन्दी में हस्ताक्षर किया करूंगा।" सभी कर्मचारी आश्चर्यचकित थे कि उनका जो अधिकारी कल तक किसी कर्मचारी को हिन्दी में काम नहीं करने देता था, उसमें इतना भारी परिवर्तन आ गया और वह भी किसी दबाव या भर्त्सना के बिना। अपनी ओर से मैंने कहा, "मेरी ड्यूटी यह अवश्य है कि विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी कराऊं लेकिन किसी अधिकारी से ऐसी शपथ लिवाना उस ड्यूटी में शामिल नहीं है। किन्तु जब गंगा और यमुना के पवित्र संगम के समीप आप इस प्रकार की प्रतिज्ञा स्वप्रेरणा से कर रहे हैं तो यह आप के कर्मचारियों में स्फूर्ति का संचार करेगी और आपके प्रोत्साहन देने से आपके कार्यालय में जो हिन्दी का काम होगा उससे अन्य विभागों के अनेकानेक कार्यालय भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे।"

स्वागत कक्ष में स्वागत अधिकारी मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि "हिन्दी विरोधी" उनका अधिकारी क्या सचमुच इतना बदल गया।

"तार के पते हिंदी में"

गोल मार्केट, नई दिल्ली के समीप एक मित्र के घर शाम को चाय पार्टी थी। कुछ और मित्र भी बैठे थे। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की स्थापना हुए कुछ ही समय बीता था। चाय पीते समय सहसा ध्यान में आया कि सरकारी कार्यालयों के संक्षिप्त तार के पते अंग्रेजी में होते हैं, हिन्दी में नहीं हैं। उन दिनों सरकारी कार्यालयों से पत्र तक भी हिन्दी में नहीं आते थे, तार हिन्दी में जायेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अतः उस समय कार्यालयों के तार के पते हिन्दी में पंजीकृत करने की बात कुछ उपहासास्पद प्रतीत होती थी। अतः जब मैंने इस कल्पना के विषय में अपने श्रद्धेय मित्र श्री देवकीनन्दन गोयल से कहा तो वे मुझे डांट बैठे और कहा कि चाय पार्टी के समय यह तार के पते वाली बात करने में क्या तुक है। मैंने कहा—"क्या करें, यह बात अभी ध्यान में आयी है, सोचा आपसे चर्चा कर लूं, बाद में कहीं भूल ही न जाऊं।"

वह चर्चा मात्र चर्चा ही न रही। परिषद की कार्यसमिति में प्रस्ताव रखा गया कि तार के पते बनाने का कार्य आगे बढ़ाया जाए। उसका उत्तरदायित्व मुझे ही सौंप दिया गया। पहले का कोई साहित्य या पूर्वोदाहरण नहीं था जिससे सहायता ली जा सकती। किसी और से कोई प्रोत्साहन भी न था और न ही यह अभिलाषा कि जो तार के पते हिन्दी में तैयार किए जायेंगे उन्हें कोई मानेगा भी।

विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पूरे नाम क्या हैं और उनके अंग्रेजी में क्या तार के पते हैं, यह भी पता लगाना कठिन था। फिर भी कार्य प्रारम्भ किया गया। विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिखे गए और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने विभिन्न कार्यालयों के अंग्रेजी व हिन्दी नाम तथा उनके अंग्रेजी के तार पते सूचित करदें। कुछ विभागों के उत्तर आये और कुछ के नहीं। इस बीच कई कार्यालयों के अंग्रेजी तार पतों की एक छपी सूची एक जगह से प्राप्त हो गयी। उस समय जो अंग्रेजी तार पते पंजीकृत थे, उनका विश्लेषण किया गया। उससे प्रतीत हुआ कि वे किसी निश्चित आधार पर नहीं बने हैं, समय समय पर जैसे जिसकी सुविधा हुई और जैसे उचित समझा गया उसके अनुसार तार-पते बना लिए गए और उनको पंजीकृत करा लिया गया।

हिन्दी के तार-पते किस प्रकार के हों, यह प्रश्न सन्मुख आया। उसके लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त सोच लिए गए और उनके आधार पर लगभग 1200 कार्यालयों के तार के पते हिन्दी में तैयार कर लिए गए। अब प्रश्न था कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए।

राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रयोग में लाने के संबंध में कोई भी नया पग गृह-मंत्रालय की अनुमति से ही उठाया जा सकता था। अतः अब तक के हुए कार्य की रिपोर्ट तथा सुझाव गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि केन्द्रीय कार्यालयों को अपने तार के पते हिन्दी में पंजीकृत कराने का परामर्श दें। उस समय इन पतों के पंजीकृत कराने की आवश्यकता मनवाना काफी कठिन कार्य था। कुछ समय बाद यह बात सिद्धान्त रूप में मान ली गयी और विभिन्न मंत्रालयों को कहा गया कि वे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से परामर्श करके अपने तार के पते हिन्दी में निर्धारित कर लें तथा उन्हें तार-घरों में पंजीकृत भी करा लें जिससे कि सरकारी कार्यालयों को तार हिन्दी में जाने में कोई असुविधा न हो। इस बीच केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की ओर से तैयार हुए लगभग 1200 तारों के पते सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दिए गए। इस प्रकार सरकारी कार्यालयों में हिन्दी तार पते पंजीकृत कराने की परम्परा का सूत्रपात हुआ। □

समिति समाचार

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1 ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 4-4-91 को हुई। श्री आर.के. सिंह, निदेशक (प्रशासन/हिन्दी) ने बैठक का संचालन किया।

(क) बैठक में सूचित किया गया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के दिनांक 11-2-91 को विभाग के सभी संयुक्त सचिवों को एक अ.श. पत्र भेजा था। अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पत्र का हवाला देते हुए सभी अनुभागों से इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी जाये। इसी सन्दर्भ में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि विभाग के डैस्कों में ऐसे आशुलिपिक तैनात किए जाएं, जो दोनों भाषाओं में काम कर सकें। अध्यक्ष ने कहा कि सहायक निदेशक/उपनिदेशक (रा.भा.) प्रत्येक विभाग में जाकर देखें कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) 1-9-90 से 31-12-90 तक भेजे गए तारों की संख्या के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि विभाग द्वारा तिमाही के दौरान सभी 1574 तार अंग्रेजी में भेजे गए। डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि कम से कम 30 प्रतिशत तार हिन्दी में अवश्य जारी किए जाने चाहिए। श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने कहा कि छोटे छोटे तार हिन्दी में भेजे जा सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि फिर भी सभी अनुभागों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके यह देखा जाए कि कितने तारों को हिन्दी में भेजा जा सकता है।

(ग) हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण के लिए नामित व्यक्तियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए उत्साहित किया जाए।

(घ) राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यह व्यवस्था है कि हिन्दी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए। इस तिमाही के दौरान हिन्दी में 1850 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 1037 का उत्तर हिन्दी में दिया गया और 815 पत्र ऐसे थे जिन पर कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं था। इस अवधि के दौरान किसी भी हिन्दी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।

(ङ) बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. महेशचन्द्र गुप्त ने सुझाव दिया कि अगली बैठक में वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु हिन्दी में भेजे गए पत्रों का अनुभागवार ब्यौरा रखा जाए।

(च) विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति को उनके दिनांक 26-11-90 के निरीक्षण के दौरान दिये गये आश्वासनों के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) आश्वासन सं. 1 के संबंध में सभी संयुक्त सचिवों को एक अ.शा. पत्र लिखा गया है और सभी संयुक्त सचिव इस संबंध में अपने-अपने प्रभागों में सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं।

(2) आश्वासन सं. 2 के संबंध में सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने बतलाया कि अंग्रेजी के बेकार टाइपराइटरों के की बोर्ड बदलवाने में इतना अधिक खर्च आता है कि उसके स्थान पर नए टाइपटाइरर खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस विभाग में हिन्दी के टाइपराइटर केवल 15 % हैं जबकि यह प्रतिशत 35 होना चाहिए। सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के अनुसार 21 अतिरिक्त टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए। अध्यक्ष ने अवर सचिव (सामान्य) को कहा कि हिन्दी टाइप-राइटरों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए।

(3) आश्वासन सं. 3 के संबंध में सामान्य अनुभाग के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि वर्तमान 12 कम्प्यूटरों की स्थिति इस प्रकार है :—

इनको द्विभाषिक रूप करने में काफ़ी खर्च आता है। अध्यक्ष ने कहा कि जहां हिन्दी में समुचित कार्य हो रहा है वहां द्विभाषिक कम्प्यूटरों की व्यवस्था के लिए प्रयत्न

किए जाएं। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में दोबारा समीक्षा करा ली जाए क्योंकि एन.आई.सी. के कम्प्यूटरों में द्विभाषी व्यवस्था निःशुल्क हो जाती है।

(4) आश्वासन सं. 5 के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी पत्राचार में कुछ प्रगति हुई है।

(5) आश्वासन सं. 8 के संबंध में सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के आदेशानुसार पुस्तकों की खरीद कर ली गई है तथा भविष्य में हिन्दी पुस्तकों को खरीदने के लिए एक चयन समिति का भी गठन किया गया है।

(6) आश्वासन स. 9 के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कार्यक्रमों को खर्च में कटौती के कारण स्थगित कर दिया गया है। श्री गुप्त ने कहा कि यह आश्वासन संसदीय समिति को दिया गया है इसलिए इसमें कटौती का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निरीक्षण की व्यवस्था की जांच और फरीदाबाद स्थित कार्यालय का सुविधानुसार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(1) डा. गुप्त ने कहा कि फरीदाबाद स्थित कार्यालय के साथ-2 इन.आई.आर.डी. व कापार्ट से भी हिन्दी की प्रगति के संबंध में सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए और इनके निरीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कापार्ट के प्रतिनिधि ने कापार्ट में हिन्दी की प्रगति के संबंध में बताया। कापार्ट में हिन्दी अधिकारी के पद के सृजन पर विचार किया जा रहा है और हिन्दी अनुवादक के पद को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाने पर पत्राचार चल रहा है।

(2) डी.एम.आई. के प्रतिनिधि ने भी बताया कि हिन्दी में कार्य अब 36 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। हिन्दी टाइपराइटरों का भी इस्तेमाल हो रहा है तथा समय-समय पर कार्यालयों का निरीक्षण भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में 15 मार्च से 18 मार्च तक दिल्ली में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

2. गुणता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31वीं बैठक दिनांक 17 मई, 1991 को ले. जनरल अ.सि. भुल्लर की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि सभी निदेशालयों के सहयोग से दिनांक 10 से 14 मार्च, 1991 तक कम वित्तीय अनुदान के बावजूद, अत्यन्त भव्य तरीके से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। उन्होंने दिनांक 4 फरवरी, 1991 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक तथा तदनुसार रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के सचिव श्री एन रघुनाथन् की दिनांक 9 अप्रैल, 1991 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने पर बल दिया।

सदस्य सचिव श्री प्रेमचन्द धस्माना ने सूचित किया कि चालू सत्र (जनवरी-फरवरी, 1991) में हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलने वाली कक्षाओं में नियमति रूप से प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या बहुत कम है। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अगले सत्र में केवल उन्हीं कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए जिन्हें निदेशालय सुगमता से छोड़ सके और नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले सकें।

एक बार कार्मिक को नामित करने के बाद यदि वे प्रवेश नहीं लेते हैं वह प्रवेश लेने के बाद नियमति रूप से प्रशिक्षण में भी नहीं जाते अथवा अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशक को दी जाएगी और नाम वापस लेने की अनुमति भी महानिदेशक से प्राप्त करनी होगी।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 15 विषयों में कामकाज हिन्दी में करना

सदस्य सचिव ने बताया कि 15 विषयों पर प्रगति संतोषजनक नहीं है। निदेशक (प्रशासन) का सुझाव था कि अनुवाद अधिकारी 15 विषयों के सामान्य नमूने तैयार कर अनुभागों में वितरित कर दें।

वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना

अनुवाद अधिकारी श्री धस्माना ने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति का मूल्यांकन तथा उनकी कठिनाइयों के समाधान हेतु महानिदेशालय के अनुवाद अधिकारी तथा रक्षा मंत्रालय व राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कलकत्ता व इसापुर स्थित स्थापनाओं का निरीक्षण दौरा किया। महानिदेशालय के उप-निदेशक (प्रगसन) श्री तुषार कान्ति डे तथा अनुवाद अधिकारी ने मुख्यालय की ओर से बनाये गये निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मद्रास, सिकन्दराबाद, मेडक स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन की स्थापनाओं का निरीक्षण दौरा किया। मद्रास में हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र दूर होने के कारण यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बंगलूर स्थित क्षेत्रीय उप-निदेशक (राजभाषा) को पत्र लिखा जाये जिसमें कि डी. जी. क्यू. ए. काम्प्लेक्स, मीनाबकम, मद्रास में ही केन्द्र खोलने का अनुरोध किया जाये।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्य योजना

श्री धस्माना ने बताया कि दिनांक 09 अप्रैल, 91 को रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति सचिव श्री एन. रघुनाथन् की

अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी कार्यालय एक कार्य योजना तैयार करें जिसके अन्तर्गत "क" व "ख" क्षेत्रों के साथ हिन्दी में किये जाने वाले पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों का चयन किया जाये जो अधिकांश कार्य हिन्दी में करते हों और सप्ताह के अन्त में यह देखा जाये कि वस्तुतः हिन्दी में किस हद तक प्रगति हो रही है अथवा क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि सप्ताह के प्रत्येक वीरवार को अनुवाद अधिकारी श्री धस्माना प्रत्येक निदेशालय में जाकर हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे व उनकी कठिनाइयों का समाधान वहीं करेंगे तथा कमियों से उनके निदेशक को अवगत करायेंगे और उसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

ब्रिगे. राकेश झा, निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्धारित 8 तकनीकी विषयों पर पुर्नविचार करने के लिये अध्यक्ष ने निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस बैठक में कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी भाग लेंगे तथा विषयों का चयन करेंगे।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि गु.आ.म.नि. से संबंधित तकनीकी शब्दों की शब्दावली तैयार की जा रही है और शीघ्र ही सभी निदेशालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

अध्यक्ष ने अपने पर्सनल कम्प्यूटर के विषय में जो कि द्विभाषी है, का हिन्दी में 24-5-91 को उनके कक्ष में "प्रदर्शन" की व्यवस्था करने के लिये सदस्य सचिव को कहा। उन्होंने अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष को यह भी जानकारी दी कि गुणता आश्वासन महानिदेशालय में मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों को द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इस संबंध में मु.प्र. अधिकारी के कार्यालय को लिखा गया है।

3. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग

विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 21-2-91 को कोयला विभाग के सम्मेलन कक्ष में बैठक हुई।

माननीय ऊर्जा मंत्री ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस विभाग द्वारा अपने ही कार्यालय में राजभाषा विभाग की सहायता से हिंदी टाइप एवं आशुलिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिंदी में आशुलिपि तथा टाइप का प्रशिक्षण दिया गया। विभाग में प्रायः सभी कर्मचारियों को अब हिंदी का ज्ञान है। विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये हिंदी में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग और हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिये निर्धारित नगद पुरस्कार योजना चल रही है।

विभाग के दो कम्प्यूटरों में हिंदी में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास किया गया है। कम्प्यूटर का एक टर्मिनल हिंदी अनुभाग में भी देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हिंदी के क्षेत्र में कम्प्यूटर अधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय हो सकें।

श्री शिवाजी राव आयदे ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही हिंदी में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में ही होती है किन्तु अन्य श्रेणी के विशेषतः तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में भी यह कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये। सचिव महोदय ने कहा कि यथासम्भव यह प्रयास किया जायेगा कि यह कार्य भी हिंदी में हो।

प्रो. प्रताप त्रिवेदी ने कहा कि राजकाज में हिंदी के प्रयोग को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यान्वयन के लिये एक उप-समिति बनाई जाये। यह समिति हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे। सचिव महोदय ने बताया कि विभाग में हिंदी का काम पूरे उत्साह से हो रहा है तथा जब से माननीय ऊर्जा मंत्री व राज्यमंत्री आये हैं इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि विभाग की नोटिंग हिंदी में हो। विभाग में हिन्दी में कामकाज को यथासंभव बढ़ावा दिया जा रहा है। एक विभागीय कार्यान्वयन समिति भी बनी हुई है।

श्री आयदे ने यह सुझाव दिया कि विभाग में उप-निदेशक का पद सृजित किया जाये। इस पर संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि सचिव स्तर के विभागों में उप-निदेशक का पद होना अनिवार्य है। सहायक निदेशक के पद का उन्नयन करने के लिये विभाग में कार्यवाही चल रही है। सलाहकार समिति के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सचिव महोदय ने कहा कि इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। □

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में हिंदी माध्यम में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में श्री शैलेश कुमार लाल, सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 26-4-91 को बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव (राजभाषा) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

2. श्री बी. एस. बासवान, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

3. श्री आर.एस.डी. सुब्रह्मण्यम, निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान

4. श्री महेश चन्द्र दुबे, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग

5. श्री गिरीश चन्द्र सक्सैना, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

6. डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय

7. श्री नेत्र सिंह रावत, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय

निदेशक (अनुसंधान) ने राजभाषा विभाग के दिनांक 11-11-87 के का.ज्ञा. के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी दिया जाना आवश्यक बताया और इस बारे में नवीनतम जानकारी न होने की बात कही। संस्थान के निदेशक श्री सुब्रह्मण्यम ने बताया कि प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद दिसम्बर 1990 तक पूरा कर दिया गया है किन्तु लैक्चर नोट्स तो निरन्तर बदलते रहते हैं, अतः अनुवाद का कार्य तो सतत होता ही रहेगा।

निर्णय हुआ कि अनुवाद कार्य और उसका पुनरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा कराया जाये और आवश्यकता पड़ने पर राजभाषा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुवाद ब्यरो की सेवायें भी इस कार्य के लिये ली जाएं।

संस्थान के निदेशक ने पाठ्यक्रमों की सामग्री का अनुवाद करवाने के सम्बन्ध में कठिनाई बताई कि संस्थान में कनिष्ठ (जूनियर) अनुवादक का पद रिक्त है। संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति भेज दिए जाने की सूचना दी और कहा कि कर्मचारी चयन आयोग से उम्मीदवार मिलने तक संस्थान 6 मास तक की अवधि के लिए पदर्थ व्यवस्था कर सकता है।

संस्थान में प्रशिक्षण के बाद की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को हिंदी में भी दिए जाने और हिन्दी में परीक्षा की छूट के बारे में निदेशक (स.प्र.प्र.सं.) ने बताया कि सभी परीक्षाओं के सभी प्रश्नपत्र अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं और अब 3 प्रतिशत प्रशिक्षु हिन्दी में उत्तर लिखने लगे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या संस्थान कक्षा में सारी अध्यापन सामग्री हिन्दी में दे सकता है संस्थान के निदेशक ने बताया कि 96 प्रतिशत सामग्री हिन्दी में दी जा सकती है।

संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के बारे में निदेशक ने बताया कि बैठकें होती हैं। सचिव महोदय ने निदेशक (अनुसंधान) को संस्थान की बैठकों में जाते रहने और संकाय सदस्यों/अधिकारियों से हिन्दी माध्यम में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा करते रहने का निदेश दिया।

निदेशक (स.प्र.प्र.सं.) कैश एंड एकाउन्टस के फाउन्डेशन कोर्स राज्य सरकारों के लिए होने की जानकारी दी और कहा कि कुछ कोर्स हिन्दी में करने के लिए पहले से ही नोटिफाई कर दिए जायेंगे। अलग से हिन्दी माध्यम में कक्षाएं चलाई जा सकने के बारे में पूछे जाने पर संस्थान के निदेशक ने कोशिश करने के लिए आश्वासन दिया।

हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद की स्थिति की चर्चा में संस्थान के निदेशक ने कहा कि विभिन्न विषयों पर हिन्दी में मानक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इस पर संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने बताया कि कुछ मंत्रालय/विभाग जैसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार देते हैं, वैसी ही योजना शुरू की जा सकती है। इसके अलावा संस्थान में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के विश्व विद्यालयों से भी पुस्तकों की जानकारी मंगाकर हिन्दी में प्रकाशित प्रबन्धन आदि की पुस्तकें खरीदी जानी चाहिएं और यह कार्य योजनाबद्ध होना चाहिए। तदनुसार निर्णय हुआ कि संस्थान में हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद की विस्तृत रूप रेखा बना ली जाएगी और अगले कुछ महीनों में कार्रवाई पूरी करा दी जाएगी।

संस्थान में 33 संकाय सदस्यों से भिन्न ऐसे अतिथि संकाय सदस्यों की एक सूची पहले उपलब्ध कराई गई थी, जो हिन्दी में व्याख्यान दे सकते हैं। निर्णय हुआ कि कम से कम एक दर्जन ऐसे अतिथि संकाय सदस्यों की नामिका रखेंगे जो हिन्दी में व्याख्यान दे सकें और राजभाषा विभाग द्वारा भी नाम बताए जायेंगे।

प्रशिक्षण सम्बधी फिल्मों में से मात्र 3 हिन्दी में हैं और शेष 72 अंग्रेजी में हैं। चयनित फिल्मों की हिन्दी में डबिंग करने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) श्री बासवान ने आश्वासन दिया कि समयबद्ध रूप में यह कार्य एन.सी.ई.आर.टी. या जामिया मिलिया द्वारा कराया जाएगा।

बताया गया कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में आई.एस.टी.एम. के संकाय सदस्यों के लिए कार्यशाला की गई थी जिसमें संस्थान से केवल एक ही सदस्य ने भाग लिया था। यह निर्णय हुआ कि संकाय सदस्यों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण सस्थान में प्रशिक्षण के लिए तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों को आई.एस.टी.एम. में भेजा जाए। यह भी निर्णय हुआ कि वर्ष 1991-92 में दो कोर्स संकाय सदस्यों के लिए चलाए जाएं। निर्णय हुआ कि संस्थान द्वारा हिन्दी माध्यम में कोर्स चलाए जाएं और हिन्दी माध्यम के कोर्सों का प्रचार राजभाषा विभाग द्वारा किया जाए।

संस्थान में कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण हिन्दी में भी देने के बारे में संस्थान के निदेशक ने कुछ कठिनाई बताई। संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने कहा कि जिस्ट कार्ड/टर्मिनल का उपयोग किया जाए और इससे दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तय किया गया कि निदेशक (तकनीकी) संस्थान में जाकर हिन्दी में कम्प्यूटर पर कार्य के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हार्डवेयर/साफ्टवेयर आदि खरीदने के बारे में सुझाव देंगे?

संस्थान द्वारा दिनांक 25-3-91 को केवल अंग्रेजी में जारी हुए परिपत्र को संस्थान के निदेशक को दिखाया गया जिस पर संस्थान के निदेशक ने खेद प्रकट किया और अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी होने पर ही जारी करने का इरादा बताया। "Hindi version will Follow" की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1: मद्रास

मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छत्तीसवीं बैठक 14-05-1991 को समिति के अध्यक्ष श्री के. बाला-सुब्रमणियम, महा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक की अध्यक्षता में संम्पन्न हुई।

संयोजक बैंक ने पिछली छमाही के दौरान समिति के कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हर वर्ष की तरह संयोजक बैंक ने वर्ष 1990-91 के लिए मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन शील्ड योजना प्रतियोगिता चलाई। सभी सदस्य बैंकों से वर्ष 1990-91 के दौरान हिन्दी के प्रयोग संबंधी कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट मंगवाई गई। कुल 18 बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हुई। बैठक के पूर्व श्री ओ.आर.के. मूर्ति, सहायक निदेशक (का) राजभाषा विभाग के समक्ष प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई और प्रतियोगिता के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों के लिए बैंकों का चयन किया गया।

बैठक के दौरान विजेता बैंकों को अध्यक्ष ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये। विजेता बैंक इस प्रकार हैं :—

बैंक ऑफ इंडिया	प्रथम
नाबार्ड	द्वितीय
आई डी बी आई	तृतीय
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	प्रशस्ति पत्र

श्री ओ. आर. कृष्णमूर्ति, सहायक निदेशक ने कहा कि रिपोर्टें समय पर संयोजक बैंक को भेजना बहुत जरूरी है और उन्होंने सभी बैंकों से धारा 3(3) का पालन करने पर जोर दिया और प्रशिक्षण में गति लाने के लिए कहा। आगामी हिन्दी दिवस के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श के बाद हिन्दी दिवस के लिए निम्न प्रकार से प्रतियोगिताएं चलाने का निर्णय किया गया :—

1. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
2. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता
3. बैंकिंग प्रश्न मंच
4. वाद विवाद प्रतियोगिता

टंकण और आशुलिपि प्रतियोगिता के लिए सभी सदस्य बैंक 1–1 सदस्य भेजेंगे। बैंकिंग प्रश्न मंच और वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए सभी बैंक 2 सदस्यों वाला 1–1 दल भेजेंगे। उक्त प्रतियोगिताओं के लिए राजभाषा कक्ष में कार्यरत स्टाफ पात्र न होंगे।

बैंक ऑफ इंडिया के श्री कु.कु. भारद्वाज ने कहा कि सदस्य बैंकों की अपनी रिपोर्टें संयोजक बैंक को भेजने के पश्चात फोन के जरिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिपोर्ट पहुंची है या नहीं ताकि रिपोर्टों की समीक्षा में सभी बैंकों की रिपोर्टें शामिल की जा सकें।

2: कानपुर (बैंक)

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक 14 मई, 1991 को भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय कानपुर के सभा कक्ष में उप-महाप्रबन्धक श्री सबीह अहमद फारूकी की अध्यक्षता में हुई।

निम्नलिखित सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया गया था एवं पर्याप्त समय पूर्व सूचना भेज दी गई थी। टेलीफोन द्वारा भी सम्पर्क किया गया था परन्तु न तो वे स्वयं उपस्थित हुए न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

1.	सिन्डीकेट बैंक	बी-1, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
2.	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	गुमटी नं. 5, कानपुर
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक	17/9 माल रोड, कानपुर
4.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	लाटूस रोड, कानपुर
5.	केनारा बैंक	माल रोड, कानपुर
6.	यूनियन कमर्शियल बैंक	हाल्सी रोड, कानपुर
7.	देना बैंक	बिरहाना रोड, कानपुर

8. भारतीय स्टेट बैंक, माल रोड, कानपुर
मुख्य शाखा ।

बैंक ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि श्री पाण्डेय ने सुझाव दिया कि प्राय: सभी बैंकों द्वारा हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं इसलिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में हैण्ड आउट्स उपलब्ध होंगे, यदि इन सभी को संकलित करके प्रकाशित किया जाए तो इस समिति के लिए सम्मान की बात होगी और इसका उपयोग प्रशिक्षण कार्यशाला आदि में किया जा सकता है। उनके इस रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव को अध्यक्ष ने अनुमोदित करते हुए कहा कि एक उप समिति श्री उदयशंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में बना दी जाये जो अन्य बैंकों से सामग्री एकत्र कर उसे पुस्तक का आकार देगी उसके उपरान्त स्टेट बैंक उसके प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।

प्रबन्धक (राजभाषा) श्री सक्सेना ने इस प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कहा कि कुछ बैंकों में अभी भी धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है. यह आपत्तिजनक है। कई बैंकों में अभी भी हिन्दी के टंकण-यंत्र नहीं हैं। इलाहाबाद बैंक के श्री पाल ने कहा कि प्राय: सभी टंकण कम्पनियां अंग्रेजी के यन्त्र के बदले हिन्दी के यन्त्र उपलब्ध कराती हैं। बैंक अपनी सुविधानुसार उनको बदल सकते हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व कम से कम 40 प्रतिशत हिन्दी टंकण यन्त्र हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े तथ्यपरक एवं सही होने चाहिएं।

अध्यक्ष ने बताया कि पिछली बैठक में गठित की गई राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता उपसमिति ने प्रतिस्पर्धी बैंकों के विजेताओं की सूची प्रस्तुत कर दी है।

अध्यक्ष श्री सबीह अहमद फारूकी ने वर्ष 1990 के लिए आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में बैंक ऑफ इण्डिया को प्रथम, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को द्वितीय और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष के आग्रह पर पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री केसरीमल जैन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री आर.जे. बेडेकर एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री वेद प्रकाश भुगई ने विजेताओं को राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र वितरित किए।

3. अहमदाबाद (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद की दिनांक 15 मई, 1991 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता देना बक के उप महाप्रबन्धक श्री मधुकर उमर्जी ने की।

समिति के तत्वावधान में सदस्य बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतियोगियों को बैठक में पुरस्कृत किया गया।

विभिन्न बैंकों द्वारा भेजे गए आंकड़ों पर तुलनात्मक समीक्षा

सदस्य सचिव द्वारा यह समीक्षा प्रस्तुत की गई। समीक्षा के मध्य में श्री कृष्ण नारायण मेहता, उपनिदेशक (का) द्वारा विभिन्न विषयों में चूककर्ता बैंकों से पूछताछ भी की गई। जिनमें निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय रहीं।

यूको बैंक

राजभाषा कार्यान्वयन की गति काफी धीमी है। इसमें सुधार का आश्वासन बैंक के प्रतिनिधि द्वारा किया गया।

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

कार्यालय प्रमुख बैठक में नहीं आए। प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख का ध्यान आकृष्ट करने का वायदा किया।

न्यू बैंक आफ इंडिया

कुछ हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए। प्रतिनिधि ने इसके सुधार का आश्वासन दिया।

इंडियन बैंक

कार्यालय प्रमुख बैठक में नहीं आए प्रतिनिधि को इस सम्बन्ध में नोट कार्यालय प्रमुख के सामने रखने का निर्देश दिया गया।

श्री मेहता ने अध्यक्ष श्री उमर्जी से अनुरोध किया कि वे शीघ्र उन कार्यालयों का नाम उन्हें भिजवा दें जिनके कार्यालय प्रमुख बैठक में नहीं आए हैं ताकि वे उन्हें पत्र लिख सकें।

4. जोधपुर

दिनांक 30-5-91 को मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय उत्तर रेलवे, जोधपुर के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई।

अध्यक्ष, मण्डल रेल प्रबन्धक श्री ए एस पी सिन्हा ने कहा कि उन्होंने देखा है कि इस रेल मण्डल पर हिन्दी में काफी काम हो रहा है। यहां से मूल पत्र भी हिन्दी में जाते हैं तथा नोटिंग आदि में भी हिन्दी का अच्छा प्रयोग हो रहा है।

आकाशवाणी के सहायक निदेशक ने कहा कि भर्ती बोर्ड से उन्हें अंग्रेजी के टाइपिस्ट उपलब्ध हुए हैं। उन्हें सेवा में आने के पूर्व हिन्दी टाइप सीखने हेतु लिखे जाने का भी प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि वे नौकरी में आने के बाद हिन्दी परीक्षा पास कर लें और मिलने वाले प्रोत्साहन व नकद पुरस्कार प्राप्त करें। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हिन्दी में हाथ से लिखकर उसका जीरोक्स निकाल लिया जाए, इससे टाइप का काम भी बचाया जा सकता है।

विभागीय पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में चर्चा चलने पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि कोई लेख या हिन्दी के सम्बन्ध में जानकारियां छपवाना चाहें तो वह उन्हें भेज दें और वे उसे प्रकाशित करवा देंगे। गीत व नाटक प्रभाग के अधिकारी ने कहा कि यदि कोई हिन्दी प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रम, नाटक, कविता, गीत के रूप में प्रचारित करना हो, तो वे इसमें सहयोग दे सकते हैं। उनके द्वारा ऐसे दो-तीन गीत भी बनाए गए हैं।

सूचना प्रसारण कार्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि यदि कोई काव्य गोष्ठी आदि करना हो तो उसका मानदेय देने हेतु उनके पास फण्ड है, जिससे वे भुगतान भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि आगामी हिन्दी दिवस, जो 14 सितम्बर को है, के अवसर पर सब मिलकर तय करके एक सामूहिक प्रोग्राम करें।

क. सं. कार्यालय क व 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों में गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र।

		तिमाही 31-12-90 तक				तिमाही 31-4-91 तक			
		कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी प्रतिशत	कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1.	गीत एवं नाटक प्रभाग	1926	192	—	100	165	165	—	100
2.	क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय	266	266	—	100	325	325	—	100
3.	उप मुख्य यांत्रिक इंजी./ कारखाना/ उ.रे.	7139	7045	94	99	4235	4208	27	99.4
4.	प्रवर अधीक्षक डाकघर	16000	15450	550	96.5	14500	13800	650	95.1
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1232	1212	20	98.3	1014	1000	14	98.6
6.	लघु उद्योग विस्तार केंद्र	206	192	14	93.2	254	214	40	84.2
7.	पत्र सूचना कार्यालय	183	183	—	100	189	189	—	10.0
8.	विजया बैंक	767	400	367	52.8	968	525	443	54.2
9.	पंजाब नेशनल बैंक	29273	29021	252	99.1	33890	33597	293	99.1
10.	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	3043	1758	1285	57.7	3384	1896	149	86
11.	मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय उत्तर रेलवे-जोधपुर	11479	11459	20	99.8	99147	9932	15	99.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ग्रायल इंडिया लिमिटेड	850	68	782	8.0	9934	416	577	41.8
13.	स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एंड जयपुर।	158363	145239	13124	91.7	248226	227106	21120	93.5
14.	रक्षा प्रयोग-शाला	1950	370	1580	18.9	1825	410	1415	22.4
15.	दूर संचार जिला	15870	10940	4930	68.9	16890	11880	4260	70.2
16.	निदेशक दूर संचार/पश्चिम	2552	534	2013	20.9	3930	923	3007	23.7
17.	भारतीय प्राणी सर्वे विभाग	139	64	75	46	303	287	16	94.7
18.	केन्द्रीय तारघर	870	236	634	27.1	1166	325	841	27.8
19.	विमान क्षेत्र अधिकारी	471	101	370	21.4	379	84	295	22.1
20.	वैमानिक संचार केन्द्र	214	99	115	46.2	209	93	16	32.2
21.	परियोजना मूल्यांकन अधिकारी	83	17	66	20.5	59	8	51	13.5
22.	हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र	168	145	23	83.4	323	289	34	89.4
23.	राष्ट्रीय बचत कार्यालय	326	161	165	50.6	369	173	196	46.9
24.	ओरियंटल इंश्योरेंस कामर्स	210	100	20	90.5	290	265	25	91.3
25.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1154	1072	82	92.9	450	427	23	94.8
26.	ओरियंटल बैंक ग्राफ कामर्स	326	253	73	77.6	265	201	64	75.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	तेल व प्राकृतिक गैस आयोग	2689	649	2040	24.1	2932	950	1982	32.4
28.	शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान	2353	1182	871	57.5	2215	1664	551	70.1

5. झांसी

दिनांक 22-4-1991 को श्री चमन लाल काव मण्डल रेल प्रबंधक के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई ।

अध्यक्ष श्री काव ने छोटे-छोटे कार्यालयों के सदस्यों/प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनके कार्यालय में 20 से 30% तक हिन्दी में कार्य हो रहा है इसे बढ़ाने का प्रयास करें । यह आवश्यक नहीं कि आप तेजी के साथ हिंदी प्रगति बढ़ायें, धीमी गति से हिन्दी में कार्य करें आप स्वयं देखेंगे कि 8-10 साल में इसकी स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी।

मध्य रेल, झांसी मण्डल में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि की विभागीय कक्षाएं चलाई गई थी तथा हिन्दी टंकण की जनवरी, 91 में परीक्षा आयोजित की गयी थी जिसमें मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी के 6 तथा अन्य केन्द्रीय कार्यालयों उपक्रमों तथा बैंकों के 7 टंककों को हिन्दी टंकण परीक्षा में बैठाया गया था जो सभी उत्तीर्ण हो गए हैं । हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षा में केवल मण्डल रेल प्रबंधक, कार्यालय, झांसी के 6 आशुलिपि प्रशिक्षण ले रहे हैं जिनकी परीक्षा जुलाई, 91 में आयोजित होगी ।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री लखनलाल दुबे ने सुझाव दिया था भारत सरकार द्वारा हिन्दी पर वीडियो फिल्में/कैसेट तैयार किए गए हैं यदि समिति द्वारा उनका क्रय कर लिया जाय और प्रदर्शन के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया जाय तो मैं समझता हूं कि हिन्दी की अच्छी प्रगति हो सकती है ।

उप निदेशक श्री वर्मा ने कहा कि यह वीडियो/कैसेट/फिल्में बैंकों के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रत्येक छमाही में हिन्दी में प्रगति करने के फलस्वरूप जो राजभाषा शील्ड दी जाती है उनके साथ साथ कम से कम प्रशस्ति-पत्र उन कार्यालयों को भी अवश्य दिया जाय जिसने पिछली छमाहियों की अपेक्षा पहले से कहीं अधिक और अन्य कार्यालयों से भी अधिक हिन्दी की प्रगति की हो इससे वह कार्यालय हिन्दी में कार्य करने के प्रति और भी प्रोत्साहित होगा ।

मुख्य अतिथि श्री नाहर सिंह वर्मा, उप निदेशक (का.), (गृह मंत्रालय) ने कहा कि हिंदी की प्रगति में रेलों का योगदान सराहनीय है । वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी के पदों के सृजन के बारे में मानदण्ड दिए गए हैं । इन पदों के सृजन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उनके कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर प्रतिशत के हिसाब से न हों तो वे पुराने अंग्रेजी के टाइपराइटरों को कण्डम कराकर उनके स्थान पर नए हिन्दी टाइपराइटर खरीद सकते हैं ।

अन्त में श्री रा.च. धमानियां, सचिव, नगर राजभाषा राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी ने उपस्थित सभी सदस्यों का आभार-व्यक्त किया ।

6. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)

दिनांक 29-4-91 निर्वाचन भवन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर की वर्ष 1991 की प्रथम बैठक हुई ।

चर्चा के दौरान विशेष सेवा ब्यूरो के श्री एम.एल. चौधरी ने सुझाव दिया कि जिन कार्यालयों में 25 या उससे अधिक प्रशिक्षणार्थी हो ऐसे कार्यालयों में हिन्दी शिक्षक भेजने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष ने सुझाव का स्वागत करते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में हिन्दी शिक्षण योजना के उपनिदेशक को पत्र लिखिकर अनुरोध किया जायेगा । विस्तृत विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगामी जुलाई सत्र की कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ की जाएगी ।

हिन्दी टाईप लेखन प्रशिक्षण :– सदस्यों ने जानना चाहा कि इस नगर में हिन्दी टाइप लेखन प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, सदस्य सचिव ने सूचित किया इस नगर में सम्प्रति हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है किन्तु राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टाइप लेखन पत्राचार पाठ्यक्रम के तहत अनेक प्रशिक्षणार्थी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । केन्द्रीय पुलिस बल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके

कार्यालय में 7 देवनागरी टाइप राइटर आ रहे हैं किन्तु उनके संचालन हेतु पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं अतः अंग्रेजी टाइप जानने वालों को हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण देना है यदि सम्भव हो तो उनके परिसर में हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाय। अध्यक्ष ने बताया कि यदि प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया तो उसमें अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी तथा एक बैच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिक से अधिक 3 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना सम्भव होगा। अध्यक्ष ने यह भी अनुरोध किया कि कार्यालय अध्यक्ष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कृपया उक्त आशय का एक पत्र अध्यक्ष सर्वकार्यभारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना ईटानगर को लिखें ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही की जा सके ।

राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं की सुचारू संचालन एवं कर्तव्य निष्ठा से शिक्षण हेतु अध्यक्ष ने सर्व श्री रामेश्वर प्रसाद, केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2, श्री राकेश कुमार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ईटानगर एवं पुंचम राम, केन्द्रीय विद्यालय संख्या को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर की तरफ से प्रमाण पत्र प्रदान किया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर की निरीक्षण उप समिति के संयोजक की सिफारिशों के अनुरूप नगर के निम्नलिखित विभागों को राजभाषा हिंदी प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में लक्ष्यों के अनुसार सराहनीय कार्य करने हेतु नराकास अध्यक्ष ने प्रमाण-पत्र प्रदान किएं ।

(क) 49 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ईटानगर।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण परिचालन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर ।

(ग) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र, ईटानगर ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर के दैनिक कार्यों के सुचारू निष्पादन में परामर्श समिति एवं निरीक्षण उप समिति के सदस्यों के सराहनीय कार्य एवं सहयोग हेतु अध्यक्ष ने डॉ. वी.के.सिंह प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र ईटानगर, डा. एस.डी.पाठक, होमियोपैथिक अनुसंधान केन्द्र सर्वश्री महेन्द्र कुमार, अन्तर्राज्य पुलिस बेतार, श्री पी० टी० भुटिया, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण कमान्डेट 49 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ईटानगर, श्री अनिल नि. देशाई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ईटानगर, श्री एस०के० शर्मा, दूरदर्शन केन्द्र ईटानगर, श्री यशपाल सिंह मोहन, डाक सेवा ईटानगर श्री सत्यनारायण प्रसाद, केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2 ईटानगर एवं श्री नरेन्द्र सिंह राणा, केन्द्रीय विद्यालय सं. 1 नाहरलागुन को इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए ।

डा. धर्म राज सिंह, प्रवक्ता (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय ईटानगर ने हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष कर अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय भाषाओं हेतु देवनागरी लिपि सबसे सुगम एवं व्यवहारिक होगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में एन.सी.टी. आर. के सौजन्य से प्रकाशित अरुण भारती शृंखला का जिक्र किया तथा इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया । श्री सिंह ने समिति के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने में स्वेच्छा से अपना सहयोग दें तथा इसे कार्यालयी कार्यों में अपनायें ।

श्री विष्णु दत्त ममगांई, निदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अध्यक्ष नराकास ने राजभाषा विभाग के वर्ष 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की ।

उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन को प्रत्येक विभागाध्यक्ष की संवैधानिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से अनुरोध किया कि वे अपने अपने कार्यालय में राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के समुचित अनुपालन की व्यवस्था करें ।

7. चण्डीगढ़ (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़ की 8वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 1991 को पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, चढ़ीगढ़ के उप-महाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री आर.वी.शास्त्री की अध्यक्षकता में हुई। बैंकिंग प्रभाग में उपनिदेशक श्री दर्शन सिंह जग्गी ने सदस्यों को अवगत कराया कि भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का भी महत्त्व है तथा आज देश में अपना झण्डा और संविधान तो है परन्तु अपनी भाषा का न होना दुखदायी है । अतः सभी सदस्य इस दिशा में अपना सक्रिय योगदान दें।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि उप निदेशक (का.) श्री नाहर सिंह वर्मा ने कहा कि वे इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हैं कि बैठक की कार्यवाही सम्पूर्ण निष्ठा के साथ की जाती है तथा श्री शास्त्री जी के नेतृत्व में पंजाब नैशनल बैंक ने जिस प्रकार से राजभाषा के प्रयोग के कीर्तिमान स्थापित किए हैं एवं जिस ढंग से इस दिशा में कार्य किया है उनके इस गुण को हम सबको सीखना चाहिए । समिति को "सर्वोत्कृष्ट" श्रेणी में रखा जा सकता है ।

1. कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण :– प्रस्तुत सूचना में पाया गया कि पंजाब एवं सिन्ध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई., इण्डियन बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक

यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया तथा सिडबी द्वारा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलवाया जाना अपेक्षित है। यह अपेक्षा की गई कि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा विवरण पुनः प्रेषित किया जाए। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अगली छमाही तक कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने का आश्वासन दिया गया ।

इसी प्रकार विजया बैंक द्वारा भी प्रशिक्षण दिए जाने हेतु आश्वासन दिया गया ।

यह निर्णय लिया गया कि इस मद में हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षितों के कॉलम को हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से संबंधित सूचना में शामिल किया जाए । यह पाया गया कि सितम्बर, 90 तक हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान की सदस्य बैंकों की उपलब्धि 97.15% हैं यह अपेक्षा की गई कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है उन्हें हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित करने हेतु कार्यवाही की जाए ।

हिन्दी टाईपिंग आशुलिपि प्रशिक्षण की स्थिति

प्रगति सूचना की समीक्षा करने पर पाया गया कि कुछ सदस्य बैंकों द्वारा हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा रहा है । सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे निर्धारित अवधि के अनुसार कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु कार्यवाही करें ।

बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि श्री जग्गी ने इस संदर्भ में सुझाव दिया कि टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों के प्रतिशत के बारे में अलग-अलग सूचना प्रस्तुत की जाए । निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में इसी प्रकार से सूचना प्रस्तुत की जाएगी । समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि 30% के लक्ष्य के स्थान पर नगर स्थित संस्थाओं ने 38% का लक्ष्य प्राप्त किया है ।

देवनागरी टाइपराइटरों की स्थिति

प्रस्तुत सूचना की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि अनेक सदस्यों द्वारा देवनागरी टाइपराइटरों के निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है ; अपेक्षा की गई कि सभी सदस्य इस लक्ष्य को प्राप्त करें । पिछली बैठक में देना बैंक एवं यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया से अपेक्षा की गई थी कि वह कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर की खरीद करें । पुनः अपेक्षा कि गई कि वे यह कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । यह पाया गया कि देवनागरी टाइपराइटरों के 30% के लक्ष्य के स्थान पर यह उपलब्धि 25% है ।

धारा 3(3) अनुपालन की स्थिति

समीक्षा के दौरान पाया गया कि 100% के लक्ष्य के स्थान पर यह उपलब्धि लगभग 90% है यह पाया गया कि पंजाब एंड सिंध बैंक, इण्डियन बैंक, यूको बैंक, कारपोरेशन बैंक एवं यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस दिशा में शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है । भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा सूचित 308 अंग्रेजी दस्तावेजों को द्विभाषिक जारी कर लिया गया है । इस सदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि इस मद में स्थानीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की सख्यां को ही सूचित किया जाए । समीक्षा के दौरान पाया गया कि धारा 3(3) के अंतर्गत 100% के स्थान पर नगर में यह उपलब्धि 97.81% हो गई है ।

हिन्दी में पत्राचार की स्थिति

सदस्यों की सितम्बर, 90 की छमाही की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि 60% के लक्ष्य के स्थान पर 56.16% के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है । निम्नलिखित कार्यालय लक्ष्य से काफी दूर हैं :

1. पंजाब एंड सिंध बैंक
2. नाबार्ड
3. इंडियन बैंक
4. कॉरपोरेशन बैंक
5. आन्ध्रा बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया
8. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक का इस ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया । भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने उपस्थित प्रतिनिधि को (पंजाब एण्ड सिंध बैंक) आंकड़ों की पुनः जांच का परामर्श दिया ।

इस मद में निम्नलिखित कार्यालयों के प्रयास सराहनीय पाए गए :—

1. ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स
2. आई.डी. बी. आई.
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
4. सिडबी
5. पंजाब नेशनल बैंक

इनके साथ ही स्टेट बैंक आफ पटियाला, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ इण्डिया ने भी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना

सितम्बर, 90 छमाही की स्थिति को प्रस्तुत किया गया। पिछली बार की भांति इस बार भी यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया ने 100% का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया । पंजाब एण्ड सिंध बैंक की भी इस ओर बनी हुई कमी की ओर प्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित किया गया । भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने इस ओर इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया । पाया गया कि सभी बैंकों की 100% के लक्ष्य के स्थान पर यह उपलब्धि 99.96% है।

तार हिन्दी में भेजने की स्थिति

यह पाया गया कि पिछली 21% की उपलब्धि में कमी आई है तथा यह उपलब्धि 18% पाई गई । अपेक्षा की गई कि जो कार्यालय लक्ष्य से पीछे है वे इस दिशा में उचित प्रयास करें । निम्नलिखित कार्यालय इस दिशा में लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं :—

1. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3. भारतीय स्टेट बैंक
4. आई .डी. बी. आई.
5. विजया बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा

निम्नलिखित कार्यालय इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे

1. देना बैंक
2. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
3. सिडबी
4. भारतीय औद्योगिक विरत्त निगम

यह निर्णय लिया गया कि "ग" क्षेत्र को भेजे जाने वाले अंग्रेजी तारों को कुल संख्या में शामिल न किया जाए ।

8. राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता

पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार सभी कार्यालयों को उक्त प्रतियोगिता से संबंधित प्रपत्र भेजा गया तथा समिति को सूचित किया गया कि इस संबंध में 9 कार्यालयों की सहमति/विचार प्राप्त हुए । इनकी जानकारी निम्नलिखित है :—

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
3. विजया बैंक
4. सिंडीकेट बैंक
5. आंध्रा बैंक
6. बैंक ऑफ इण्डिया
7. आई.बी.डी.आई.
8. यूको बैंक
9. पंजाब नेशनल बैंक

यह निर्णय लिया गया कि सभी अन्य सदस्य अपनी सहमति/सुझाव 30-4-1991 तक संयोजक बैंक को भेजें । ऐसा न होने की स्थिति में इस विचार को भी समाप्त किया जा सकता है । समिति के समक्ष पुनः प्रस्तावित मूल्यांकन प्रपत्र को प्रस्तुत किया गया ।

अन्य

1. यह निर्णय हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा समय पर सूचना नियमित रूप से भेजी जाए ।

2. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नाहर सिंह वर्मा ने सूचित किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थानीय प्रशासनिक प्रधान भाग लिया करें तथा इसमें प्रत्येक बैठक में अलग-अलग अधिकारी का भाग लिया जाना उपयुक्त नहीं है ।

अन्त में पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री यशपाल सेठी ने बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया ।

8. हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार की 21वीं बैठक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कार्यालय में दिनांक 9-4-91 को सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री विश्वनाथ आ. पाटिल, निदेशक उत्तरी क्षेत्र कृषि यान्त्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ने की और मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्या.), श्री भगवान दास पटैरया उपस्थित थे।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) में उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया ने राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला और बताया कि नीति के कार्यान्वयन के तीन तत्व—प्रेरणा, प्रोत्साहन और दृढ़ता है।

उपस्थिति के संबंध में उन्होंने कहा कि बैठक में समिति के सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी निर्णय लिया गया है कि "नराकास" की बैठकों में संबंधित नगर में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों का प्रतिनिधित्व उनके कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी ही करें। भारत सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि समिति की बैठकों में स्थानीय कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष स्वयं भाग लें, यदि किसी विशेष स्थिति में वे स्वयं भाग न ले पायें तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी को ही भाग लेने के लिये भेजें।

समिति की गतिविधियों के बारे में बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (क्षे. का.) और दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. समिति, ऐसे दो सदस्य कार्यालय है जिनके यहां राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को अधिकतर पूरा किया गया है।

न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन : समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन किया जाये । संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन के लिये समुचित व्यवस्था कराई जाये । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिये अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अलग संवर्ग गठित करें यदि संवर्ग का गठन सम्भव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिये अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाये।

इस संबंध में संबंधित सदस्य कार्यालय अपने-अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करें।

2330 HA|91—7

9 अजमेर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक मण्डल कार्यालय पश्चिम रेलवे के सभाकक्ष में दिनांक 26-3-91 को आयोजित की गयी । अपर मण्डल रेल प्रबन्धक एवं समिति के उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की ।

श्री चौधरी ने गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री चन्द्र गोपाल शर्मा उपनिदेशक (कार्यान्वयन) भोपाल का तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया।

मूल पत्राचार के संबंध में समीक्षा प्रस्तुत करते हुए सचिव ने कहा कि वर्ष 1990-91 के लिये हिन्दी में मूल पत्र जारी करने का निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत है परन्तु मुख्य कारखाना प्रबन्धक और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी कार्यालय द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

तार हिन्दी में देने के संबंध में उन्होंने कहा कि यद्यपि वार्षिक कार्यक्रम में इस प्रयोजन के लिये निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत है और कुछ कार्यालय जैसे मण्डल रेल पबन्धक, मुख्य कारखाना, प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, दूर संचार जिला अभियन्ता सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन सीमा, सहायक निदेशक भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के कार्यालयों में प्रगति निर्धारित लक्ष्य से अधिक है परन्तु अन्य कार्यालय कैसे महाप्रबन्धक एच. एम.टी., क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रबन्धक यू.को. बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, अधीक्षक अयस्क प्रसाधन आदि कार्यालयों में प्रगति निर्धारित लक्ष्य से कम है।

प्रशिक्षण की स्थिति

इन प्रमुख मदों की समीक्षा के बाद विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारी और संबंधित उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की गयी है । जहां तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता का प्रश्न है , अजमेर स्थित सभी कार्यालयों में लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हैं परन्तु हिन्दी टंकण और आशुलिपि में कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं हैं । महाप्रबन्धक एच. एम.टी. के कार्यालय में 18 टंकक और 9 में से 8 आशुलिपि के हिन्दी में प्रशिक्षित नहीं हैं । इसी प्रकार अपर महानिदेशक ग्रुप केन्द्र-1 और 2 में क्रमशः 28 और 22 टंकक हिन्दी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं तथा दोनों कार्यालयों में एक-एक आशुलिपिक है और वे भी हिन्दी में प्रशिक्षित नहीं है । भारतीय जीवन बीमा निगम में 45 टंकक हिन्दी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं और 4 में से 3 आशुलिपिक भी हिन्दी प्रशिक्षण के लिये शे हैं । इसी प्रकार यू.को. बैंक में 45 में से 43 टंकक हिन्दी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं और 2 आशुलिपिक भी शेष हैं । अधीक्षक अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला के कार्यालय में 6 में से 5 टंकक हिन्दी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं तथा अधीक्षक सर्वेक्षक पार्टी नं. 4 में टंकक हैं और वे भी प्रशिक्षित नहीं है तथा पार्टी नं. 58 में 2 में से 1 प्रशिक्षित नहीं हैं । सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कार्यालय में 10 में से 7 टंकक प्रशिक्षण के लिये हैं तथा कुल 2 आशुलिपिक में से दोनों ही आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिये शेष हैं।

अन्य प्रमुख मुद्दे

वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अन्य मदों की चर्चा करते हुए सचिव ने बताया कि अनुशासनिक कार्रवाई सभी कार्यालयों द्वारा हिन्दी में की जानी चाहिये । सेवा पंजियों में प्रविष्टियां भी हिन्दी में करना ही अनिवार्य है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि जिन कार्यालयों में इन मदों में किसी प्रकार की कमी है वे उसको पूरा करें ।

उपनिदेशक गृह मंत्रालय श्री चन्द्र गोपाल शर्मा ने कहा कि अजमेर नगर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने तथा बैठकों के सुचारू संचालन के लिये मैं इस समिति के अध्यक्ष और सचिव को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राजभाषा के संवैधानिक निर्वाह की जिम्मेदारी राजभाषा नियमों के अनुसार कार्यालय प्रधान की है । संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह के लिये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वे अपने कार्यालयों में जो कमी है, उसे पूरा करें।

10 अलीगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 18वीं बैठक दि. 21 मार्च 1991 को उपायुक्त आयकर श्री एस. पी. सिंह की अध्यक्षता में हुई ।

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा

इस बैठक में 43 सदस्य कार्यालयों में से 21 की रिपोर्ट प्राप्त हुई । यह संख्या विगत बैठकों की तुलना में पर्याप्त उत्साहजनक पाई गई ।

अलीगढ़ नगर स्थित विभिन्न कार्यालयों के बीच प्रतियोगिता विकसित करने के लिए शील्ड योजना लागू करना

इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक श्री सकलानी ने बताया कि विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है यदि यह योजना अलीगढ़ नगर के लिए भी लागू की जाए तो इससे नगर में राजभाषा

कार्यान्वयन को अवश्य बल मिलेगा और सभी कार्यालय शील्ड जीतने के उद्देश्य से अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का बेहतर प्रयोग करने का प्रयास करेंगे । इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन निरीक्षण आधारित होना चाहिए, ताकि किसी कार्यालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न रहे ।

11. भोपाल (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक संयोजक बैंक सेन्ट्रल ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री एम. जी. कार्णिक की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च, 1991 को हुई।

समिति के संयोजक तथा उपाध्यक्ष श्री वी. एस. चौबे ने अध्यक्ष एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री चंद्र गोपाल शर्मा, उपनिदेशक (का०) का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय बैंकों में हिन्दी का बढ़ता हुआ प्रयोग भी हम सबके लिए गौरव का विषय है ।

अध्यक्ष श्री कार्णिक ने अपेक्षा की कि प्रत्येक बैंक कुछ शाखाओं को आदर्श हिन्दी शाखा तथा कुछ जिलों को आदर्श जिला घोषित करें जिससे अन्य शाखाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके ।

12. भुवनेश्वर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक समिति के अध्यक्ष श्री जी. सी. श्रीवास्तव महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की अध्यक्षता में दिनांक 15/3/91 को हुई । प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी कार्यालयों ने हिंदी पत्राचार का लक्ष्य पूरा कर लिया है । केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कार्यालय में पत्राचार का लक्ष्य शत-प्रतिशत् है जो कि सराहनीय है । लेकिन धारा 3(3) की ओर अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है ।

प्रशिक्षण

हिन्दी प्रशिक्षण में नामांकन की स्थिति संतोषजनक है लेकिन हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में नामांकन आशा अनुरूप नहीं है। भुवनेश्वर में स्थित स्थानीय केन्द्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कार्यालयों से टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि में ज्यादा से ज्यादा नामांकन करा कर प्रशिक्षित करा लें। यह राजभाषा नियम के प्रावधानों के अनुरूप है। राजभाषा नीति के अनुपालन में जिन कार्यालयों में कठिनाइयां है उस पर अपना विचार प्रस्तुत करें इस दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

हिन्दी पदों का सृजन

अनेक कार्यालयों में अब तक हिन्दी के न्यूनतम पदों का सृजन नहीं हो पाया है जिससे राजभाषा नीति के अनुपालन में बहुत सी कठिनाइयां हो रही हैं। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि इसके लिए वे अपने विभागीय अध्यक्ष से संपर्क करें।

तिमाही रिपोर्ट का प्रेषण

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने यह मांग की कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव को तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया जाए। उसके प्रति-उत्तर में कहा गया कि विभागाध्यक्ष को भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्ट की एक प्रति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव को पृष्ठांकित की जाए ।

कुछ सदस्यों ने प्रबोध कक्षा की व्यवस्था न होने का कारण जानना चाहा । प्रतिउत्तर में यह कहा गया कि पूर्व क्षेत्र—"ग" के राज्यों के लिए जिनकी मातृभाषा उड़िया, बंगला या आसामी आदि है "प्रबोध" की पढ़ाई आवश्यक नहीं है क्यों कि इस क्षेत्र के कर्मचारियों को इस स्तर तक का ज्ञान विद्यालय की पढ़ाई में ही मिल जाता है । दक्षिण भारतीय कर्मचारियों के लिए जिनकी मातृभाषा तेलुगू, तामिल, कन्नड या मलायलम हो, के लिए प्रबोध की पढाई की व्यवस्था की जा सकती है यदि एक कक्षा के लिए कम से कम 30 कर्मचारी इस पढ़ाई के लिए उपलब्ध हों ।

अध्यक्ष ने कहा कि कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके कार्यालयों में हिन्दी में काम हों। हिन्दी अधिकारी उन कार्यों में अपने कार्यालयाध्यक्षों की सहायता कर सकते हैं। अनेक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा दौरे पर रहने के कारण बैठक में उपस्थित न हो सकने की बात पर अध्यक्ष ने कहा कि बैठक की सूचना बहुत पहले दी जाती है, अत: वे चाहें तो इसी के अनुसार दौरे का कार्यक्रम बना कर बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। उनके साथ हिन्दी अधिकारी भी आए ।

13 आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, की 19वीं बैठक आयकर भवन में दिनांक 26-2-90 को आयकर आयुक्त श्री एस. सी. नागपाल की अध्यक्षता में हुई। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नाहर सिंह वर्मा, उपनिदेशक (कार्या.) भी समीक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे ।

सचिव ने बताया कि दिनांक 22-10-90 से 26-10-90 तक आयकर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में पंजाब नेशनल बैंक मण्डल कार्यालय के सौजन्य से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा नगर के सदस्य कार्यालयों के 40 कर्मचारियों ने अनुवाद का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

हिन्दी पत्राचार

दिनांक—1-7-90 से 31-12-90 तक की छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में पाया गया कि कुछ कार्यालयों ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया और सामान्य आदेश आदि सिर्फ अंग्रेजी में जारी किये जबकि इन्हें द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में जारी किया जाना अनिवार्य है।

कार्यालय	द्विभाषी	अंग्रेजी	हिंदी
1. हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, आगरा	1930	2000	—
2. के. लो. निर्माण विभाग, आगरा	8	33	—
3. क्षे. प्रबन्धक मध्य रेलवे आगरा	1050	102	—
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान आगरा	56	10	—
5. केन्द्रीय भूमि एवं जन संरक्षण आगरा	337	45	992
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आगरा	817	3497	—
	180	180	—

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने अनिवार्य है।

कार्यालय	कुल हिंदी में प्राप्त पत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में
1. मुख्य अधीक्षक केन्द्रीय डाकघर आगरा	2672	2547	125
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक मध्य रेलवे	1158	100	58
3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, आगरा	3356	849	1507
4. केन्द्रीय विद्यालय नं. 3	160	60	100
5. केन्द्रीय भूमि संरक्षण	337	45	992
6. दूर संचार विभाग आगरा	990	550	440
7. निर्यात निरीक्षण एजेन्सी	327	265	62
8. दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि. आगरा	1975	1216	659

हिन्दी प्रगति की समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया है कि कई कार्यालयों में हिन्दी में पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से कम है। श्री वर्मा ने बताया कि अधिकांश कार्यालयों में निर्धारित अनुपात में हिन्दी टंकण मशीनें, हिन्दी जानने वाले टंकक तथा हिन्दी जानने वाले आशुलिपिक उपलब्ध नहीं है। निर्णय लिया गया कि इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए समस्त विभागाध्यक्ष पूर्ण प्रयास करें।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय राजभाषा विभाग, गाजियाबाद के उपनिदेशक कार्यान्वयन श्री नाहर सिंह वर्मा ने समस्त सदस्य कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बताया कि यद्यपि आगरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कई सदस्य कार्यालय राजभाषा के कार्यान्वयन में काफी आगे हैं फिर भी कुछ कार्यालय हिन्दी के कार्यान्वयन में धीमी गति से चल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वार्षिक कार्यक्रम के समस्त मदों में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागाध्यक्षों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

आयकर आयुक्त ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों के टंककों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने व अपने कार्यालय से एक हिन्दी टंकक मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि यह तभी संभव है कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय इसमें पूर्ण सहयोग दें और प्रशिक्षणार्थियों की सूची हमारे कार्यालय में भेज दें।

14 लुधियाना

19-2-1991 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक "केन्द्रीय राजस्व भवन" में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता श्री एस.एस. भाटिया, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना ने की।

गत बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा

समिति स्तर पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 4—8 फरवरी, 1991 को किया गया।

हिन्दी दिवस का आयोजन

बैठक में सूचित किया गया कि गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 14-9-1990 को समिति स्तर पर हिन्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर (क) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (ख) हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, (ग) हिन्दी भाषण प्रतियोगिता तथा (घ) हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

3. नगर स्तर पर श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार

वर्ष 1989-90 में हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए शील्ड हेतु प्राप्त रिपोर्टों के सत्यापन के लिए विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निम्नलिखित दो कार्यालयों को वर्ष 1989-90 के लिए शील्ड दी गई :–

क. आयकर उप-आयुक्त लुधियाना	श्री दलबीर सिंह आयकर उप-आयुक्त
ख. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री जे.के. बेदी क्षेत्रीय प्रबन्धक

श्री एस.एस. भाटिया, अध्यक्ष न.रा.भा.का.स., लुधियाना ने घोषणा की कि ये पुरस्कार व्यवस्था अगले वर्ष भी चालू रहेंगी।

(ग) द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी ही खरीदे जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उनके विभाग की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी ही खरीदे जाएं क्योंकि एक भाषा के इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर के मूल्य और द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर के मूल्य में बहुत कम अन्तर है। जबकि काम दोनों भाषाओं का हो सकता है। अतः सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां जब भी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदा जाएं तो वह द्विभाषी ही हो।

(घ) हिन्दी टाइपिस्टों का अनुपात

वर्ष 1990-91 के लिए कार्यालयों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षित टाइपिस्टों को 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन निम्नलिखित कार्यालयों में निर्धारित अनुपात में टाइपिस्ट हिन्दी टाइप में प्रशिक्षित नहीं हैं :—

	कुल टाइपिस्ट	हिन्दी टाइप जानने वाले
खाद्य भंडार मंडल, के.लो.नि. विभाग	9	1
दूर संचार कार्यालय	9	2
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (भारत नगर चौक)	10	1
		(दो प्रशिक्षण ले-रहे हैं)
वस्त्र समिति	3	—
पंजाब एंड सिन्ध बैंक	19	—
प्रवर डाकपाल, लुधियाना	1	—
कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	—	—

अध्यक्ष ने कहा कि यह बड़े ही खेद की बात है कि उनके कार्यालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी टाइप प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है लेकिन फिर भी अनेक कार्यालयों ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया। उनके कार्यालय द्वारा हिन्दी टाइप प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी नामित करने हेतु एक परिपत्र भेजा गया था, लेकिन एक-दो कार्यालयों को छोड़कर अन्य किसी ने भी नाम नामित नहीं किए। अतः संबंधित कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि वे प्रशिक्षण के लिए शीघ्र अपने कर्मचारियों के नाम भेजें, ताकि जिन कार्यालयों में टाइपराइटर हैं, लेकिन हिन्दी टाइपिस्ट नहीं हैं, उनके टाईपिस्टों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित किया जा सके।

(ङ) हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण

वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार कार्यालय में कार्यरत कुल आशुलिपिकों का 30% हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि उनके कार्यालय में समिति स्तर पर चलाए जा रहे "हिन्दी आशुलिपि" प्रशिक्षण केन्द्र में 4-1991 से हिन्दी आशुलिपि की नई कक्षाएं आरम्भ की जा रही हैं। अतः जिन कार्यालयों में निर्धारित अनुपात में हिन्दी आशुलिपिक कार्यरत नहीं हैं वे प्रशिक्षण के लिए नाम भेजें।

(च) प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था

भारतीय अनाज संचयन संस्थान तथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उनके यहां प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से ही दिया जाता है।

(छ) हिन्दी पुस्तकों की खरीद

वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 के अनुसार पुस्तकालय अनुदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिन्दी पुस्तकों की सूचियां भेजी जाती रही हैं। आयकर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय में इस समय हिन्दी की 8 मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक पत्रिका मंगवाई जा रही हैं। बैंकों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उनके यहां भी हिन्दी पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे कम से कम हिन्दी की कुछ पत्रिकाएं नियमित रूप से अवश्य मंगवाएं ताकि कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सके।

(ज) कार्यालयों का निरीक्षण

यह बताया गया कि जब भी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अन्य कार्यों का निरीक्षण करते हैं तो उस समय इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि राजभाषा

संबंधी नियमों, निदेशों, अनुदेशों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है। पूर्ति तथा निपटान कार्यालय के प्रतिनिधि का कहना था कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों का समिति द्वारा निरीक्षण करवाया जाना चाहिए। ताकि जिन कार्यालयों में यदि कहीं कोई भी कमी है तो वहां उचित सुझाव दिये जा सकें तथा एक दूसरे कार्यालयों के कार्य से प्रेरणा मिल सके। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसा निरीक्षण करना संभव नहीं है, संबंधित कार्यालयों के अधिकारी स्वयं निरीक्षण करें। अध्यक्ष ने बताया कि नगर स्तर पर श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए दी जाने वाली शील्ड के लिए सभी कार्यालय अपनी प्रगति रिपोर्टें भेजें और जब आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा तो कार्यालयों का स्वत: ही निरीक्षण भी हो जाएगा।

(झ) जांच बिन्दु

सभी सदस्यों ने सूचित किया कि उनके यहां पहले से ही जांच बिन्दु स्थापित किए जा चुके हैं।

(ञ) हिन्दी प्रशिक्षण :

यह सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कक्षाएं आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय में चलाई जाती हैं। श्री दलबीर सिंह, आयकर उप आयुक्त, रेंज 2, लुधियाना इस योजना के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी हैं। जुलाई 1991 से आरम्भ सत्र के लिए कर्मचारी नामित किए जाए।

(ट) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के प्रतिनिधि का सुझाव था कि महीने में किसी एक दिन हिन्दी में समस्त कार्य किया जाना चाहिए। उस दिन को हिन्दी दिवस घोषित किया जाए और सभी अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर हिन्दी में ही करें। विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक तिमाही के प्रथम सोमवार को या यदि सोमवार का अवकाश हो तो उससे अगले कार्यदिवस को सभी कार्यालयों में सारा कार्य हिन्दी में ही करने का प्रयास किया जाए और सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने हस्ताक्षर हिन्दी में ही करें। इस दिन को "हिन्दी प्रयोग दिवस" के रूप में मनाया जाए। इस संबंध में अध्यक्ष कार्यालय द्वारा सभी कार्यालयों को एक परिपत्र भेजा जाए तथा सभी कार्यालय अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने को कहें।

अपने समापन भाषण में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोग हिन्दी में पत्राचार की मात्रा को बढ़ायें। कुछ कार्यालयों में धारा 3(3) का उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कार्यालय इस बात का यकीन दिलाएं कि उनके यहां भविष्य में इसका उल्लंघन न हो। आप लोग भविष्य में द्विभाषी टाइपराइटर ही खरीदें।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	"ख" क्षेत्र को भेजे पत्र				कुल भेजी तारें		
		कुल	अंग्रेजी	हिन्दी	प्रतिशत	हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	के.उ.सी.शु. मंडल, लुधियाना	18730	7211	11519	61.5%	—	—	—
2.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन	1061	961	100	9%	—	—	—
3.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9188	4191	4597	54.5%	182	506	26.5%
4.	सैन्ट्रल टूल रूम, लुधि.	—	—	—	—	—	—	—
5.	आयकर (के.) रेंज-1, लुधि.	1085	589	496	—	—	—	—
6.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1590	782	808	50.8%	—	—	—
7.	आयकर, रेंज-1, लुधि.	(आंकड़े नहीं दिए गए)			—	—	—	—
8.	आयकर आयुक्त (के.)	5969	3222	2747	46.2%	1	38	2.6%
9.	आयकर (के.) रेंज-2	935	637	298	24.5%	—	—	—
10.	कर्मचारी भविष्य निधि	8368	3418	4950	59.2%	—	—	—
11.	तार परियात मंडल	5882	5312	570	10%	—	—	—
12.	खाद्य भंडार मंडल के.लो.नि.वि.	916	724	192	20%	—	14	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	दूरसंचार कार्यालय	(आंकड़े नहीं दिए हुए)			—	—	—	—
14.	न्यूइंडिया इंश्योरेंस कंपनी	1000	600	400	40%	—	—	—
15.	वस्त्र समिति	(आंकड़े नहीं दर्शाए गए)			—	—	—	—
16.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	68755	62869	946	1.4%	—	434	0%
17.	भारतीय अनाज संचयन सं.	225	75	150	69%	7	3	70%
18.	मुख्य डाकघर, लुधि.	576	485	91	15.7%	143	5587	2.5%
19.	लघु उद्योग सेवा संस्थान	2294	2142	152	7%	—	—	—

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण							
		कुल टाइपिस्ट	हिन्दी टाइप जानने वाले	शेष	प्रशि. ले रहे	कुल आ. लि.	हि. आ. जानने वाले	प्रशि. ले रहे	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	के.उ.सी.शु. मंडल, लुधि.	5	2	2	1	1	1	—	—
2.	रा. प्रति. सर्वे. संगठन	4	4	—	—	—	—	—	—
3.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	15	3	12	5	1	1	—	—
4.	सैन्ट्रल टूल रूम, लुधि	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	आ. उप-आयु. (के.) रेंज-1	5	5	—	—	4	2	1	—
6.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5	3	2	—	1	—	1	—
7.	आयकर रेंज-1, लुधि.	13	7	6	—	11	—	—	11
8.	आयकर आयुक्त (के.) कार्यालय	8	5	3	3	1	1	—	—
9.	आ.उप-आयु. (के.) रेंज-2	4	3	1	—	3	1	—	1
10.	कमचारी भविष्य निधि.	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	प्रवर अधीक्षक तार परियात	—	—	—	—	1	—	—	1
12.	के. लोक निर्माण विभाग, खाद्य मंडल	9	1	8	—	1	—	—	1
13.	दूर संचार कार्यालय	9	2	7	—	4	2	—	2
14.	न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी	10	1	9	2	1	—	—	—
15.	वस्त्र समिति, लुधि.	3	—	3	—	—	—	—	—
16.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	19	—	19	—	3	—	—	3
17.	भा. अनाज संचयन संस्थान	—	—	—	—	2	1	—	1
18.	मुख्य डाकघर, लुधि.	1	—	1	—	—	—	—	—
19.	लघु उद्योग सेवा संस्थान	6	2	4	2	8	1	1	6

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	टाइपराइटर देवनागरी	टाइपराइटर रोमन	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर कुल पत्र	अंग्रेजी में उत्तरित	हिन्दी में उत्तर	"क" क्षेत्र को भेजे पत्र कुल	अंग्रेजी में	हिन्दी
1.	के.उ. एवं सी. शुल्क मंडल	1	5	1356	—	578	1720	978	792
2.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन	1	4	189	—	120	2532	2249	283
3.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	40	1216	—	1118	—	—	—
4.	सैन्ट्रल टूल रूम	1	10	40	8	32	—	—	—
5.	आ. उप-आयु. रेंज-1 (के.)	1	5	456	—	456	—	—	—
6.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	1	381	—	381	—	—	—
7.	आयकर उप-आयु. रेंज-1	5	14	630	—	438	—	—	—
8.	आयकर (के.) रेंज-2, लुधि.	1	6	68	—	68	—	—	—
9.	आयकर आयुक्त (के.) कार्यालय	5	7	962	—	962	—	—	—
10.	कर्मचारी भविष्य निधि कार्या	—	—	123	—	58	—	—	—
11.	तार परियात मंडल	1	3	287	—	287	557	504	53
12.	खाद्य भंडार मंडल, के.लो.नि.वि.	2	4	385	—	192	—	—	—
13.	दूरसंचार कार्यालय	1	8	—	—	—	—	—	—
14.	न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी	1	11	220	—	180	200	120	80
15.	वस्त्र समिति, लुधि.	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1	19	96	4	92	—	—	—
17.	भारतीय अनाज संचयन संस्थान	—	2	214	—	89	—	—	—
18.	मुख्य डाकघर, लुधि.	—	—	63	—	63	—	—	—
19.	लघु उद्योग सेवा संस्थान.	1	14	427	—	361	2657	2467	190

15. बोकारो

दिनांक 9 फरवरी 1991 को बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक बोकारो स्टील प्लान्ट के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। उस की अध्यक्षता श्री मदन गोपाल सिंह, अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं) ने की। इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री सिद्धि नाथ झा, उपनिदेशक (राजभाषा कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता मौजूद थे। बैठक के प्रारम्भ में 'सेल' बोकारो स्टील प्लान्ट के श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु प्रबंधक (संपर्क एवं प्रशासन) ने जनवरी 1991 के तीसरे सप्ताह में बोकारो आई संसदीय राजभाषा समिति के बारे में जानकारी देते हुए समिति द्वारा दिये गए बहुमूल्य सुझावों एवं प्रेरणाप्रद शब्दों से समिति को अवगत कराया।

अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री मदन गोपाल सिंह, अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं) ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य-संगठनों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में अधिक प्रयास करें ताकि प्रथम पुरस्कार इस समिति को प्राप्त हो सके।

इसके बाद कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। सर्वसम्मति से विगत बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई। तदुपरान्त श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु, प्रबंधक (संपर्क एवं प्रशासन) राजभाषा विभाग ने विगत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन एवं विभिन्न सदस्य-संगठनों से प्राप्त 31 दिसम्बर, 1990 को समाप्त हिन्दी प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये समेकित प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। कुछ सदस्य-संगठनों के कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर एवं हिन्दी टंकक/आशुलिपिक के अभाव पर विचार किया गया और उन

सदस्य-संगठनों से इसकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्रवाई करने हेतु अध्यक्ष ने कहा, कि हिन्दी टंकक/आशुलिपिक एवं हिन्दी टाइपराइटर के अभाव में हिन्दी के प्रयोग के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। तदनुसार समिति की ओर से पूर्व प्रस्तावित स्मारिका के लिए 30 अप्रैल, 1991 तक सभी सदस्य-संगठन प्रकाशय सामग्री भेज दें ताकि इस का प्रकाशन हिन्दी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। सभी सदस्य-संगठन अपने कार्यालय के अनुरूप आदर्श तख्ती का आकार रखते हुए उसे लगाने के स्थान की पुष्टि बोकारो स्टील प्लान्ट से प्राप्त करें 3 महीने के भीतर लगा लेंगे। इन तख्तियों पर राजभाषा हिन्दी के संबंध में महापुरुषों के कथन लिखे होंगे।

श्री सिद्धिनाथ झा, उपनिदेशक, (राजभाषा विभाग, भारत सरकार) ने राजभाषा नियमों, अधिनियमों के अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि समिति के सभी सदस्य-संगठनों, से यह अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा नियमों, अधिनियमों का अनुपालन शत-प्रतिशत करें। समिति को तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई दी और हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए सभी उपस्थित प्रतिनिधियों/अधिकारियों से अनुरोध किया।

16. इलाहाबाद

अत्यंत परिश्रम पूर्वक तैयार की गई इस रिपोर्ट के लिए हम सदस्य सचिव श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा की हार्दिक सराहना करते हैं। संपादक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पन्द्रहवीं बैठक आयकर भवन में 7 फरवरी, 1991 को हुई। आयकर आयुक्त श्री विजय भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आयकर अपीलीय अधिकरण के वरिष्ठ सदस्य श्री एल.एन. अग्रवाल, लेखा सदस्य डॉ ओंकार नाथ त्रिपाठी, महालेखाकार श्री सी.वी. अवधानी सहित इलाहाबाद स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों, उपक्रमों तथा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में समिति के सदस्य सचिव श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पिछले वर्षों के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में बढ़ोत्तरी के लिए 24 उपस्कर डिपो, वायु सेना, मनौरी को स्वर्ण शील्ड प्राप्त हुई है। इसी तरह आई.टी.आई., नैनी तथा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन (एरिया आफिस) को उनके मुख्यालय कार्यालयों द्वारा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है। मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय इलाहाबाद ने अंतर मण्डल राजभाषा शील्ड प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इस समिति के एक सदस्य कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय मण्डल कार्यालय ने वर्ष 1990 के दौरान हिन्दी पत्राचार का शत-प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। श्री शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद केन्द्रीय तार-घर को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित तार प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया।

अध्यक्ष ने इन कार्यालयों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि अन्य कार्यालय भी इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक बढ़ायेंगे जिससे निकट भविष्य में उन्हें भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सके।

कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण

सचिव ने बताया कि रेलवे के कुछ कार्मिकों को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय में हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। सचिव ने सूचित किया कि उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर 424 अवर श्रेणी लिपिकों तथा 167 आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने बताया कि यदि सभी कार्यालयों के आंकड़े उपलब्ध हों तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभी कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की अपेक्षानुसार प्रशिक्षित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि नैनी तथा बमरौली में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री पटरैया जी ने आश्वासन दिया कि सहायक निदेशक (टंकण/आशु.) के रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर

सचिव ने बताया कि इस रिपोर्ट की समीक्षा से पता चलता है कि अधिकांश कार्यालयों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए है, लेकिन कुछ कार्यालयों में अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिए गए दिखाए गए हैं :

क्रमांक	कार्यालय	हिन्दी में प्राप्त पत्र	हिन्दी में उत्तर	अंग्रेजी में उत्तर
1.	रेल भर्ती परिषद	3159	1039	821
2.	उप मुख्य विद्युत अभियंता, रेल	1092	130	555
3.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	560	321	180
4.	इंडेन एरिया आफिस (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.)	1090	934	453
5.	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	815	642	173
6.	दुर्ग अभियंता (वायु सेना)	510	110	400
7.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	1800	500	1300
8.	पोस्ट मास्टर जनरल	5313	3923	108
9.	थल सेना वेस वर्क शॉप	115	—	108

अध्यक्ष ने उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए हैं उन्हें इसे रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

प्रोत्साहन पुरस्कारों को लागू करना

सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सचिव ने सूचित किया कि आयकर विभाग, केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क, डाक सिविल मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मण्डल, रेल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कं.लि., भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ओरियंटल इंश्योरेंस कं. तथा थल सेना बेस वर्कशाप में हिन्दी में काम करने के लिए कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष ने अपेक्षा व्यक्त की कि अन्य कार्यालय भी पुरस्कार योजना को लागू करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पुरस्कार काम करने की एक प्रतीकात्मक स्वीकृति है। इससे कार्मिकों का उत्साह बढ़ता है। अध्यक्ष ने यह अपेक्षा व्यक्त की कि हिन्दी में काम करने वाले टंककों और आशुलिपिकों को भी भत्ते स्वीकृत किए जाएंगे।

उपस्कर डिपो मनौरी

वायु सेना स्टेशन (24 उपस्कर डिपो) मनौरी के एयर कमोडोर श्री बाल कृष्ण चल्लू ने अपने डिपो में हिन्दी में हो रहे कार्यों को विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके कार्यालय में 60 से प्रतिशत 70 काम हिन्दी में हो रहा है। उन्होंने कहा यद्यपि हमें वर्ष 1989-90 के दौरान हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए मध्य कमान की स्वर्ण शील्ड मिली है। लेकिन शील्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर अधिकारी अपना अधिकांश काम हिन्दी में करने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष ने उन्हें स्वर्ण शील्ड प्राप्त करने के लिए बधाई दी।

इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज लि., तैनी के सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री संत कुमार टंडन ने बताया कि प्रतिष्ठा में लौंग हैण्ड में लिखने वाले आशुलिपिकों को डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कार योजना में शामिल किया जाता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण के लेखा सदस्य एवं कैप्सूल विधा के प्रणेता डॉ. ओंकार नाथ त्रिपाठी ने भी उद्‌गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज की यह बैठक अपने आप में एक उपलब्धि है। क्योंकि इस बैठक में जितने विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए थे। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपनी मानसिकता बदलने का आग्रह करते हुए उनसे हस्ताक्षर हिन्दी में करने, चेकों आदि को हिन्दी में भरने, व्यक्तिगत पत्रों में हिन्दी का प्रयोग ने आदि जैसे कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री विद्याधर पाण्डेय ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग/रेल भर्ती परिषद् एवं इसी प्रकार के अन्य भर्ती कार्यालयों द्वारा चयनित हिन्दी आशुलिपिकों को नियुक्ति हेतु भेजने पर संबंधित कार्यालयों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग/रेल भर्ती परिषद् को वापस भेज दिया जाता है, जबकि इन कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी आशुलिपिकों का कोटा रिक्त रहता है। इस तरह इन आशुलिपिकों को जहां नियुक्ति नहीं मिल पाती, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हिन्दी आशुलिपिकों की कमी रहती है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के आधार पर हिन्दी आशुलिपिकों को भरने के संबंध में भी यही स्थिति विद्यमान है।

रेल भर्ती परिषद् के सचिव श्री पवन कुमार ने बताया कि जिस कार्यालय से जैसी मांग आती है वे उसे हिन्दी अथवा अंग्रेजी आशुलिपिक भेजते हैं। इसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

मुख्य अतिथि श्री भगवानदास पटरैया, उपसचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी के पदों को भरने से संबंधित सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी अधिकारी अथवा हिन्दी अनुवादक राजभाषा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनके खाली पदों के यथाशीघ्र भरने की कार्रवाई की जानी चाहिए तथा जिन कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों से राजभाषा के कार्यान्वयन के अलावा दूसरे काम लिए जा रहे हैं उसे यथासम्भव हटा लेना चाहिए। हिन्दी के पद राजभाषा के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए किए गए हैं।

श्री पटरैया ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इलाहाबाद में नगर समिति द्वारा हिन्दी में अच्छा काम करने वालों को शील्ड आदि से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उन्होंने उपक्रमों के अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों में अन्तर विभागीय शील्ड योजना आरम्भ करें।

सम्पर्क दल के कार्य-कलापों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सम्पर्क दल के सदस्य शासनिक अधिकारियों से मिलकर उनके कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का उपाय बताएं।

अध्यक्ष श्री भार्गव ने आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्य श्री अग्रवाल एवं डॉ. त्रिपाठी, महालेखाकार श्री अवधानी तथा अन्य उच्च अधिकारियों का आधार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि अगली बैठकों में पधारने का कष्ट करेंगे।

समिति के सचिव श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा ने अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि श्री पटरैया और अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

आयकर प्रभार, इलाहाबाद की अर्धवार्षिक रिपोर्ट
(1-4-90 से 20-9-90 तक)

1.	(क) कुल टाइपिस्ट/अवर श्रेणी लिपिक	27
	(ख) हिन्दी टाइपिंग जानने वाले	09
	(ग) जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है	16
	(घ) प्रशिक्षणाधीन	02
2.	(क) कुल आशुलिपिक	24
	(ख) हिन्दी आशुलिपि जानने वाले	06
	(ग) जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है।	17
	(घ) प्रशिक्षणाधीन	01
3.	(क) देवनागरी टाइपराइटर	11
	(ख) रोमन टाइपराइटर	32
	(ग) द्विभाषी टाइपराइटर	---
4.	धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी कागजात	
	(क) द्विभाषी	07
	(ख) अंग्रेजी में	—
5.	हिन्दी पत्राचार :	
	(क) प्राप्त कुल हिन्दी पत्र	8126
	(ख) जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिये गये	---
	(ग) जिनके उत्तर हिन्दी में दिए गए	6814
	(घ) जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था	1312
6.	कार्यालय द्वारा "क" क्षेत्र को भेजे गए पत्र	
	(क) कुल संख्या	6234
	(ख) अंग्रेजी में	937
	(ग) हिन्दी में	5297
	(घ) हिन्दी पत्रों का प्रतिशत	84.97%
7.	कार्यालय द्वारा "ख" क्षेत्र को भेजे गए पत्र	
	(क) कुल संख्या	849
	(ख) अंग्रेजी में	112
	(ग) हिन्दी में	737
	(घ) हिन्दी पत्रों का प्रतिशत	86.1%
8.	कार्यालय द्वारा "क" क्षेत्र को भेजे गए तार	
	(क) कुल संख्या	287
	(ख) हिन्दी में	83
	(ग) अंग्रेजी में	204
	(घ) हिन्दी तारों का प्रतिशत	28.92
9.	कार्यालय द्वारा "ग" क्षेत्र को भेजे गए तार	
	(क) कुल संख्या	---
	(ख) हिन्दी में	—
	(ग) अंग्रेजी में	---
	(घ) हिन्दी में तारों का प्रतिशत	---

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1. रक्षा लेखा नियंत्रण कार्यालय, तेनपिट (मद्रास)

मार्च, 91 को समाप्त तिमाही के लिए दिनांक 30-4-91 को हुई इस कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक श्री एम.एच. सुब्रमणियन्, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में हुई।

(क) सामान्य आदेशों को द्विभाषी जारी करना

सदस्य-सचिव द्वारा दुबारा बताया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी सामान्य आदेशों को द्विभाषी जारी करना अनिवार्य है। इस दिशा में प्रगति है लेकिन अब भी कुछ सामान्य अनुदेश केवल अंग्रेजी में ही जारी हो रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा यह अनुदेश दिया गया कि सभी सामान्य आदेशों को द्विभाषी जारी करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए।

(ख) हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित करना

समिति को पिछली बैठक की तरह इस बैठक में भी सूचित किया गया कि इस कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है नियमानुसार अप्रशिक्षित कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए हर सत्र में नामित करना अनिवार्य है। पिछले सत्र में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए केवल 15 कर्मचारियों को ही नामित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अनुदेश दिया कि अपेक्षित प्रतिशत के अनुसार कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं में नामित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में यह भी सूचित किया गया कि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा पत्राचार माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधा है। पत्राचार प्रशिक्षण योजना में भाग लेने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। अनुभाग अधिकारियों को संबंधित

अनुभाग से कम से कम दो कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करने की सलाह दी जाए ताकि अपेक्षित प्रतिशत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके ।

(3) राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 1991 का अनुपालन

उपर्युक्त विषयक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है और रक्षा लेखा महानियंत्रक को भेजी जा रही है । वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रतिशत से तुलना करते समय हिन्दी पत्रों का प्रतिशत बहुत कम है । अध्यक्ष ने अनुदेश दिया कि द्विभाषी अमानक प्रारूपों का प्रयोग करके अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए ।

(4) पिछली दो तिमाहियों की प्रगति रिपोर्ट की तुलना

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली दो तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टों की तुलना करने पर यह देखा गया है कि सामान्य आदेशों की स्थिति में प्रगति है किन्तु हिन्दी में प्राप्त कुछ पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है जो राजभाषा नियमों के प्रतिकूल है । इस कारण रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से प्रतिकूल टिप्पणी होती है । अध्यक्ष ने अनुदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है । यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे अनुभाग/ग्रुप जिन्होंने हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया है इसे समिति की अगली बैठक में अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया जाए ।

सदस्य सचिव ने बताया कि सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया जाये । तदनुसार, अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा की प्रगति की देख-रेख के लिए, रक्षा लेखा उपनियंत्रक (प्रशासन) को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया ।

उपलब्धियां

(क) मुख्य कार्यालय का नामपट्ट जो केवल अंग्रेजी में था, अब हिन्दी, तमिल और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में बनवा दिया गया है ।

(ख) 14,208 शब्दों का अनुवाद किया गया ।

(ग) 8 अमानक ड्राफ्ट द्विभाषी तैयार करके उप-कार्यालयों में उपयोग के लिए भेजे गए ।

(घ) चालू सत्र में प्रशिक्षण के लिए 15 कर्मचारियों को नामित किया गया ।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर)

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौदहवीं बैठक इस संस्थान के श्री पी.के. दास, उप निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 28-6-1991 को आयोजित की गई ।

संयोजक सदस्य ने पिछले त्रैमासिक में किए गए कार्य विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त अवधि के दौरान हिन्दी में कुल 130 पत्र प्राप्त किए गए थे तथा जिनमें से 70 पत्रों का उत्तर हिन्दी में तथा शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था । इस अवधि के दौरान जारी किए गए पत्रों की संख्या 271 थी । धारा 3(3) के अनुसार पूर्ण रूप से 30% कार्य हिन्दी में संपन्न हुआ ।

क. ओक तसर बेरोजगार :– इस अनुभाग में गत अवधि के दौरान कुल जारी 71 में से केवल 28 पत्र हिन्दी में जारी किए गए है हिन्दी में कुल 39% कार्य हुआ ।

ख. प्रजनन एवं आनुवंशिकी :– इस अनुभाग में पिछले तीन माह में 34 में से कुल 3 पत्र हिन्दी में जारी किए गए हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुभाग में डा. वीरेन्द्र कुमार, व.अ.स. हिन्दी क्षेत्र के हैं । भविष्य में कार्य की गति लाने के लिए संयोजक सदस्य को कहा कि इस अनुभाग का वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को ज्ञापन दिया जाए ।

ग. जीव रसायन प्रयोगशाला :– इस अनुभाग में गत अवधि के दौरान कुल 20 पत्र में से 2 पत्र हिन्दी में जारी किए गए है । इस अनुभाग में कम से कम 50% कार्य हिन्दी में करना निश्चित होना चाहिए ।

घ. शरीर क्रिया विज्ञान :––इस अनुभाग में गत अवधि के दौरान हिन्दी में कुल 16 पत्रों में से 3 पत्र हिन्दी में जारी किये गए है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कम से कम 50% कार्य हिन्दी में होना चाहिए ।

ड. परपोषी पादप :– इस अनुभाग में गत अवधि के दौरान कुल 60 पत्र में से 8 पत्र हिन्दी में जारी किए गए । अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी में 50% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सलाह दी ।

च. कीट एवं रोग :– इस अनुभाग में गत अवधि के दौरान हिन्दी में शुन्य कार्य हुआ, अध्यक्ष महोदय असंतोष प्रकट करते हुए हिन्दी कार्य की गति लाने के लिए ज्ञापन देने की सलाह दी ।

छ. धागाकरण व कताई :–– इस अनुभाग ने गत अवधि के दौरान कुल 66 पत्र में से 27 पत्र हिन्दी में जारी किए गए । कुल 40% कार्य हिन्दी में हुआ ।

3. केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर

ब्राह्मणी सुवर्ग रेखा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक श्री राजेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में दिनांक 10-4-91 को हुई ।

30-9-90 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही में 49 सामान्य आदेश अंग्रेजी में जारी हुए थे परंतु 31-3-91 को समाप्त होने वाली तिमाही अवधि में मात्र 17 सामान्य आदेश अंग्रेजी में जारी हुए हैं। 17 सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी होने चाहिए थे । प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित सहायक इस ओर ध्यान दें कि सभी सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं । हिन्दी अनुवादक इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई सामान्य आदेश अंग्रेजी में जारी होता है तो उसका हिन्दी अनुवाद जारी कर दिया जाए । पिछली तिमाही में कोई भी ज्ञापन हिन्दी में जारी नहीं किया गया था लेकिन इस तिमाही में 50 प्रतिशत ज्ञापन हिन्दी में जारी किया गया है । भविष्य में प्रयास किया जाए कि जहां तक संभव हो ज्ञापन भी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।

क तथा ख क्षेत्रों के गैर सरकारी व्यक्तियों को 30-9-90 को समाप्त होने वाली तिमाही में 40 प्रतिशत एवं 31-3-91 को समाप्त तिमाही में 18 प्रतिशत ही पत्र हिन्दी में भेजे गये जबकि लक्ष्य 60 प्रतिशत का है । ज्यादातर पत्र वायरलैस शाखा और मुख्यालय शाखा से भेजे गये हैं । भविष्य में ऐसे अधिकाधिक पत्र हिन्दी में ही भेजे जायें ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके ।

केन्द्रीय सरकार के "क" एवं "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को इस तिमाही में 53.8 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गये जबकि लक्ष्य 20 प्रतिशत का है । सदस्यों द्वारा इसकी सराहना की गई एवं आशा व्यक्त की गई कि इस स्तर को कायम रखा जाएगा ।

हाइड्रोमेट शाखा में पहले की अपेक्षा अधिक पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं । सदस्यों ने इस पर संतोष व्यक्त किया । फिर भी यदि कुछ पत्र अग्रेषण पत्र इत्यादि विशेष रूप से दिल्ली (एवं अन्य क, ख क्षेत्र के कार्यालयों को) जाने वाले अभी भी अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं तो उनको हिन्दी में भेजा जाये । इसके लिये हिन्दी अनुवादक की सहायता ली जानी चाहिये ।

बैठक में यह चर्चा की गई कि 86 प्रतिशत कर्मचारी इस कार्यालय के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं । श्री देवकी नन्दन विष्ट, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय को अधिसूचित करने हेतु मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए ।

4. आयकर प्रभार लुधियाना

लुधियाना केन्द्रीय आयकर प्रभार, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक केन्द्रीय राजस्व भवन में श्री एस. एस. भाटिया, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में हुई ।

क. कार्यालयों का निरीक्षण

यह सूचित किया गया कि हिन्दी अनुभाग द्वारा गत वर्ष 14 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । जिनकी निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित कार्यालयों को भेज दी गई । लेकिन अभी तक दो तीन कार्यालयों से ही अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित आयकर उप-आयुक्तों से कहा कि वे इस बात को नोट करें और अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों की अनुपालन रिपोर्टें शीघ्र भिजवाएं।

ख. देवनागरी में तार

यह सूचित किया गया कि गत तिमाही में आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा भेजी गई कुल 21 तारों में से 5 तार देवनागरी में भेजी गई। यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के प्रशासनिक तार हिन्दी में ही भेजे जाएं और यदि इन्हें हिन्दी में भेजने में कोई कठिनाई जाती हो तो इन्हे हिन्दी अनुवादक के पास भेजा जाए ।

2. तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा

31-3-91 को विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति इस प्रकार थी :—

रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय मण्डल—जालंधर, चण्डीगढ़, पटियाला में हिन्दी में कम मात्रा में पत्राचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने आयकर उप-आयुक्त (केन्द्रीय) रेंज 1, लुधियाना को निर्देश दिया कि वे जब भी पटियाला या चण्डीगढ़ दौरे पर जाएं तो इस संबंध में सहायक आयकर आयुक्त से बात करें तथा हिन्दी में पत्राचार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश दें। आयकर उप आयुक्त (के.) अमृतसर भी केन्द्रीय मण्डल जालंधर में हिन्दी में पत्राचार की मात्रा बढ़ाने के लिए आयकर सहायक आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दें। कर वसूली (केन्द्रीय कार्यालय में समस्त पत्राचार अंग्रेजी में किया गया है। कर वसूली अधिकारी समस्त पत्राचार हिन्दी में करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। निर्धारितियों को भेजे जाने वाले तथा अन्य पत्रों के मानक मसौदों का अनुवाद करवाएं। केन्द्रीय मण्डल जालंधर के आंकड़े ठीक नहीं लगते हैं, अतः अध्यक्ष ने सहायक निर्देशक (रा. भा.) से कहा कि वे सहायक आयकर आयुक्त जालंधर को स्थिति स्पष्ट करने को कहें ।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कुल भेजे पत्र	हिन्दी में भेजे पत्र	अंग्रेजी में भेजे पत्र	प्रतिशत मात्रा 31-12-90	प्रतिशत मात्रा 31-3-91
1	2	3	4	5	6	7
1.	आयकर आयुक्त (के.)	2763	1419	1344	45 %	51 %
2.	केन्द्रीय रेंज – 1, लुधियाना	913	275	638	30 %	30 %
3.	केन्द्रीय रेंज – 2, लुधियाना	816	200	616	32 %	24.5%
4.	केन्द्रीय रेंज अमृतसर	220	105	115	28 %	48 %
5.	के. म. – जालंधर	4436	236	4200	6 %	5.3 %
6.	के. म. – चण्डीगढ़	202	56	146	6 %	28 %
7.	के. म. – पटियाला	336	36	300	17.6 %	11 %
8.	के. म. – करनाल	410	197	213	47 %	48 %
9.	कर वसूली अधिकारी (के.)	23	—	23	शून्य	शून्य

(क) हिन्दी टाईपिस्टों का अनुपात

यह सूचित किया गया कि वर्ष 1991–92 के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कार्यालयों में कार्यरत कुल टाइपिस्टों का 35% टाइपिस्ट हिन्दी टाइप जानने वाले होने चाहिएं। केन्द्रीय प्रभार में कार्यरत कुल 23 टाइपिस्टों में से 17 को पहले ही देवनागरी टाइप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अन्य टाइपिस्टों को भी प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) हिन्दी आशुलिपिकों का अनुपात

वर्ष 1991–92 के लिए कुल आशुलिपिकों में से 35 प्रतिशत हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय प्रभार में कार्यरत कुल 18 आशुलिपिकों में से 8 को हिन्दी आशुलिपिक में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अन्य आशुलिपिकों को विभागीय व्यवस्था से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) कार्यालयों का निरीक्षण

आयकर आयुक्त महोदय ने सभी आयकर उप-आयुक्तों के निर्देश दिए कि जब भी वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के दौरे पर जाएं तो अन्य बातों के साथ-2 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का अवश्य निरीक्षण करें तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख करें।

5. आयकर प्रभार जालन्धर

आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार की केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1991–92 की प्रथम बैठक, श्री बी. एस. दहिया, आयकर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में 13 मई, 1991 को आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यालय पर तैनात सभी आयकर उपायुक्त, सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या. प्रशा.) व सर्वकार्यकारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना आदि उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम समिति की 15 मार्च, 1991 को हुई बैठक के कार्यवृत्त पर संक्षिप्त चर्चा करके इसकी पुष्टि की गई। फिर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991–92 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और अंत में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन हेतु सभी योजनाओं की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई।

इस बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों का विवरण इस प्रकार है :–

आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार में गत तिमाही में 42% से कुछ अधिक पत्राचार हुआ है। **पिछली तिमाही में जारी 6584 हिन्दी पत्रों के मुकाबले में इस तिमाही में 11,000 पत्र हिन्दी में जारी हुए।** अध्यक्ष ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 60% को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने के निदेश दिए।

35% तारें टेलेक्स संदेश देवनागरी में भेजे जाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु निर्णय किया गया कि कुछ रूटीन तारों का हिन्दी रूपान्तर बनवा कर प्रयोग में लाया जाए।

देवनागरी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए 3 टाइपिस्टों को पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामित किया गया, जिनके जुलाई, 1991 में देवनागरी टाइपिंग परीक्षा में बैठने की संभावना है। मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशा.) पटियाला के ध्यान में यह मामला लाया गया था, उन्होंने कुछ हिन्दी आशुलिपिकों को शीघ्र इस प्रभार में नियुक्त करने का आश्वासन दिया।

राजभाषा विभाग द्वारा पिछले वर्ष जारी की गई पुस्तक-सूची में से 18 पुस्तकें खरीदने हेतु चुनी गई, जिनमें 13 पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। अब राजभाषा विभाग द्वारा जारी विस्तृत पुस्तक-सूची में से पुस्तकों का चयन किया जा रहा है।

पिछले वर्ष प्रभार के 7 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था। इस वर्ष 10 कार्यालयों का निरीक्षण करने का निर्णय किया गया।

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन हेतु योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा वार्षिक कार्यक्रम के साथ सभी अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किया गया। इन प्रोत्साहन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने के निदेश दिए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निम्नलिखित जांच बिन्दु बनाए गए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि इन जांच-बिन्दुओं के उल्लंघन के मामले, पी. ए. (वैयक्तिक सहायक) संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

क. सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी हों।

ख. लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जायें।

ग. रबड़ की मोहरें, नाम पटट, साईन-बोर्ड द्विभाषी रूप में बनवाए जाएं (यथासंभव त्रिभाषी रूप में भी)।

घ. सेवा पुस्तकों में इन्दराज हिन्दी में किए जाएं।

ड. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हर हालत में हिन्दी में दिए जाएं।

6. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान, करनाल

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 17-5-91 को डा. आर. के. पटेल, निदेशक की अध्यक्षता में हुई।

द्विभाषी कम्प्यूटरों की खरीद

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रभारी संगणक केन्द्र अपने अधीनस्थ कर्मियों को द्विभाषी कम्प्यूटरों के प्रशिक्षण संबंधी रूप रेखा बनाएं और प्रत्येक कर्मिक को इस तरह के कम्प्यूटर चलाने में प्रशिक्षित करने का प्रयास करें। एक पी. सी. कम्प्यूटर द्विभाषी करने के संबंधी कार्यवाही करें।

प्रशासनिक वर्ग में हिन्दी प्रशिक्षण व टाइपिंग प्रशिक्षण

अध्यक्ष महोदय व सदस्यों ने यह तय किया कि इस प्रशिक्षण की अवधि एक माह एक घन्टा (4 से 5 बजे तक) प्रति दिन रखी जाए। एक अनुभाग से एक ही समय में एक ही लिपिक प्रशिक्षण हेतु आयेगा, जिससे संस्थान का कार्य लम्बित न हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी अधिकारी बना कर संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे।

हिन्दी टाईपिस्ट/टाइपराइटर

समिति सचिव ने बताया कि इस समय संस्थान में करीब 10 हिन्दी टाइपराइटर हैं। जिनमें से 5 टाइपिस्टों द्वारा 5 मशीनों पर टंकण किया जा रहा है। कुछ अनुभाग हिन्दी कार्य हेतु नामित है परन्तु टाइपराइटर अथवा टाइपिस्ट के अभाव में कार्य नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि जिन विभागों में टाइपिस्ट नहीं है उनमें विभागाध्यक्ष अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करें एवं वहां टाइप मशीन उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष दो या तीन मशीनें खरीदने संबंधी कार्यवाही विभागाध्यक्ष करें।

सचिव ने बताया कि हिन्दी प्रकोष्ठ से कुछ अनुभागों/विभागों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि राजभाषा कार्यान्वयन में सहायक संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करायी जांए ताकि काम करने में आसानी हो। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति प्रकट करते हुए कहा कि इस वर्ष ऐसी पुस्तकों के 10 (दस) सैट खरीद कर इस संबंधित अनुभागों में वितरण किए जाएं।

हिन्दी पदों का सृजन

सचिव ने बताया कि पदों के सृजन हेतु परिषद से प्राप्त पत्र के अनुसार एक हिन्दी अनुवादक का पद संस्थान में सृजन होना है। इस संबंध में मांगा गया औचित्य हिन्दी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी को दिनांक 2-1-91 को प्रस्तुत कर दिया गया।

वैज्ञानिक हिन्दी लेखन कार्यशाला

समिति सचिव ने बताया कि इस तरह की कार्यशाला, आयोजन करने के संबंध में सचिव, भा. कृ. अनु. परिषद तथा निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग (भारत सरकार) के पत्र प्राप्त हुए है। इस बार विचार विमर्श करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि निदेशक केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल से भी इस संबंध में सम्पर्क किया जाए एवं निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के सहयोग से कार्यशाला कराने का प्रयास किया जाए।

7. के.लो.नि. विभाग, देहरादून

कार्यपालक इंजीनियर, देहरादून केन्द्रीय मंडल प्रथम, के. लो. नि. वि. देहरादून की वर्ष 1991 में होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक 18-5-91 को श्री एन. के. सिन्हा की अध्यक्षता में हुई।

पत्राचार की स्थिति दिनांक 1-2-91 से 30-4-91 तक

क्र. सं.	प्राप्त हिन्दी	पत्र अंग्रेजी	कुल	प्रेषित हिन्दी	पत्र अंग्रेजी	कुल	पिछली प्रगति
1) मंडल कार्यालय	1834	873	2707	1355	101	1456	93%
	68%	62%		93%	7%		
2) उपमंडल 1	334	6	340	275	शून्य	275	100%
	986%	.2%		100%	—		
3) उपमंडल 2	397	200	597	145	11	156	91%
	67%	33%		93%	7%	1	
4) उपमंडल 3	318	32	350	142	2	144	100%
	91%	9%		99%	1%		
5) उपमंडल 4	162	31	193	74	शून्य	74	100%
	84%	16%		100%	—		
6) उपमंडल 5	106	91	197	150	16	166	90%
	54%	46%		90%	10%		
	3151	1223	4384	2141	130	227	94%
	72%	28%				94%	

इस तिमाही में इस मंडल ने पिछले 94% पत्राचार का प्रतिशत बनाये रखा जिसके लिए अध्यक्ष ने सभी सदस्यों की प्रशंसा की। सहायक इंजीनियर II की प्रगति पिछली प्रगति से कुछ कम रही है जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने खेद प्रकट किया और कहा कि एक बार प्राप्त लक्ष्य को भविष्य में बनाये रखें तथा उसमें किसी भी हालत में कमी न आने पाये।

(2) तारों की स्थिति	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल
	9	—	9

अनुबन्ध/आपूर्ति/आदेश कार्यादेश दिनांक 1-2-91 से 30-4-91 तक

क्र. सं. अनुभाग	अनुबन्ध			आपूर्ति आदेश			कार्य आदेश		
	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1) मंडल कार्यालय	5	4	9	6	—	6	—	3	3
(2) उपमंडल 1	5	4	9	8	—	8	5	—	5
(3) उपमंडल 2	2	3	5	1	शून्य	1	शून्य	2	2
(4) उपमंडल 3	—	10	10	6	—	6	शून्य	1	1
(5) उपमंडल 4	—	3	3	1	—	1	1	—	1
(6) उपमंडल 5	1	5	6	1	—	1	—	3	3
	13	29	42	23	—	23	6	9	15

अध्यक्ष ने छोटे कार्यों के कार्य आदेश व अनुबन्ध हिन्दी में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी सहायक इंजीनियरों ने आश्वासन दिया है।

पंजाब नेशनल बैंक, भोपाल

अंचल कार्यालय, भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1990-91 की चौथी बैठक श्री के. एस शेखर, अंचल प्रबंधक की अध्यक्षता में दिनांक 21-01-91 को हुई।

सदस्य सचिव श्री कोहली ने उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया एवं संक्षेप में अंचल कार्यालय एवं चारों क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में की जा रही प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बैठक को सूचित किया कि :—

- मध्य प्रदेश अंचल की समस्त शहरी और अर्द्ध शहरी शाखाओं में राजभाषा प्रेरक नामित किये गये हैं।
- क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि उनके क्षेत्र के जो अधिकारी अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं उनकी वार्षिक पी.ए.एफ. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाए।
- अंचल प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल में समस्त प्रशिक्षण कार्य हिन्दी माध्यम से किया जाता है एवं हिन्दी/द्विभाषिक हैंड आउट उपलब्ध कराए जाते हैं।
- अंचल प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल द्वारा 3 हिन्दी पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है जो सभी स्टाफ सदस्यों के लिये काफी उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।
- चारों क्षेत्रों की एक-एक शाखा को सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कार्य निष्पादन के लिये प्रतिवर्ष राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है।
- अंचल कार्यालय में प्रतिवर्ष 3000.00 रुपये मूल्य की तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 2500.00 रुपये मूल्य की पुस्तकें अनिवार्य रूप से खरीदी जाती हैं। इन्हें संबंधित कार्यालय के हिन्दी पुस्तकालय में रखा जाता है।
- अंचल कार्यालय के स्थापना, डाक प्रेषण राजभाषा, ग्राहक सेवा तथा शिकायत कक्ष अपना समस्त काम हिन्दी में करते हैं। कार्मिक, प्रसाक्षियत निरीक्षण और सामान्य प्रशासन अनुभाग अपना काफी काम हिन्दी में करते हैं।
- जबलपुर क्षेत्र के समस्त आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान है एवं इसी प्रकार अंचल कार्यालय एवं अन्य क्षेत्रों में भी निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त किया गया है।
- अंचल कार्यालय के राजभाषा कक्ष में हिन्दी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है। इसमें अंचल कार्यालय के 5 अंग्रेजी आशुलिपिकों एवं 1 अंग्रेजी टंकक को हिन्दी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- अंचल कार्यालय के स्टाफ सदस्यों को अधिकाधिक काम हिन्दी में करने की प्रेरणा देने के लिये उनके दैनिक प्रयोग में आने वाले पत्रों/अनुस्मारकों/कवरिंग पत्रों/प्रोफार्मों आदि के हिन्दी प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं।
- अंचल कार्यालय से समस्त साधारण तार केवल हिन्दी में भेजे जाते हैं। चारों क्षेत्रों में भी हिन्दी तारों का प्रतिशत काफी अधिक है।
- इस वर्ष 01-04-90 से 31-12-90 तक की अवधि के 9 महीनों के दौरान अंचल में 17 हिन्दी कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किये गये। इनमें 439 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- अंचल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में निम्न निर्णय लिये गये थे जिनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है :—
- अंचल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में निम्न निर्णय लिए गए थे जिनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है :—

  *समस्त कवरिंग पत्र केवल हिन्दी में भेजे जाएंगे।

  *समस्त अनुस्मारक केवल हिन्दी में भेजे जाएंगे।

  *अंचल के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को जारी किए जाने वाले पत्र, उनसे जानकारी, पुष्टि आदि प्राप्त करने के लिए भेजे जाने वाले प्रोफार्मे/पत्र आदि केवल हिन्दी में ही भेजे जाएंगे।

  *अंचल कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले समस्त साइक्लोस्टाइल्ड पत्र आदि केवल हिन्दी में ही भेजे जाएंगे।

  *उक्त कार्यों का अनुपालन संबंधित अधिकारी, फंक्शनल प्रबंधक, डिस्पैच अनुभाग सुनिश्चित करेंगे।

  *स्टेंसिल मशीन पर काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक स्टेंसिल पर राजभाषा अधिकारी/प्रबंधक के हस्ताक्षर करवाएं।

सदस्य सचिव ने बैठक को क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त 31 दिसम्बर, 1990 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की स्थिति विस्तारपूर्वक बताई । उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय एवं चारों क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए । हिन्दी पत्राचार के संबंध में उन्होंने बताया कि भोपाल क्षेत्र का पत्राचार हिन्दी में 92 प्रतिशत, इन्दौर क्षेत्र का 83.25 प्रतिशत, रायपुर क्षेत्र का 88.09 प्रतिशत, जबलपुर क्षेत्र का 93 प्रतिशत और अंचल कार्यालय का 91 प्रतिशत है । सामान्य किस्म के तार जिन्हें हिन्दी में भेजा गया के संबंध में भोपाल क्षेत्र का प्रतिशत 62, इन्दौर क्षेत्र का 90.60, रायपुर क्षेत्र का 64.5 तथा जबलपुर क्षेत्र का 80.5 और अंचल कार्यालय का 100 प्रतिशत है । सदस्य सचिव ने बैठक को सूचित किया कि अंचल कार्यालय एवं चारों क्षेत्र राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णरूपेण पालन कर रहे हैं । हिन्दी टंकण यंत्रों की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि भोपाल क्षेत्र में यह 17 प्रतिशत, इंदौर क्षेत्र में 37 प्रतिशत, रायपुर क्षेत्र में 28 प्रतिशत, जबलपुर क्षेत्र में 50 प्रतिशत और अंचल कार्यालय में 60 प्रतिशत है । इसी प्रकार हिन्दी टंककों के संबंध में भोपाल क्षेत्र की स्थिति 16 प्रतिशत, इंदौर क्षेत्र 60 प्रतिशत, रायपुर क्षेत्र 65 प्रतिशत, जबलपुर क्षेत्र 100 प्रतिशत और अंचल कार्यालय 71 प्रतिशत है । हिन्दी आशुलिपिकों की स्थिति भी भोपाल क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर निर्धारित लक्ष्यानुसार है ।

उपसचिव कार्या. ने कहा कि सभी क्षेत्रों एवं अंचल कार्यालय द्वारा साधारण तार हिन्दी में भेजे जा रहे हैं यह अच्छी बात है । चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोड वाले तार भी हिन्दी में भेजे जाएं तो बेहतर होगा किन्तु उन्हें बताया गया कि चूंकि कोड पुस्तिका अभी अंग्रेजी में उपलब्ध है अतः इन्हें हिन्दी में नहीं भेजा जा सकता है । इस पर उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रधान कार्यालय स्तर पर उठाया जाए, जिससे वे कोड तारों का हिन्दी रूप तैयार कर सकें ।

सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि अंचल कार्यालय में भोपाल दूर संचार विभाग से प्राप्त 22-12-90 के पत्र अनुसार शीघ्र ही द्विभाषिक टेलेक्स मशीन लगा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में भोपाल दूर संचार विभाग को अनुस्मरण पत्र भी भेजा गया है । कार्यालय में द्विभाषिक टेलेक्स मशीन संस्थापित हो जाने से हमारा काम और अधिक हिन्दी में होने लगेगा । इस पर बैठक ने संतोष व्यक्त किया ।

□

9. दूरदर्शन, मद्रास

दूरदर्शन केन्द्र मद्रास में दिनांक 17-4-91 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

श्री के.पी. के. नम्बियार, निदेशक की अध्यक्षता में हुई । जिसमें सर्वश्री सी. रामानुजाचार्युलु, उप-निदेशक (कार्यक्रम), टी. राधाकृष्णन, केन्द्र अभियंता, प्रिंस जयसिंह, सहायक केन्द्र निदेशक, वी. नरसिंहाचारी, समाचार संपादक, के.पी. नारायणन कुट्टी, प्रशासनिक अधिकारी, एस. जयचन्द्रन, वेतन व लेखाधिकारी, वेतन व लेखा कार्यालय, दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास, मुहम्मद हयात, सचिव, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद्, मद्रास शाखा, डा. आर.एन. श्री निवासन, हिन्दी शिक्षण योजना, एन. श्रीनिवासन, कु. वी. लक्ष्मी नरसु, सुन्दरराज वर्मा, हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया ।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं में से हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन दूरदर्शन केन्द्र मद्रास में दिनांक 27-11-90 को आयोजन किया गया था । परिषद् द्वारा भेजे गये नकद पुरस्कारों का वितरण, विजेताओं को, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों के लिये चुने गये थे, अध्यक्ष महोदय के अनुरोध के अनुसार श्री मुहम्मद हयात्, सचिव, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् मद्रास शाखा और डा. आर. एन. श्रीनिवासन, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास द्वारा किया गया था । इसके पहले श्री हयात् ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के महत्त्व और परिषद् द्वारा चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में बताया।

(अ) कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण

हिन्दी अनुभाग द्वारा समिति को बताया गया था कि सन् 1991, जनवरी-नवंबर सत्र के लिये कुल 12 अभ्यार्थी अपने नाम पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए दर्ज किए है । एक अभ्यर्थी टंकण प्रशिक्षण पा रहा है ।

(ब)- हिन्दी किताबों की खरीद

समिति को बताया गया है कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किताबों को खरीदने का काम पूरा हो चुका है । अध्यक्ष ने इच्छा प्रकट की है कि और किताबें खरीदना आवश्यक है ।

(स) द्विभाषिक रूप में फाईलों के शीर्षक

हिन्दी अनुभाग ने बताया है कि अभियांत्रिकी स्कंध से मिली सूची के शीर्षकों में, लगभग 30 शीर्षकों को अनुवाद करके संबंधित स्कंध को आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। अध्यक्ष ने प्रशासन व कार्यक्रम स्कंधों को निदेश दिया है कि वे भी अपनी फाइल सूचियों को हिन्दी अनुभाग को अनुवाद हेतु भेजें ।

हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार योजना

कर्मचारियों के बीच हिन्दी में काम करने की रुचि को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना के बारेमें पहले ही एक परिपत्र जारी किया गया था। अध्यक्ष ने इच्छा प्रकट की है कि दुबारा फिर एक बार इस संबंध में परिपत्र जारी किया जाए ।

पत्राचार पाठ्यक्रम अभ्यर्थी लोगों के लिए हिन्दी कक्षाएं चलाना

बताया गया कि पत्राचार पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी लोग अपने आप पढ़ने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं । इस संबंध में विचार-विमर्श करने पर हिन्दी शिक्षण योजना के सदस्य ने बताया है कि वे महीने में एक दिन केन्द्र के पत्राचार अभ्यर्थी लोगों को हिन्दी कक्षाएं चलाने के लिए विचार करेंगे ताकि कर्मचारियों की पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएं ।

हिन्दी पढ़ाने के संबंध में आडियो कैसेटों की खरीद

अध्यक्ष ने हिन्दी अनुभाग को निदेश दिया है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से संपर्क करके, अगर हिन्दी पढ़ाने के संबंध में कोई ऑडियो कैसट उपलब्ध है तो उन्हें खरीदकर संबंधित अभ्यर्थी लोगों को सुनाए जाएं ।

10. आकाशवाणी, पणजी गोवा

आकाशवाणी, पणजी-गोवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 1991 को केन्द्र अभियन्ता श्री लक्ष्मीकान्त द. धायमोडकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रतिशत 14% रहा जबकि वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार प्रतिशत 20 निर्धारित किया गया था। वर्ष 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह 20% से बढ़कर 30% हो गया है। सहायक केन्द्र निदेशक ने सुझाव दिया कि हम जहां तक हो सकेगा वहां तक वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ।

"ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रतिशत 61 रहा । हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी है। वर्ष 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह लक्ष्य 20% से बढ़कर 30% हो गया है ।

हमारे केन्द्र में 13 रोमन टाइपराइटर हैं। देवनागरी के केवल दो टाइपराइटर हैं। पिछले वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कुल टाइपराइटरों का 12% देवनागरी के राइपराइटर होने चाहिए। परन्तु वर्ष 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह 12% से बढ़कर 15% हो गया है।

हिन्दी पुस्तकों के क्रय के बारे में बताया गया कि हमारे केन्द्र में पुस्तकालय द्वारा वर्ष 1990-91 में हिन्दी पुस्तकों के क्रय पर वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित की गयी 25% धनराशि से कम व्यय किया गया है। सहायक केन्द्र निदेशक ने कहा कि हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग बम्बई से पुस्तकों की सूची मंगाएंगे और अच्छी-अच्छी पुस्तकों को क्रय करेंगे।

श्री आई. आर. वी. राव, सूचना सहायक, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, पणजी ने बताया कि उनके यहां प्रायः हिन्दी में ही कार्य होता है और "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखे जाते हैं जिसके कारण पत्राचार में काफी वृद्धि हुई है ।

11. आकाशवाणी, सांगली

आकाशवाणी सांगली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1991 की दूसरी तिमाही बैठक दिनांक 20-6-1991 को श्री हेमन्त कारंडे, सहायक केन्द्र निदेशक एवं समिति के अध्यक्षता में हुई ।

31 मार्च, 1991 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह संतोष प्रकट किया है कि हिन्दी शिक्षण योजना नई दिल्ली की ओर से सांगली के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता द्वारा जनवरी 1991 में आयोजित हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा में इस कार्यालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने उच्च अंक प्राप्त कर विशेष योग्यता के साथ प्राज्ञ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अतः वे तीनों कर्मचारी हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन एवं सुविधा के अनुसार नकद पुरस्कार पाने की क्षमता रखते हैं। नकद पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी इस प्रकार हैं।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	अनुभाग	पुरस्कार राशि
1.	श्री मनोज क्षीरसागर लिपिक श्रेणी –II	प्रशासन विभाग	रु. 300
2.	कु. माया देसाई	कार्यक्रम विभाग	रु. 300
3.	श्री. बी. एस. कुलकर्णी	अभियांत्रिकी विभाग	रु. 100 एक मुश्त पुरस्कार

अध्यक्ष ने अन्य शेष कर्मचारियों को यह सुझाव दिया कि आप सभी स्वयं प्रयत्नों के साथ हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन एवं सुविधा का लाभ उठाने का प्रयास करें।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 1 जुलाई 1991 से नई दिल्ली में प्रारंभ हिन्दी प्राज्ञ पत्राचार पाठ्यक्रम में कार्यालय के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारियों का नाम नामित करें ।

पिछली बैठक में समिति के सदस्यों का यह प्रस्ताव था कि कार्यालय में हिन्दी में काम-काज की मात्रा बढ़ने के कारण इस कार्यालय के लिए एक हिन्दी अधिकारी का पद सृजन के लिए महानिदेशालय के आगे प्रस्ताव रखा जाए। महानिदेशालय नई दिल्ली को प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेज दिया गया है परन्तु आज तक वहां से अगली कार्रवाई की अपेक्षा है। फिर अनुस्मारक भेजने का सुझाव दिया गया।

पिछली बैठक में इस बात का भी प्रस्ताव रखा गया था कि आकाशवाणी सांगली की स्वतंत्र रूप से हिन्दी में त्रैमासिक पत्रिका खोलने इसके साथ हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के अन्य कार्यक्रमों के अवसर खर्च करने तथा कार्यालय में हस्तलिखित भित्ति पत्रिका बनवाने के लिए अलग से निधि का प्रावधान हेतु महा निदेशालय को प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाए इसी प्रकार महानिदेशालय को प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया है वहां से आज तक प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ है तो अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि फिर एक बार महानिदेशालय को उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुस्मारक भेज दिया जाए।

बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि कलाकारों को देने वाले चैक्स हिन्दी में लिखना प्रारम्भ करें तथा कार्यालय में जितने रबड़ मोहरें शेष है। उन सभी रबड़ मोहरों और नये भर्ती राजपत्रित अधिकारियों का नाम तथा पदनाम के साथ का रबड़ मोहरे द्विभाषी में बनवाया जाए।

12. आकाशवाणी, नागपुर

आकाशवाणी नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 41 मार्च, 1991 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 10 मई 1991 को केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में हुई।

धारा 3(3) का अनुपालन

इस संबंध में हिन्दी अधिकारी ने यह कहा कि लगभग सभी फार्मों को द्विभाषी बना लिए गए है और बचे हुए फार्मों को भी जल्द से जल्द द्विभाषी बनाने के प्रयास जारी हैं। चैकों आदि में हिन्दी के अंक शब्दों में लिखने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) ने यह सुझाव दिया कि हिन्दी अनुभाग द्वारा एक से सौ तक के अंक शब्द में लिखकर देने से इस कार्य में तेजी आ सकती है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि जल्द ही यह बनाकर संबंधित अनुभागों को उपलब्ध किया जाए।

राजभाषा विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

हिन्दी अधिकारी द्वारा राजभाषा विभाग के निरीक्षण रिपोर्ट को मिटिंग में प्रस्तुत किया गया। हिन्दी तार के संबंध में हिन्दी अधिकारी ने यह कहा कि राजभाषा विभाग ने हिन्दी के तार अधिकतर अंग्रेजी में ही जारी होने पर आपत्ति उठाई है और इसका 30% का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है। इस पर डी. डी. ओ. श्री अशोक बढ़े ने यह सुझाव दिया कि मानकीकृत तारों का अनुवाद करा लिया जाए। कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) एवं लेखाकार द्वारा यह कहा गया कि कुछ तार शीघ्र ही भेजने होते है और वक्त पर हिन्दी टाइपिस्ट उपलब्ध नहीं होते, इस संबंध में हिन्दी अधिकारी ने यह कहा कि ऐसे तार टंकण के लिए हिन्दी अनुभाग को भेज दिया करें, उन्होंने कहा कि 27 जून, 91 को हिन्दी टंकण की एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिससे यह भी मालूम हो जाएगा कि वास्तव में कितने लोगों को हिन्दी टंकण का ज्ञान है ताकि उनकी सेवा का लाभ उठाया जा सके।

हिन्दी अधिकारी द्वारा यह कहे जाने पर कि राजभाषा विभाग ने लेखा अनुभाग में अंग्रेजी में ही हाजरी रजिस्टर एवं भुगतान आदेश लिखे जाने पर आपत्ति उठाई है, लेखाकार ने यह कहा कि हाजिरी रजिस्टर हिन्दी में लिखा जा रहा है। आगे हिन्दी अधिकारी ने उनसे यह भी कहा कि उनके अनुभाग में हिन्दी कार्य में यदि कोई कठिनाई या समस्याऐं हो तो यह उनके ध्यान में लाई जाए ताकि उसका निराकरण हो सकें।

डेली प्रोडक्शन शीट के संबंध में डी. डी. ओ. श्री अलोक बढ़े ने कहा कि इसे हिन्दी अनुभाग में भेजकर अनुवाद करवा लिया जाए।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में हिन्दी अधिकारी ने कहा कि नियमानुसार 50 पुस्तकें हिन्दी की खरीदी जानी चाहिए इस पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यालयीन कामकाज से संबंधित पुस्तकों को तीन-चार प्रतियों में एवं उपन्यास आदि की एक प्रति के हिसाब से मंगाई जाए।

13. आकाशवाणी, बीकानेर

आकाशवाणी बीकानेर में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 25-3-91 को केन्द्राध्यक्ष के कक्ष में हुई। बैठक के कार्यवृत्त में प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

टिप्पण एवं आलेखन के लिए नकद प्रोत्साहन पुरस्कार

बताया गया कि 31 दिसम्बर, 1990 की तिथि देते हुए अंतिम बार सभी कर्मचारियों को उक्त पुरस्कार योजना हेतु अपने आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु परिपत्रित कर दिया था तथा तदनुसार प्राप्त चार दावों पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार कर वर्ष 1989-90 के लिए सर्वश्री कैलाश आस्वाणी (वरिष्ठ लिपिक) को 400/- केशवप्रसाद बिस्सा (वरिष्ठ लिपिक) को 400/- सुरेन्द्र कुमार सील्लू (वरिष्ठ लिपिक) को 200/-, तथा दिलीप जैन (कनिष्ठ लिपिक) को 200/- के नकद पुरस्कार प्रदान किए जा चुके है। वर्ष 1990-91 के लिए भी यह योजना लागू की गई है तथा वर्ष के अंत तक पुनः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती

है कि वे अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दें ताकि उन पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार हो सके। आगामी वर्ष 1991–92 के लिए भी कार्यालय में यह योजना लागू की जाएगी।

पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में यद्यपि केन्द्र ने शत प्रतिशत का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं किया है तथापि इस केन्द्र पर इस क्षेत्र में 90 से 95 प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग लक्ष्यों के निकटतम कहा जा सकता है।

कार्यालय नियम 10 (4) के अन्तर्गत बहुत पहले से ही राजपत्र में अधिसूचित है।

40 प्रतिशत तक तारें हिन्दी में भेजी जाती हैं।

एक और हिन्दी का टकण यंत्र खरीद लेने पर हिन्दी टंकण यंत्रों का वांछित अनुपात 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

वर्तमान में केन्द्र पर हिन्दी टाइपिस्टों एवं हिन्दी आशुलिपिकों का अनुपात क्रमशः शत-प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत है।

वर्ष 1990 में हिन्दी दिवस सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाया गया। सप्ताह भर प्रतिदिन एक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा समापन दिवस पर केन्द्र द्वारा एक राजभाषा स्मारिका "सुरभि" का प्रकाशन-संपादन कर विमोचन कराया गया।

केन्द्र के पुस्तकालय में इस वर्ष शत-प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की ही खरीद की गई है।

14. आकाशवाणी, नई दिल्ली

मुख्य अभियंता (अनुसंधान एवं विकास) आकाशवाणी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31 मार्च, 1991 को समाप्त तिमाही अवधि की बैठक श्री के. एम. पाल, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में दिनांक 10-5-91 को हुई।

हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को बार चित्रों के माध्यम से दर्शाना

वर्ष 1990 के दौरान हुई हिन्दी प्रगति को हिन्दी अनुभाग द्वारा वारचित्रों के माध्यम से दिखाने के प्रयास को सभी सदस्यों ने सराहनीय कदम बताया। मुख्य अभियंता ने इनकी प्रति महानिदेशालय को प्रेषित करने को भी कहा। डिस्प्ले बोर्ड के संबंध में अनुसंधान अभियंता (श्री वर्मा) ने कहा कि ये कार्यालय में ही तैयार किया जा सकता है। हिन्दी अधिकारी इसके लिए श्री अग्रवाल, सहायक अनुसंधान अभि. को मांग पत्र प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 1991 के समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए हिन्दी अधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि इस तिमाही में प्रगति संतोषजनक रही है और पिछला तिमाही के 75 के बजाय 77% हिन्दी में पत्राचार हुआ है।

टैलेक्स के विषय में श्री वर्मा, अनुसंधान अभियंता ने बताया कि अधिकतर टैलेक्स तकनीकी विषयक होते थे तथा सूचना प्राप्त करने वाले के पास भी हिन्दी की टैलेक्स मशीन होनी चाहिए तभी हिन्दी में समाचार भेजे जा सकेंगें। अध्यक्ष ने इस पर जांच करने की सलाह दी और कहा कि प्रशासन लेखा अनुभाग से जारी होने वाले तार हिन्दी में ही भेजे जाएं।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया गया तथा अनुभागों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध किया गया, यह भी बताया कि और अधिक कार्य हिन्दी में पढ़ाए जाने की संभावना है।

पृष्ठ 15 का शेषांश

इस विभाग के लिये उपयुक्त प्रबंधकों को चुनना अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिये बहुत ऊंचे दर्जे की योग्यता चाहिये। समस्त विभाग को विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का लगातार अध्ययन कर विश्व भर के नये प्रयोगों से अवगत रहना होता है। इसका मूल कारण है कि इस विषय में कोई विश्वविद्यालय डिग्री नहीं देता अतः स्वयं ही व्यक्ति को अपना विकास करना पड़ता है।

शब्दावली

क्वालिटी अश्योरेंस	गुणवत्ता आश्वासन, विश्वास, या भरोसा
क्वालिटी कंट्रोल	गुणवत्ता नियंत्रण
इंसपेक्शन	निरीक्षण, मुआयना, जांच
सुपरवीजन	देख-रेख करना, अधीक्षण, पर्यवेक्षण
सरवीलैंस	निगरानी
टैकनीकल आडिट	तकनीकी लेखापरीक्षा
सिस्टम	प्रणाली
प्रोग्राम	कार्यक्रम
प्लान	योजना, रूपरेखा
मैनेजमैंट	प्रबंध, प्रबंध-मंडल
क्वालिटी	गुण, कोटि, गुणवत्ता
सिगनीफिकेंस	अभिप्रायः, महत्त्व
आरगेनाईजेशन	संगठन
स्ट्रकचर	ढांचा, बनावट, संरचना
रैसपोनसिबिलिटीज	जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व
प्रोसीजर	कार्यविधि
प्रौसेस	प्रक्रिया
रिर्सोसेज	साधन, संपदा, संसाधन

'पर्यावरण प्रदूषण रहित कीट नियंत्रण' विषय पर राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में दिनांक 18–19 सितम्बर 1990 को उपर्युक्त विषय पर एक राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी आयोजित हुई ।

"पर्यावरण प्रदूषण रहित कीट नियंत्रण" संगोष्ठी का विषय स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि आज तक वर्तमान कीट नियंत्रण प्रणालियों में मुख्य और स्तंभ पारम्पारिक संश्लेषित कीटनाशक रसायन रहे हैं, जो वास्तव में अपाकृतिक रासायनिक हस्तियां है, और जो जीवन की विभिन्न क्रियाओं पर किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव रखती है। अधिक मात्रा में यह रसायन हर प्रकार के जीवन के लिए वस्तुतः विष बन जाते हैं, यह अब अच्छी तरह ज्ञात है।

स्वतंत्रता के चालीस वर्ष बाद यह कहते हुए ग्लानि होती है कि यह संगोष्ठी एक दूसरे पहल में भी चुनौती थी इसकी भाषा अंग्रेजी नहीं थी। हमने भारत में सबसे प्रचलित और इस कारण राष्ट्र भाषा, हिन्दी को इस संगोष्ठी की भाषा चुना। हम यह प्रमाणित करना चाहते थे, अगर किसी को प्रमाण की आवश्यकता हो कि अधिकांश आधुनिक राष्ट्रों की भांति हम भी तकनीकी व वैज्ञानिक विषयों पर अपनी ही राष्ट्रीय भाषा में वार्तालाप परिचर्चा व व्यवहार कर सकते हैं। यह संगोष्ठी एक अहिन्दी राज्य में आयोजित की गई थी, देश के हर राज्य से अति उत्साह पूर्वक प्रतिसाद मिला। अहिन्दी क्षेत्रों से भी बगैर किसी झिझक के किसी भी प्रकार का कम प्रतिनिधित्व नहीं रहा।

कीट नियंत्रण, पर्यावरण, कृषि, जनस्वास्थ्य, कीट रसायन, वनस्पति और प्राणीशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 40 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और अंतिम सत्र में बहुत ही उत्साहपूर्वक और रोचक परिचर्चा हुई, जिससे कई दूरदर्शी, सामयिक और अनिवार्य संस्तुतियां उपजी।

संस्तुतियां

सामान्य :

1. "पर्यावरण प्रदूषण रहित कीट नियंत्रण" की हिन्दी में संगोष्ठी 1993 में रा. रा. प्र., पुणे में फिर से आयोजित की जाए।

यदि सम्भव हो तो अन्य संस्थाओं में 1991, 1992 में भी ऐसी संगोष्ठियां की जाए।

भाषा संबंधी :

2. हिन्दी के शोध पत्रों को मान्यता : भावी सभी संगोष्ठियों में हिन्दी में भी शोध पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति/आमंत्रण दिया जाए। इस सूचना का संगोष्ठी के परिपत्रों में पहले से ज्ञापन होना चाहिए। यह सरकारी आदेशानुसार है।

3. हिन्दी में लिखे शोध-पत्र देश की वैज्ञानिक पत्रिकाओं द्वारा स्वीकृत होने चाहिए।

4. शोध पत्रिकाओं में अंग्रेजी लेखों के साथ हिन्दी में सारांश होना चाहिए। इसी प्रकार हिन्दी में लिखे शोध-पत्रों का अंग्रेजी में सार होना चाहिए।

5. हिन्दी में शोध पत्र/परियोजनाओं/प्रबन्ध आदि के मूल्यांकन के लिए सब विषयों में विशेषज्ञों की नामिका बनाई जानी चाहिए।

6. हिन्दी में राष्ट्रीय स्तर पर जीव विज्ञान में तकनीकी प्रकाशन आरम्भ करने का अभियान। इसके लिए यथोचित आर्थिक अनुदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक :

7. पारम्परिक कीट नाशक रसायनों के उपयोग को कम अथवा सन्तुलित करना प्रमुख और सर्व-संमत संस्तुति थी।

8. इसके लिए वैकल्पिक नवीन रसायन, वनस्पति जनित कीट नियंत्रक पदार्थ व नूतन वितरण प्रणालियों पर अनुसंधान जारी रखने पर जोर दिया गया।

9. किशोर सम्प्रेरक व अन्य कीट जीव वृद्धि व विकास निरोधक रसायनों का संश्लेषण भी जारी रहना चाहिए।

10. उक्त पदार्थों के जैव आमापन के लिए नये साधन स्थापित किये जाएं व जो पहले से कार्यान्वित है उन्हें बढ़ाया और विकसित किया जाए।

11. इस संदर्भ में यह भी संस्तुति की गई कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में हो रहे अनुसंधान कार्य को देखते हुए यहां जीव तथा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्रों में भी शोध सुविधाएं और बढ़ाई जाएं जिससे कि इस प्रयोगशाला की अद्वितीय सांस्थानिक उपलब्धियों का लाभ इन विषयों को भी मिल सके।

12. नवीन परिस्थिति अनुकूल व पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य सुलभ रसायनों, पदार्थों एवं नूतन वितरण प्रणालियों पर शोध और इनका वास्तविक व्यवहार में उपयोग के लिए भरसक प्रयत्न जारी रखने चाहिए।

कुल्टी वर्क्स में तकनीकी विचारगोष्ठी

केन्द्रीय विकास वर्क्स, इस्को कुल्टी (प. बंगाल) में गत दिनों एक तकनीकी विचारगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिन्दी में वैज्ञानिक व तकनीकी आलेख प्रस्तुत करने हेतु अपने कर्मियों को उत्साहित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया।

विचारगोष्ठी में कुल्टी वर्क्स और बर्नपुर वर्क्स के विभागीय प्रबंधकों ने भाग लिया। कुल 10 तकनीकी आलेख हिन्दी में प्रस्तुत किए गए। इतनी बड़ी संख्या में हिन्दी तकनीकी आलेख पहले कभी नहीं आए थे। इस वर्ष विचारगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए तकनीकी आलेखों में से कुछ इस प्रकार हैं – "प्रबंध सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर" अनुरक्षण कार्य प्रणाली", "कोर निर्माण की कोल्ड बॉक्स पद्धति", "विलम्बित इन्कुलेशन तकनीक द्वारा पाइप/ढलवों की क्षमता का वृद्धिकरण, "मूल्य इंजीनियरी", "फाउण्ड्री और प्रौद्योगिकी परिवर्तन" आदि।

कुल्टी वर्क्स के सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री नन्द कुमार मिश्र के स्वागत भाषण के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ।

विचारगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक श्री समीर कुमार लाहिरी, बर्नपुर वर्क्स के प्रबंधक (हिन्दी) श्री पी. एस. सिन्हा, मुख्य अधीक्षक (फाउण्ड्री) श्री श्यामल कुमार राय ने अपने विचार प्रकट किए और ऐसी विचारगोष्ठियों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

कुल्टी वर्क्स के महा प्रबन्धक श्री शशि कुमार आहुजा ने कर्मियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि हिन्दी विभाग का इस दिशा में हो रहा प्रयास सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में कुल्टी वर्क्स के वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों पर अपने आलेख हिन्दी में प्रस्तुत करते रहेंगे। इससे न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों को हम अपनी भाषा में व्यक्त कर विषय को सहज बनायेंगे बल्कि ऐसा कर हम एक महान राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति में योगदान भी करेंगे।

सेल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में उप निदेशक (हिन्दी) श्री मन मोहन चन्द्र मिश्र ने विचारगोष्ठी की प्रयोजनीयता पर प्रकाश डालते हुए कुल्टी वर्क्स कर्मियों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लिखने वाले कर्मियों को सुझाव दिया कि वे अंग्रेजी के किसी एक शब्द की जगह हिन्दी का कोई पर्याय जब दें तो हमेशा उस शब्द के लिये उसी उपाय का प्रयोग किया जाता रहे। इससे वह प्रयुक्त शब्द सहज रूप से आम व्यक्ति के करीब चला जायेगा और वह उसे ग्रहण भी करेगा। उन्होंने सभी लेखकों को मूल रूप से हिन्दी में ही लिखने का सुझाव दिया।

उक्त विचारगोष्ठी में प्रस्तुत दस तकनीकी आलेखों में से श्रेष्ठ तीन आलेख चुनने का दायित्व सर्व श्री प्रिय प्रसाद और एस. सी. चक्रवर्ती ने संभाला था। उनके निर्णय पर श्री तपन-कुमार मुखर्जी के आलेख "अनुरक्षण कार्य प्रणाली" को प्रथम, श्री के. के. त्रिपाठी के आलेख "प्रबंध सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर" को द्वितीय तथा श्री विनय कुमार के आलेख "कोर निर्माण की कोल्ड बाक्स विधि" को तृतीय स्थान मिला। इन तीन श्रेष्ठ लेखकों को मुख्य अतिथि श्री आहूजा ने उपहार देकर सम्मानित किया।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया हैदराबाद में राजभाषा

15-5-1991 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की ओर से सभी स्थानीय शाखा प्रबंधकों के लिए एक राजभाषा सेमिनार का आयोजन, बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र पर रखा गया। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री एम.जी. कणिक ने की तथा मुख्य अतिथि केन्द्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) श्री रा. वि. तिवारी, थे। अध्यक्षीय भाषण में महा प्रबंधक श्री जी कणिक ने राजभाषा के कार्य को दिल से लागू करने पर बल दिया तथा श्री तिवारी ने राजभाषा नीति का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें राजभाषा नीति को बैंक का भाग समझना चाहिए यह कार्य कोई बैंक के कार्य से अलग नहीं है।

कार्यक्रम का संचालन श्री आर.पी. अग्रवाल, राजभाषा अधिकारी ने किया।

□

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में विशेष राजभाषा संगोष्ठी

11 दिसम्बर, 1990 को कंपनी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के.एन. वेंकटसुब्रमण्यन की अध्यक्षता में कंपनी के बोर्डरूम में विशेष राजभाषा संगोष्ठी हुई।

श्री रजत कुमार दासगुप्ता, निदेशक (वाणिज्य) ने कहा कि "आज की उच्च स्तरीय बैठक में हम "राजभाषा में कार्य किस प्रकार बढ़े" इस पर चर्चा करेंगे। हमारी संस्था के "क" क्षेत्र में होने के कारण हिन्दी में कार्य करने का दायित्व अधिक हो जाता है।

निदेशक (कार्मिक), श्री बद्रीनाथ झा ने "राजभाषा में कार्य क्यों" शीर्षक से अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता, यही हमारी संस्कृति का भी महत्त्वपूर्ण अंग है। किसी राष्ट्र की पहचान के लिए तीन तत्व मुख्य होते हैं—राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा। लेह से अंडमान और कच्छ से कन्याकुमारी तक एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी यह दायित्व निभा रही है। अंग्रेज़ी से कभी किसी को विरोध नहीं रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसका प्रयोग अवश्य किया जाता रहे लेकिन देश के अन्दर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हिन्दी के माध्यम से राजकाज चलाए तो हम भाषा की दासता से मुक्त हो सकते हैं। भारत की समस्त भाषाओं से शब्दों को लेकर देवनागरी लिपि में एक ऐसी भाषा का विकास हो जिसे हर राज्य का रहने वाला व्यक्ति अपनी भाषा समझे।

विशेष विचारणीय विषय यह भी है कि यह भारत सरकार की नीति है और हम भारत सरकार के कर्मचारी हैं, अतः हिन्दी में काम करना हमारे लिए जरूरी है। हम छोटे-छोटे, नोट अंतः कार्यालय ज्ञापन, पत्र लिख करके अपना सहयोग दे सकते हैं। स्वयं काम करें और अपने सहयोगियों से भी कराएं, यही समय की मांग है।

वरिष्ठ कार्यपालक (हिंदी) श्री हरशरन गोयल ने संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम और नियमों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए 19 जून, 1990 को कंपनी कार्य निरीक्षण के लिए आई संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों को सभी के समक्ष रखा और अनुरोध किया कि दिये गये आश्वासनों पर हमें पूर्णरूपेण कार्रवाई करनी है। श्री गोयल ने सुझाव दिया कि प्रोजेक्ट, अधिप्राप्ति कार्मिक प्रशासन आदि विभागों से अधिक पत्राचार होता है, वे अपने यहां हिंदी में अधिक कार्य कराना शुरू करें। कंपनी, लक्ष्य प्राप्ति की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो सकती है।

परस्पर चर्चा और सुझाव के अंतर्गत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कक्षाओं में उपस्थिति के बारे में सुझाव मांगे और यह तय हुआ कि स्वेच्छा से यदि पढ़ने वालों के नाम नहीं मिलते हैं तो हिन्दी कक्ष विभागवार अंग्रेजी स्टेनों/टाइपिस्टों के नाम विभागाध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ भेजेगा कि उन नामों में से 1-1 या 2-2 व्यक्ति हिन्दी स्टैनों/टाइपिंग कक्षाओं के लिए नामित किये जाएं। यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि नामित व्यक्तियों को कक्षाओं में नियमित रूप से जाकर नियत समय पर परीक्षा में बैठना होगा, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के बारे में तय हुआ कि कंपनी 20 पी.सी. क्लैस्टर खरीद रही है जिन पर हिंदी में भी कार्य किया जा सकेगा। बहुत आवश्यक होने पर पी.सी. क्लैस्टर आने तक देवनागरी टाइपराइटर किराए पर मंगा लिए जाएं। हिंदी स्टेनो/टाइपिंग कक्षा में एक पी.सी. दे देने से 4 व्यक्ति काम कर सकेंगे। वर्ड-प्रोसैसर पर अधिक अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए।

बताया गया कि हिन्दी कम्प्युटरीकरण के लिए श्री आर.के. दासगुप्ता निदेशक, की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें सर्वश्री एस.वी.के. राजू, वे. शेषन्, एच. एम.एम. स्वामी और हरशरन गोयल ने भाग लिया। निर्णय हुआ कि

1. आगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्विभाषी खरीदे जाएं।
2. जिस्ट कार्ड/टर्मिनल देखा जाए।
3. आगे के दो वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में हिन्दी कार्य कम्प्यूटर/वर्ड-प्रोसेसर से किया जा सकता है उसकी पहचान की जाए जैसे टेण्डर नोटिस तथा सामान्य शर्तें, क्रय आदेश, मासिक रिपोर्ट, तिमाही निष्पादन रिपोर्ट, फार्म, प्रोफार्मा आदि।
4. राजभाषा विभाग से सोफ्टवेयर/हार्डवेयर उपलब्धि पर चर्चा की जाए।

श्री एच.एम.एम. स्वामी उक्त निर्णयों पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

न्यूनतम हिन्दी पद सृजन के बारे में बताया गया कि एक हिन्दी अधिकारी अब कार्यपालक (हिन्दी) और अनुवादक के पद भरने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी कार्य पर अभी तक आया नहीं है। कार्यपालक (हिन्दी) के पद का विज्ञापन फिर दिया जा रहा है एक पद वरिष्ठ अनुवादक का भी भरा जाना है। साइट कार्यालयों के लिए अनुवादक-टाइपिस्टों के पदों के लिए आवेदन-पत्र आ गये हैं। सुझाव यह भी दिया गया कि जब तक पद पर नियमित नियुक्ति हो तब तक अस्थायी/दिहाड़ी पर अनुवादक रखा जाए।

हिन्दी प्राध्यापक श्री रूप किशोर शर्मा ने समिति के समक्ष दो सुझाव रखे—

1. पढ़ने वाले व्यक्तियों का परीक्षा के 15 दिन पहले से दौरे का कार्यक्रम न बनाया जाए जिससे कि वे परीक्षा में तैयारी करके बैठ सकें, तथा

2. कंपनी की हिंदी शिक्षण नगद प्रोत्साहन योजना आकर्षक बनाई जाए उसके लिए स्टील अथॉरिटी की योजना का उदाहरण दिया गया।

दोनों सुझाव मानते हुए कहा गया कि संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जाए कि शिक्षणार्थी का दौरा कार्यक्रम परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले से परीक्षा होने तक न बनाया जाए तथा सेल की नगद प्रोत्साहन योजना मंगाकर देखी जाए। चर्चा में सर्वश्री आर.के. दासगुप्ता, महेश बंसल, वी.एन. झा, टी.वी. त्यागराजन, गिरीश तिवारी, एस.सी. श्रीवास्तव, एस.वी.के. राजू, प्रेम चड्ढा, के.के. पाण्डेय और श्री वे. शेषन् ने भाग लिया।

समापन भाषण में श्री महेश बंसल ने राजभाषा प्रयोग पर हुई समस्त चर्चा का सार रखते हुए बताया कि जो भी कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आई हैं उसी के साथ-साथ कई अच्छे सुझाव भी मिले हैं। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम भारत सरकार की नीतियों का पालन करें और अपने सहयोगियों को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा दें।

धन्यवाद देते हुए श्री राम चन्द्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि हिन्दी में कार्य कंपनी में हो रहा है। हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिन्दी के विकास के रुचि ले रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें सफलता मिल रही है।

तलश्शेरी (केरल) में हिंदी-नवलेखक शिविर

जगन्नाथ हिंदी महाविद्यालय, तलश्शेरी (केरल) के सहयोग से दिनांक 19 से 26 नवम्बर, 1990 तक "हिंदीतर भाषी नवलेखक शिविर" का आयोजन तलश्शेरी में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली के सौजन्य से किया गया।

दिनांक 20 नवम्बर, 1990 को "कविता-सत्र" राजकीय ब्रण्णन कॉलेज धर्मडम् में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजन का उत्तरदायित्व हिंदी विभाग की अध्यक्षा श्रीमती हिल्डा जोसेफ ने किया।

'कविता-सत्र के अध्यक्ष उक्त महाविद्यालय में हिन्दी के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष श्री टी एम. राजगोपालन् थे। इसी महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री थाम्स मथ्यू ने भाषण में हिंदी की सराहना करते हुए कहा कि मैं हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा मानता हूं जिसने सम्पूर्ण भारत की एकता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी-प्रवक्ता डॉ. पी. नारायणन् के भाषण का विषय था – "हिंदीतर भाषियों की हिंदी कविता।" उनके भाषण में उपस्थित शिविरार्थियों तथा प्राध्यापकों, लेखकों व श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। उनका सुमधुर स्पष्ट व प्रवाह पूर्ण उच्चारण एवं विवेचन शैली श्लाघनीय है।

सत्र के द्वितीय चरण में हिंदी, संस्कृत तथा मलयालम भाषाओं में कविता-पाठ किया गया। महाविद्यालय के प्रवक्ताओं-सर्वश्री रवीन्द्रन् तथा रामदेवन की कविताओं की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई।

प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री धर्मेन्द्र गुप्त ने "कविता क्या है" विषय पर अत्यन्त सारगर्भित व्याख्यान दिया। तत्पश्चात श्री राधेश्याम बंधु का भाषण व कविता-पाठ हुआ जिसका सभी श्रोताओं ने स्वागत किया।

नवलेखक शिविर पय्यनूर (केरल)

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से हिंदीतर भाषी हिंदी नव लेखन कार्य-शिविर दिनांक 7-2-1991 से दिनांक 14-2-1991 तक हिंदी विद्यापीठ पाय्यनूर (केरल) के तत्वावधान में आयोजित किया गया। मंगलाचरण के बाद स्थानीय विधायक श्री सी.पी. नारायणन् ने उद्घाटन भाषण में भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा के प्रयोग पर जोर दिया। सहायक शिक्षा अधिकारी इन्दुभूषण ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। स्वागत समिति के संयोजक श्री वी.पी. कुमारन् ने आभार प्रदर्शन किया।

दिनांक 8-2-1991 को कहानी और उपन्यास विधा पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। अपराह्न में लगभग सभी शिविरार्थियों ने अपनी अपनी कविता गज़ल आदि सुनाई।

दिनांक 9-2-1991 को पय्यनूर के भारतीय विद्या भवन में डा. कुंजि रामण के नियंत्रण पर सभी शिविरार्थी और मार्ग-दर्शक वहां उपस्थिति हुए। यह एक विशाल आयोजन था जिसकी उपस्थिति हजारों में थी।

दिनांक 10-2-1991 को कहानी पत्र में कहानी लेखन और कहानी की विधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। शिवारार्थियों ने अपनी अपनी स्वरचित कहानियां सुनाई। डा. पद्मजा पड़े की कहानी अधिक सराही गई। मार्ग दर्शक श्री डोभाल ने कहानी की प्रेरणा पर अपने संस्मरण सुनाए।

दिनांक 11-2-1991 को यात्रा संस्मरण सत्र में संस्मरण, रेखाचित्र तथा रिपोर्ताज आदि लिखने की तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई। दोपहर बाद डा. मन्दूर सुकुमारन ने उत्तर केरल की ग्रामीण कलायें" विषय पर विद्वता पूर्ण व्याख्यान दिया। शिविरार्थी श्री के.ए. कुबणूराम ने अपना एक मनोरंजक संस्मरण सुनाया। मार्ग दर्शक साहित्यकार डा. सुवास कुमार ने रेखाचित्र और संस्मरण लेखन पर विस्तार से चर्चा की।

दिनांक 12-2-1991 को उल्लास यात्रा कार्यक्रम में दोपहर से पहले केरल के प्रसिद्ध मन्दिरों, स्नेक गार्डन और दोपहर बाद भारत के पश्चिमी समुद्र-तट का भ्रमण मात्र रहा। 13-2-1991 को नव लेखक शिविर में काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास तथा रिपोर्ताज आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। 14-2-1991 को समापन समारोह पुनः चेंबर आफ कामर्स में आयोजित किया गया, इसमें केरल के प्रमुख विद्वानों ने भी भाग लिया। श्री गुणानन्द थपलियाल की कविता "कवि का अंतर्पट" बहुत सराही गई। □

धनबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन

दिनांक 11-1-1991 को धनबाद में 46 वां अधिवेशन का उद्घाटन समारोह पद्म श्री आचार्य क्षेमचन्द्र "सुमन" की अध्यक्षता में स्वागताध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर पाण्डेय, निदेशक (कार्मिक), भा.को.को. लि. ने मुख्य अतिथि रूप से बिहार के राजभाषा मंत्री (राज्य) श्री विजयकृष्ण सिंह, श्री योगेश्वर प्र. योगेश—पूर्व सांसद, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा सम्पादक, आवाज तथा पत्रकार श्री शतीशचन्द्र ने हिन्दी साहित्य का स्वागत किया।

उक्त अवसर पर भारतीय साहित्य में अस्मिता की खोज पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन (प्रथम संगोष्ठी सत्र) दिनांक 12-1-91 को हुआ। जिसकी अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने की। उन्होंने कहा कि वादों और मतों तथा विचारधाराओं के दबाव में अस्मिता की पहचान कर पाना कठिन हो जाता है।

गोष्ठी का संचालन करते हुए विषय का प्रवर्तन डा. यतीन्द्र तिवारी (कानपुर) ने किया। उन्होंने कहा कि आज के संगठित सामूहिक अविवेक ने शब्दों के अर्थ को विकृत कर दिया। उन्होंने इस संदर्भ में धर्म निरपेक्षता तथा साम्प्रदायिकता जैसे शब्दों की विस्तृत चर्चा करते हुए आस्मिता की प्रखरता को बनाए रखने की चेष्ठा पर बल दिया।

अंत में सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार आचार्य क्षेमचन्द्र "सुमन" ने अपने आशीर्वचन से गोष्ठी का समाहार किया तथा सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री श्रीधर "शास्त्री" ने आभार व्यक्त किया।

राजभाषा विचार गोष्ठी

हिन्दी के सुप्रसिद्ध विचारक श्री हरिबाबू कंसल की अध्यक्षता में "राजभाषा हिन्दी" के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन में हिन्दी सेवी संस्थाओं की भूमिका विषय पर गोष्ठी हुई। संचालन श्री रामनारायण शुक्ल ने किया। विचार व्यक्त करने वालों में जे.जे. त्रिवेदी (गुजरात), श्री विद्याधर पाण्डेय, श्री श्रीधर शास्त्रीजी, डा. तेजपाल चौधरी, प्रो. कमला प्र. सिंह, डा. स्वर्ण किरण, डा. वासुदेव, डा. आर. के. मार्कण्डेय, श्री नवेन्दु लाल आदि ने विचार व्यक्त किए। अन्त में संयोजक श्री अर्जुन पाण्डेय ने आभार व्यक्त किया।

केनरा बैंक, करनाल

प्रबन्धकीय संवर्ग के हिन्दी प्रतिनिधियों का सम्मेलन

हरियाणा प्रदेश के प्रबन्धकीय संवर्ग के हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 5 फरवरी, 1991 को करनाल में हुई। बैठक का उद्घाटन करनाल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रतिनिधि तथा आयकर विभाग के उपायुक्त श्री आर. पी. सिंह ने किया। बैठक की अध्यक्षता श्री एम.आर. रामनन्दन् मण्डल प्रबन्धक ने की।

सर्वप्रथम श्री एस.के. तुली राजभाषा अधिकारी ने बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री एम.आर. रामनन्दन् मण्डल प्रबन्धक ने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ाने के प्रयासों के सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा की।

श्री आर.पी. सिंह (आयकर उपायुक्त) ने केनरा बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना करते हुए बैंक के अधिकारियों को बधाई दी।

बैठक में विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों ने हिन्दी का उपयोग बढ़ाने की दिशा में शाखा स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेष रूप से वार्षिक कार्यक्रम 1990-1991 की चर्चा की गई तथा उसका अनुपालन सु-निश्चित करने का निर्णय लिया गया।

बैंक आफ इंडिया, आगरा में हिन्दी संगोष्ठी

"बैंक ऑफ इंडिया के आगरा क्षेत्र ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार में जो योगदान किया है वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश अंचल में सर्वश्रेष्ठ है तथा उससे न केवल हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हुई है अपितु हमने जन-जागृति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है।"—यह विचार श्री अविनाश राजे, निवर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक (आगरा क्षेत्र) ने हिन्दी सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। यह एक दिवसीय संगोष्ठी की दिनांक 25 जून को बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा कक्ष की ओर से राजभाषा अधिकारी श्री संजीव पाठक द्वारा वेतनमान 2 और 3 के अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी।

संगोष्ठी के समापन सत्र में भावी क्षेत्रीय प्रबंधक जापान की ओसाका शाखा से लौटे श्री के एस राघवन के ने कहा कि भारत की भाषाएं बहुत समृद्ध हैं संस्कृत ने अन्य भाषाओं को बड़ा शब्द भंडार दिया है, जापानी भाषा के कई शब्द संस्कृत से निकले हैं, जापान में सभी कुछ उनकी अपनी भाषा जापानी में है। उन्होंने बताया कि जापान में हमारे 99 ग्राहक हिन्दुस्तानी ही थे, वे हमसे हिन्दी में बात करते थे और वहां की शाखा में भी हमने हिन्दी का कामकाज चला रखा था।

□

केनरा बैंक, बेंगलूर

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में हिन्दी माध्यम

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय बेंगलूर का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, पूरे देश में 15 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बेंगलूर कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में राजभाषा कक्ष खोला गया और हिन्दी संकाय सदस्य की नियुक्ति की गई। संप्रति महाविद्यालय में एक हिन्दी संकाय व उत्तर भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एक-एक हिन्दी संकाय सदस्य तथा सभी अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हिन्दी जानने वाले संकाय सदस्य कार्यरत है। प्रत्येक स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास किया गया है। वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षण महाविद्यालय से राजभाषा कार्यान्वयन की झलक निम्नवत हैं।

(1) **हिन्दी कार्यशालाएं**: 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 तक 5 उच्चस्तरीय हिन्दी कार्यशालाओं व 9 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अधिकारियों के लिए 6 हिन्दी कार्यशालाओं को आयोजित करके 97 अधिकारियों एवं 8 हिन्दी कार्यशालाओं कों आयोजित करके 125 लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशाला अग्रिम (उच्च) पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन सामग्री बुकलेट हिन्दी में तैयार की गयी।

(2) **हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम**: प्रशिक्षण महाविद्यालय बेंगलूर द्वारा इस साल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हिन्दी में आयोजित किया गया।

(अ) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (Personality Development Programme)

(आ) संप्रेषण व वक्तृत्व कार्यक्रम (Communication & Public Speaking Programme)

(इ) पदोन्नत अधिकारियों के लिए हिन्दी जानकारी कार्यक्रम (Hindi Awareness Programme for Promotee Officers)

उक्त तीनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पहली बार बेंगलूर में आयोजित किया गया। उनके लिए अध्ययन सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार की गयी। बेंगलूर महाविद्यालय की ओर से मदुरै व हुब्ली प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी हिन्दी माध्यम द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।

(3) **हिन्दी पुस्तकालय**: महाविद्यालय के पुस्तकालय के लिए बैंक और प्रशिक्षण से सम्बन्धित कई किताबें खरीदी गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय के लिए नव-भारत टाईम्स, धर्मयुग, इंडिया टुडे और चंदामामा आदि पत्रिकाएं नियमित रूप से खरीदी जाती हैं। महाविद्यालय का स्टाफ हिन्दी पुस्तकालय का श्रेष्ठ सदुपयोग कर रहे हैं।

(4) **हैण्डआउट व अध्ययन सामग्री का अनुवाद**: महाविद्यालय में तैयार की गई अंग्रेजी हैण्डआउट व अध्ययन सामग्री को अनुवाद किया गया और नियमित रूप से हिन्दी प्रशिक्षण समन्वयन समिति को भेजा गया।

(5) **हिन्दी में पत्राचार**: कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय व क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा सभी अनुस्मारक, आवरण पत्र तथा दैनंदिन व्यवहार में आने वाले सामान्य पत्र हिन्दी/द्विभाषी रूप में ही भेजे जा रहे हैं। बेंगलूर महाविद्यालय द्वारा 31 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है।

(6) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति**: महाविद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के सहायक महाप्रबन्धक व प्रधानाचार्य श्री एच.जी. सोमशेखर राव है तथा प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक नियमित रूप से की जाती है।

(7) **केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना, 1990-91**: राजभाषा के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु हमारे प्रधान कार्यालय द्वारा केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना का सूत्रपात किया गया है। जिसके अन्तर्गत परिणाम निम्नवत् हैं :—

क्षेत्र "क"—आगरा क्षे.क.प्र.म.

क्षेत्र "ख" — चण्डीगढ़ — " —

क्षेत्र "ग" — मंगलूर — " —

(8) **राजभाषा मेडल प्रतियोगिता :** प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रभावी रूप से राजभाषा हिन्दी लागू करने हेतु हमारे प्रधानाचार्य ने राजभाषा मेडल प्रतियोगिता की शुरूआत की है । यह प्रतियोगिता क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के बीच होगी। विजेताओं को राजभाषा मेडल हर साल दी जाती है।

(9) **हिन्दी प्रशिक्षण समन्वयन समिति :**—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित हिन्दी प्रशिक्षण समन्वयन समिति में प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रधानाचार्य श्री एच.जी. सोमशेखर राव को नामित किया गया है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली बैठक में, वे उपस्थित होकर प्रशिक्षण क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी लागू करने के बारे में चर्चा करते हैं और सुझाव भी दे रहे हैं।

महाविद्यालय की ओर से हिन्दी प्रशिक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट व प्रशिक्षण विवरणियों को हर तिमाही में एक बार हिन्दी प्रशिक्षण समन्वयन समिति को भेजी जाती हैं।

(10) **हिन्दी प्रशिक्षण फिल्म :** हमारे महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई हिन्दी प्रशिक्षण फिल्म को सभी हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिखाते हैं । इसके बारे में प्रतियोगियों की फीडबैक बहुत ही अच्छी हैं।

(11) **प्रकाशन :** महाविद्यालय से दो पत्रिकाएं "ट्रेनिंग ट्रैक" व "डेल्फी स्पक्स" का प्रकाशन होते हैं। "ट्रेनिंग ट्रैक" में हिन्दी खण्ड है और "डेल्फी स्पीक्स" में राजभाषा हिन्दी लेख आदि को समाविष्ट करते हैं।

(12) **तमिलनाडु में हिन्दी माध्यम द्वारा प्रक्षिक्षण कार्यक्रम :** महाविद्यालय द्वारा दिनांक 17-1-91 से 18-1-91 तक मदुरै में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए "सम्प्रेषण व वक्तृत्व" प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बारे में राजभाषा गृह मंत्रालय का मासिक पत्रिका राजभाषा पुष्पमाला (अंक 24 फरवरी 1991) में एक रिपोर्ट उसकी मुख पृष्ठ पर प्रकाशित की गई। इसके सिलसिले में भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक से प्रशंसा पत्र भी मिले हैं।

भारतीय कपास निगम, बंबई में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम

(1) द्विभाषी टेलेक्स का प्रतिष्ठापन

निगम के मुख्यालय और शाखा कार्यालयों इंदौर और अहमदाबाद में द्विभाषी टेलैक्स लगवा दिये गये हैं ।

(2) द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाईपराईटर्स की खरीद

इस वर्ष मुख्यालय में दो द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाईपराइटर्स खरीदे गए। इसके अलावा 14 देवनागरी टाईपराइटर्स विभिन्न अनुभागों में हैं, ताकि अनुभागों से संबधित हिंदी में काम निर्बाध गति से बढ़ता रहे।

(3) चैक हिंदी में बनाना

कर्मचारियों एवं अधिकारियों के चैक अब केवल हिंदी में जारी किये जाते हैं । वेतनबिल भी केवल हिंदी में तैयार किये जाते हैं।

(4) सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि

सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां केवल हिंदी में ही की जाती हैं।

(5) पत्राचार में हिन्दी पत्रों का प्रतिशत

मूल पत्राचार में हिंदी का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निगम ने यह नीति अपनायी है कि "क" और "ख" क्षेत्रों को जारी होने वाले पत्र केवल हिंदी में जारी किये जायेंगे, द्विभाषी रूप में नहीं । द्विभाषी पत्र केवल "ग" क्षेत्र के लिये जारी किये जायेंगे । इस समय मुख्यालय से 90% से अधिक पत्र हिंदी में जारी हो रहे हैं।

(6) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन

धारा 3(3) का पूरा अनुपालन किया जाता है । इसके अन्तर्गत आने वाले कोई भी दस्तावेज हिंदी रूपांतरण के बिना जारी नहीं हो सकते हैं ।

(7) हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को निगम में हिंदी की प्रगति के लिये जांच बिंदु बनाया गया है । इसके अलावा साइक्लोस्टाईलिंग परिचालक तथा डिस्पैच क्लर्क को भी जांच बिंदु के रूप में कार्य करने के आदेश दिए गए हैं ।

(8) मुख्यालय के अनुभागों में से 12 अनुभागों को निगम 8(4) के अंदर हिंदी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ।

उपरोक्त जांचबिंदुओं से निगम वांछित परिणाम पाने में सफल रहा है।

प्रोत्साहन योजनाएं

1. **हिन्दी प्रशिक्षण:** हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचलित प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर उन्हें भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित वेतन वृद्धि और एकमुश्त राशि के प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान की जाती है ।

2. हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण : मुख्यालय में हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण की विभागीय व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मुख्यालय में 8 आशुलिपिक और 18 टंकण क्रमशः हिंदी शीघ्रलेखन और टंकण कार्य के लिए उपलब्ध हैं। अंग्रेजी के अलावा हिंदी आशुलिपि और टंकण का कार्य करने के लिए निगम की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आशुलिपिक को 60 रु. प्रति माह तथा टंकक को 50 रु. प्रतिमाह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है। इस समय 8 आशुलिपिक और 18 टंकक प्रोत्साहन भत्ते के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

हिंदी आशुलिपि और टंकण प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन वृद्धि प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(3) हिंदी में श्रुतलेख बढ़ाने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन

वर्ष 1989-90 से निगम की अपनी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिकारियों को हिंदी डिक्टेशन देने की ओर प्रेरित करते हुए यह योजना आरंभ की गई है, जिसके अनुसार—

(क) वर्ष में सर्वाधिक हिंदी डिक्टेशन देने वाले अहिंदी भाषी अधिकारी को 500 रु. का नकद पुरस्कार दिया जायेगा।

(ख) हिंदी भाषी अधिकारियों को हिंदी में सर्वाधिक श्रुतलेख देने के लिए निगम के अध्यक्ष एवम् प्रबंध निदेशक की ओर से प्रशंसा-पत्र प्रदान किया जाएगा।

यह योजना अप्रैल, 1989 से प्रभावी है तथा इसकी अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि 31 मार्च तक रहेगी।

(4) राजभाषा चल शील्ड योजना

मुख्यालय के विभिन्न विभागों तथा "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित शाखाओं के बीच हिंदी में किये जा रहे कार्य में गति लाने के लिए राजभाषा चल शील्ड योजना चालू की गई है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) की अवधि में सर्वाधिक हिंदी में कार्य करने वाली शाखा और मुख्यालय के विभाग को "राजभाषा चल शील्ड' प्रदान की जाती है।

(5) हिंदी में टिप्पण प्रारूपण नकद पुरकार योजना

हिंदी में मौलिक रूप से होने वाली नोटिंग/ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिये निगम में दो प्रकार की योजनायें लागू हैं :—

(क) **सरकारी योजना :** पुरस्कृत वर्ष 1989-90 में 62 कर्मचारी इस योजना के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि में जनवरी माह से 31 मार्च तक कर्मचारियों द्वारा किये गये हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग कार्य के अनुसार नकद राशि के पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की पुरस्कार की राशि भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार है, किंतु निगम की निर्णायक समिति की सिफारिश से मानदंडों को उदार रखा गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान हिंदी में किये गये कार्य के लिये 62 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है।

(ख) **निगम की अपनी प्रोत्साहन योजना :** हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग को और अधिक बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1986 के हिंदी दिवस के अवसर पर निगम ने अपनी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना की अवधि किसी वर्ष के हिंदी दिवस से आगामी वर्ष की 31 अगस्त तक की अवधि है।

योजना के अनुसार—

(क) हिंदी स्वर भाषी कर्मचारियों को इस अवधि में अपना 80% कार्य हिंदी में करने पर 450 रु. एक मुश्त राशि का प्रथम तथा 250 रु. एक मुश्त राशि का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(ख) हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए इस योजना में पुरस्कार प्राप्ति का मानदंड शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करना रखा गया है।

पुरस्कार की राशि तथा मानदंडों के बारे में उम्मीदवारों की संख्या तथा कार्य के गुण-दोषों के आधार पर निर्णायक समिति स्व-निर्णय ले सकती है। 14 सितंबर, 1989 को हिंदी दिवस के अवसर पर 37 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा रश्मि रचना प्रतियोगिता : निगम की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा रश्मि में कर्मचारियों और अधिकारियों के लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए निगम ने वर्ष 1989 से प्रत्येक अंक में सर्वश्रेष्ठ कविता, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ लेख, प्रत्येक के लिए 100 रु. की नकद राशि प्रदान करने की पुरस्कार योजना आरंभ की है। अब तक 22 कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जा चुका है।

हिंदी पत्रिका का नियमित प्रकाशन : वर्ष 1984 से निगम "राजभाषा रश्मि" नामक हिंदी पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन नियमित रूप से कर रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर इसके विशेषांक का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका का उद्देश्य कर्मचारियों को हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कराना है।

[] प्रस्तुति : डॉ. रीता कुमार

आयकर आयुक्त, जालन्धर प्रभार में राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण (वर्ष 1990-91)

श्री बी.एस. दहिया आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त, का कार्यभार संभालने के साथ ही जालन्धर प्रभार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की गति में आशातित वृद्धि हुई है।

हिन्दी में पत्राचार : मात्र आयकर आयुक्त कार्यालय पिछले वर्ष में जारी 2666 हिंदी पत्रों की तुलना में इस वर्ष 5071 पत्र हिन्दी में जारी किए गए जो कि अब तक का रिकार्ड है। माननीय दहिया साहब के कार्यभार ग्रहण करने से पहले केवल प्रशासन अनुभाग में ही राजभाषा हिंदी में कार्य किया जा रहा था, परन्तु अब न्यायिक शाखा, निरीक्षण और अभियोग शाखा तथा कार्यालय की अन्य तकनीकी शाखाओं में भी राजभाषा हिन्दी में काम होने लगा है। इससे प्रभार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की एक नई दिशा मिली है।

हिन्दी प्रशिक्षण : आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार में केवल एक कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था। उसे भी हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये नामित किया जा चुका है।

राजभाषा विभाग की ओर से जालन्धर में हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र न होने के कारण प्रभार में हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि जानने वालों की संख्या बहुत कम है। इस कमी को दूर करने हेतु मुख्य आयकर आयुक्त, पटियाला से पत्राचार किया जा रहा है, तथा प्रभार के 3 कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।

हिन्दी कार्यशालाएं : प्रभार के जालन्धर स्थित लगभग सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस वर्ष आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रभार के 17 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जालन्धर के तत्वावधान में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में भी आयकर विभाग के 10 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

नकद पुरस्कार योजना : आयकर आयुक्त, जालन्धर प्रभार में मूल रूप में हिन्दी टिप्पण/आलेखन को प्रोत्साहन देने हेतु इस वर्ष भी नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रभार के दो कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार 3 को द्वितीय पुरस्कार तथा 9 को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां : आयकर आयुक्त, जालन्धर प्रभार में आयकर उपायुक्त स्तर, आयकर आयुक्त स्तर तथा नगर के स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। इनके कार्यवृत्त यथासमय जारी किये गये, तथा लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये।

उल्लेखनीय उपलब्धियां

1. हिन्दी पुस्तकालय हेतु राजभाषा विभाग से प्राप्त पुस्तक सूची में पुस्तकें खरीदी गई।
2. वर्ष में प्रभार के जालन्धर से बाहर के 7 कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।
3. आयकर आयुक्त (अपील) जालन्धर तथा भटिंडा द्वारा 53 अपीलीय आदेश हिन्दी में जारी किए गए।

□

पंजाब नैशनल बैंक

भोपाल अंचल प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धियां

पंजाब नेशनल बैंक के भोपाल स्थित अंचल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा राजभाषा के प्रगामी प्रचार-प्रसार को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध समस्त पाठ्य-सामग्री शत-प्रतिशत हिंदी/द्विभाषिक रूप में उपलब्ध है तथा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का माध्यम भी शत-प्रतिशत हिंदी/द्विभाषिक है।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों में से इस प्रशिक्षण केन्द्र का चयन पहली बार द्वितीय पुरस्कार के लिए किया। प्रधान कार्यालय ने इस उपलब्धि पर बैंक के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र एवं राजभाषा शील्ड इस प्रशिक्षण केन्द्र को प्रदान की।

हिंदीतर भाषा-भाषियों के लिये "हिंदी कार्यशाला" आयोजित की जाती है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन अवश्य किया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के कार्य बिंदुओं को क्रियान्वित करते हुए भोपाल स्थित विभिन्न बैंकों के राजभाषा अधिकारियों के लिए सामान्य बैंकिंग पर सेमिनार आयोजित किया। जनवरी, 91 में आयोजित "हिंदी कार्यशाला" का उद्घाटन भारत सरकार के गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया ने किया।

इस प्रशिक्षण केन्द्र ने राजभाषा संबंधी दिशा निर्देशों और नियमों का संकलन "राजभाषा निर्देशिका" पुस्तिका के रूप में तैयार किया है। इस पुस्तिका का विमोचन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री राधाकांत शर्मा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा हिंदी में ही "लाभप्रदता-कारण और निवारण" पुस्तिका एवं "सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण" पर एक आडियो कैसेट तैयार किया है। प्रशिक्षण केन्द्रों के इन प्रयासों की सर्वत्र मुक्त कंठ से सराहना की जा रही है।

हिंदी के लिए

☐ उमाकांत खुबालकर*

वे नर जिसको...........
अपनी भाषा का ज्ञान नहीं।
बस ये समझो उसको....
जीने का संस्कार नहीं।
परायी भाषा अंगीकार कर,
बिछा लेते अस्तित्व जो अपना
समझो उसके जीवन में
कोई विज्ञान नहीं।
वे नर जिसको........
अपनी भाषा का ज्ञान नहीं।
बस ये समझो उसको
जीने का संस्कार नहीं
अपनी भाषा को सीखो
आत्मा का स्पंदन सुन लो
वर्ना, समझो सत्ता पाकर
अधिकारों का जिसको भान नहीं।
वे नर जिसको.........
अपनी भाषा का ज्ञान नहीं।
बस ये समझो उसको
जीने का संस्कार नहीं।
है यह अंतर मन का गुंजन
कोई पराया मान नहीं।
गंगाजल सा मधुमय सिंचन
कोई निरर्थक गान नहीं।
वे नर जिसको.........
अपनी भाषा का ज्ञान नहीं।
बस ये समझो उसको....
जीने का संस्कार नहीं।
करें हम ध्वनियों का ऐसा मंथन
कोई बेसुरी तान नहीं।
हिंदी संस्कारों का अनुबंधन
विदेशियों का ऋणदान नहीं।
वे नर जिसको.........
अपनी भाषा का ज्ञान नहीं।
बस ये समझो उसको.........
जीने का संस्कार नहीं।

*हिंदी अधिकारी, दूरदर्शन केंद्र, नागपुर-440001

हिंदी दिवस समारोह

हिंदी दिवस : संकल्प और कार्यान्वयन

☐ सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर*

आज से चार दशक पूर्व यानी 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अतः प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और हिंदी के अनन्य पृष्ठपोषक श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू के आशीर्वादों एवं प्रेरणाओं से संपन्न हमारा यह बिहार, हिंदी को अखिल भारतीय संपर्क-भाषा के रूप में आगे बढ़ाने में सतत सक्रिय रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि बिहार-वासियों ने अपने घरों में अपनी विभिन्न बोलियों का व्यवहार करते हुए भी हिंदी के राष्ट्रीय महत्त्व को पहचाना है। मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, अंगिका, उरांव सरीखी बिहार की उपभाषाओं ने हिंदी के संवर्द्धन में विशिष्ट योगदान किया है।

वर्तमान काल में राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को प्रगतिपथ पर अग्रसर करने तथा उसे साहित्य की नाना विधाओं से सजाने-संवारने में हिंदी-भाषी राज्यों के मध्य बिहार का ऊंचा स्थान रहा है। सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित करने का श्रेय बिहार को ही है। यहां तीन दशक पूर्व यानी 1 जून, 1960 ई. को ही सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। पारिभाषिक शब्दावली के चयन एवं निर्माण में तथा विधि के क्षेत्र में भी हिंदी को अपनाने में बिहार अग्रणी रहा है। सन् 1950 ई. में बिहार राजभाषा अधिनियम के पारित होते ही विधेयकों एवं अध्यादेशों का हिंदी अनुवाद अंगरेजी के साथ-साथ आरम्भ किया गया तथा 1965 ई. में बिहार राजभाषा अधिनियम बनाकर, यहां मूलतः हिंदी में कानून बनाए जाने लगे। अब तक राज्य सरकार के राजभाषा विभाग, जो तेरह वर्ष पूर्व स्वतंत्र विभाग तो बन गया किंतु जिसे अब सच्चे मायने में स्वतंत्र स्वरूप देना लाजिमी है, के तत्वावधान में बहुतेरे आवश्यक कोड-मैनुअलों—फारमों-अधिसूचनाओं—परिपत्रों का अनुवाद संपन्न कर लिया गया है।

"हिंदी दिवस" के पुनीत अवसर पर इस वर्ष हमें इस बात का संकल्प लेकर, उसे अमल में लाना नितांत आवश्यक है कि मात्र सरकारी कार्यालयों में ही नहीं, अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों, उपक्रमों, निगमों, स्वशासी निकायों, विश्वविद्यालयों तथा न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए।

*उपनिदेशक (राजभाषा), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (बिहार)

पटना में 1984 में "न्यायालय-हिंदी-प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना हो चुकी है। इसका गठन हो जाने से हिंदी में निर्णय लेनों आदि का प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी। अब राजभाषा विभाग अपने अधीन गठित "हिंदी प्रगति समिति" का क्षेत्राधिकार प्रतिष्ठानों, उपक्रमों, निगमों, निकायों तक बढ़ाना चाहता है, ताकि इन संस्थानों में हिंदीकरण का कार्यारम्भ किया जा सके। इस प्रकार, राजभाषा हिंदी को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के वास्ते सभी स्तरों पर ठोस कदम उठाना वांछनीय है।

हम यह भी संकल्प लें कि राजभाषा विभाग की ओर से प्रौढ़ विचारोत्तेजक "राजभाषा" नामक पत्रिका का नियमित प्रकाशन होता रहे। अब तक इस पत्रिका के 17 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके संपादक श्री कुणाल कुमार हैं।

हमारा चौथा संकल्प होगा कि बिहार, हिंदी प्रगति समिति का पुनर्गठन काफी सोच-समझ कर किया जाए, जो हिंदीकरण के संबंध में राज्य सरकार को ठोस व्यावहारिक सुझाव दे तथा राज्य सरकार के सचिवालय, प्रमंडल एवं अनुमंडलीय और प्रखंड कार्यालयों, व्यवहार न्यायालयों का निरीक्षण कर, समिति के विद्वान् सदस्य अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहें। समिति को सरकार की नीति के अनुरूप, राजभाषा के अभिनव एवं परिवर्तित संदर्भ में, विशिष्ट भूमिका अदा करनी होगी। समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव साहित्यिक रुचि के हों, तभी समिति, सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में कारगर ढंग से कार्य-निष्पादन कर सकेगी। समिति के अध्यक्ष विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय के कामकाज में हिंदी का निश्चित प्रवेश दिलावें। यह काम मुख्य सचिव के परिपत्र जारी कर आसान किया जा सकता है।

हमारा पांचवा संकल्प होगा कि हिंदी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें अपेक्षित सुधार लाया जाए और इसका नियंत्रण एवं संचालन-राजभाषा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाए।

हमारा छठा संकल्प होगा कि जिला स्तर पर राजभाषा विभाग की इकाई स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएं ताकि इसी वित्त वर्ष में राजभाषा के जिला-स्तरीय कार्यालय स्थापित हो सकें। साथ ही, आदिवासी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार वास्ते "आदिवासी उप-योजना" को भी निश्चित रूप से कार्यान्वित किया जाए। प्रमंडल के साथ ही जिला स्तर के पदाधिकारी भी सबों को हिंदी में नाम लिखने, हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति का भाव गढ़ने में मदद करें।

हमारा सातवां संकल्प होगा कि प्रमंडलीय स्तर पर उप-निदेशक के जो दस पद सृजित किए गए हैं, उन पदों की पूर्ति विभागीय प्रोन्नति द्वारा छह पदों पर हो चुकी है और शेष पद पर नियुक्ति इसी कदर हो। शब्दावली सहायकों की जो समस्या है उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। राजभाषा सहायक श्रेणी दो एवं तीन पदों के विलयन का और प्रवर कोटि के पदों के उपबंध का प्रश्न भी विचाराधीन है।

हमारा आठवां संकल्प होगा कि क्रैश कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार विषयक जिन अंगरेजी ग्रंथों का अनुवाद संपन्न हो चुके हैं और हिंदी से अंगरेजी तथा अंगरेजी से हिंदी शब्दकोष की जो प्रेस-कापी तैयार है, उन्हें अविलंब प्रकाशित किया जाए।

हमारा नवां संकल्प होगा कि हिंदी प्रशिक्षण-कार्यक्रम को प्रयोजनमूलक बनाने हेतु उसकी पद्धति, पाठ्यक्रम, अवधि आदि के संबंध में नए सिरे से विचार कर, निर्णय लिया जाए। साहित्य-भाषा एवं राजभाषा दोनों में समन्वय उतना ही अपरिहार्य है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हमारा दसवां संकल्प होगा कि राजभाषा-शोध-संस्थान के स्थापना तथा संगोष्ठी-परिचर्चा-उत्सव-समारोह के आयोजन तथा ग्रंथ-मुद्रण हेतु राजभाषा प्रेस कायम करने के उद्देश्य से पटना में सरकार की ओर से "हिंदी भवन" निर्मित शीघ्र किया जाए, जिसमें राजभाषा की अनुवाद शाखा के अतिरिक्त पुस्तकालय, वाचनालय, समारोह, प्रकाशन आदि शाखाएं भी खोली जाएं। हिंदी भवन, जिसका 1983 वर्ष के अगस्त माह में शिलान्यास पटना में हुआ, के सात वर्षों से नींव नहीं डाली गई है। इसका निर्माण यथाशीघ्र होना चाहिए।

हमारा ग्यारहवां और अंतिम संकल्प होगा कि जिन प्रमंडलों में उप-निदेशक पद स्थापित किए गए हैं उनके कार्य एवं दायित्व में बढ़ौतरी होनी चाहिए। साथ ही, प्रमंडलीय उप-निदेशक को पुरस्कार-राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदत्त करने का अधिकार दिया जाए इससे विभाग का महत्त्व बढ़ेगा और पुरस्कार राशि का विकेन्द्रीकरण भी हो। पांच-दस हजार रु. की राशि से पुरस्कार शुरू किया जा सकता है। आज राष्ट्रीयता का धर्म है कि हम हिंदी को सही रूप में पूरे देश की भाषा बनाने में तन-मन-धन से सहयोग दें। हिंदी एक ऐसी जनभाषा है, जिसका गांधी युग से आज तक अधिकाधिक प्रसार हो सका है। हिन्दी का विस्तार भारत तक ही सीमित नहीं विश्व के अनेक देशों में बोली और पढ़ी जाती है।

भारत की शासन-पद्धति में क्षेत्रीय भाषाओं को अपने विकास की पूरी छूट है। सभी भारतीय भाषाएं एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी न होकर एक-दूसरे की परिपूरक हैं क्योंकि वे एक ही जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सच तो यह है कि अंगरेजी को जनमानस ने कभी तहेदिल से मंजूर किया ही नहीं। वे केवल चंद वृत्तिजीवियों की रोटी कमाने की भाषा रही। इसलिए मगही, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका जैसी बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करने से हिंदी ही समृद्ध होगी। स्वतंत्र भारत में जन्मी और पली नयी पीढ़ी के मन में अंगरेजी के प्रति कोई विशेष व्यामोह नहीं। हिंदी के प्रति उतना ही अनुराग उनके दिलो-दिमाग में प्रगाढ़ होता जा रहा है, जो

पारादीप : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हुए
उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम श्री यज्ञदत्त शर्मा (91)

बम्बई : मुख्य अतिथि श्रीमती निशा चतुर्वेदी, निदेशक, के.अ.ब्यू. का स्वागत करते हुए
विजया बैंक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य श्री उचिल। साथ में (दाएं से)
श्री विनोद कुमार बजाज तथा डॉ. पाण्डेय (85)

हैदराबाद : श्री एम.जी. कणिक महाप्रबन्धक (दाएं) का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री स.अ. बाष (बाएं) तथा बीच में हैं आंचलिक प्रबन्धक श्री दलाल (65)

भोपाल : नेशनल फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. में हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित करते हुए पूर्व संचालक (93)

कलकत्ता : प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नेशनल पॉवर कार्पोरेशन के अपर महाप्रबन्धक श्री एस. आर. खनेजा (80)

कानपुर : सम्बोधित करते हुए (बांए से) डॉ. पी.पी. लवकड़, मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी.सी. अग्रवाल तथा श्री हसन (93)

चित्र समाचार-II

भोपाल : कम्प्यूटर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आयकर आयुक्त श्री एस. आर. वधवा तथा अन्य अधिकारीगण (85)

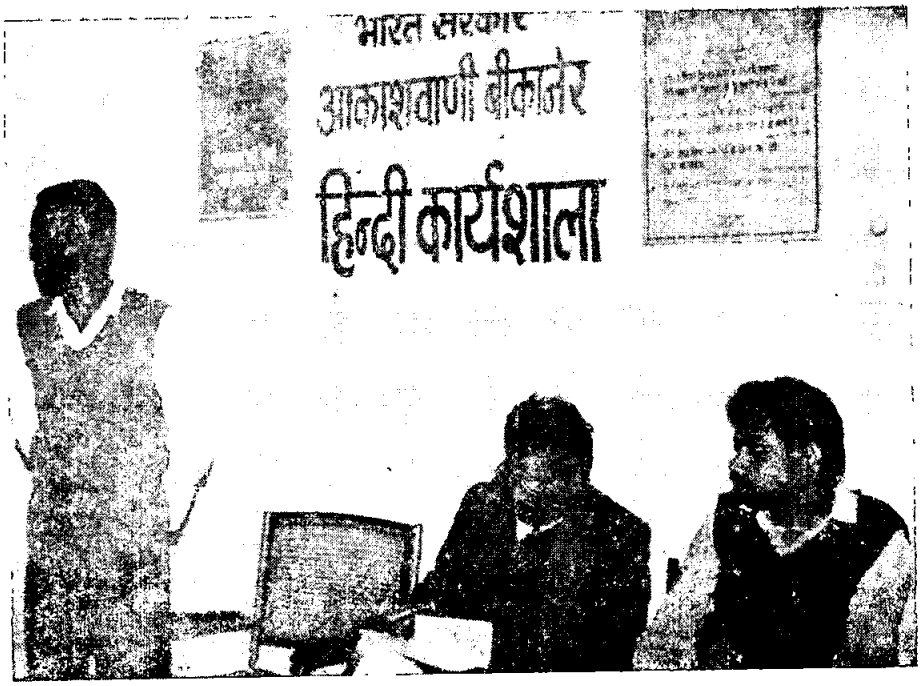

बीकानेर : सम्बोधित करते हुए डॉ. सुशील कान्त सिन्हा, केन्द्र अभियंता, श्री मनो र लाल, तथा श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा (82)

भोपाल : कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उप निदेशक (का.) श्री चंद्र गोपाल शर्मा (बाएं से तीसरे) उनकी दाएं ओर हैं अधीक्षण पुरातत्वविद् श्री जी. टी. शिंडे (82)

चंडीगढ़ : बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का एक दृश्य (41)

राजभाषा पार्षद श्री प्रोजीत कुमार सरकार से प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्रीमती उषा रवि। साथ में (दाएं) उप आयुक्त अण्डमान, श्री एस.पी. प्रभाकर (89)

नई दिल्ली : मूल हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन के पुरस्कार वितरित करते हुए प्रशासन प्रभारी एयर मार्शल श्री पी. के. जैन, (93)

कलकत्ता : हिंदुस्तान कॉपर लि. में हिंदी प्रतियोगिता का एक दृश्य(76)

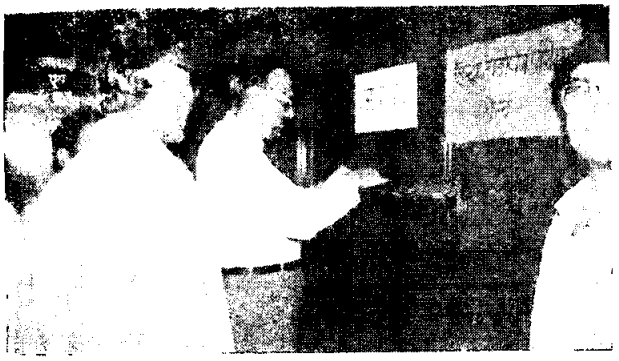

नई दिल्ली : संसद मार्ग पर टाइप प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के उपमहाप्रबन्धक श्री स्वराज कुमार गुप्ता। उनके साथ हैं श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य राजभाषा (86)

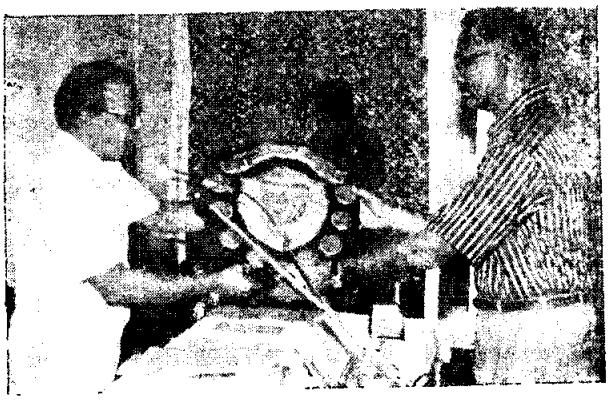

तिरुवनंतपुरम : राजभाषा वैजयंती प्रदान करते हुए मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री व. राधाकृष्णन (90)

पुणे : सम्बोधित करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री जी.पी. भार्गव। मंचासीन श्रीमती अनुमती दुनाखे तथा श्रीमती विमला भार्गव (92)

बेंगलूर : केनरा बैंक के सहायक महाप्रबन्धक ए. जी. विजयकुमार से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए प्रबन्धक श्री एस. विद्यासागर (69)

उड़प्पी : विजया बैंक में हिंदी कार्यशाला की एक झलक (80)

एक शुभ लक्षण है आज हमारा पावन कर्त्तव्य है कि हम मानव-ज्ञान-विज्ञान की सभी दिशाओं एवं विधाओं के जिज्ञासुओं को मानसिक खुराक दें।

अतः राजभाषा हिंदी में भारत की समन्वयात्मक प्रतिभा और सामाजिक संस्कृति की झलक मिलती है। देवनागरी लिपि ही राष्ट्र की बोधगम्य एवं वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी के लेखक, साहित्यकार, अनुवादक, पत्रकार, प्रचारक सभी लोग साहित्य-प्रचार को फैशन नहीं, "मिशन" मानकर काम करेंगे, तो इससे हिंदी को बल मिलेगा, नई स्फूर्ति एवं गति मिलेगी। आज तो हिंदी राज-काज चलाने की अपनी शक्ति व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कर चुकी है, इसमें संशय नहीं। हिंदी अपनी जनता की शक्ति से शक्तिमती और सशक्त होती रहे—हिंदी दिवस पर यही शुभशंसा है। □

माल डिब्बा कारखाना, गुंटुपल्ली

माल डिब्बा कारखाना दक्षिण मध्य रेलवे गुंटुपल्ली में दि. 20-3-91 से 22-3-91 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया।

दिनांक 20-3-91 को 'कर्मचारी संपर्क अभियान' चलाया गया। हिंदी सहायक ने प्रत्येक कार्यालय में जाकर हिंदी में प्रशिक्षित और कार्यसाधक ज्ञापन प्राप्त कर्मचारियों से हिंदी में कार्य करने के लिए अनुरोध किया और हिंदी में कार्य करने पर रेलों पर प्रचलित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की जानकारी दी। बहुत से कर्मचारी स्वेच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदी में कार्य करने के लिए आगे आये। बहुत से कर्मचारियों ने हिंदी में कार्य करने में होने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। उनके संबंधित पर्यवेक्षकों से मिलकर यथासंभव इसका समाधान भी किया गया।

21-3-91 को टेबुल ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम खासकर उन कर्मचारियों के लिए था, जिन्होंने पहली बार हिंदी में कार्य करना शुरू किया था। ऐसे कर्मचारियों के सीट के पास जाकर उनके कार्य के नमूने को लेकर उसे हिंदी में लिखकर बताया गया। हिंदी में छोटे-छोटे वाक्यों और वाक्यांशों को लिखकर दिया गया। इसके अतिरिक्त कारखाने की ओर से तैयार शब्दावली, प्रधान कार्यालय और रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों, पदनाम शब्दावली आदि सहायक साहित्य का भी विवरण किया गया। इस से हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

22 मार्च 1991 को मनोरंजक व ज्ञानवर्द्धक प्रतियोगिता "हिंदी विषय" का आयोजन किया गया। हिंदी क्विज का विषय था—"हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था और रोजमर्रा की शब्दावली"। इस क्विज प्रतियोगिता का आनंद लेने बड़ी संख्या में दर्शक कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसी दिन कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 41वीं बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें श्री प. रा. नरसिंहन, अपर महा प्रबंधक और श्री पु. नरसिंह रेड्डी, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/प्रधान कार्यालय ने भी भाग लिया। बैठक के पूर्व अपर महाप्रबंधक ने "राजभाषा प्रदर्शनी" का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों में हिंदी में हो रहे कार्य के नमूने के लगभग 200 फाइलों, रजिस्टरों आदि को प्रदर्शित किया गया था। अपर महाप्रबंधक ने मालडिब्बा कारखाने के अधिकारियों/कर्मचारियों के इस कार्य की काफी सराहना की।

मुख्य समारोह शाम रेल कला निकेतन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आरंभ केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों के समूह गान व नृत्य से हुआ। इसके बाद रेल कर्मियों द्वारा एकांकी "फार सेल" का मंचन किया गया। इस नाटक से अपर महाप्रबंधक ने प्रसन्न होकर 500 रु. के सामूहिक नकद पुरस्कार की घोषणा की।

तदुपरांत मुख्य अतिथि और अतिथि वक्ता उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को मंच पर बुलाया और बुकें भेंट कर उनका सम्मान किया गया।

श्री एस. आर. बिलिगिरि कारखाना राजभाषा अधिकारी और जिला विद्युत् इंजीनियर ने कारखाने में हो रही हिंदी की प्रगति पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने पूरा ध्यान में कार्य की मात्रा को बढ़ाने पर लगाया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में कार्य करें। इसके लिए हमने समय-समय पर कारखाने में मुख्य तथा प्रयुक्त शब्दों व वाक्यांशों को लेकर शब्दावली प्रकाशित की है। जनवरी 1991 में हमने सबसे बड़ी शब्दावली प्रकाशित की है जिनका कर्मचारी शब्दावली और डायरी अर्थात् दोहरा उपयोग कर रहे हैं। वर्ष 1990 में हमने दो गहन और एक लघु कार्यशाला चलायी है। कर्मचारियों में छिपी साहित्यिक प्रतिभा को उभारने के लिए हम 'कृष्णवेणी" हिंदी पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। हिंदी के प्रति आकर्षित करने और हिंदी का अच्छा वातावरण बनाने के लिए समय-समय पर हिंदी नाटक का भी मंचन कर रहे हैं। इससे हमारे कारखाने में हिंदी का अच्छा वातावरण बना है।

मुख्य अतिथि श्री उप. रा. नरसिंहन् अपर महाप्रबंधक ने कहा कि गुंटुपल्ली कारखाने में हिंदी का अच्छा वातावरण है यहां हिंदी में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हिंदी के क्षेत्र में आपका अच्छा नाम है, इसे बनाए रखें और ऐसे नये-नये क्षेत्रों का पता लगाने, जहां आप हिंदी का बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा सामासिक संस्कृति की संवाहिका होती है। हिंदी भाषा बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है सरल और सुगम है। इसके सीखने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होती है। हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है, संघ की राजभाषा है। इसे चाव से, प्यार से सीखें और राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य समझ कर हिंदी में कार्य करें। उन्होंने हिंदी का प्रचार-प्रसार में हिंदी नाटक के मंचन पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि भाषा का विकास जितना बोल-चाल से होता है उतना लिखने-पढ़ने से नहीं। इसलिए हिंदी बोलने में संकोच न करें।

श्री पु. नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है और इसमें परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता है। हमें अपनी मिट्टी और अपने देश से प्रेम होना चाहिए। हमें अंग्रेजी के मोहपाश को छोड़कर अपनी भाषा हिंदी को अपनाना चाहिए। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अंग्रेजी नहीं है। उनकी अपनी भाषा है और उसी के भाषा में वहां का कामकाज और पढ़ाई-लिखाई होती है और हम देख रहे हैं कि आज जापान हर क्षेत्र में कितना आगे है। उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो सकती है।

श्री एस. श्रीनिवास राव उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने अध्यक्षीय भाषण में श्री नरसिंहन जी और रेड्डी जी का समारोह में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कर्मचारियों को हिंदी तो आती है लेकिन झिझक के कारण हिंदी में कार्य करने से कतराते हैं इसके लिए हमारे अधिकारियों को आगे आना होगा। वे हिंदी में आदेश पृष्ठांक आदि लिखकर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपको हिंदी में तत्काल शब्द नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी में लिखें। किसी भी शब्द को बार-बार प्रयोग करने से वह उसी भाषा का शब्द बन जाता है। इससे भाषा का विकास ही नहीं होता बल्कि उसके शब्द भंडार में वृद्धि भी होती है। सरकारी कामकाज में बोलचाल की हिंदी का निःसंकोच प्रयोग करें।

हिन्दुस्तान कॉपर लि. कलकत्ता

देश में ताम्र धातु के एकमात्र उत्पादक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लि. के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में 27 से 31 मई, 1991 तक "राजभाषा सप्ताह' का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान हिन्दी आशुवाक् निबंध लेखन, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, प्रश्नोत्तरी तथा हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

आशुवाक् प्रतियोगिता के विषय थे : (1) इस आम चुनाव में क्या होगा? (2) कलकत्ता का सांस्कृतिक महत्त्व, और (3) मातृभाषा बनाम राजभाषा। प्रतिभागियों को लाटरी पद्धति से निकाले गए किसी एक विषय पर 5 मिनट तक भाषण देना था। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का विषय था : (1) खाड़ी युद्ध का प्रभाव (2) भारतीय तांबा उद्योग। इस प्रतियोगिता में किसी एक विषय पर कार्यस्थल पर ही लगभग 500 शब्दों का निबंध लिखना था। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में देश, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विषयक सामान्य प्रश्न पूछे गए थे और हस्ताक्षर प्रतियोगिता में एक मास तक कार्यालयीन पत्रों, नोटों, ड्राफ्टों, परिपत्रों, सामान्य आदेशों आदि पर अधिक से अधिक हिन्दी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार देने का प्रावधान था।

राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित उक्त हिन्दी प्रतियोगिताओं में लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क.औ. सुरक्षा बल, दुर्गापुर

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में वर्ष 1990 के "हिन्दी सप्ताह" के समापन दिवस का आयोजन के.औ.सु.ब. के इकाई मुख्यालय के प्रेक्ष्यागृह में मनाया गया।

"समापन दिवस" के इस अवसर पर सभी कार्मिकों तथा बच्चों का उत्साह देखते बनता था।

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाक्, हिन्दी टंकण, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में विजेता कार्मिकों में कुल 1570/- रुपये के नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र का वितरित किए गए। इसके साथ ही के.औ.सु.ब. के कार्मिकों के बच्चों के लिए जो हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता की गयी थी, उनमें विजेता बच्चों में भी कुल 280/- रुपये का नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।

इस अवसर पर के.औ.सु.ब. के इकाई के कार्मिकों को जो हिन्दी टंकण, हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा वर्ष नवम्बर, 89 एवं मई, 90 में उत्तीर्ण हुए थे, उनकी राजभाषा विभाग से प्राप्त प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

समारोह के अध्यक्ष उप महानिरीक्षक श्री डेविड एस. ट्रेजर ने इस इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बात के लिए बधाई दी कि महानिदेशक के.औ.सु.ब. नई दिल्ली द्वारा इस इकाई को वर्ष 90 में द्वितीय पुरस्कार विजेता के रूप में "राजभाषा कप" प्रदान किया गया था। इसी वर्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिनांक 11 जनवरी, 91 को कलकत्ता में आयोजित "राजभाषा सम्मेलन" में प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में "राजभाषा ट्राफी" प्रदान कर इस कार्यालय को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में इस इकाई के कार्यपालकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने श्री ओम् प्रकाश शर्मा, हिन्दी प्राध्यापक राजभाषा विभाग, को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने आज के इस आयोजन को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा राजभाषा

हिन्दी के प्रति हमारे कर्तव्य एव दायित्व की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास में यह हमारा पुनीत योगदान है।

आयकर आयुक्त कार्यालय, कोल्हापुर

श्री सी.वी. गुप्ते मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे ने आयकर आयुक्त कार्यालय, कोल्हापुर में दिनांक 18-6-91 को 'हिन्दी प्रयोग-दिवस' का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि मराठी और हिन्दी की लिपि एक ही है।

समारोह के अध्यक्ष श्री सी.यू. चौरे, आयकर आयुक्त, कोल्हापुर ने बताया कि 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हम हिंदी-दिवस मनाते हैं लेकिन यह 'हिन्दी-प्रयोग-दिवस' के रूप में पहली बार मनाया जा रहा है। हम देखेंगे कि हमारे सामने हिंदी में काम करने में व्यावहारिक कठिनाइयां क्या-क्या आती हैं और उन्हें दूर कर हिंदी का प्रयोग अधिक-से-अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

हिंदी प्रयोग दिवस की भूमिका व उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए तथा संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी देते हुए श्री एस.सी. यादव, आयकर आयुक्त (अपील), ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

रक्षा सम्पदा निदेशालय, दक्षिण कमान, पुणे

दिनांक 17 से 21 सितम्बर, 1990 तक आयोजित हिंदी सप्ताह में निम्नलिखित कार्य किए गए :—

☐सरकारी कामकाज में नित्यप्रति प्रयोग में आने वाले पत्रों के हिन्दी मानक मसौदे सभी अनुभागों में वितरित किए गए।

☐हिन्दी सप्ताह के दौरान अधिक से अधिक पत्र हिंदी में भेजे गए तथा टिप्पणियां लिखने के लिए भी हिंदी का प्रयोग किया गया।

☐दिनांक 21-9-1990 को हिंदी भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसी दिन निबन्ध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेता प्रतियोगियों को नगद इनाम दिए गए। रक्षा सम्पदा अधिकारी, पुणे में कार्यरत क.नि.लि. श्रीमती एम.एम. पोतनीस ने हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उक्त परीक्षा का प्रमाण-पत्र इस पुरस्कार वितरण के अवसर पर उन्हें दिया गया।

□

इस्को, उज्जैन

इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कं. लि., उज्जैन में दिनांक 24 से 30 अप्रैल तक राजभाषा सप्ताह 1991 का आयोजन किया गया। महा वर्क्स प्रबन्धक, श्री कैलाश शंकर लाल ने राजभाषा सप्ताह का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं यथा —तात्कालिक भाषण, वाद-विवाद, हिन्दी निबंध, हिन्दी टंकण, हिन्दी सुन्दर लेखन, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा स्वरचित काव्यपाठ प्रतियोगिताएं हिन्दी और अहिन्दी भाषा कर्मियों के लिए अलग-अलग समूहों में आयोजित की गईं। सभी प्रतियोगिताओं में भारी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया।

आशुवाक् प्रतियोगिता (प्रथम समूह) में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः सर्वश्री सुन्दरलाल जैन, एन.डी. चेतनानी और कुरबान खॉन को स्थान प्राप्त हुए। द्वितीय समूह में सर्वश्री दीपक अंबेगाबकर, संतोष वामन जोशी मेजर टी.एल. शर्मा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे।

वाद-विवाद प्रतियोगिता (प्रथम समूह) में सर्व श्री एन.डी. चेतनानी, सुन्दरलाल जैन और कुरबान खान क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे। द्वितीय समूह में सर्व श्री दीपक अंबेगावकर, संताप वामन जोशी एवं श्री सुबोध सेन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता (प्रथम समूह) में सर्वश्री वासुदेव खत्री, जगजीवन राम आर्य और ब्रजकिशोर दिसाबल ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। अहिन्दी भाषी समूह में सर्वश्री व्ही.ए. खान, दीपक अंबेगाबकर, ज्वादुल अर्शी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में सर्वश्री अशोक माहेश्वरी प्रथम, आर.के. भटनागर द्वितीय, एवं हरिनारायण दिसाबल तृतीय रहे।

हिन्दी सुन्दर लेखन प्रतियोगिता (प्रथम समूह) में सर्वश्री जी.के. परमार, अनिल निगम और अशोक माहेश्वरी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे। द्वितीय समूह में सर्वश्री जी.एल. सलूजा प्रथम, दीपक अंबेगाबकर द्वितीय एवं हर्ष वर्धन गोरे क्रमशः तृतीय रहे।

हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता (प्रथम समूह) सर्वश्री हरि नारायण दिसाबल, वासुदेव खत्री, सुन्दरलाल जैन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे। द्वितीय समूह में सर्वश्री टी. एस. उन्नी प्रथम, दीपक अंबेगाबकर द्वितीय एवं व्ही.ए. खान तृतीय रहे।

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता (प्रथम समूह) में सर्वश्री राजकमल भटनागर प्रथम, वासुदेव खत्री द्वितीय

एवं मोहनसिंह भदोरिया तृतीय रहे। द्वितीय समूह में सर्वश्री व्ही. ए. खान प्रथम, दीपक अंबेगावकर द्वितीय तथा दिलीप कालेकर तृतीय रहे।

काव्यपाठ प्रतियोगिता (प्रथम समूह) सर्व श्री नरेश देशमुख प्रथम, मोहनसिंह गौतम द्वितीय एवं आनन्द कुमार चतुर्वेदी तृतीय रहे। द्वितीय समूह में सर्वश्री असीम चटर्जी, संतोष वामन जोशी, तथा हरचरणसिंह मल्होत्रा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहे।

राजभाषा सप्ताह समारोह के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के 45 विजेताओं को इस्को उज्जैन के महा वर्क्स प्रबन्धक श्री कैलाश शंकर लाल ने पुरस्कार प्रदान किए। हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने हिन्दी के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने वर्ष 1989-90 में राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री लि. उज्जैन को श्री शिवराज जैन, सैल अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त "सेल अध्यक्ष राजभाषा शील्ड" एवं प्रशस्ति पत्र हेतु सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कार्यालय सहायकों को हार्दिक बधाई दी।

□

वैप्कोस, नई दिल्ली

दि. 14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1990 के दौरान मनाए गए हिन्दी सप्ताह के दौरान दिनांक 19 व 20 नवम्बर, 1990 को प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिन्दी कार्यशाला में 20 कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. रमण मूर्ति, सचिव, वैप्कोस ने किया। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने के बाद कार्यालय का कामकाज ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में करना शुरू करें। उन्होंने पहली हिन्दी कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

वाटर तथा पावर कन्सलटेंसी सर्विसस इं. लि. नई दिल्ली

कंपनी में 14 से 20 नवम्बर, 1990 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया। कंपनी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे विशेष तौर पर हिन्दी सप्ताह के दौरान अपना अधिकतम सरकारी कामकाज हिन्दी में ही करें।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने काफी कार्य हिंदी में किया और उनके द्वारा हिंदी में किये गये कार्य की मात्रा के आधार पर उन्हें योजना के अनुसार पुरस्कार भी दिये गए। हिंदी सप्ताह के दौरान राजभाषा प्रतियोगिताओं तथा हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कारों के वितरण के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 27 मार्च, 1991 को संपन्न हुआ। इस समारोह में अल्पकालिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ राजभाषा प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं अर्थात् हिंदी निबंध प्रतियोगिता व वाद-विवाद प्रतियोगिता, के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रमाणपत्र प्रदान किये गए। पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरण प्रबंध निदेशक श्री आर. राजप्पा द्वारा किया गया।

पुरस्कार विजेताओं की तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है :—

निबंध प्रतियोगिता

पुरस्कार विजेता का नाम और पदनाम	
श्री केशवानन्द द्विवेदी, प्रारूपकार ग्रेड-2	प्रथम
श्री अमीर चन्द पटेल, सहायक	द्वितीय
श्री विजय कुमार, कनि. सहायक	तृतीय

वाद-विवाद प्रतियोगिता

श्री सुरेश चन्द जैन, वैयक्तिक सहायक	प्रथम
श्री आर एन. सेन परियोजना अभियंता	द्वितीय
श्री राम रथी पाल, वरि सहायक	तृतीय

हिन्दी सप्ताह के दौरान लागू की गई विशेष अल्पकालिक पुरस्कार योजना

	हिंदी में कार्य की मात्रा	धन राशि
श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज, सहायक	8000	100/- रु
श्री एस. पी. कुमार, उप प्र. (वित्त)	7000	100/- रु
श्री अतर सिंह, वरि. सहायक	4430	100/- रु
श्री एस.एन. शर्मा, सहायक	4000	100-/ रु
श्री डी. एस. पाहवा, वरि. प्रबंधक	3200	75/- रु
श्री दीन दयाल, सहायक	2800	50/- रु०
श्री अनिल कुमार, सहायक	2600	50/- रु
श्रीमती आर. आर. अरोड़ा, वरि. सहा.	2000	50/- रु
श्री राम रथी पाल, वरि. सहायक	1590	25/- रु
श्री सी. ए. नारायण, सहायक	1250	25/ रु
श्रीमती मंजू अरोड़ा, वरि. सहायक	1180	25/- रु
श्री अमरीक सिंह, वैयक्तिक सहायक	1114	25/- रु
श्री ओ. पी. सेठी, वरि. सहायक	1100	25/- रु

□

हिंदी कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र

तूतीकोरिन (तमिलनाडु)

तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के भारी पानी संयंत्र—तूतीकोरिन यूनिट में पहली बार 19 कर्मचारियों के लिए दिनांक 29-30 मई, 1991 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भारी पानी संयंत्र—तूतीकोरिन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वी. कि. सन्तानम्, उप महा प्रबंधक, श्री डब्ल्यू. एस. ए. कान्तैया, अनुरक्षण प्रबंधक, श्री वी. सी. राव, एवं आमंत्रित संकाय सदस्य श्री के. जयकुमार, हिन्दी अधिकारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, श्री पद्मनाभन् पिल्लै, हिंदी प्राध्यापक, श्री टी. पार्तिबन, हिंदी प्रचारक, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा आदि उपस्थित थे।

उप महाप्रबंधक, श्री डब्ल्यू एस ए कान्तैया ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बताया कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है। अतः हम सभी लोगों का यह कर्त्तव्य है कि तमिलनाडु में हिंदी के प्रति व्याप्त विरोध की भावना से दूर रहकर भारत सरकार की राजभाषा नीति का ठीक ढंग से अनुपालन करते हुए उदारतापूर्वक हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में यथासंभव सहयोग दें।

केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य है। तमिलनाडु में उदारतापूर्वक हिन्दी के प्रचार व प्रसार में यथासंभव सहयोग दें।

—डब्ल्यू. एस. ए. कांतैया

इस कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति एवं महत्त्व तथा उसके सफल कार्यान्वयन हेतु उपाय राजभाषा अधिनियम एवं नियम हिन्दी शिक्षण योजना एवं उसकी गतिविधियां निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देय नकद पुरस्कार वेतन वृद्धि एक मुश्त एवं परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा लागू प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, पत्र लेखन हिन्दी व्याकरण इत्यादि विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

अन्त में उप महाप्रबन्धक, श्री डब्ल्यू एस. ए. कान्तैया ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए और संयंत्र में होने वाली राजभाषा हिन्दी की गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से यह अपील की कि वे अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

अन्त में श्री नरसिंह राव, सहायक निदेशक (रा. भा.) ने प्रबन्ध समिति, उप महाप्रबंधक, अध्यक्ष राजभाषा समिति भा. पा. संतू, सभी अनुभाग प्रधान आमंत्रित, संकाय सदस्य एवं कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों इत्यादि के प्रति आभार प्रकट किया।

सिकन्दराबाद

द.म. रेलवे के प्रधान कार्यालय की कार्मिक शाखा में 8-7-91 से 12-7-91 तक हिंदी पत्राचार सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाना और मूल पत्राचार हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन करना।

इस अभियान के दौरान हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों ने लगभग 20 अधिकारियों और 102 कर्मचारियों से संपर्क किया और उन्हें उनके दैनंदिन कार्य में हिंदी का यथासंभव प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवधि के दौरान टिप्पणियां, पत्र, नोट, पृष्ठांकन, सभी फाइल कवरों पर विषय आदि हिंदी में लिखवाये गये और सभी रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियां करवाई गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिन्दी में काम करने के प्रति अपनी रुचि दिखाई और लगभग 40 अधिकारी/कर्मचारी गृहमंत्रालय की दस हजार शब्द योजना में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं।

सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात् 12-7-91 को मुख्य भाषा अधिकारी व मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री पी. मुरुगन ने वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री पी. एन रेड्डी तथा कुछ अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया तथा अभियान के परिणामस्वरूप उत्पन्न हिंदी के अनुकूल वातावरण को देखकर संतोष व्यक्त किया।

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सप्ताह के दौरान हिंदी में सबसे अधिक कार्य करने वाले निम्नलिखित तीन अधिकारियों और तीन कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए चुना गया।

अधिकारी

1. श्री के. बिहानी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (श्रम व कल्याण)
2. श्री आर. शेषाद्रि, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (राजपत्रित)
3. श्री के. बी. टी. नायक, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (इंजी व प्र.का.)

कर्मचारी

1. श्रीमती आर. इंदिरा, वरिष्ठ लिपिक
2. श्रीमती पी. वी. सीतारामम्मा, वरिष्ठ लिपिक
3. श्रीमती विजयप्रभा, वरिष्ठ लिपिक

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

इस उपलब्धि को बनाये रखने के लिए सप्ताह में एक बार हिंदी अनुभाग के कर्मचारी दस हजार शब्द योजना में शामिल कर्मचारियों से संपर्क करते हैं जिससे कि उन्हें अपना काम हिंदी में करने में सहायता मिल सके।

विजया बैंक, उडुपि

बैंक के उडुपि प्रभागीय कार्यालय की ओर से दो दिन के लिए हिंदी कार्यशाला चलाई गई। इसमें 25 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 10 एवं 11-10-90 को उडुपि (कर्णाटक) के हिंदी भवन में इस कार्यशाला का उद्घाटन हिंदी अध्यापक श्री लक्ष्मीनारायण नेल्ली ने किया। वरिष्ठ प्रबंधक श्री डब्ल्यू. एन. डायस तथा हिंदी अधिकारी श्री के. चन्द्रशेखर ने स्वागत किया।

इंडियन बैंक, बेंगलूर

प्रशिक्षण केन्द्र, एर्णाकुलम में दिनांक 13-14-15 एवं 16 फरवरी, 1991 को दो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रथम कार्यशाला में 18 लिपिकों एवं द्वितीय कार्यशाला में 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। ये कर्मचारी केरल में स्थित शाखाओं में कार्यरत हैं। इन कार्यशालाओं में राजभाषा नियम, अधिनियम, बैंकिंग, शब्दावली, तार, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी व्याकरण, पत्राचार, जैसे विविध विषयों पर जानकारी दी गई।

इन कार्यशालाओं का उद्घाटन श्री मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य अधिकारी, अंचल कार्यालय, एर्णाकुलम ने किया। उद्घाटन एवं समापन समारोह में श्री डेनियल वर्गीस, प्रभारी संकाय ने भाग लिया। कार्यशालाओं का संचालन श्री टी. एस. बी. प्रसाद, हिंदी अधिकारी, इंडियन बैंक, बेंगलूर ने किया।

आंध्र बैंक, बेंगलूर

आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय ने दि. 24-7-91 को होटल रामा में राजभाषा शील्ड वितरण समारोह मनाया है। श्री ए. जी. विजयकुमार, सहायक महाप्रबंधक ने समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सब को भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए और आंध्रा बैंक, बेंगलूर क्षेत्र ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी ने कहा कि वर्ष 1987 से बेंगलूर क्षेत्र ने उत्तम राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हमारे केन्द्रीय कार्यालय और विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्ड, राजभाषा कप और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किये हैं।

श्री म्याथिव जोसेफ, क्षेत्रीय प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अन्त में श्री ए० जी० विजयकुमार, सहायक महाप्रबंधक ने श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी को वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा शील्ड (प्रथम स्थान) से सम्मानित किया। बाद में उन्होंने श्री एस. विद्यासागर, प्रबंधक, गांधीनगर शाखा को राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया। इसके बाद श्री म्याथिव जोसेफ ने श्री के. एन. प्रभु, प्रबंधक, मंगलूर शाखा और श्रीमती सी. सीतादेवी, प्रबंधक, इंदिरानगर शाखा को वर्ष 1990-91 में श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। श्री के. एन. प्रभु के धन्यवाद ज्ञापन के साथ राजभाषा शील्ड वितरण समारोह समाप्त हुआ।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, कलकत्ता

कलकत्ता कार्यालय में 17-18 जुलाई 1991 के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन अपर महाप्रबंधक श्री एस. आर. खनेजा ने किया। श्री खनेजा ने श्रोताओं और प्रतिभागियों को विचारोद्वेलित कर दिया। श्री खनेजा ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत सरकार की भाषा नीति और राजभाषा नियमों की समुचित जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जानी चाहिये। जनता तक इस नीति को पहुंचाने के क्रम में हिन्दी के प्रशिक्षण को प्रवर्तित करना आवश्यक होगा। श्री खनेजा ने एन. टी. पी. सी. द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचलन और प्रयोग हेतु उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र तथा विशेष कर कलकत्ता कार्यालय द्वारा हिन्दी के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की चर्चा की।

दो दिन की कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक श्री सिद्धिनाथ झा विशिष्ट आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। "बैंक आफ पटियाला" के कलकत्ता शाखा के राजभाषा अधिकारी श्री डी. सिंह ने हिन्दी के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

कार्यशाला में कार्यपालक व गैर कार्यपालक श्रेणियों के बीस प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

गुजरात रिफाइनरी, बड़ोदरा

कर्मचारियों को नोटिंग ड्राफ्टिंग में और ज्यादा दक्ष बनाने के उद्देश्य से हमने अपने यहां दिनांक 30 व 31 जुलाई, 91 को एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में व्याख्याता के तौर पर बैंक आफ बड़ौदा के वरि. राजभाषा प्रबंधक श्री धनराज चोपड़ा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के राजभाषा अधिकारी श्री सतीश कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में प्रतिभागियों को संघ की राजभाषा नीति, टिप्पणी, व प्रारूप लेखन, अनुवाद प्रक्रिया एवं हिंदी वर्तनी की भूलें जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला का समापन, वरि. कार्मिक व प्रशा. प्रबंधक श्री पी. बालाकृष्णन द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल तमिलनाडु को छोड़कर राजभाषा के बारे में कोई गतिरोध नहीं है। हमारे प्रांत केरल में 10वीं तक हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं तथा टी.वी. के राष्ट्रीय प्रसारण हमारे यहां देखे जाते हैं और हमारे यहां हिंदी शिक्षण भी बड़े उत्साह से चल रहा है। इस अवसर पर श्री बालाकृष्णन ने प्रतिभागियों को शब्दकोश व प्रमाण पत्र वितरित किए। डा. माणिक मृगेश के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अकोला

क्षेत्रीय कार्यालय अकोला में सीताबाई आर्टस कालेज अकोला के सभागृह में दिनांक 13 से 15 सितंबर 1990 तक तीन दिन की लिपिकों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिन्दी कार्यशाला में अकोला क्षेत्र की शाखाओं के 26 लिपिकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रा. भा. तलेकर ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एस. एल. संगवई, शाखा प्रबंधक, रा. ल.तो. विस्तार पटल शाखा अकोला ने की। समारोह का समापन श्री श्रीकांत शर्मा, प्राध्यापक ल. रा. तो. वाणिज्य महाविद्यालय, अकोला ने किया। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री कमल किशोर तिवारी ने किया और आभार प्रदर्शन सौ. मंजुषा सोनटक्के ने किया।

आकाशवाणी राजकोट

केन्द्र पर दिनांक 22 से 25 अप्रैल 91 तक अधिकारी वर्ग के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 5 अधि. आकाशवाणी के, 5 अधि. दूरदर्शन और 2 अधि. प्रधान डाक घर, राजकोट के अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 1990-91 के लिये सरकारी कामकाज मूलरूप से करने के लिये इस केन्द्र के निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार इस प्रकार दिया गया:—

1. कु. मोहिनी सी. चंदनाणी, प्रथम पुरस्कार 400/-रु.
   लिपिक
2. श्री त्रिलोक बी. सांघाणी, द्वितीय पुर. 200/-रु.
   प्रसारण निष्पादक
3. श्री सतीश संघवी, द्वितीय पुर. 200/- रु.
   प्रसारण निष्पादक

ये नकद पुरस्कार दि. 25-4-91 को डाक महाध्यक्ष ने दिया। □

केनरा बैंक, चण्डीगढ़ अंचल

चण्डीगढ़ अंचल के अन्तर्गत शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिये प्रथम चरण की तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज चण्डीगढ़ में 6 से 8 मई 1991 तक किया गया। कार्यशाला में 19 कर्मचारियों ने भाग लिया।

तीन दिवसीय कार्यशाला में :—

राजभाषा नियम, अधिनियम एवं संवैधानिक प्रावधान।

बैंकिंग शब्दावली अभ्यास

अनुवाद-प्रक्रिया, अभ्यास पत्राचार अभ्यास

तार-अभ्यास व नियम

काम काजी हिन्दी का स्वरूप व प्रयोग आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा अभ्यास करवाया गया। इसका संचालन श्री एस. के. शर्मा—क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, श्री एस सी गौड़—अंचल कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा किया गया।

ऋण खातों में अधिकतम प्रविष्टियां हिन्दी में की गई। इनमें अधिकतम वाउचर भी हिंदी में लिखे गये तथा इस दिन समस्त खाते हिंदी में खोले गये।

2. ग्राहकों की पास बुकों में भी प्रविष्टियां हिंदी में की गई।

3. इस दिन मांग पत्र, भुगतान आदेश, मियादी जमा रसीदें, तथा सूचनाएं (एडवाइसिस आदि भी अधिकांशत: हिंदी में जारी की गई तथा संबंधी खातों में भी हिंदी में ही प्रविष्टियां की गई।

4. आई. बी. आर. हिंदी में लिखी गई। इस संबंध में राजभाषा अधिकारी ने कर्मचारियों/अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए जानकारी दी कि इनके माध्यम से किस तरह हम अपने पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दी डाक प्रेषण व हिंदी डाक प्राप्ति रजिस्टर संबंधी भी मार्गदर्शन किया गया।

5. नकद जमा सूची, उपस्थिति रजिस्टर टोकन बुक, डिटेल बुक, आदि में भी प्रविष्टियां हिंदी में की गई।

कार्यक्रम का द्वितीय चरण

कार्यक्रम के द्वितीय चरण एवं अंतिम चरण में राजभाषा अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने पिछले चरण में शाखा में हुए हिंदी कार्य पर संतोष प्रकट करते हुए समस्त स्टाफ को बधाई दी व आग्रह किया कि भविष्य में भी शाखा में इसी प्रकार हिन्दी में कार्य करते हुए इसे तीव्र गति प्रदान की जाए।

शाखा से समस्त तार हिन्दी में ही भेजे जाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

शाखा में हिंदी के प्रयोग संबंधी संक्षिप्त निरीक्षण भी किया गया तथा हिंदी के प्रयोग संबंधी विभिन्न कमियों/त्रुटियों से शाखा प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित किया गया तथा इन्हें दूर करने के लिए अनुरोध किया गया। शाखा प्रबंधक ने भी इन कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी के तापीय विद्युत् केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नैवेली में 22 से 26 अप्रैल, 1991 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर. अरुणाचलम्, मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा 22-4-91 को किया गया। श्री बी. एस. कस्तूरिया, राजभाषा अधिकारी, पैट्स मुख्यलय ने कार्यशाला के महत्व का वर्णन किया। इस पांच दिवसीय कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976, संस्थान के दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द तथा उनके अर्थ, साधारण टिप्पणियां, हिन्दी में पत्राचार, आर्थिक कार्यक्रम तथा हिन्दी की प्रमुख समितियों के बारे में बताया गया।

26-4-91 को इस कार्यशाला का समापन भाषण हिन्दी में करते हुए मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) ने बताया कि हमें अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का प्रयास करना चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली

अधिकारियों एवं प्रबंधकों के लिए हिन्दी कार्यशाला

इंडियन एयरलाइन्स, मुख्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/प्रबंधकों के लिए उसे 7 सितम्बर, 1990 तक अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के इंजीनियरी प्रशिक्षण स्कूल में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 22 अधिकारियों/प्रबंधकों ने भाग लिया।

केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हैदराबाद के प्रशिक्षण निदेशक कप्तान एस.टी. देव ने उद्घाटन किया। श्री गौरी शंकर शर्मा, उप कार्मिक प्रबंधक (राजभाषा), (मुख्यालय) ने कप्तान देव एवं प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों में कार्यालय कार्य हिन्दी में करने की झिझक को दूर करना है उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण के उपरांत उपस्थित अधिकारी कुछ कार्य केवल हिन्दी में ही करना अवश्य आरम्भ करेंगे।

कप्तान देव ने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिन्दी में कार्य करना कोई कठिन काम नहीं है। अभ्यास से मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कप्तान देव ने आशा व्यक्त की कि पांच दिन की इस कार्यशाला से आप सभी लोगों को अवश्य ही लाभ पहुंचेगा।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों के लिए बाहर से कुछ वक्ता आमंत्रित किए गए थे। इंडियन एयरलाइन्स के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की ही फैकल्टी द्वारा भाषण दिए गए। समापन समारोह की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय के उप निदेशक श्री के.के. शर्मा ने की। कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देते हुए श्री शर्मा ने उन्हें बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यर्थ नहीं जाएगा और आप सब लोग अपने-अपने स्थानों में जाकर कुछ कार्य हिन्दी में अवश्य करेंगे। □

दो दिन की कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक श्री सिद्धिनाथ झा विशिष्ट आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। "बैंक आफ पटियाला" के कलकत्ता शाखा के राजभाषा अधिकारी श्री डी. सिंह ने हिन्दी के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

कार्यशाला में कार्यपालक व गैर कार्यपालक श्रेणियों के बीस प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

गुजरात रिफाइनरी, बड़ोदरा

कर्मचारियों को नोटिंग ड्राफ्टिंग में और ज्यादा दक्ष बनाने के उद्देश्य से हमने अपने यहां दिनांक 30 व 31 जुलाई, 91 को एक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया ।

कार्यशाला में व्याख्याता के तौर पर बैंक आफ बड़ौदा के वरि. राजभाषा प्रबंधक श्री धनराज चोपड़ा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के राजभाषा अधिकारी श्री सतीश कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में प्रतिभागियों को संघ की राजभाषा नीति, टिप्पणी, व प्रारूप लेखन, अनुवाद प्रक्रिया एवं हिंदी वर्तनी की भूलें जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला का समापन, वरि. कार्मिक व प्रशा. प्रबंधक श्री पी. बालाकृष्णन द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल तमिलनाडु को छोड़कर राजभाषा के बारे में कोई गतिरोध नहीं है। हमारे प्रांत केरल में 10वीं तक हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं तथा टी.वी. के राष्ट्रीय प्रसारण हमारे यहां देखे जाते हैं और हमारे यहां हिंदी शिक्षण भी बड़े उत्साह से चल रहा है। इस अवसर पर श्री बालाकृष्णन ने प्रतिभागियों को शब्दकोश व प्रमाण पत्र वितरित किए। डा. माणिक मृगेश के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अकोला

क्षेत्रीय कार्यालय अकोला में सीताबाई आर्टस कालेज अकोला के सभागृह में दिनांक 13 से 15 सितंबर 1990 तक तीन दिन की लिपिकों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिन्दी कार्यशाला में अकोला क्षेत्र की शाखाओं के 26 लिपिकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रा. भा. तलेकर ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एस. एल. संगवई, शाखा प्रबंधक, रा. ल.तो. विस्तार पटल शाखा अकोला ने की। समारोह का समापन श्री श्रीकांत शर्मा, प्राध्यापक ल.रा.तो. वाणिज्य महाविद्यालय, अकोला ने किया । कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री कमल किशोर तिवारी ने किया और आभार प्रदर्शन सौ. मंजुषा सोनटक्के ने किया ।

आकाशवाणी राजकोट

केन्द्र पर दिनांक 22 से 25 अप्रैल 91 तक अधिकारी वर्ग के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में 5 अधि. आकाशवाणी के, 5 अधि. दूरदर्शन और 2 अधि. प्रधान डाक घर, राजकोट के अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 1990-91 के लिये सरकारी कामकाज मूलरूप से करने के लिये इस केन्द्र के निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार इस प्रकार दिया गया: —

1. कु. मोहिनी सी. चंदनाणी, प्रथम पुरस्कार 400/-रु. लिपिक
2. श्री त्रिलोक वी. सांघाणी, द्वितीय पुर. 200/-रु. प्रसारण निष्पादक
3. श्री सतीश संघवी, द्वितीय पुर. 200/- रु. प्रसारण निष्पादक

ये नकद पुरस्कार दि. 25-4-91 को डाक महाध्यक्ष ने दिया । □

केनरा बैंक, चण्डीगढ़ अंचल

चण्डीगढ़ अंचल के अन्तर्गत शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिये प्रथम चरण की तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय कर्मचारी; प्रशिक्षण कालेज चण्डीगढ़ में 6 से 8 मई 1991 तक किया गया । कार्यशाला में 19 कर्मचारियों ने भाग लिया।

तीन दिवसीय कार्यशाला में :—

राजभाषा नियम, अधिनियम एवं संवैधानिक प्रावधान ।

बैंकिंग शब्दावली अभ्यास

अनुवाद-प्रक्रिया, अभ्यास पत्राचार अभ्यास

तार-अभ्यास व नियम

काम काजी हिन्दी का स्वरूप व प्रयोग आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा अभ्यास करवाया गया। इसका संचालन श्री एस. के. शर्मा—क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, श्री एस सी गौड़—अंचल कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा किया गया।

इनके अतिरिक्त श्री सी. एन. वी. सुरेश प्रबन्धक क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज चण्डीगढ़ ने भी सहयोग दिया।

कार्यशाला में प्रदत्त प्रशिक्षण के आधार पर अन्त में प्रतिभागियों की एक लघु परीक्षा ली गई जिसमें सभी कर्मचारी अच्छे अंक लेकर सफल रहे। निम्नलिखित कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन सराहनीय रहा :—

1. श्री सतीन्द्र कुमार (45404) 17 सी चण्डीगढ़ .. प्रथम
2. श्री अनिल कुमार (57115) खन्ना .. द्वितीय
3. श्री एस. सी. मुन्जाल (51074) जी टी रोड जालंधर तृतीय

समापन समारोह के अध्यक्ष अंचल कार्यालय के मण्डल प्रबन्धक श्री एम. जी. नाथन ने कहा "हमारा प्रयास सदैव श्रेष्ठ बने रहना होना चाहिये। हमने अंचल के कार्यालय के गठन के पश्चात् तीन बार केनरा बैंक की आन्तरिक शील्ड व गत वर्ष गृह मंत्रालय की प्रतिष्ठित राजभाषा शील्ड जीती है किन्तु शील्ड/प्रमाण पत्र केवल प्रतीकात्मक होते हैं। यह हमारे काम का लक्ष्य नहीं हो सकते। किन्तु यदि हमारे द्वारा हमारे काम करने पर ये शील्ड व प्रमाण हमें मिलते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य की पहचान होती है। आरम्भ में शब्दों की कठिनाई आ सकती है किन्तु अभ्यास करने से शब्द स्वतः मिलने लगेंगे। अब भी 90% कार्य तो हिन्दी में किया ही जा सकता है।

आकाशवाणी, बीकानेर

दि. 20 से 22 फरवरी, 91 को आकाशवाणी बीकानेर में तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उत्तर रेलवे बीकानेर मण्डल के प्रबंधक श्री उशनाक राय चोपड़ा ने दीप प्रज्वलित कर के किया।

कार्यशाला का उद्देश्य तकनीकी एवं अभियांत्रिकी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तकनीकी तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षित करना था।"

प्रवक्ताओं में सर्वश्री केशव प्रसाद बिस्सा, नरेंद्र कुमार शर्मा, शान्ति लाल सुराणा, डा. सुशील कांत सिन्हा, सुरेंद्र कुमार खुराना तथा ओम मल्होत्रा आदि ने लेखा, प्रशासन, तकनीकी, कार्यक्रम अनुभागों से संबंधित कार्यों के लिय द्विभाषी शब्दावलियां उपलब्ध कराते हुए सरल हिंदी के प्रयोग की दिशा सुझाई।

समापन दिवस पर साहित्य सेवी श्री प्रकाश शुक्ल उप निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं संस्थापन अधिकारी ने कहा कि आज जबकि हिंदी का प्रचार-प्रसार विदेशों में भी हो रहा है तो अपने ही देश में हम अपनी राजभाषा के प्रयोग में क्यों हिचकते हैं? यदि हम अपने निजी कार्यों में हिंदी को अपनाएंगे तो स्वतः ही सरकारी कार्यों में हिंदी प्रयोग में समर्थ हो जाएंगे फिर चाहे क्षेत्र तकनीकी हो या प्रशासनिक।

केन्द्र अभियंता श्री मनोहर लाल लाठ ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला में प्रशिक्षणोपरान्त सभी अधिकारी/कर्मचारीगण तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग शत-प्रतिशत रूप से शुरू कर देंगे।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर,

बैंक के स्थानीय स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 10 से 12 जुलाई 1991 तक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का समापन बैंक के राजभाषा प्रबन्धक श्री माणक चन्द कोचर ने किया। हीन मानसिकता का त्याग करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बैंक - जन-जन से जुड़े हैं, इसलिये ग्राहकों के साथ ऐसी भाषा का उपयोग किया जाए जो बोलचाल की हो। जब ग्राहकों की भाषा में ही काम किया जाएगा तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यशालाओं की सार्थकता तभी है जब प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् अधिकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

कार्यशाला में देश के सभी क्षेत्रों से आए हुए 33 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। राजस्थान सरकार के भाषा विभाग के निदेशक कल्याणनाथ शास्त्री ने बताया कि हिन्दी का प्रयोग स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में काफी अच्छे ढंग से हुआ है। हमारा भविष्य हिन्दीतर एवं अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साथ जुड़ा हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी के वरिष्ठ रीडर डा. नरेन्द्र भानावत ने हिन्दी के इतिहास एवं व्याकरण संबंधी त्रुटियों के बारे जानकारी दी एवं अधिकारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि की।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल

दिनांक 13-5-91 से दिनांक 17-5-91 तक मंडल कार्यालय में हिंदी कार्यशाला हुई।

दिनांक 13-5-91 को अधीक्षण पुरातत्वविद् श्री जी. टी. शेण्डे की अध्यक्षता में कार्यशाला का उद्घाटन गृह मंत्रालय (राजभाषा-विभाग) मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल में उप निदेशक श्री चन्द्रगोपाल शर्मा ने किया। विभिन्न व्याख्यानों के साथ इस दिन का कार्यक्रम श्री नारायण व्यास, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् के आभार के साथ समाप्त हुआ तथा दिनांक 14-5-91 को श्री अशोक कुमार शर्मा, सचिव नराकास ने व्याख्यान दिया।

15-05-1991 को श्री नारायण व्यास, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् के व्याख्यान के साथ आरम्भ हुआ। इसी दिन श्री राम बाबू रोहिला, भोपाल ने भी अपने भावपूर्ण व्याख्यान में राजभाषा हिन्दी के वैज्ञानिकता से कर्मचारियों को परिचित कराया। हिन्दी में तार संदेश तथा टिप्पणी व मसौदे का भी संक्षिप्त अभ्यास करवाया।

16-05-1991 को श्री कुलभूषण शर्मा, सेवानिवृत्त उपप्रबन्धक (हिन्दी) वी. एच. ई. एल. ने बड़े रोचक ढंग से हिन्दी के प्रयोगात्मक समस्याओं का वर्णन किया।

दिनांक 17-05-1991 को हिन्दी कार्यशाला का समापन समारोह हुआ। के अधीक्षण पुरातत्वविद् श्री जी. टी. शेण्डे ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से राजभाषा हिन्दी के प्रयोगात्मक कठिनाइयों के बारे में जानना चाहा तथा उनका तत्काल निराकरण भी प्रस्तुत किया गया। अन्त में, श्री शेण्डे ने अधिकारियों व कर्मचारियों से यह अपील की कि वे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों में सुनिश्चित करें तथा अपने मन से किसी भी हीन भावना व झिझक को निकाल दें।

बैंक न.रा.का.स. कानपुर

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सौजन्य से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने अंचल प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर में शहर में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यशाला का समापन भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस. के. शर्मा ने किया।

श्री शर्मा ने इस अवसर पर बैंक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हिन्दी के व्यवहारिक प्रयोग पर **बैंकों में हिन्दी का अधिक प्रयोग किया जाए**। अधिकाधिक बल दें। अनुवाद के क्षेत्र में लगे अधिकारी सरल और प्रवाहमय अनुवादकों बढ़ावा दें और टिप्पणी/पत्रादि लिखने वाले अधिकारी भी अनुवाद की मांग न करके सरल हिन्दी में मसौदे तैयार करें।

कार्यशाला में सर्वश्री एस. सी. कपूर, उदय नारायण पांडेय, एम. एल. पाल, आर. ए. वोह, एम. एम. वाजपेयी और डी. के. सिंह ने व्याख्यान दिए। भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ से श्री आर. सी. सक्सेना ने विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पंजाब नेशनल बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार वशिष्ठ ने किया।

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

बैंक शाखा दिल्ली रोड, मेरठ में दिनांक 27-3-91 व 30-3-91 को दो दिन के लिए डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। जिसकी अध्यक्षता शाखा प्रबंधक श्री आर. एस. सेठी ने की तथा इसका संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री सुरिन्दर पाल सिंह कोछड़ ने किया।

इस दिन राजभाषा अधिकारी ने निम्नलिखित डेस्कों पर जाकर न केवल कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच हिंदी में कार्य कर उनकी हिचक दूर की बल्कि उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें लगभग प्रत्येक डेस्क पर जाकर प्रशिक्षित किया। जिससे की शाखा के दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

1. बचत खातों, चालू खातों, नकद साख खातों आदि में हिन्दी में प्रविष्टियां की गई, अधिकतर वाउचर हिंदी में लिखे गये। शाखा में इस दिन खोले गये खाते भी हिंदी में ही खोले गये। राजभाषा अधिकारी व स्टाफ द्वारा ग्राहकों की पास बुकों में हिंदी में भी प्रविष्टियां की गई।
2. शाखा से जारी मांग-पत्र, भुगतान आदेश, आदि हिंदी में लिखे गये संबंधित रजिस्टरों में प्रविष्टियां भी हिंदी में की गई।
3. उपरोक्त खातों की लॉग बुकों में, समाशोधन रजिस्टर में व दैनिक वही आदि में भी हिन्दी का प्रयोग किया गया।

कार्यक्रम का दूसरा दिन

राजभाषा अधिकारी द्वारा पिछले दिन किये गये कार्य से शाखा प्रबंधक को अवगत करवाया तथा उन्हें भी तिमाही रिपोर्ट के संबंध में व कार्यालय आदेश जारी करने के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया, तिमाही रिपोर्ट के अन्य कालमों, इसके प्रस्तुतीकरण, इसकी महत्ता पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई एवं प्रशिक्षित किया गया। राजभाषा अधिकारी द्वारा तारों के संबंध में व पत्राचार के संबंध में भी शाखा प्रबंधक का मार्गदर्शन किया।

द्वितीय डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 25-3-91 से 26-3-91 तक दो दिन के लिए अपने क्षेत्र की आदर्श शाखा बेगम ब्रिज मेरठ में किया गया। शाखा प्रबन्धक श्री प्रह्लाद सिंह बक्शी ने अध्यक्षता की तथा संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी ने किया। इस कार्यक्रम द्वारा शाखा प्रबंधक सहित 5 अधिकारियों व 15 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम का प्रथम चरण

इस चरण में राजभाषा अधिकारी ने लगभग प्रत्येक डेस्क पर जाकर प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को अपना कार्य हिंदी में करने के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया तथा स्वयं हिंदी में कार्य कर प्रशिक्षण दिया। परिणामस्वरूप पहले दिन अर्थात् दिनांक 25-3-91 को निम्न कार्य अधिकांशतः हिंदी में किए गए :—

1. बचत खातों, में चालू खातों में, नकद साख खातों, मियादी जमा खातों, आवर्ती जमा खातों तथा

ऋण खातों में अधिकतम प्रविष्टियां हिन्दी में की गई। इनमें अधिकतम वाउचर भी हिंदी में लिखे गये तथा इस दिन समस्त खाते हिंदी में खोले गये।

2. ग्राहकों की पास बुकों में भी प्रविष्टियां हिंदी में की गई।

3. इस दिन मांग पत्र, भुगतान आदेश, मियादी जमा रसीदें, तथा सूचनाएं (एडवाइसिस आदि भी अधिकांशतः हिंदी में जारी की गई तथा संबंधी खातों में भी हिंदी में ही प्रविष्टियां की गई।

4. आई. बी. आर. हिंदी में लिखी गई। इस संबंध में राजभाषा अधिकारी ने कर्मचारियों/अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए जानकारी दी कि इनके माध्यम से किस तरह हम अपने पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दी डाक प्रेषण व हिंदी डाक प्राप्ति रजिस्टर संबंधी भी मार्गदर्शन किया गया।

5. नकद जमा सूची, उपस्थिति रजिस्टर टोकन बुक, डिटेल बुक, आदि में भी प्रविष्टियां हिंदी में की गई।

कार्यक्रम का द्वितीय चरण

कार्यक्रम के द्वितीय चरण एवं अंतिम चरण में राजभाषा अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने पिछले चरण में शाखा में हुए हिंदी कार्य पर संतोष प्रकट करते हुए समस्त स्टाफ को बधाई दी व आग्रह किया कि भविष्य में भी शाखा में इसी प्रकार हिन्दी में कार्य करते हुए इसे तीव्र गति प्रदान की जाए।

शाखा से समस्त तार हिन्दी में ही भेजे जाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

शाखा में हिंदी के प्रयोग संबंधी संक्षिप्त निरीक्षण भी किया गया तथा हिंदी के प्रयोग संबंधी विभिन्न कमियों/त्रुटियों से शाखा प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित किया गया तथा इन्हें दूर करने के लिए अनुरोध किया गया। शाखा प्रबंधक ने भी इन कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी के तापीय विद्युत् केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नैवेली में 22 से 26 अप्रैल, 1991 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर. अरुणाचलम्, मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा 22-4-91 को किया गया। श्री बी. एस. कस्तूरिया, राजभाषा अधिकारी, पैट्स मुख्यलय ने कार्यशाला के महत्व का वर्णन किया। इस पांच दिवसीय कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976, संस्थान के दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द तथा उनके अर्थ, साधारण टिप्पणियां, हिन्दी में पत्राचार, आर्थिक कार्यक्रम तथा हिन्दी की प्रमुख समितियों के बारे में बताया गया।

26-4-91 को इस कार्यशाला का समापन भाषण हिन्दी में करते हुए मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) ने बताया कि हमें अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का प्रयास करना चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली

अधिकारियों एवं प्रबंधकों के लिए हिन्दी कार्यशाला

इंडियन एयरलाइन्स, मुख्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/प्रबंधकों के लिए उसे 7 सितम्बर, 1990 तक अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के इंजीनियरी प्रशिक्षण स्कूल में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 22 अधिकारियों/प्रबंधकों ने भाग लिया।

केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हैदराबाद के प्रशिक्षण निदेशक कप्तान एस.टी. देव ने उद्घाटन किया। श्री गौरी शंकर शर्मा, उप कार्मिक प्रबंधक (राजभाषा), (मुख्यालय) ने कप्तान देव एवं प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों में कार्यालय कार्य हिन्दी में करने की झिझक को दूर करना है उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण के उपरांत उपस्थित अधिकारी कुछ कार्य केवल हिन्दी में ही करना अवश्य आरम्भ करेंगे।

कप्तान देव ने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिन्दी में कार्य करना कोई कठिन काम नहीं है। अभ्यास से मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कप्तान देव ने आशा व्यक्त की कि पांच दिन की इस कार्यशाला से आप सभी लोगों को अवश्य ही लाभ पहुंचेगा।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों के लिए बाहर से कुछ वक्ता आमंत्रित किए गए थे। इंडियन एयरलाइन्स के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की ही फैकल्टी द्वारा भाषण दिए गए। समापन समारोह की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय के उप निदेशक श्री के.के. शर्मा ने की। कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देते हुए श्री शर्मा ने उन्हें बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यर्थ नहीं जाएगा और आप सब लोग अपने-अपने स्थानों में जाकर कुछ कार्य हिन्दी में अवश्य करेंगे। □

राजभाषा विभाग

तकनीकी कक्ष

'कंप्यूटरों का द्विलिपीय संचालन' विषयक संगोष्ठी

राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष द्वारा दिनांक 28-6-1991 को भोपाल में कम्प्युटरों का "द्विलिपीय संचालन" विषय पर एक संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री एस.आर. बधवा, मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल ने किया।

संगोष्ठी में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित लगभग 60 केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा प्रदर्शनी में सी-डैक, पुणे के अतिरिक्त 5 अन्य सांफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्माताओं ने भी भाग लिया। संगोष्ठी में कम्प्यूटर विशेषज्ञों के पैनल में विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों की कम्प्यूटर के द्विलिपीय संचालन संबंधी समस्याओं/शंकाओं का समाधान किया।

राजभाषा अधिकारियों का कंप्यूटर प्रशिक्षण

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 4-1-91 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर पर देवनागरी में कार्य के लिए तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी कक्ष द्वारा दिनांक 24, 25 तथा 26 जुलाई, 1991 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को कम्प्यूटर के बारे में जानकारी देना, कम्प्यूटर पर देवनागरी लिपि में कार्य करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना एवं उन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग की जानकारी देना है ताकि वे अपने-अपने कार्यालयों में कम्प्यूटर पर द्विलिपीय रूप में कार्य करने के लिए तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रयोग के बारे में जानकारी देने के लिए सक्षम हो सकें।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. सर्वश्री राजकुमार कलोरिया, उप निदेशक, पर्यटन विभाग।
2. द्वारका प्रसाद पोपली, सहायक निदेशक, वस्त्र मंत्रालय।
3. तरसेम लाल शर्मा, राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे।
4. आत्मा राम गर्ग, राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे,
5. नन्दकिशोर चावला, अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो।

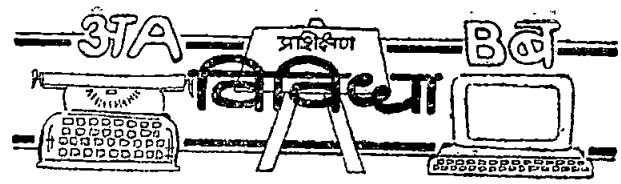

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

बंबई

26वें सत्र का समापन समारोह

28 जून, 1991 बम्बई केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के 26वें सत्र के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डा. परशुराम गणपतराय पाटील, निदेशक, (राजभाषा) महाराष्ट्र सरकार ने प्रशिक्षणार्थियों को पदक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना हम सबका कर्तव्य है। इस कार्य में अनुवाद प्रशिक्षण का विशेष महत्त्व है। डा. पाटील ने इस प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को भी बारी-बारी से नामित करने की इच्छा व्यक्त की।

समापन समारोह में पी.आई.सी., बम्बई की हिन्दी अनुवादक कुमारी संगीता दलवी को स्वर्ण पदक एवं एच.आर. मौर्य डाक विभाग, पुणे को रजत पदक प्रदान किए गए। समारोह की अध्यक्षता डा. नागेन्द्रनाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक ने की तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रशिक्षण अधिकारी, श्रीमती शशिलाल ने किया। □

बंबई संयुक्त अनुवाद पाठ्यक्रम

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंबई और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की ओर से बैंक कर्मचारियों के लिए एक 6 दिवसीय संयुक्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। इसका दिनांक 29-7-1991 को बैंक आफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री प्र.अ. चितले ने उद्घाटन किया।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में निदेशक श्रीमती निशा चतुर्वेदी ने बंबई में आयोजित प्रथम पाठ्यक्रम के चलाए जाने पर संतोष व्यक्त किया कि विभिन्न बैंक संयुक्त रूप से भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। श्री वीरेन्द्र याज्ञिक, श्रीमती टी.एस. निर्मला, श्री विश्वनाथन, श्री हनुमानप्रसाद तिवारी आदि ने भी सहभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन विजया बैंक के राजभाषा

शेष पृष्ठ 108 पर

समाचार दर्शन

पंजाब नेशनल बैंक

संसद मार्ग पर टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अन्य प्रयासों के अतिरिक्त सभी अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को चरणबद्ध रूप में हिन्दी टंकण/आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधान कार्यालय, भीकाएजी कामा प्लेस परिसर में वर्ष 1988 में हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था । उक्त केन्द्र में टाईपिंग प्रशिक्षण के सात सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं और अब जनवरी, 1991 से आठवां सत्र चल रहा है ।

भीकाएजी कामा प्लेस स्थित उक्त केन्द्र की भांति अब संसद मार्ग स्थित बैंक परिसर में भी हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन 20 मार्च, 1991 को श्री स्वराज कुमार, गुप्ता उप महाप्रबन्धक ने किया । श्री गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों को परिश्रम व लगन से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि "हिंदी टाईपिंग के लिए सरकारी केन्द्रों में हमारे कर्मचारियों को प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण हमने बैंक की आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोला है । इससे जहां एक ओर समय व खर्च की दृष्टि से मितव्ययिता आएगी, वहीं दूसरी ओर वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को भी हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकेंगे।"

इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक सत्र में 12 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त केन्द्र में प्रशिक्षण का कार्य संसद मार्ग में ही कार्यरत बैंक के एक कर्मचारी श्री सुभाष चावला, आशुलिपिक कर रहे हैं ।

'कार्यालय दर्पण' का विमोचन

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड में हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई "कार्यालय दर्पण", नामक पुस्तिका का विमोचन महाप्रबंधक श्री सु.द. इडगुंजी ने दिनांक 30 मई 1991 को किया । इस अवसरपर मुद्रणालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री इडगुंजी ने आशा व्यक्त की कि पुस्तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और इससे हिन्दी के कामकाज में सर्वांगीण वृद्धि होगी।

हिन्दी अधिकारी श्री मुहेंकर ने पुस्तक के विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें मुद्रणालय के दैनिक कामकाज में उपयोगी अधिकांश सामग्री एकत्रित की गई है और शेष सामग्री को आगामी संस्करणों में सम्मिलित किया जाएगा।

पुस्तक प्रदर्शनी

लखनऊ—भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा बैंक परिसर में आयोजित हिन्दी की पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन मण्डल के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय पुरी ने किया । उक्त प्रदर्शनी में बैंक द्वारा प्रकाशित हिन्दी की विभिन्न पुस्तकें एवं पत्रिकाएं दर्शाई गई । बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा पुरस्कृत निबंध संग्रह "प्रयास" के माध्यम से बैंक कर्मियों को राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है । राजभाषा मास के अंतर्गत आयोजित समारोहों का सचित्र विवरण विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है । राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित "हिन्दी दिग्दर्शन" के "अमृत लाल नागर" विशेषांक तथा गृह पत्रिका "हमदोस्त" के रजत जयन्ती अंक की विशेष सराहना की गई । प्रदर्शनी बैंक द्वारा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में लगातार किए गए गम्भीर प्रयासों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहीं ।

'अंकुर' का विमोचन

आयकर आयुक्त प्रभार, नासिक में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता लाने और हिंदी में सृजनशीलता विकसित करने के लिए श्री सुव्रत दास, आयकर आयुक्त, नासिक ने पिछले दिनों प्रभार की हिंदी गृह पत्रिका "अंकुर" के प्रथम अंक का विमोचन किया ।

उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को जब हम सृजनात्मक मोड़ देते हैं तो हम उस कार्य के प्रति और अधिक जवाबदेह बन जाते है । राजभाषा हिंदी के बारे में भी यही बात लागू होती है । उन्होंने कहा कि किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिए हमें उसके प्रति पहले रूचि जगानी होगी क्योंकि बेमन से किया हुआ कार्य न तो सफल होता है न ही उसके करने में आनंद ही आता है । उन्होंने "अंकुर" को हिंदी में कार्य शुरू करने के लिए एक उचित मंच बताया और आह्वान किया कि सभी लोग इस पत्रिका के माध्यम से रूचि पूर्वक हिंदी में सरकारी कार्य प्रारंभ करने की पहल करें । समारोह में श्री शरद चंद्र शर्मा, आयकर आयुक्त (अपील), श्री वी. एच० पाटिल आयकर उपायुक्त ने भी अपने विचार व्यक्त किए । कार्यक्रम का संचालन श्री संतोष शुक्ल, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने किया ।"

आकाशवाणी, बीकानेर

दिनांक 9 मई, 1991 को आकाशवाणी केन्द्र में "लोकार्पण" कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

इस अवसर पर आकाशवाणी बीकानेर के श्री केशव प्रसाद बिस्सा, द्वारा प्रणीत/संकलित पुस्तिका "राजभाषा—सहायिका" का विमोचन श्री विश्वम्भर नाथ, केन्द्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर के कर-कमलों से सम्पन्न हुआ ।

श्री विश्वम्भर नाथ ने कहा कि (बीकानेर) केन्द्र राजभाषा हिन्दी की गतिविधियों में उत्तरोत्तर विकासमान हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री केशव प्रसाद बिस्सा द्वारा किया गया सुप्रयास उन कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्पद रहेगा जिन्हें अभी हिंदी की सेवा के लिए बहुत कुछ सीखना है, करना है।

श्री ओम् मल्होत्रा, हिन्दी अनुवादक ने कहा कि श्री बिस्सा की यह पुस्तिका वस्तुतः उन कर्मचारियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी जिनमें हिंदी में काम काज करने की ललक तो है परन्तु उन्हें हिंदी में काम करने हेतु सहायक सामग्री नहीं मिल पाती। अंत में श्री मनोहर लाल लाठ, केन्द्र अभियन्ता ने इस आयोजन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री बिस्सा के इस प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

बैंक आफ इंडिया भागलपुर में हिन्दी काव्य संध्या

बैंक ऑफ इंडिया की भागलपुर शाखा ने हिन्दी काव्य संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भागलपुर एवं मुंगेर के लब्ध प्रतिष्ठित प्रमुख कवियों ने भाग लिया एवं काव्यरस की गंगा बहा कर सुधी श्रोताओं को रसमग्न कर दिया।

काव्य संध्या में शाखा के स्टाफ सदस्यों के बालक-बालिकाओं द्वारा भी काव्यपाठ किया गया था, जिसमें पांच से आठ वर्ष तथा नौ दस वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। दोनों ही वर्गों के बाल-कवियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

मंच संचालन सर्वश्री अमर शेखर पाठक एवं श्याम सागर ने बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से किया।

तमिल से हिन्दी में अनुवादित त्यागराज रामायण का विमोचन

हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना प्रारंभ करें।

नई दिल्ली में 8 फरवरी को ऊर्जा मंत्री कल्याण सिंह कालवी ने श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन द्वारा तमिल से हिंदी में अनुवादित पुस्तक "त्यागराज रामायण" का विमोचन किया।

दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने समिति से अपील की कि वह हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का कार्य प्रारंभ करें।

समारोह में प्रसिद्ध लेखक यशपाल जैन तथा विष्णु प्रभाकर ने भी भाग लिया।

सौजन्य : दैनिक जागरण (9-2-91)

केनरा बैंक दिल्ली अंचल कार्यालय का निरीक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया ने राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में केनरा बैंक अंचल कार्यालय दिल्ली का दिनांक 18-4-91 को निरीक्षण किया गया। श्री पटैरया ने केनरा बैंक, दिल्ली अंचल के उपमहाप्रबंधक तथा अन्य कार्यपालकों से भेंट एवम् आरम्भिक बातचीत करने के बाद इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में बैंक के द्विभाषिक प्रकाशन, पोस्टर्स, मैनुअल, फार्म आदि तथा दिल्ली अंचल कार्यालय द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्यों को दर्शाने वाली फाईलें, डीजीएम महोदय के संदेश, हिन्दी में टैलेक्स संदेश आदि आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किये गए। साथ ही कंप्यूटर पर हिन्दी पत्रों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद उन्होंने अंचल कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति को देखा/परखा। सम्बन्धित रिकार्ड फाईलें इत्यादि देखने के पश्चात् अंचल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक औपचारिक बैठक हुई जिसमें अंचल कार्यालय के सभी कार्यपालकों/वरिष्ठ प्रबंधकों/प्रबंधकों, राजभाषा अधिकारी एवम् दिल्ली मण्डल के मण्डल प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम, राजभाषा अनुभाग की प्रबंधक श्रीमती जीवनलता जैन द्वारा औपचारिक परिचय/भूमिका प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सहायक महाप्रबंधक श्री के. चन्द्रशेखर ने स्वागत भाषण दिया। प्रबंधक श्रीमती जीवनलता जैन ने दिल्ली अंचल में पिछले एक वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति की झलक प्रस्तुत की। तत्पश्चात्, उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया ने राजभाषा नीति सम्बन्धी वर्तमान अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय महत्त्व के इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।

राजस्थान परमाणु बिजली घर में हिन्दी के कामकाज का निरीक्षण

राजभाषा नियमावली, 1976 के अंतर्गत बिजलीघर में हिन्दी के कामकाज संबंधी निरीक्षण के लिए श्री एस.डी. मेहता, प्रशासन अधिकारी-III की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया। समिति ने प्रभावी ढंग से दिनांक 21 एवं 25 मई, 1991 को प्रशासन अनुभाग की विभिन्न इकाइयों में हो रहे हिन्दी के कामकाज का निरीक्षण किया तथा पाई गई कमियों को दूर करने के लिए परामर्श दिया।

यह हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए एक सुंदर एवं सराहनीय कदम है।

प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

लोक प्रशासन और प्रबंध विज्ञान साथ ही आर्थिक विकास, आर्थिक प्रशासन और विकास प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी पुस्तकों (मूल अथवा अनूदित) के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना ।

वर्ष 1989 तथा वर्ष 1990 के लिए पुरस्कार

भारत सरकार ने लोक प्रशासन और प्रबंध विज्ञान तथा साथ ही आर्थिक विकास, आर्थिक प्रशासन और विकास प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी में प्रामाणिक साहित्य के प्रकाशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी की प्रामाणिक पुस्तकों (मूल अथवा अनूदित) के लिए "सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना" नामक एक पुरस्कार योजना आरंभ की है।

पुरस्कार :—उपर्युक्त विषयों पर मौलिक हिन्दी पुस्तकों के लिए 10,0000 रु., 7,000 रु. और 5,000 रुपए के तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी से इतर भाषाओं में लिखी गई प्रामाणिक मूल पुस्तकों के हिंदी अनुवादकों को भी तीन-तीन हजार रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं । किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रविष्टि की अन्तिम तारीख :—प्रविष्टियां प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1991 है। उस तारीख के बाद प्राप्त होने वाली पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रविष्टि फार्म और अन्य ब्यौरे श्री वेद प्रकाश चोपड़ा, उप निदेशक (राजभाषा), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, पंचम तल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 से प्राप्त किए जा सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय

राजभाषा प्रभाग

विषय : रक्षा संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए रक्षा मंत्रालय की पुरस्कार योजना

रक्षा मंत्रालय हर वर्ष उपर्युक्त पुरस्कार योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें रक्षा सम्बन्धी विषयों पर हिन्दी में लिखी या अनुदित सर्वोत्तम रचनाओं के लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न-लिखित पुरस्कार दिए जाते हैं :—

1. रक्षा संबंधी विषयों पर मौलिक रचनाओं के लिए

प्रथम पुरस्कार	10,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार	7,000 रुपए
तृतीय पुरस्कार	5,000 रुपए

2. रक्षा संबंधी विषयों पर मानक पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद के लिए

प्रथम पुरस्कार	5,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार	2,000 रुपए

इस वर्ष उन पुस्तकों को पुरस्कृत किए जाने पर विचार किया जाएगा, जिनका प्रकाशन पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् अप्रैल, 1988 के बाद हुआ हो। हिन्दी में प्रकाशित ऐसी पुस्तकों और पाण्डुलिपियों की 8-8 प्रतियां 31 जुलाई, 1991 तक रक्षा मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग, सेना भवन, "ए" विंग, कमरा नम्बर 123, डी. एच. क्यू. डाकघर, नई दिल्ली, को सीधे भेजी जा सकती ये । □

रक्षा मंत्रालय

राजभाषा प्रभाग

विषय : हिन्दी में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के लिए वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 22 मार्च, 1990 के पत्र संख्या 9 (2)/90/रक्षा (रा. भा.) के क्रम में देखें, जिसके साथ "पत्र-पत्रिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" से सम्बन्धित रूपरेखा की प्रति सभी कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी गयी थी।

उपर्युक्त योजना की रूपरेखा पर रक्षा विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 22 जून, 1990 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी और उसमें कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया था। समिति के सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजना की रूपरेखा में संशोधन किया गया है।

सेना मुख्यालय आदि से अनुरोध है कि वे इस योजना के बारे में सभी संबंधित कार्यालयों को सूचित कर दें और साथ ही उन्हें निर्देश दें कि वे रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की योजना में शामिल किए जाने के लिए अपने यहां वर्ष के दौरान प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में से किसी एक पत्र पत्रिका की पांच प्रतियां 30 अप्रैल, 1991 तक मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा), कमरा नंबर 123, सेना भवन, "ए" विंग (प्रथम तल), डी.एच.क्यू. पोस्ट आफिस, नई दिल्ली-110011 को भेज दें। □

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार, 1990

जन-संचार के विभिन्न माध्यम मुख्यत: सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध विषयों जैसे कि प्रकाशन, दूरदर्शन, प्रसारण, विज्ञापन, पत्रकारिता, फिल्म आदि पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

प्रथम पुरस्कार	: 25,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार	: 15,000 रुपए
तृतीय पुरस्कार	: 10,000 रुपए
मान पुरस्कार	: 5,000 रुपए

वर्ष 1990 के पुरस्कार के लिए 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि में प्रायोजित पुस्तकें अथवा लिखित पाण्डुलिपियों को विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि

वर्ष 1990 की भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि अब 30 अगस्त, 1991 तक बढ़ा दी गई है। प्रविष्टियां भेजने से पहले पुरस्कार संबंधी नियम, प्रविष्टि प्रपत्र तथा पूर्ण विवरण मंगाने के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली – 110001 को लिखे अथवा सम्पर्क करें। अपने आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा 10 × 22 से.मी. आकार का बिना टिकट वाला एक सादा लिफाफा अवश्य भेजें।

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय ने "संसदीय लोकतन्त्र" से संबंधित विषयों पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया है। इस योजना का विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी परन्तु इसे दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है :—

क्षेत्र–1 उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र–2 अरुणाचल प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गोआ, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम राज्य और दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) दोनों क्षेत्रों के लिए प्रतियोगिताएं अलग-अलग आयोजित की जाएगी तथा उनके पुरस्कार भी अलग-अलग ही होंगे।

पुरस्कार की राशि :

योजना के दोनों क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार पृथक-पृथक दिए जाएंगे :—

(क) प्रथम पुरस्कार (दो) रु. 1000/– (एक हजार रुपये प्रत्येक)

(ख) द्वितीय पुरस्कार (तीन) रु. 750/– (सात सौ पचास रुपये प्रत्येक)

(ग) तृतीय पुरस्कार (पांच) रु. 500/– (पांच सौ रुपये प्रत्येक)

पात्रता :

(क) सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकेंगे। (ख) प्रतियोगी स्नातक या उसके समकक्ष या उससे अधिक उपाधि प्राप्त होना चाहिए। (ग) प्रतियोगी उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है।

विषय :

प्रतियोगिता का विषय "संसद और राष्ट्रीय एकता" होगा।

सामान्य शर्तें:– (क) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वह लेख की 3 प्रतियां भेजें।

(ख) प्रतियोगिता के लिए लेख को, प्रतियोगी द्वारा स्वंय लिखा जाना चाहिए। इस आशय की घोषणा लेख के साथ संलग्न होनी चाहिए।

लेख की सीमा : लेख कम से कम 3000 शब्दों का और अधिकतम 5000 शब्दों का होना चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन सचिवालय

राजभाषा शील्ड वितरण समारोह

दिनांक 5-3-1991 को सचिवालय के सभाकक्ष में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए जिन्होंने वर्ष 1989 में हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए टिप्पण एवं मसौदा लिखने का कार्य अधिक से अधिक हिन्दी में किया। राजभाषा पार्षद

श्री प्रोजीत कुमार सरकार समारोह में मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने वर्ष 1989 के हिन्दी सप्ताह के दौरान सबसे अधिक काम हिन्दी में कराने के लिए सचिवालय के सामान्य अनुभाग को राजभाषा शील्ड प्रदान की और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। सामान्य अनुभाग की श्रीमती उषा रवि तथा कार्य परीक्षण एकक के श्री एन. सी. घोष को 250–250 रु. के प्रथम पुरस्कार तथा परिवहन अनुभाग की श्रीमती स्वाति सेनगुप्ता तथा सामान्य प्रशासन अनुभाग की श्रीमती डी दानम्मा को 200–200 रु. के द्वितीय पुरस्कार और सामान्य प्रशासन अनुभाग के श्री तिरुपति राव को 150 रु. का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा सामान्य अनुभाग के श्री हरिशंकर पन्त और श्री बलराम तथा सांख्यिकीय ब्यूरो के श्री आशिफ अली और श्री सम्बत तथा वित्त अनुभाग के श्री अहमद को 50–50 रु. की कीमत की पुस्तकें भी प्रदान की गई।

इस अवसर पर राजभाषा पार्षद ने हिन्दी को द्वीपसमूह के विभिन्न कार्यालयों में लोकप्रिय बनाए जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा की।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए विकास आयुक्त, श्री ओ. पी. केलकर ने कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास को राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन द्वीपों की सम्मिश्र संस्कृति तथा बहु भाषाभाषी समाज में हिन्दी का गौरवमय स्थान है। समारोह में पार्षद श्री एन. वासुदेवन, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शान्ता लक्ष्मन सिंह, श्री एस. पी. प्रभाकर, उपायुक्त, अण्डमान जिला, श्री एस. एन. अग्रवाल, न्यायिक सचिव, अण्डमान वन तथा बागान विकास निगम के मण्डलीय प्रबन्धक तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री के. टी. उम्मन और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

स्वागत भाषण करते हुए राजभाषा विभाग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार परिडा, सचिव (राजभाषा) ने कहा कि द्वीपों की बहुभाषा-भाषी एवं मिली-जुली जनसंख्या में हिन्दी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सभी के सहयोग से होना चाहिए। ऐसा करते समय हमें बीच का सन्तुलित मार्ग अपनाना होगा जिसमें न तो अत्यन्त उत्साह होगा और न बिल्कुल उदासीनता। सभी के आपसी सहयोग और प्रेम से हिन्दी अवश्य आगे बढ़ेगी। श्री आनन्द वल्लभ शर्मा सरोज, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने इस अवसर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री देवराज दिनेश, सहायक हिन्दी अधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

□

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केन्द्र पल्लिपुरम तिरुअनंतपुरम् (केरल)

1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि में इस ग्रुप केन्द्र कार्यालय के हिन्दी कार्यों का निरीक्षण किया गया और तिरूवनंतपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा इस कार्यालय को राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्तम निष्पादन के लिए "योयत प्रमाण-पत्र" प्रदान किया गया, जिसे श्री वी. राधाकृष्णन, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, केरल परिमण्डल एवं अध्यक्ष तिरुवनंत-पुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से इस ग्रुप केन्द्र के अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा 21-6-1991 को को-ऑप बैंक टावर्स, तिरूवनंतपुरम में आयोजित समारोह में प्रदत्त किया गया।

उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वपरिचय के उपरांत अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन ने उन सभी कार्यालयों को बधाई दी जिन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा किया है। उन्होंने प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह नोट कर लिया है कि ज्यादातर कार्यालय भरसक कोशिश के बावजूद हिन्दी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सके क्योंकि अधिकारी एवं कर्मचारी इसके अनुभवी नहीं। फिर भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप सेन्टर आदि के कार्यालयों ने लक्ष्य से अधिक पत्राचार हिन्दी में करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए बढ़ावा दिया गया कि वे इस मद में अखिल भारतीय स्तर पर अव्वल निकलें और अपने व समिति के नाम को उजागर कर दें।

विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में पुरस्कार वितरण

नवंबर 1990 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में तथा जनवरी 91 में आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद पुरस्कार वितरित करने के लिए दि. 3-7-1991 को परियोजना कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आर कृष्णन, महा प्रबंधक (विपणन) रहे।

हिन्दी अधिकारी डॉ. एस कृष्णबाबू ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करते हुए विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार द्वारा उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वी एस पी के कार्यपालक और कर्मचारी हमारे इन प्रयासों

में काफी रुचि ले रहे हैं यही नहीं बी०एस० पी० में आयोजित हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी निष्ठा के साथ भाग ले रहे हैं।

मुख्य अतिथि श्री आर कृष्णन् ने संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि आज भारत में हिन्दी सीखना आम जिंदगी की एक जरूरत बन गई। हिन्दी के विकास से अन्य भारतीय भाषाओं का विकास भी संभव है। इसीलिए हिन्दी का प्रयोग और इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

इसके पश्चात् मुख्य अतिथि ने निम्नलिखित अनुसार कर्मचारियों को नकद पुरस्कार वितरित किए :

हिन्दी प्रबोध :

सर्वश्री

आर वी सत्यनारायण

एन टी वी रमणा

वी सत्यनारायण

एल बाबु राव

एम तुलसी दास

वी गोविंद राजुलु

हिन्दी प्राज्ञ :

सर्वश्री

वी सन्यासी राव

जी रामम्

एस वासुदेव राव

के एन वी आंजनेयुलु

टी पार्थसारथी

वी वी कृष्णमूर्ति

एस डेनियल जकरिया

एस धनुजय राव

हिन्दी प्रवीण :

सर्वश्री

जी बी परमेश्वर राव

के नरसिंहा राव

के एन राजन्

सीहेच मल्लिकार्जुन राव

एम वी पी गुप्ता

एम वर प्रसाद

हिन्दी टंकण

सर्वश्री

के वी एस एस एम राजु

एम शेषगिरि राव

के नरसिंहा राव

डी वेंकट रमणा

वाइ भूलोक राव

जे श्रीनिवास राव

एन मधुसुदन राव

के मल्लिकार्जुन राव

पी साहब नायुडु

ए पापय्य शास्त्री

हिंदी अनुवादक डॉ. लक्ष्मी कुमारी ने आभार प्रकट किया।

□

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पारादीप

वार्षिक समारोह

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पारादीप की ओर से दि. 21 दिसम्बर 1990 को प्रथम वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस में महामहिम राज्यपाल उड़ीसा श्री यज्ञदत्त शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री भगवान दास पटैरया उप सचिव (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री मधुसूदन साहू सचिव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में समिति के द्वारा हिन्दी की प्रगति के लिए प्रयासों की सराहना करते हुए देश में हिन्दी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सीखने में सरल है और साथ ही देश में एकता ला सकती है।

श्री पटैरया ने पारादीप पत्तन न्यास द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में की गई प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व कार्यालयों के प्रमुखों का है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस क्षेत्र में सभी का सहयोग प्राप्त न होगा तो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना संभव न होगा।

पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री प्रसन्न कुमार मिश्र ने महामहिम राज्यपाल उड़ीसा तथा उप सचिव (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग को समारोह में उपस्थित होने के लिए समिति की ओर से आभार प्रकट किया।

वार्षिक समारोह के अवसर पर कर्मचारियों, महिलाओं, स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को नकद पुरस्कार महामहिम राज्यपाल (उड़ीसा) ने प्रदान किए। पत्तन न्यास के सामुदायिक केन्द्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय महिला क्लब, केन्द्रीय विद्यालय, बेथानी कान्वेन्ट स्कूल डी. ए. वी. स्कूल आदि ने भाग लिया।

अंत में डॉ. एच. वी. प्रधान सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क ने समारोह में उपस्थित होने के लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद दिया।

केन्द्रीय उत्पाद एवम् सीमा शुल्क समाहर्तालय, भुवनेश्वर

केन्द्रीय उत्पाद एवम् सीमा शुल्क, भुवनेश्वर में दिनांक 27-3-91 को वाद-विवाद प्रतियोगिता एवम् काव्य-गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस से पूर्व श्री योगिन्दर पाल पनघर, अपर समाहर्ता (तकनीकी) ने दिनांक 25 मार्च एवम् 26 मार्च, 1991 को आयोजित कार्यशाला का समापन किया।

समाहर्ता श्री वी. नन्द ने प्रतिभागियों को प्रेरणा दी एवम् उन का उत्साहवर्द्धन किया। श्री सी.आर. बुनकर अपर समाहर्ता (लेखा परीक्षा) एवम् श्री यो.पा. पनघर प्रतियोगिता के निर्णायक रहे।

वाद-विवाद प्रतियोगिता के उपरान्त श्री दिनेशचंद्र कांडपाल सहायक निदेशक (राजभाषा) ने काव्य-गोष्ठी का संचालन किया।

स्वरचित कविताओं के काव्य-पाठ के लिए पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई।

वाद-विवाद प्रतियोगिता

श्री एस. दत्त, सामान्य अनुभाग	प्रथम स्थान
श्री एस.के. साहू, सामान्य अनुभाग	द्वितीय स्थान
श्री के.आर. मेटला, टेलेक्स सुपरवाइजर	ततीय स्थान

काव्य-गोष्ठी के परिणाम

श्री शिवाशीष दत्त, सामान्य अनुभाग	प्रथम
श्री सुयोग्य कुमार साहु, सामान्य अनुभाग	द्वितीय
श्री जे.एन. लेंका, निरीक्षक	तृतीय

भारतीय जीवन बीमा, पुणे

मण्डल कार्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह

भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित प्राज्ञ परीक्षा नवम्बर 1990 पुणे मण्डल के अट्ठाईस कर्मचारियों ने दी थी। वे सभी अच्छे अंक लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मंडल में सर्वप्रथम तीन कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह का आयोजन पुणे मण्डल के स्पोर्टिंग क्लब हॉल में दिनांक 14-3-91 को वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक श्री भार्गव की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस समारोह की प्रमुख अतिथि थीं सन्मानीया श्रीमती विमला भार्गव जी। हिन्दी शिक्षण योजना की सहायक निदेशिका श्रीमती दुनाखे, प्रशिक्षिका श्रीमती देशपांडे, श्रीमती केलकर, श्री गोपालन प्रबंधक (का. एवं औ.सं.) तथा श्री एस.जी. अन्ने, प्र.अ. (का. एवं औ.सं.) भी उपस्थित थे।

प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को श्रीमती भार्गव जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गये।

1. श्री. सुभाष गांधी, संसाधन विभाग — श्रेणी सहायक, आंकड़ा प्राप्तांक 150/200
2. श्री देवेन्द्र कुलकर्णी, शाखा स. 95-ए प्राप्तांक 149/200
3. श्रीमती शर्वरी जोगलेकर, शाखा सं. 987 प्राप्तांक 144/200

अन्य उत्तीर्ण कर्मचारियों को बधाई पत्रों का वितरण भी श्रीमती भार्गव जी ने किया।

□

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नासिक

हिन्दी टंकण परीक्षा–जनवरी 1991

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जनवरी 1991 में आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा में हमारे कार्यालय से निम्नलिखित कर्मचारी अच्छे अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण हुए है।

1. श्री एन.वाय. जोंधले	प्राप्तांक—100%
2. श्री आर.डी. फडके	प्राप्तांक—87%
3. श्री आर.एस. कासट	प्राप्तांक—74%

नौवहन महानिदेशालय, बम्बई

अंतर्राष्ट्रीय उद्योग, पत्र व्यवहार में हिंदी के प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत सीमित दायरे एवं संसाधनों के बावजूद, नौवहन महा निदेशालय, संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के प्रति सदैव प्रतिबद्ध, जागरूक और सचेष्ट रहा है।

बंबई महानगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से राजभाषा हिंदी का सर्वाधिक एवं उल्लेखनीय प्रयोग करने वाले एक कार्यालय को शील्ड तथा 21 अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने के लिए, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा दिनांक 12-4-91 को एअर इंडिया बिल्डिंग,

सक्सेना, आयकर आयुक्त (बंबई) ने, श्री एच.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (नौवहन) तथा श्रीमती रुखसाना इकबाल सोलकर, प्रवर श्रेणी लिपिक को **स्वर्ण पदक से अलंकृत करके प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।**

समारोह के मुख्य अतिथि, भारत सरकार के नॉटिकल सलाहकार, कैप्टन पी.एस. बर्वे थे। कैप्टन बर्वे की पहल के परिणामस्वरूप, प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र" के कैडेट, अब हिंदी में "प्रतिज्ञा" करते हैं जो **पिछले साठ वर्षों के इतिहास में एक उल्लेखनीय कदम हैं।**

पंजाब नेशनल बैंक को हिन्दी के प्रयोग हेतु प्रथम पुरस्कार

दिनांक 11-7-91 को हिमाचल होलीडे होम, शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर समिति, हिमाचल प्रदेश की बैठक आयोजित की गई जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री शांता कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य मन्त्री ने पंजाब नैशनल बैंक को वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य में स्थित सभी बैंकों में सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया। बैंक की ओर से यह पुरस्कार अंचल कार्यालय, चण्डीगढ़ में कार्यरत मुख्य प्रबन्धक श्री वाई.पी सेठी ने प्राप्त किया। वर्ष 1988-89 के दौरान भी पंजाब नैशनल बैंक को प्रथम पुरस्कार दिया गया था।

आयकर प्रभार कानपुर में पुरस्कार वितरण समारोह

26 जनवरी, 1991 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर आयकर विभाग, कानपुर में स्थित आयकर आयुक्त प्रभार, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) प्रभार और आयकर निदेशालय, कानपुर में हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी.सी. अग्रवाल ने नकद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र प्रदान किए। इस पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल 18 पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें से रु. 400 के छः प्रथम पुरस्कार, रु. 200 के सात द्वितीय पुरस्कार तथा रु. 150 के पांच तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

रु. 400 के 6 प्रथम पुरस्कार सर्व श्री बी.पी. शर्मा, सहायक आयकर निदेशक, श्री एस.पी. सिंह, आयकर निरीक्षक, श्री एस.सी. स्वामी, श्री एस.के. बाजपेई, श्री विश्वनाथ अवस्थी, प्रवर श्रेणी लिपिक एवं श्री के.डी. माथुर, कर सहायक को प्रदान किए गए।

हिन्दी में डिक्टेशन देने की योजनान्तर्गत आयकर अधिकारी श्री एस.एन. त्रिपाठी को रु. 500 का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री जी.सी. अग्रवाल, मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी में काम करना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि क्षुद्र मानसिकता के कारण ही अभी तक अंग्रेजी का प्रचलन जारी है। उन्होंने मातृभाषा हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ी है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे गौरव के साथ हिन्दी का प्रयोग करें।

इस अवसर पर डॉ. प्रेम प्रकाश लक्कड़, आयकर निदेशक ने राष्ट्र के विकास एवं राजभाषा की प्रगति में सामान्य जन की भूमिका पर प्रकाश डाला। समारोह का संचालन श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया।

नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमेटिड, भोपाल

नेशनल फर्टिलाईजर्स लि. भोपाल के आंचलिक विपणन कार्यालय भोपाल में 27 मार्च, 1991 को कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये कार्यालय परिसर में हिंदी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें न केवल भोपाल अपितु गुना, रायपुर, जबलपुर, विदिशा से आये अनेक कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बड़े ही उत्साह से हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये कार्यालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय से श्री राणाजी व श्री महाड ने भोपाल कार्यालय में आकर मार्गदर्शन दिया और कार्यालय में हिंदी की प्रतियोगिताएं चलाने में पूर्ण मदद की।

कार्यालय परसर में आयोजित की गई हिंदी प्रतियोगिताओं के सहभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यालय परिसर में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आयकर विभाग भोपाल के आयकर आयुक्त श्री कृष्णदास गुप्त ने किया। श्री गुप्त ने कहा कि वास्तव में आज सरल और सुबोध हिन्दी की आवश्यकता है जिसमें कार्य करने के लिये इसी प्रकार से वातावरण बनता है। कार्यालय में हिंदी की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री अशोक कुमार शर्मा ने विशेष सहयोग दिया।

वायुसेना द्वारा राजभाषा पुरस्कार वितरण

बुधवार 09 जनवरी, 91 को वायुसेना मुख्यालय द्वारा वायुभवन में राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के प्रशासन प्रभारी वायु अफसर एयर मार्शल पी.के. जैन, विशिष्ट सेवा मैडल थे। उन्होंने अपील की कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी बिना झिझक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का प्रयास

करें। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे हिंदी के प्रयोग को बराबर बढ़ावा देते रहेंगें। उन्होंने शिक्षा निदेशक के इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। शिक्षा निदेशालय द्वारा गत सितंबर में बड़े उत्साह के साथ "हिंदी सप्ताह" तथा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। समारोह में वायुसेना मुख्यालय के निम्नलिखित निदेशालयों को राजभाषा शील्डें प्रदान की गई :

स्वर्ण शील्ड : इंजीनियरी सहायता निदेशालय

रजत शील्ड : कार्मिक (वायु सैनिक) निदेशालय

कांस्य शील्ड : वायुसेना केंद्रीय लेखा कार्यालय

निम्नलिखित विजेताओं को हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया :—

मूल हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन की नकद पुरस्कार योजना वर्ष 1989-90 के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

(क) श्री पृथ्वी राज —प्रथम

(ख) श्री बृजभान सिंह —प्रथम

(ग) श्री जगदीश प्रसाद गुप्त —द्वितीय

(घ) श्री अमर नाथ —द्वितीय

(ङ) श्री गुरुवचन सिंह —द्वितीय

हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता	कु. संगीता ग्रोवर	प्रथम
हिंदी निबंध प्रतियोगिता	श्री प्रवीण कुमार	प्रथम
हिंदी टाइपिंग	श्री वी बालाकृष्णन (अहिंदी भाषी)	प्रथम
	कु. कमलेश अरोड़ा	
हिंदी भाषण	विंग कमांडर डी पी सभरवाल	प्रथम
हिंदी शब्द ज्ञान तथा वाक्यांश प्रतियोगिता	सार्जेंट जी पी चतुर्वेदी	प्रथम

कुल मिलाकर 31 व्यक्तियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। शिक्षा निदेशक एयर वाईस मार्शल एस रत्नम ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बताया कि वायुसेना मुख्यालय में गत दिसंबर को हिंदी सप्ताह बहुत ही उत्साह और रुचि से मनाया गया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों की संख्या भी बहुत अधिक रही।

वायुसेना में हिंदी के उपशिक्षा निदेशक विंग कमांडर एन. जोतवाणी ने मुख्य अतिथि तथा शिक्षा निदेशक के प्रति बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने समारोह में भाग लेने वालों तथा हाथ बटाने वाले सभी सज्जनों को उनके सुप्रयासों पर साधुवाद दिया।

परिषद् का पुरस्कार वितरण समारोह

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी आशुलिपि, टाइपिंग, टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी व्यवहार, निबंध, वाक्, देवनागरी तार तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इन प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले प्रतियोगियों को शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आर्थिक सहयोग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है: वर्ष 1990-91 की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत विजेताओं को इस वर्ष 20 मार्च, 1991 को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता परिषद के प्रधान श्री प्रेमानन्द त्रिपाठी, सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार) ने की। महामंत्री श्री प्रेमचन्द्र धस्माना ने परिषद् की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आशा प्रकट की कि अब सरकारी कार्य को राजभाषा के माध्यम से करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं है। आज परिषद् के प्रयासों से हमारे पास विभिन्न विभागों के लिए ऐसा साहित्य मौजूद है जो कर्मचारियों को अपना कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में करने में अत्यंत उपयोगी है।

मुख्य अतिथि राव वीरेन्द्र सिंह ने आशा प्रकट की कि इस देश का विशेषकर केन्द्रीय सरकार का सारा कार्य राजभाषा के माध्यम से किया जाना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र में लोकभाषाओं का जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक हम सरकार और जनता की बीच में सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते हैं। परिषद् की सेवाओं की सराहना करते हुए मंत्री महोदय ने आशा प्रकट की कि इसके कार्यकर्ता इसी लगन, निष्ठा एवं सेवाभाव से राजभाषा का प्रचार प्रसार करते रहेंगें।

श्री त्रिपाठी ने अध्यक्षीय भाषण परिषद् के कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा कि हमें प्यार से निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है।

इस समारोह में जिन प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया उनमें से कुछ विशिष्ट नाम इस प्रकार से हैं—

31वीं हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता

प्रथम : श्री यशवन्त भोपटकर

द्वितीय : श्री प्रकाश भारद्वाज

तृतीय : श्री भंवर लाल चौहान

महिला : कु. मीना जैन

29वीं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

प्रथम : श्री हरीश चन्द्र बिष्ट
द्वितीय : कु. निर्मला भट्ट
तृतीय : श्री अशोक आनन्द

25वीं हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता

प्रथम : श्रीमती बी शोभा
द्वितीय : श्री कुलदीप तिवारी
तृतीय : श्री अशोक कुमार

25वीं हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

प्रथम : कैप्टन प्रवीर कुमार भारतीय
द्वितीय : श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
तृतीय : श्रीमती निरूपमा अग्रवाल

अखिल भारतीय हिन्दीतरभाषी

प्रथम : सुश्री के.पी. शिवदक्षिनी
द्वितीय : श्री बी.पी. सुनिल
तृतीय : श्री वे. वि. रमणस्व

26वीं हिन्दीतर भाषी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी

प्रथम : श्री गिरिश कुमार भ. कटरिया
द्वितीय : उत्तम राव बाबू राव
तृतीय : श्रीमती चन्दना राय बर्द्धन

अखिल भारतीय हिन्दीभाषी क्षेत्र पुरस्कार

प्रथम : सुश्री सुपर्णा बनर्जी
द्वितीय : श्री अजय भट्टाचार्य
तृतीय : श्री बी.वेंकटरमन

16वीं देवनागरी तार प्रतियोगिता (बैंकिंग कार्य वर्ग)

प्रथम : श्री आर एस अग्रवाल
द्वितीय : श्री बलदेव सिंह
तृतीय : श्री एस एस विश्वकर्मा

प्रथम : श्री राधेश्याम गुप्त
द्वितीय : श्रीबिलराम सिंह
तृतीय : श्री एस.डी. वानखेडे

प्रथम : श्री हनुमान सहायताम्बी
द्वितीय : श्री एस.आर. उजवने
तृतीय : श्री एस.व्ही कुलकर्णी

12वीं हिन्दी वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिता

प्रथम : डा. इरशाद मसूद एवं डा.एस.के. अग्रवाल
द्वितीय : डा. प्रेम किशोर
तृतीय : डा. रा.दा. गौतम

उप प्रधान श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा प्रकट की कि इन प्रतियोगिताओं में जो प्रतियोगी इस बार पुरस्कार लेने से वंचित रह गये वे अपने उत्साह को बनाये रखेंगे और इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे कि उन्हें भविष्य में अवश्य सफलता मिलनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक शाखा, नई दिल्ली

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की भारतीय रिजर्व बैंक शाखा, नई दिल्ली ने दिनांक 11 मई, 1991 को हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाक्; हिन्दी आशु लेख, हिन्दी शब्द ज्ञान हिन्दी टंकण प्रतियोगिता तथा हिन्दी प्रश्न मंच कार्यक्रम व अ. भा. हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन व हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र प्रदान करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। श्री हरि बाबू कंसल, महामंत्री हिन्दी व्यवहार संगठन, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार दिए। सभा की अध्यक्षता श्री आर. वेंकटेशन, प्रबन्धक ने की। उन्होंने शाखा द्वारा प्रकाशित 'जन भाषा संदेश' पत्रिका के छठे अंक का विमोचन किया। सभा का संचालन तथा शाखा की गतिविधियों का परिचय श्री भीमवली वर्मा, शाखा मंत्री ने दिया। इस अवसर पर राजभाषा (पोस्टर व पुस्तक) प्रदर्शनी भी लगाई गई।

अन्त में शाखा प्रधान श्री मधुसूदन जोगलेकर ने सभी आगन्तुकों का धन्यवाद किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

हिन्दी प्रतियोगिताओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को 20 फरवरी, 1991 को आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री द्वारा पुरस्कार व प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए।

1. टिप्पण तथा प्रारूप लेखन

प्रथम : श्री स्वरूप चन्द जैन, जनसंख्या शिक्षा अधिकारी	400
द्वितीय : श्री राजेन्द्र प्रसाद, सांख्यिकीय सहायक	300
तृतीय : श्री लाल चन्द सिंह, सहायक	200

2. हिन्दी टंकण रु

प्रथम : श्रीमती सतनाम कौर ढिल्लों, अ.श्रे.लि.	400
द्वितीय : श्री सभापति राम, उ.श्रे.लि.	300
तृतीय : श्री अरूप कुमार ढींगरा, अ.श्रे.लि.	200

3. हिन्दी आशुलिपि

प्रथम : श्री जयदेव, आशुलिपिक	400
द्वितीय : कु. रेखारानी, आशुलिपिक	300
तृतीय : श्रीमती राजबाला, आशुलिपिक	200

प्रेरणा पुंज

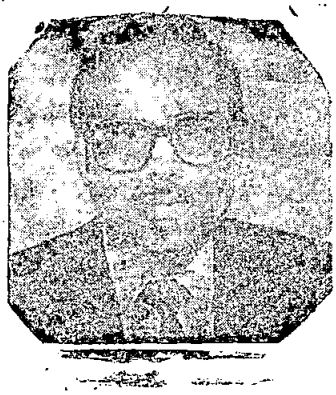

श्री सु.द. इडगुंजी, महाप्रबन्धक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नाशिक रोड, दिनांक 31 मई, 1991 को अधिवर्षिता के कारण सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं :

वे शान्त और मितभाषी हैं। वे एक कुशल और कर्मठ प्रशासक हैं। महाप्रबन्धक, सर्वकार्यभारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना और अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हैसियत से उनकी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में मुद्रणालय और नगर स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका रही ।

राजभाषा नीति के अनुपालन में वे गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में वे विशेष ध्यान देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति बढ़ी और प्रशिक्षण, हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी टंकण और आशुलिपिक प्रशिक्षण तथा हिन्दी दिवस के आयोजनों संबंधी विषयों पर चर्चा, निर्णय और कार्यान्वयन हो सका। उक्त प्रयासों से नासिक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उचित वातावरण बना । उन्होंने वर्ष 1988-89 से नगर स्तर पर नगर राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया । उन्हीं की प्रेरणा, मार्गदर्शन से नासिक में हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र का दिनांक 10-8-90 से शुभारंभ किया गया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नासिक को वर्ष 1988-89 में हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 19-7-89 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री संतोष मोहनदेव ने राजभाषा ट्राफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया ।

प्रवेश भर्ती परीक्षाएं और हिन्दी

संस्कृत विभाग

कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

इस वर्ष से दिल्ली वि.वि. संस्कृत विभाग (एम.ए) की प्रवेश संबंधी सूचनाएं कला संकाय की विश्वविद्यालयी सूचना पुस्तिका में हिन्दी में प्रकाशित की गई है। अब तक ये सूचनाएं केवल अंग्रेज़ी में छपती रही हैं।

इसी प्रकार संस्कृत विषय के दिल्ली वि.वि. के सभी बी०ए० पास, आनर्स और एम.ए. के पाठ्यक्रम भी इस वर्ष से हिन्दी में छापे जा रहे हैं।

इससे संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अपना पाठ्यक्रम समझने में तथा एम.ए. में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को नियम समझने में सुविधा हो जायेगी ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में स्टाफ अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा भी हिन्दी में

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ ने अपने 29 अप्रैल, 1991 के पत्र संख्या 734/एस आई डी बी आई द्वारा सूचित किया है कि जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जायेंगे, उन्हें इस आशय की सूचना दे दी जाएगी कि वे चाहें तो प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से दे सकते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण रिपोर्ट द्विभाषी रूप में छपी

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को अपने 20-3-91 के पत्र सं. डी ई ए पी राक एवं 353427(ए)(2)/90-91 द्वारा सूचित किया है, कि "हमारे विभाग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग चरणबद्ध रूप में सुनिश्चित किया जा रहा है । (1) भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (ii) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, तथा (iii) भारतीय रिजर्व बैंक का मासिक बुलेटिन जैसे तीन प्रमुख प्रकाशन द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं ।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ट्रेनीज की चयन परीक्षा

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली ने अपनी मैनेजमेंट ट्रेनीज की चयन परीक्षा में प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेज़ी में देने की व्यवस्था कर दी है ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में आफिसर्स ट्रेनीज

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ने अपने दि. 13 जून, 1991 के पत्र संख्या भर्ती/जी एच आर द्वारा सूचित किया है कि कारपोरेशन में आफिसर ट्रेनीज की लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं यानि हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं।

इंडियन आयल कार्पोरेशन में अभियन्ता प्रबंधन परीक्षार्थियों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड अभियन्ता प्रबंधन परीक्षार्थियों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम के द्वारा विकल्प के बारे में निम्न प्रकार सूचित किया गया है :—

"हमें आपको यह सूचित करना है कि जब कभी ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से लिखित परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भी हमेशा व्यवस्था रहती है। इससे पहले आयोजित की गई परीक्षाओं में सभी निरीक्षकों को परीक्षा केन्द्रों में यह घोषणा करने की हिदायत की जाती रही है कि जो भी उम्मीदवार हिन्दी माध्यम से लिखित परीक्षा देना चाहें वे हिन्दी माध्यम की प्रश्न पुस्तिका की मांग कर सकते हैं। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मूल्यांकन भी हिन्दी माध्यम से ही किया गया। इस बार भी सामान्य अनुदेशों के साथ-साथ लिखित परीक्षा के बारे में उल्लेख कर दिया जाएगा, जिसके प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों माध्यमों में तैयार किए जाएंगे। अंतिम साक्षात्कारों में उम्मीदवारों को यह आजादी दी जाती है कि वे दोनों में से किसी भी भाषा में विचार व्यक्त कर सकते हैं। अंतिम साक्षात्कारों में केवल अंग्रेजी में ही उत्तर देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है।"

जल भूतल परिवहन मंत्रालय की परीक्षाओं में हिन्दी

जल भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 25-2-91 की बैठक में नौवहन महा निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा आयोजित की जा रही सभी परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग का विकल्प दिया जा चुका है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र में करीब 17 हजार छात्रों में से 3 हजार ने हिन्दी माध्यम का उपयोग किया।

विज्ञापन एवं जन सम्पर्क डिप्लोमा की पढ़ाई में हिन्दी माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के विज्ञापन के अनुसार "विज्ञापन एवं जन सम्पर्क पढ़ाई के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी भी कर दिया गया है।"

सेना की शिक्षा कोर में ग्रुप ए और बी हथलदारों की नियुक्ति

सेना की शिक्षा कोर में ग्रुप ए और बी में नियुक्ति हेतु एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा अगस्त, 1991 में ली जाएगी, जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान आदि पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। इसके उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा में दिए जा सकेंगे।

सहायक उप निरीक्षक (अग्नि) की नियुक्ति परीक्षा में हिन्दी

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अग्नि) खण्ड के महानिदेशालय में 96 उप निरीक्षकों (अग्नि) तथा 21 सहायक उप निरीक्षकों (अग्नि) की नियुक्ति हेतु जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली जाएगी, उसमें सभी विषयों के उत्तर हिन्दी भाषा में भी दिए जाने का विकल्प होगा।

अधिकारी प्रशिक्षुओं की चयन परीक्षा भी हिन्दी में

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, स्टील बोकारो सिटी ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के अनुरोध पर सूचित किया है कि इनके सभी साक्षात्कार परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को हिन्दी में उत्तर देने की छूट दे दी गई है। अधिकारी प्रशिक्षुओं के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा के लिए उत्तर हिन्दी में भी देने का विकल्प होगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली

"विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की पढ़ाई एवं परीक्षा देने का प्रावधान अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में भी है।

सी एस आई आर –यू जी सी की संयुक्त जुनियर फैलोशिप की परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्र हिंदी में करने का विकल्प

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के मानव संसाधन विकास ग्रुप के अध्यक्ष डा. सुशील कुमार ने श्री जगन्नाथ, संयोजक, राजभाषा कार्य केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली को अपने 11-7-91 के पत्र संख्या एस पी ए/एस के/जे आर एफ-हिंदी/91 द्वारा सूचित किया है कि सी एस आई आर–यू. जी. सी. की संयुक्त जूनियर फैलोशिप परीक्षा के तीनों प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाने के श्री जगन्नाथ के सुझाव को सी. एस. आई. आर. ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।"

इन्श्योरेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

इन्श्योरेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, बम्बई ने अपने 12-3-91 के पत्र संख्या हिन्दी/283/91 द्वारा सूचित किया है कि —

"हमारी परीक्षा संबंधी सभी निर्णय व नीति निर्धारण हमारे शिक्षा बोर्ड द्वारा होता है। इस शिक्षा बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम व इसकी सहायक कंपनियों के उच्च पदाधिकारी होते हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हमें उपरोक्त विषय में संबंधित कार्य करना होता है।

हमारी पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा करवाना निश्चित है। इसलिए बीमा क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी अधिकारी व हिन्दी क्षेत्र से जुड़े बीमा

—जारी पृष्ठ 108 पर

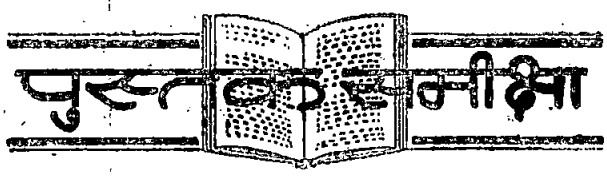

भारतीय लिपियों की कहानी

लेखक —गुणाकर मुले

पृष्ठ —174

मूल्य —रु. 60/-

प्रकाशक —राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेता जी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002

यदि भाषा मनुष्य जाति के बीच आपसी संवाद के वाहन का कार्य करती है तो लिपि उस वाहन का चक्का है। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से मनुष्य अपने अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित अर्जित ज्ञान को आपस में बांटता रहा है और इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाता रहा है। इस कार्य में लिखित शब्द ने बड़ा योगदान दिया है जिससे कि न केवल ज्ञान सुरक्षित हुआ बल्कि उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता भी मिली है।

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारतीय भाषाओं की लिपियां अनेकों पुरालिपियों के परिष्कार से विकसित हुई है। वर्तमान भाषाओं की लिपियां किस प्रकार से अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचती हैं और प्राचीन भाषाओं की लिपियां किस प्रकार से वर्तमान से जुड़ी हुई हैं, यह एक गहन अनुसंधान का विषय है। इस अनुसंधान के सिलसिले में अनेक विद्वानों ने विभिन्न समयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनायें की हैं। भारतीय पुरालिपि, विज्ञान पर जर्मन विद्वान बुहलर ने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी जिसका नाम था "इण्डिया पैलयोग्राफी"। इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। दुर्भाग्य से इस प्रकार का ग्रन्थ अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु आम पाठकों को सीधी सुलभ भाषा में इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास बहुत कम हुआ है। इस दृष्टिकोण से गुणाकर मुले द्वारा रचित भारतीय लिपिकों की कहानी एक अभाव को पूरा करती है। मूल रूप से यह पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुई थी। 1990 में इसका यह द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण निकाला है।

लेखक ने पुस्तक में भारतीय लिपियों की कालक्रम से विवेचना की है। भारतीय लिपियों के उद्गम और विकास की कहानी सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्रारम्भ करके वर्तमान भाषाओं की प्रादेशिक लिपियों व देवनागरी लिपि तक लाने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस में विदेशों में भारतीय लिपि, सिन्धु घाटी सभ्यता की लिपि, अरबी व फारसी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि पर अलग लेख हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। इस कारण से यह पुस्तक पुरालिपि के विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण बन जाती है। ब्राह्मी लिपि वर्तमान में लगभग मृतप्राय हो चुकी है, परन्तु पुरालेखों में ब्राह्मी लिपि का महत्त्व नकारा नहीं जा सकता। पुस्तक में ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम को भली प्रकार विवेचित किया गया है तथा परिशिष्ट के तौर पर ब्राह्मी से विकसित आधुनिक भारत की लिपियों को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तक की भाषा थोड़ी दुरूह अवश्य है परन्तु ऐसे विशिष्ट विषय के साथ यह अपरिहार्य ही है। सुविधा के तौर पर परिशिष्ट में इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दावली के हिन्दी व अंग्रेजी स्वरूप दिये गये हैं जिसके कारण हिन्दी कम जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

पुस्तक का गैट अप अच्छा है और यह पुस्तक आम पाठक तथा प्रत्येक पुस्तकालय के लिए उपयोगी है।

—श्रीमती माला प्रकाश, जे-68, साकेत, नई दिल्ली-17

□

आधुनिक कम्प्यूटर विज्ञान

लेखक : वीरेन्द्र कुमार जैन

प्रकाशक : गलगोटिया एंड संस, 17-बी कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

"कम्प्यूटर विज्ञान" जैसे जटिल विषय को उच्च माध्यमिक स्तर के लिए हिन्दी में, मानक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग (हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में) करते हुए, सरल तथा सुबोध बनाकर प्रस्तुत करने का लेखक ने अनूठा प्रयास किया है। कम्प्यूटर विज्ञान पर हिन्दी में पुस्तकों का अभाव होने के कारण इस पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

पुस्तक में कम्प्यूटर की आधारभत संरचना, संख्या पद्धतियां, कम्प्यूटर की भाषा व प्रोग्रामन तकनीक पर विस्तृत विवेचन किया गया है और आवश्यकतानुसार उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्नावली और उत्तर देने से पुस्तक छात्रोपयोगी बना दी गई है। आशा है कि इस प्रकार छात्र/छात्राएं कम्प्यूटर विज्ञान को सरल रूप से अपनी भाषा में पढ़कर लाभान्वित होंगे।

आज ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिनके प्रयोग से कम्प्यूटरों का प्रयोग रोमन के अलावा देवनागरी लिपि में भी कार्य करने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक के बारे में जान-

कारी का भी समावेश यदि इस पुस्तक के अगले संस्करण में कर दिया जाए तो विद्यार्थियों को इसकी समुचित जानकारी मिल पाएगी और आगे चलकर वे केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए भी सक्षम हो पाएंगे । पुस्तक भी अपने आप में पूर्ण एवं बहुपयोगी हो जाएगी ।

—बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक (तकनीकी)

□

शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी

लेखक : डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी

प्रकाशक : **अलेख प्रकाशन, दिल्ली–32**

हिंदी में व्याकरण विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन व्याकरण के शिक्षण और प्रशिक्षण पक्ष को बहुत कम लेखकों ने छुआ है। इस दृष्टि से डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी की उक्त कृति का आज के संदर्भ में विशेष स्थान होगा पुस्तक में 18 अध्याय हैं जिन्हें अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन लेखक ने बुद्धिमानी से विभिन्न अध्यायों को क्रम से रखते हुए पाठ्य सामग्री को संयोजित किया है। पहले खंड के प्रथम नौ अध्याय विशेष रूप से व्याकरण के शैक्षिक पक्ष को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। इन अध्यायों में लेखक ने हिंदी भाषा के व्याकरणिक नियमों उसके सर्जनात्मक प्रयोगों, भाषा शैलियों और प्रयुक्तियों आदि का विश्लेषण किया है । दूसरे खंड के शेष नौ अध्याओं में राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यावहारिक एवं प्रयोजनमूलक पक्षों को लिया गया है। संक्षेपण, पल्लवन, अनुवाद, पत्राचार, प्रतिवेदन लेखन, पारिभाषिक शब्दावली आदि विषयों में तथ्यों और सिद्धांतों का विवेचन इस ढंग से किया गया है जिससे पाठक हिंदी भाषा के भाषायी प्रयोग में दक्षता हासिल कर सकें। इस प्रकार यह पुस्तक विद्यार्थियों, अध्यापकों, राजभाषा हिंदी में काम करने वालों और प्रतियोगात्मक परीक्षाओं आदि सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

—नेत्रसिंह रावत, अनुसंधान अधिकारी

□

अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान

संपादक त्रय— सर्वश्री रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, भोलानाथ तिवारी और कृष्णकुमार गोस्वामी, पृष्ठ सं. 218
मूल्य रु. 45-

प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, बी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (एप्लायड लिंग्वुईस्टिक्स) की उपर्युक्त पुस्तक, 19 लेखों का संकलन है जिन्हें मोटे रूप में तीन शीर्षों—सिद्धांत, अनुप्रयोग और विविध के अंतर्गत रखा गया है। पुस्तक के अन्त में भाषाविज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली और लेखक-परिचय भी जोड़ा गया है ।

हिन्दी में अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की संकल्पना बहुत प्राचीन नहीं है, अतः इस क्षेत्र में अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत कम काम हुआ है। जिन लेखकों के लेखों को उस संकलन में संकलित किया गया वे सभी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान हैं और अनुभवी प्राध्यापक भी हैं।

अतः भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इस संकलन की उपयोगिता असंदिग्ध है। प्रायः सभी लेखों के अन्त में विशिष्ट अध्ययन के लिए संदर्भ ग्रंथों की सूची दी गई है जिससे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । पुस्तक में चार लेख अंग्रेजी में से अनूदित हैं जिनकी भाषा अपेक्षाकृत क्लिष्ट है।

पुस्तक की साज-सज्जा और छपाई-बंधाई आदि सन्तोषजनक हैं। यदि पेपर बैक में सस्ता इसका संस्करण निकाला जाए तो विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा।

—रणजीत कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी,

□

टेलीफोन कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी में नमूना-पत्र (दूसरा भाग)

लेखक : धर्मपाल जुनेजा

प्रकाशक : श्रीमति के. के. जुनेजा, ई.पी. 53, पुराना रेलवे रोड़, सिंडीकेट बैंक के पीछे गुड़गांव-122001

भारत सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की दशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। रोजमर्रा का बहुत सारा पत्र-व्यवहार ऐसा है जो कि मूलरूप से हिंदी में बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। यह आवश्यक भी है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज और पत्र-व्यवहार में एकरूपता सुनिश्चित की जाए।

इसी दृष्टि से श्री धर्मपाल जुनेजा (जो कार्यालय, मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन दिल्ली में कार्यरत हैं) ने अपने टेलीफोन विभाग के कार्य को ध्यान में रखते हुए मानक मसौदे तथा दैनिक व्यवहार में आने वाली पत्रादि एकत्रित कर के पुस्तक रूप में प्रकाशित किए हैं।

विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक दूर संचार कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगी तथा नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए मार्ग दर्शक ।

—शांति कुमार स्याल
ई-43, सैक्टर-15, नौएडा-201301

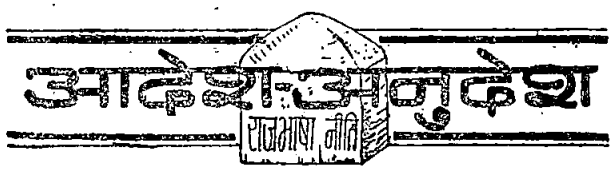

आदेश-अनुदेश

राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 26 जून, 1991 का का ज्ञापन सं 13034/26/91-राभा(ग)

विषय: सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं का प्रयोग।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में अपना द्वितीय प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इसमें की गई सिफारिशों पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों व राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त मतों के आधार पर विचार करने के बाद उन पर लिये गये निर्णयों को सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस विभाग के संकल्प संख्या 12015/34/87-रा. भा. (तक.) दिनांक 29-3-90 द्वारा भेजा गया है।

2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी बैंकों आदि का ध्यान उक्त निर्णयों में से निम्नलिखित की ओर, जिन से उन सभी का संबंध है, एक बार फिर निम्न प्रकार कार्यवाही करने हेतु आकर्षित किया जाता है :—

2.1. "क", 'ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों का प्रतिशत।

संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90% "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 66-2/3% और "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25% टाइपराइटर देवनागरी के होने चाहिए। यह बात साधारण टाइपराइटर के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोर्टेबल तथा बिजली चालित टाइपराइटरों पर भी लागू होती है।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य हो और इसके अतिरिक्त टाइपराइटरों की खरीद ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

2.2 समिति की सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994- 95 के अंत तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाएं। उन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20% वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 1994-95 के अंत तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायें। इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी आशुलिपिक तथा देवनागरी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में भी परिलक्षित किये जायें।

2.3 इस संबंध में राजभाषा विभाग से देवनागरी टाइपराइटरों और हिंदी टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु अब तक कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/9/89-(क-1) दिनांक 9-2-1990 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/19/90-रा.भा. (ग) दिनांक 28-1-1991 जारी किये गये हैं। दिनांक 28-1-1991 को जारी कार्यालय ज्ञापन की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। वे इसे सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लायें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भी भेजें।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 14-5-91 का का. ज्ञापन सं. 11017/1/91-रा.भा. (घ)

विषय :— सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने की योजना—सरकारी उपक्रमों से हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) आदि की सेवा के बदले लिए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी करना ।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3-4-1991 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हिंदी/हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि के अलग से प्रशिक्षण के लिए हिंदी प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशुलिपि) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए संशोधित दरें निर्धारित की गई थी। हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) का औसत वेतन निम्नलिखित प्रकार होगा जो कि सरकारी उपक्रमों आदि से वसूल किया जाना है :—

	प्रति हिंदी प्राध्यापक	प्रति सहायक निदेशक (टं./आशु.)
1. औसत मासिक वेतन डी.ए.सी.सी.ए. आदि सहित	4040-00 रु.	4478-रु.
2. एलटीसी फुटकर अन्य सुविधाएं (1 का 25 प्रतिशत)	1010-00रु.	1194-50रु
3. लीव सेलरी (1 का 11 प्रतिशत)	444-40रु.	525-58रु.
4. पेंशन कंट्रीब्यूशन (1 का 5 प्रतिशत)	202-00रु	238-90रु.
कुल जोड़ प्रति माह व्यय	5696-40	6736-98
अर्थात् रु.	5700/-	रु. 6740/-

2. उक्त पैरा (1) में दी गई दरें जनवरी, 1991 से शुरू होने वाले सत्र से लागू समझी जाएगी ।

3. उपर्युक्त दरों का पुनरीक्षण हर वर्ष पहली जनवरी से किया जायेगा।

4. हिंदी प्राध्यापक अथवा सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) की सेवाएं केवल आंशिक रूप में ही ली जाएं अर्थात् केवल एक कक्षा चलाने हेतु तो उस सूरत में संबंधित उपक्रमों आदि को उपरोक्त दिये गये खर्च का केवल आधा ही अदा करना होगा।

5. जब कभी कई उपक्रम/बैंक/निगम मिलकर एक हिंदी प्राध्यापक अथवा सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) की सेवाएं आंशिक अथवा पूर्णकालिक रूप में लेते हैं तो अपने यहां से भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में वे सभी उपक्रम आदि हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) की सेवाएं लेने के लिये देय खर्च को बांटेंगे।

6. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना के अधीन चलाई जा रही कक्षाओं में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को निशुल्क दाखिला दिया जाता रहेगा।

7. निगमों तथा कम्पनियों आदि को प्रति उम्मीदवार हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिये जो शुल्क देना होता है उसकी दरें वही रहेंगी जो इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अप्रैल, 1987 में उल्लिखित हैं ।

8. प्रत्येक परीक्षा के लिये उपर्युक्त व्यय और परीक्षा शुल्क एक मुश्त राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा दिया जा सकता है । यह राशि "077 अन्य प्रशासनिक सेवायें—अन्य सेवाएं—अन्य प्राप्ति" शीर्षक के अधीन जमा की जायेंगी ।

9. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध हैं कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपने नियंत्रणाधीन निगमों, कंपनियों आदि के ध्यान में लाएं ।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग-3, गृह मंत्रालय के तारीख 30-4-1991 की अ. वि. टिप्पणी संख्या एच-93/वित्त-3/91 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

□

इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार का दिनांक—जून, 1981 का का० ज्ञापन सं 4(2)/89-हि०अ०

विषय :—तकनीकी हिन्दी-लेखन प्रोत्साहन तथा सूचना प्रसारण कक्ष का गठन-कार्य संचालन समितियों का पुनर्गठन।

इलैक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 8 जून 1988 को आयोजित छठी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में, इस विभाग के दिनांक 6 जून 1989 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के जरिए इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक "तकनीकी हिन्दी-लेखन

प्रोत्साहन तथा सूचना प्रसारण कक्ष" का गठन किया गया था। इस कक्ष के गठन, उद्देश्य एवं कार्यक्रम आदि से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

उद्देश्य :

1. इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इसके अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों, अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थाओं आदि के वैज्ञानिकों को तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन और उपयोगी अनुवाद के लिए प्रोत्साहित करना।

2. इलैक्ट्रोनिकी टैक्नॉलॉजी की नीति विषयक जानकारी और विश्व में हो रहे समकालीन तथा अधुनातम शोध एवं विकास की जानकारी जन-भाषा हिन्दी में प्रस्तुत करना।

3. लोक-भाषा हिन्दी को सेतु बनाते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स की जानकारी क्षेत्रीय'/एवं प्रादेशिक भाषाओं में भी सुलभ कराना।

कार्यक्रम :

1. तकनीकी-वार्ताओं और तकनीकी-लेखन कार्य-शालाओं का आयोजन।

2. इलैक्ट्रॉनिकी विषयों पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में मौलिक पुस्तक लेखन, अनुवाद, वीडियो लैक्चर आदि का आयोजन।

3. इलैक्ट्रॉनिक विषयों पर संगोष्टियों तथा कार्य-शालाओं का आयोजन।

4. "इलैक्ट्रानिकी भारती" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।

5. इन्हीं से मिलते-जुलते अन्य कार्यक्रम।

गठन :

उक्त उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए तकनीकी हिन्दी-लेखन प्रोत्साहन तथा सूचना प्रसारण कक्ष के सुचारू रूप से कार्य-संचालन के लिये सलाहकार समिति तथा कार्य-समिति का भी गठन किया गया था।

अब सचिव महोदय के अनुमोदन से इन दोनों समितियों का पुनर्गठन नीचे दिये अनुसार किया गया है :—

1. सलाहकार समिति :

1. श्री एस. मुरली, संयुक्त सचिव—**अध्यक्ष**
2. प्रभारी संयुक्त सचिव/निदेशक, हिन्दी प्रभाग
3. श्री ओम प्रकाश खनेजा, वित्तीय सलाहकार

कक्ष के कार्यों की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुझाव मार्गदर्शन देने के लिये सलाहकार-समिति की हर तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी।

कार्य समिति

1. प्रभारी संयुक्त सचिव/निदेशक, हिन्दी प्रभाग—**अध्यक्ष**
2. डॉ. एस. जी. पाटिल, वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी)
3. डॉ. शांति लाल सरणोत, निदेशक (तकनीकी)
4. डॉ. के. एस. के. साई, अपर निदेशक (तकनीकी)
5. डॉ. ओम विकास, अपर निदेशक (तकनीकी)
6. डॉ. सूर्य प्रकाश उत्तम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
7. श्री शिव प्रकाश चित्तौड़, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)

इस कक्ष के सुचारू रूप से संचालन के लिये कार्य-समिति जिम्मेदार होगी और प्रगति पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा करने, कार्यनीति आदि निर्धारित करने के उद्देश्य से अपनी बैठकें प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य आयोजित करेगी।

श्री रा.ग. जायसवाल, संयुक्त निदेशक (हिन्दी) दोनों समितियों के सदस्य सचिव होंगे।

कार्यकाल :

दोनों समितियों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिये होगा। यदि किसी सदस्य के इस विभाग से अन्यत्र चले जाने या अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त किया जाने वाला सदस्य उक्त कार्यकाल की शेष अवधि के लिये ही सदस्य रहेगा।

सामान्य :

1. सलाहकार समिति उक्त कक्ष के कार्यक्रमों का आवश्यकतानुसार विस्तार कर सकती है।

2. कार्य-समिति में आवश्यकतानुसार अन्य वैज्ञानिक भी सलाहकार समिति के अनुमोदन से सहयोजित किए जा सकते हैं।

3. कार्यान्वयन सहयोग विभाग के हिन्दी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

इलैक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार के दिनांक 9 मई 1991 का कार्यालय ज्ञापन सं. 3(1)/91-हि.अ. की प्रति

विषय : संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1991-92 का वार्षिक कार्यक्रम की प्रति

संसद के दोनों सदनों में राजभाषा अधिनियम 1963 (Official Language Act, 1963) पारित करने के साथ-साथ दिसम्बर, 1967 में सरकार की भाषा नीति के बारे में एक संकल्प (Resolution) भी पारित किया गया, जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया था। इस संकल्प के अनुसार राजभाषा विभाग हिन्दी के प्रसार तथा विकास और सरकारी कामकाज में

राजभाषा हिन्दी की प्रगति में गति लाने के उद्देश्य से हर वर्ष एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करता है और इसमें उस वर्ष के लिए विशेष रूप से सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिये हिन्दी में निर्धारित किये गये लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है और उनके अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश किया जाता है ।

2. तदनुसार, राजभाषा विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान संघ की राजभाषा नीति पर अमल करने के लिये एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रयोजन से सारे देश को तीन क्षेत्रों अर्थात् क्षेत्र "क", क्षेत्र "ख" तथा क्षेत्र "ग" में बांटा गया है और इन क्षेत्रों के लिये अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। "क" क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। "ख" क्षेत्र के अन्तर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, तथा पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। शेष राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र "ग" क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

3. इसके अलावा, इलैक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान अपने लिये भी निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये हैं :—

1. इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इसके अन्तर्गत आने वाले सभी संगठनों में हिन्दी पदों को भरने की कार्रवाई ।
2. इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इसके अन्तर्गत आने वाले सभी संगठनों में द्विभाषी/बहुभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था करना।
3. इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम एक-एक हिन्दी आशुलिपिक/टाइपिस्ट की व्यवस्था करना और साथ ही द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों की व्यवस्था करना ।
4. वेतन-पर्चियों पुस्तकालय के फार्मों को कम्प्यूटरों में "जिस्ट" कार्ड लगाकर द्विभाषी रूप में तैयार करवाना।
5. इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत नव-गठित संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन करना और उनकी नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना।
6. "हिन्दी में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक यांत्रिक सुविधाओं कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर के प्रयोग की संभावनाएं-समस्याएं तथा समाधान" विषय पर हिन्दी में एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करना।
7. सभी प्रभाग-प्रमुखों द्वारा अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना।
8. इलैक्ट्रानिकी विषयों पर ई.टी. एण्ड टी द्वारा हिन्दी में छोटी-छोटी वीडियो फिल्मों का निर्माण।
9. कम्प्यूटरों के लिये पूरे देश में एक जैसा कोड एवं कुंजी पटल का सुनिश्चय करना।
10. वरिष्ठ अधिकारियों/तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिये विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करना।
11. विभाग के वरिष्ठतम स्तर से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों को हिन्दी में सहायक-साहित्य उपलब्ध कराना और उनके माध्यम से हिन्दी को फाइलों पर लाने के लिये जोरदार अभियान आरम्भ करना।
12. इलैक्ट्रानिकी शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से और आगे बढ़ाना।
13. इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रभागों/अनुभागों में प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिये "इलैक्ट्रानिकी विभाग राजभाषा शील्ड" प्रदान करना।
14. इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न उपक्रमों/संगठनों में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसका प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए भी "इलैक्ट्रानिकी विभाग राजभाषा शील्ड" प्रदान करना।
15. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के उद्देश्य से इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न उपक्रमों/संगठनों के निरीक्षण और मानिटरिंग की कार्यवाही तेज करना।
16. शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में समयबद्ध सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाना।
17. सभी शेष आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी आशुलिपि/टाईपिंग में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाना।
18. "इलैक्ट्रानिकी भारती" का नियमित रूप से प्रकाशन जारी रखना।
19. वैज्ञानिकों के लिये आरम्भ की गई तकनीकी अनुवाद योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद करवाना।
20. "क" तथा "ख" क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ किए जाने वाले पत्राचार का प्रतिशत एक उचित अवधि के अन्दर बढ़ाकर 60

प्रतिशत करना। तत्पश्चात् वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से हासिल करने के लिए सभी प्रभागों/अनुभागों संगठनों द्वारा जोरदार तैयारी करना।

21. सभी विभागीय बैठकों/सम्मेलनों/विचार-गोष्ठियों (सेमीनारों) में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को एक विचारार्थ विषय के रूप में शामिल करना।

22. सभी अधिकारियों/सामान्य प्रशासन द्वारा जांच बिन्दुओं को मजबूत करना तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना।

23. समितियों/आयोगों की कार्यवाहियों तथा उनकी रिपोर्टों में हिन्दी के प्रयोग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

24. इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलेक्स मशीन पिछले वर्ष से कार्य कर रही है। अतः इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी संगठन/निगम/संस्थाएं अपने-अपने यहां भी इसी प्रकार की मशीन लगवाने की व्यवस्था करें।

4. वार्षिक कार्यक्रम की एक प्रति तत्काल संदर्भ के लिये संलग्न है। इलैक्ट्रानिकी विभाग के सभी अधिकारियों/अनुभागों तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सभी संगठनों, आदि से अनुरोध है कि वे कृपया उन पर लागू होने वाले कार्यक्रमों का अक्षरक्षः अनुपालन करें तथा उन्हें सही ढंग से लागू करें और इलैक्ट्रानिकी विभाग/राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करें।

5. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति स्वीकार करें और इस संबंध में की गई/भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई से हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

6. इसे सचिव महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन (भाषा विभाग) का दिनांक 24 जून 1991 का पत्र सं. का. बी. (3)/91-भाषा

सेवा में

1. सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्याध्यक्ष, दिल्ली प्रशासन

2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल दिल्ली को राजभाषा विभाग के पत्र सहित।

3. प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका, पालिका केन्द्र नई दिल्ली

4. सभी निगमों/निकायों के विभागाध्यक्ष, दिल्ली प्रशासन

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुपालन सम्बन्धी

प्रायः यह देखा गया है कि इस प्रशासन तथा इसके अधीन स्थानीय निकायों/निगमों के विभागों/कार्यालयों/शाखाओं/अनुभागों/कक्षों आदि के अधिकतर प्रभारी/अधीक्षक एक या दूसरे कारण अपने सारे पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में जारी करा रहे हैं। और इस प्रकार वे राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं जो दिल्ली नगर निगम तथा इस प्रशासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों को शाखाओं/अनुभागों/कक्षों आदि द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी में जारी पत्रों के अनुपात से साफ-साफ दिखाई पड़ता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस प्रशासन में औसतन 80 प्रतिशत से अधिक पत्र अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं: जब कि 1988-1989 तथा 1989-1990 में जारी अंग्रेजी तथा हिन्दी पत्रों का अनुपात 20 : 80 तथा 100 :90 रखा गया था और राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबन्धों में निम्न व्यवस्था की गयी है :—

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ क्षेत्र दिल्ली तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को, जिन्हें "क" क्षेत्र कहा जाता है या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाएंगे यदि किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तब उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासनों को जिन्हें "ख" क्षेत्र कहा जाता है भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में पत्र भेजे जा सकते हैं। किन्तु वार्षिक कार्यक्रम 1988-1989 में किए गए प्रावधान के अनुसार "ख" क्षेत्र की जनता को पत्रादि हिन्दी में भेजे जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (जिसमें "क" और "ख" क्षेत्रों में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल है) किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तब उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जा सकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी में होगा। यह अनुपात वर्ष 1988-89 में 80% रखा गया था तथा 1989-90 में 90 प्रतिशत रखा गया था।

(च) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के आदि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएंगे। हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षरित किए गए आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएंगे।

(छ) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

अतः सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम इत्यादि की ओर से जारी किए जाने वाले सभी पत्रों की भाषा तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी पत्रों का अनुपात उक्त उपबन्धों के अनुसार सुनिश्चित करें तथा अपने अधीन दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/अनुभागों/शाखाओं के पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले तथा पत्र जारी करने वाले प्रभारियों/अधीक्षकों आदि को भी उपबन्धों को अनुसरण करने का निदेश देने का कष्ट करें ताकि वे प्रशासन की भाषा नीति के अनुरूप कार्य करके इसे सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग कर सकें।

(नरेन्द्र प्रसाद)
सचिव (भाषा) दिल्ली प्रशासन

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 7-5-91 का का० ज्ञापन सं 20002/5/91-रा.भा. (ख-1)

क्षेत्रीय सम्मेलनों के अवसर पर हिन्दी में उत्कृष्ट काम करने के लिए सरकारी कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के निर्णय के हेतु सचिव, राजभाषा के अनुमोदन से विभिन्न मदों पर निम्नलिखित अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर पुरस्कारों का निर्णय किया जाता है :—

मद	पूर्णांक
1. प्रशिक्षण	30
2. हिन्दी पत्रों का हिन्दी में उत्तर	20
3. धारा 3(3) का अनुपालन	20
4. हिन्दी में पत्राचार	60
5. नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना	10
6. कार्यशालाओं का आयोजन	15
7. देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं की उपलब्धि	20
8. नियम 11 का अनुपालन	10
9. अन्य विशेष प्रयत्न—मैगजीन, हिन्दी सप्ताह इत्यादि	15
	200

आपसे अनुरोध है कि भविष्य में होने वाले क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की सिफारिश करते समय उपर्युक्त अंकों के आधार का ध्यान रखें। आपसे यह भी अपेक्षित है कि इसे सभी संबंधित कार्यालयों में परिचालित किया जाए।

2. दिए गए अंकों का निर्धारण इस विभाग के पत्र सं. 20002/7/89-रा.भा. (ख-1) दिनांक 1-12-1989 में निहित मानदण्ड के अधिक्रमण में है। □

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 19-3-1991 का कार्यालय ज्ञापन सं 13015/44/90-रा.भा. (त.क.)

विषय : इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स में देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।

राजभाषा विभाग के दिनांक 28 नवंबर, 1990 के उपरोक्त विषय के संदर्भ में समन्वयक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने उन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के पते व दूरभाष संख्या भेजें हैं जो इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स पर देवनागरी में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसकी एक प्रति संलग्न है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने टैलेक्स, टैलीप्रिंटर प्रचालकों को देवनागरी लिपि में कार्य करने का प्रशिक्षण अपनी सुविधानुसार केन्द्र से सीधे संपर्क कर दिलवाएं।

सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे उक्त जानकारी अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में भी लाएं और उनको यह स्पष्ट करे कि प्रशिक्षण संबंधी विशेष जानकारी जैसे प्रशिक्षण की अवधि, शुल्क आदि के लिए वे सुविधाजनक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से सीधे संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्रों (आरटीटीसी) की सूची

क्र. सं०	प्रभारी का नाम तथा पदनाम	आर. टी. टी.सी. का पता	एसटी डी कोड	टेलीफोन नंबर
1	2	3	4	5
1.	श्री एच. बी. शाह प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, नवरंगपुरा, थलतेज रोड, डाक घर, अहमदाबाद-380054	0272	491550(का) 335799 (नि)
2.	श्री एम जी एन मूर्ति प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, नरूपथांगे रोड़, डाक घर, बेंगलूर-560004	0812	213500 (का) 601300 (नि)
3.	श्री एस. सी. मित्तल, प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, 88/2 माउण्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट जे.बी. नगर, साकीनाका, बंबई-400059	022	6343767(का.) 6722944 (नि)
4.	श्री वी. वी. शर्मा, प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, चौथी मंजिल चन्द्र लोक काम्पलेक्स, सिकन्दराबाद-500003	0482	842798(का) 224247(नि)
5.	श्री प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, आर के मिशन बिल्डिंग, विवेकानंदपुरी, निराला नगर, लखनऊ-226007	0522	73881(का)
6.	श्री एस. जम्बू, प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, 23 कैथेड्रल गार्डन रोड, मद्रास-600034	044	869729(का) 421961(नि)
7.	श्री के. बालासुब्रह्मण्यम, प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, पहली मंजिल जीपीओ बिल्डिंग, नागपुर-440001	0712	524733(का) 32405(नि)
8.	श्री ए. के. दास, प्रधानाचार्य	आटीटीसी, एमिनिटि ब्लॉक टेलीफोन केन्द्र कंपाउण्ड पटना-300001	0612	232246(का) 63696(नि)
9.	श्री एस. एल. खिदरी, प्रधानचार्य	आरटीटीसी राजपुरा-140401	01762	2500(का) 3456(नि)
10.	श्री के. एन. के. नायर, प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, कैमानाम डाकघर, त्रिवेंद्रम-695040	0471	77550(का) 77700(नि)
11.	श्री टी.पी. दत्त शर्मा प्रधानाचार्य	आरटीटीसी, कल्याणी, (नाडिया) पं. बंगाल, पिन-741235	03162	98125(का) 98218(नि)

सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों (सीटीसी) की सूची

1.	श्री के.वी. शर्मा, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी कर्मशियल रोड, काकीनाड-533007	0884	74200(का) 74299(नि)
2.	श्री एस. एम. राय चौधरी, प्रधानाचार्य	सीटीटीसी, गुवाहाटी-781009	0361	26875(का) 28648(नि)
3.	श्री पी. एन. दास, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, आर ब्लॉक, डीएमटी बिल्डिंग, पटना-800012	0612	24097(का) 31141(नि)
4.	श्री एस. एम. राहुल, प्रधानाचार्य	सीटीटीसी, न्यू मेंटल हास्पिटल कॉम्पलेक्स, अहमदाबाद पिन-380016	0272	377008(का) 474799(नि)
5.	श्री पी. एन. शर्मा, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, 31 निटको लेन, जम्मू	0191	43131(का) 47887(नि)
6.	श्री आर. जी. पिल्लै प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी के एसएचबी बिल्डिंग त्रिवेंद्रम-695001	0471	62340(का) 19200(नि)
7.	श्री वी.आर. क्षेत्रीय प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, कनाडा कैम्पस, शरनपुर रोड, नासिक पिन-422002	0253	74646(का) 72051(का) 2900(नि) (अध्याड)

1	2	3	4	5
8.	श्री जी. पी. लोकवाणी, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, डाक भवन, भोपाल-463001	0755	550673(का) 66005(नि)
9.	श्री आर. एस. पात्र, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, बापूजी नगर, भुवनेश्वर-751009	0674	400330(का) 57045(नि)
10.	श्री सी. एम. मेहता, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, राजपुरा-140001	01762	2036(का) 2190(नि)
11.	श्री ओम प्रकाश प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, झलारिया डूंगरी जयपुर-302204	0141	510617(का) 510179(का) 48969(नि)
12.	श्री आर. एस. पांडेय, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, पटना हाउस, लखनऊ-226001	0522	247865(का) 31660(का)
13.	श्री आर. साहा, प्रभारी सहायक इंजीनियर	सीटीटीसी, 128/2 ए, नारकलडांगा मेन रोड, कलकत्ता-700054	033	345167(का) 357070(नि)
14.	श्री के. शेषाद्री, प्रधानाचार्य	सीटीटीसी, मीनाम्बक्कम, मद्रास-600027	044	431323(का) 433533(नि)
15.	श्री बी.एस. शामन्ना	सीटीटीसी, कुवेम्पू नगर, मैसूर-570023	0821	26950(का) 30751(का) 30750(नि)

जिला दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों (डीटीटीसी) की सूची

1.	श्री एल. एम. पवार प्रधानाचार्य	डीटीटीसी, सेंटमार्टिन रोड, बांद्रा, बंबई-400050	022	6425552(का) 6421162 (का) 2152829(नि)
2.	श्री एस. के. साहा, प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी 38 स्टैंड रोड, कलकत्ता-700001	033	257446(का) 591093(नि)
3.	श्री सुब्बा राव, प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी, 191 श्रीनिधि कांपलेक्स, 11वां क्रास, मालेश्वरम, बैंगलूर-560003	0812	362042(का) 623355(नि)
4.	श्री के. महादेव शास्त्री, प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी, कण्डास्वामी लेन कोटी, हैदराबाद-500195	0842	553444(का) 65880(नि)
5.	श्री बी. एल. छाजेड, प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी, पटेल चैम्बर्स, पुल के निकट अहमदाबाद-380009	0272	409902(का) 474399(नि)
6.	श्री ओ.पी. भगोलीवाल, प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी, इंद्रेश नगर कल्याणपुर, कानपुर-208026	0512	248772(का) 240100(नि)
7.	श्री जी. डी. गोगाटे प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी, शानीपुर बिल्डिंग, पुणे-411030	0212	444152(का) 438550(नि)
8.	श्री एस वेणुगोपाल प्रभारी सहायक इंजीनियर	डीटीटीसी नं. 22, डा. तिरुमूर्ति नगर, नुंगमबक्कम मद्रास-500034	044	475047(का) 427000(नि)
9.	श्री. पी. एस. सेठी,	डीटीटीसी विराट भवन, डॉ. मुकर्जी नगर, दिल्ली-110009		7123737(का) 7119011 (का) 3325377(नि)

पृष्ठ 2 का शेषांश

इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी की पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो चुकी थी जिसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को भाषाई स्तर पर एक सूत्र में बांधने की संभावनाएं सर्वोपरि थीं। आवश्यकता केवल इस बात की थी कि उक्त विचार को अनुकूल परिस्थितियां मिलें ताकि यह पौधा अपनी सुगन्ध से राष्ट्रीय एकता के उपवन को महका दे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश के तत्कालीन नेतृत्व को इस बात का आभास हो गया था कि संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी जैसी कोई भाषा होनी चाहिए जो भारत जैसे विशाल देश की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिधियों की सीमाओं पर पुल बन सके। विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न वेश भूषाओं, विभिन्न भाषाओं की रेखाओं के मध्य समन्वय बिंदु का कार्य कर सके और इस आभास के पीछे एक ठोस पृष्ठभूमि भी थी क्योंकि अंग्रेजों की दासता के अंधे युग की समाप्ति के बाद अंग्रेजी शासन काल के ध्वंसावशेष के रूप में अंग्रेजी भाषा की अनचाही धरोहर भारतीय जनमानस ने संभाल ली थी। मानसिक दासता की प्रतीक अंग्रेजी भाषा के मोह के निराकरण और राष्ट्रीय एकता के चरित्र को एक सूत्र में गूंथने की मानसिकता के फलस्वरूप ही राजभाषा के वर्तमान स्वरूप का उदय हुआ, जो कि राष्ट्रीय एकता के संबंध में उसके महत्व का परिचायक है।

वस्तुतः भारतवर्ष में "अनेकता में एकता" विषयक सिद्धांत के प्रतिपादन की कसौटी पर राष्ट्रभाषा हिन्दी खरी उतरी है। यदि संपूर्ण देश में भाषाई स्तर पर एक सर्वेक्षण किया जाए तो ज्ञात होता है कि भारत की लगभग 82% जनता हिंदी समझ लेती है, और कहीं-कहीं हिंदीतर भाषा भाषी प्रांतों में हिंदी बोली भी जाती है, चाहे वह टूटी-फूटी ही क्यों न हो। हिंदी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति संपूर्ण देश के किसी भी स्थान पर चला जाए उसे भाषा संबंधी किसी कठिनाई का अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे वह बंगला भाषी बंगाल में हो या सुदूर दक्षिण के किसी प्रांत में, अभिव्यक्ति की संप्रेषणीयता उसे सर्वत्र मिल जायेगी। इससे बढ़कर राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हिंदी के महत्व की पुष्टि करने वाला उदाहरण क्या होगा ? पूरे भारत को एक ही झंडे तले देखने की यह कितनी सुखद कल्पना है।

राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ अन्याय यही रहा है कि समय-समय पर स्वार्थ प्रेरित मनोवृत्तियों के व्यक्ति ने इसके विकास में अड़चनें डालीं ताकि देश को खंडित कराने की चालों को सफलता मिल सके। ऐसे तत्व आज भी हिंदी को केवल हिंदी प्रदेशों की भाषा कहकर इसके सार्वदेशिक स्वभाव पर प्रश्नचिह्न लगाना चाहते हैं। लेकिन वे कदाचित यह भूल जाते हैं कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में अन्य मातृभाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। क्या उर्दू भाषा, पंजाबी भाषी, कन्नड़ भाषी हिंदी बिलकुल नहीं समझ पाते ? क्या उड़ीसा, बंगला, गुजरात, महाराष्ट्र कौन-सा हिंदीतर मातृभाषा वाला प्रदेश ऐसा है जहां हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति संप्रेषणीयता प्राप्त न कर पाती हो; जहां हिंदी का व्यवहार एकदम असंभव या अमान्य हो।

सही मायनों में देश के इतने बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में एक सुसमृद्ध, सुदृढ़ एवं संप्रेषणों के गुणों से युक्त भाषा तो है ही, साथ ही देश को एक बिंदु पर जोड़े रखने में भी सफल है। राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रगति के पथ की ओर अग्रसर है लेकिन सही मायनों में इसका राजभाषा होना तभी सार्थक होगा जब कि प्रत्येक भारतवासी इसके प्रयोग के प्रति जागरूक हो। सरकारी तन्त्र के साथ-साथ जनमानस भी अपने देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के साथ मनसा वाचा कर्मणा जुड़े, तभी सही मायने में संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का राष्ट्रभाषा का पवित्र लक्ष्य पूर्ण हो पायेगा।

पृष्ठ 100 का शेषांश

विषयक ज्ञान रखने वाले अधिकारी ही इस कार्य के लिए सहयोग देते हैं।

हमारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय की परीक्षा नहीं होती है। बीमा विषयक विभिन्न स्तर की परीक्षाएं ही हमारी संस्था द्वारा संचालित होती है, जिन्हें सी. आई. एस. इन्सपैक्टर, लाइसेंसिएट, एसोशिएट एवं फैलोशिप के नाम से जाना जाता है।

फैलोशिप परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षाएं हिन्दी में शुरू हो चुकी हैं। एसोसिएटशिप की पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद का कार्य जारी है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को अभी अंग्रेजी में ही छपवाने की व्यवस्था है, क्योंकि शिक्षा बोर्ड द्वारा इस बारे में निर्णय लेना शेष है, परन्तु परीक्षार्थी एसोशिएटशिप परीक्षा के प्रश्नोत्तर हिन्दी में लिख सकते हैं। कार्यालयीन कारोबार में हिन्दी को बढ़ाने की अपेक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली में हिन्दी के विकास की प्राथमिकता देने का प्रावधान ही हमारी संस्था का प्रथम प्रयास रहा है"।

पृष्ठ 85 का शेषांश

अधिकारी श्री पी. बी. मुतालिक ने किया। इस प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों के लिए अनुवाद एवं शब्दावली से संबंधित दो प्रतियोगिताएं भी की गई। प्रतियोगिताओं के परीक्षकों के रूप में श्री अतुल कुमार, श्री शशोक कुमार सक्सेना, सुश्री रेखा रानी सिंह, श्री अशोक वर्मा ने कार्य किया। कार्यक्रम के लिए संदर्भ सामग्री तैयार करने एवं सत्र संचालन में श्री गंगाप्रसाद राजौरा और श्री प्रेमकुमार का विशेष सहयोग रहा।

इस कार्यालय के आयोजन के लिए विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक तथा बैंक आफ महाराष्ट्र उप समिति के सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। समिति के सचिव श्री प्रबोध कुमार गोविल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

□

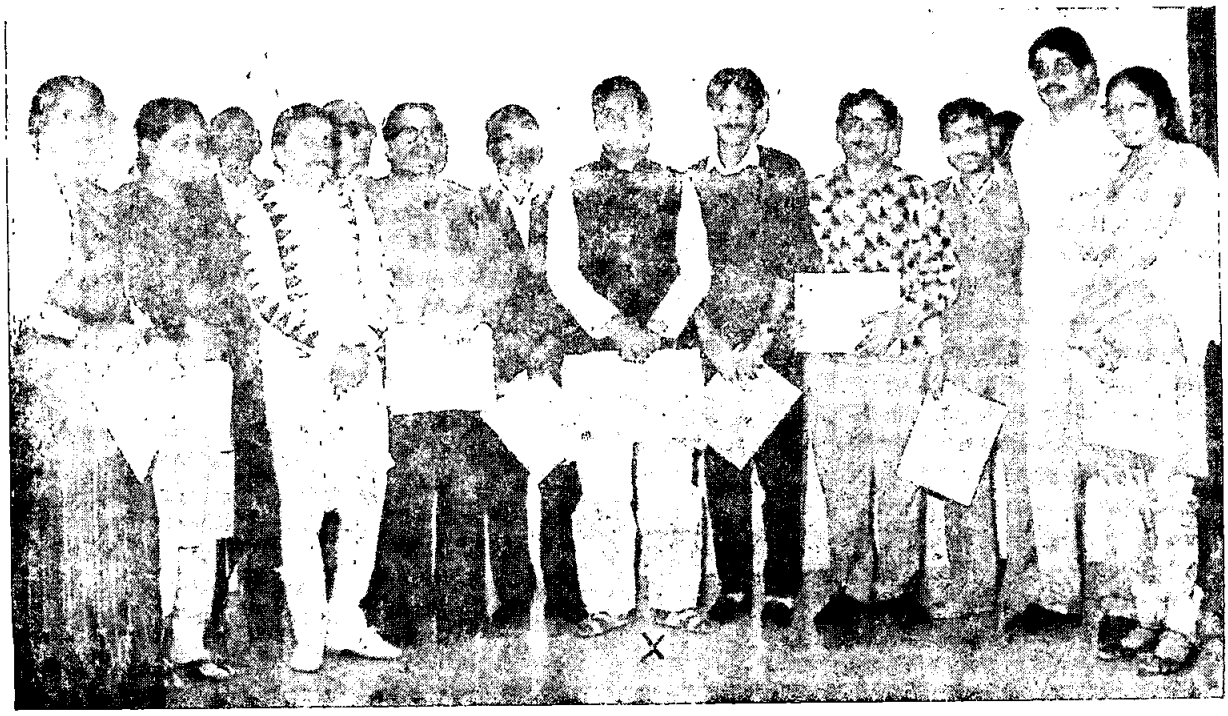

नई दिल्ली : हिंदी प्रतियोगिता में विशिष्ट स्थान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (मध्य) (प. 95)

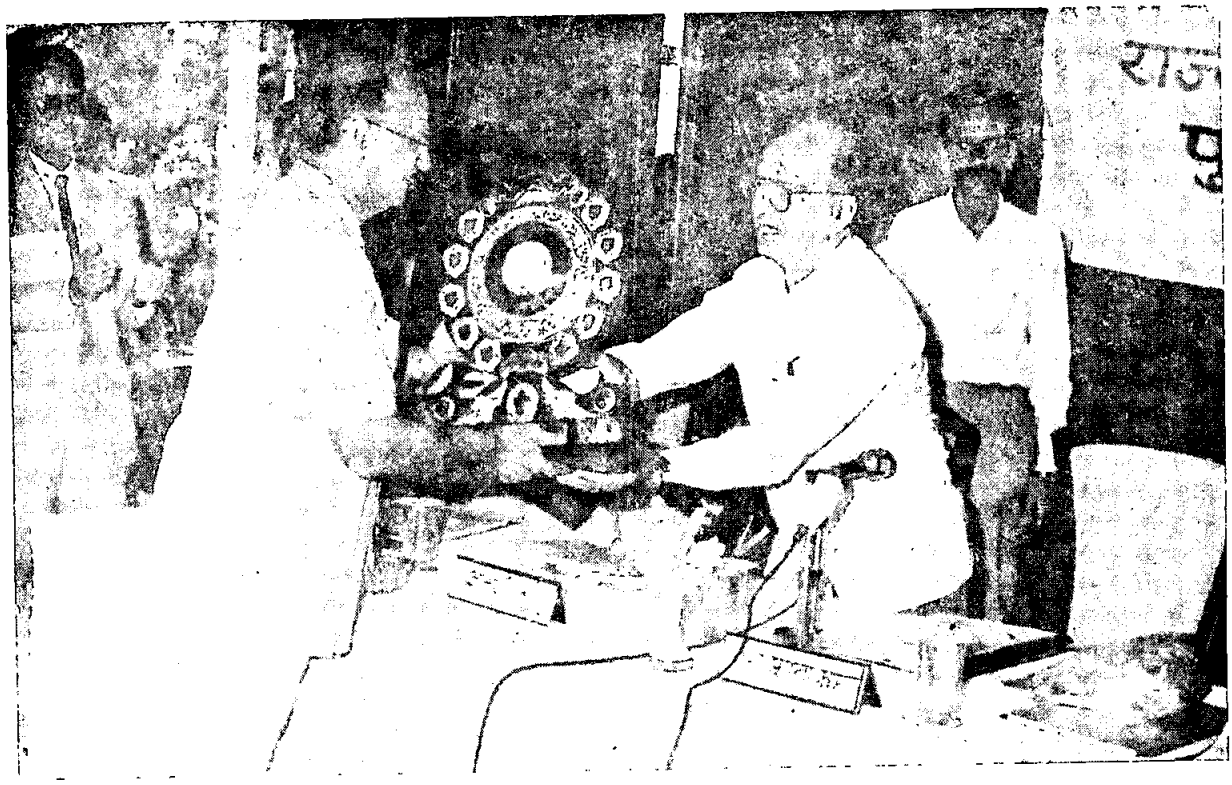

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शांताकुमार से हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप वैजयंती प्राप्त करते हुए श्री यशपाल सेठी, मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक. (93)

राजभाषा भारती के लिए

रचना सामग्री भेजते समय कृपया ध्यान दें —

- सभी प्रकार की रचनाएं दो प्रतियों में अच्छे कागज पर एक ही ओर टंकित की हुई अथवा हाथ से साफ-साफ लिखी होनी चाहिएं ।
- विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/समारोहों आदि की रिपोर्ट/आलेख एक दो पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आलेख/विवरण के साथ एक या दो श्वेत-श्याम चित्र (फोटो) भेजें।
- फोटोग्राफ के कैपशन (स्थान, कार्यालय, कार्यक्रम का उल्लेख तथा चित्र में दिखाई देने वाले महानुभावों के नाम आदि) अलग कागज पर लिखकर फोटो के पीछे गोंद से अवश्य लगाएं।
- चित्रों में सक्रियता की झलक होनी चाहिए ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश-अनुदेश

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में सांविधिक, विविध उपबंध, राजभाषा विषयक अधिनियम, संकल्प तथा उनके अंतर्गत सन् 1952 से 1988 तक सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये विभिन्न आदेश/अनुदेश "हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों के संकलन (अप्रैल, 1986 तक) तथा इसके बाद आदेश-अनुदेश" हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का अनुपूरक संकलन (मई 1986 से दिसम्बर, 1988 तक) में संपादित है।

इसी तरह हिंदी शिक्षण योजना सम्बन्धी आदेशों का संकलन में हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी शिक्षण योजना पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सुविधाएं/प्रोत्साहन/पुरस्कार आदि योजनाओं का पूरा विवरण दिया गया है।

ये तीनों संकलन भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के लिए उपयोगी तो हैं ही, साथ-साथ हिंदीसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी उपक्रमों राष्ट्रीयकृत बैंकों, पुस्तकालयों, शीधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए भी संदर्भ ग्रंथ के रूप में संग्रहणीय हैं।

हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) रूप में मुद्रित बड़े आकार के ये संकलन इस प्रकार हैं :—

1. हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन (अप्रैल 1986 तक)— 20.35 रु.
2. हिंदी शिक्षण योजना संबंधी आदेशों का संकलन 25.00
3. हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपूरक संकलन (मई, 1986 से दिसंबर, 1988 तक)

निःशुल्क (राजभाषा विभाग से प्राप्य)

संकलन सं. 1 और 2 भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली से या उनके प्राधिकृत पुस्तक विक्रेताओं से समूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं । नई दिल्ली में इसका बिक्री केन्द्र है । प्रबन्धक, किताब महल बाबा खड़गसिंह मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डॉ. गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली 110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित । 1991